



India's Port of Millennium

Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

(CIN : U45203TN1999GOI043322)

20th ANNUAL REPORT 2019-20





Construction of 30000 Litres OHT in Soambattu east hamlet of Soambattu Panchayat under CSR



KAMARAJAR PORT LIMITED
(A Company of Chennai Port Trust)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)
(CIN : U45203TN1999GOI043322)

TWENTIETH ANNUAL REPORT
2019-20



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

| | |
|--|----------|
| Shri Sunil Paliwal, Chairman-cum-Managing Director | 01310101 |
| Shri P. Raveendran, Nominee Director- ChPT | 07640613 |
| Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director- ChPT | 07526368 |
| Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director | 02435597 |
| Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director | 03531392 |
| Smt. Sarla Balagopal, Independent Director | 01572718 |

DIN

Key Officials

Shri Sanjay Kumar,
General Manager (CS & BD)

Shri M. Gunasekaran,
General Manager (Finance) cum CFO

Capt. A.K. Gupta,
General Manager (Marine Services)

Shri V. Krishnasamy,
General Manager (Operation)

Shri P. Radhakrishnan,
Deputy General Manager (Civil)

Smt. Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Ph: 044 - 25251666-70 / Fax : 044 - 25251665

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, L.B.S Marg
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
Ph : 022 – 49186000 / Fax : 022 - 49186060

Debenture Trustees

- (i) SBICAP Trustee Company Ltd
Mistry Bhavan, 4th Floor,
122, Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020.
Ph : 022 – 43025555/ Fax : 022 - 43025500
- (ii) Catalyst Trusteeship Limited,
GDA House, Plot No.85,
Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Pune – 411 038
Ph : 020 – 25280081/ Fax : 020 - 25280275

Statutory Auditors

M/s. B. Thiyagarajan & Co.
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s. Joseph & Rajaram
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited

Bankers

Axis Bank
Andhra Bank
State Bank of India
Indian Bank

Vision & Mission

Vision

"To develop Kamarajar Port as a mega port with world class facilities to become the Eastern gateway Port of India."

Mission

"To Provide Port Services of International Standards."





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS (As on 10.11.2020)



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR



SHRI P.RAVEENDRAN, IRTS
NOMINEE DIRECTOR



SHRI S. BALAJI ARUNKUMAR, IRTS
NOMINEE DIRECTOR




SHRI V.M.V. SUBBA RAO,
FCA, DISA (ICAI)
INDEPENDENT DIRECTOR




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR



SMT. SARLA BALAGOPAL, IRTS (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR



Operating Income & PBT during the last 5 years



Cargo handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2019-20

Index

| | |
|---|----|
| Chairman's Message..... | 8 |
| Notice | 11 |
| Board's Report | 20 |
| CSR Activities | 37 |
| Secretarial Audit Report | 49 |
| Report on Corporate Governance | 54 |
| Management Discussion and Analysis | 62 |
| Comments of Comptroller and Auditor General | 69 |
| Independent Auditors' Report | 71 |
| Statement of Assets and Liabilities | 80 |
| Statement of Profit and Loss Account | 81 |
| Cash Flow Statement | 82 |
| Notes to the Financial Statements..... | 84 |

Chairman's Message

Dear Shareholders,

I am delighted to welcome you all to 20th Annual General Meeting of your Company, Kamarajar Port Limited. Hope you had the opportunity to go through the 20th Annual Report of the Company which included the Board's Report and Financial Statements for the financial year ended 31st March 2020 together with the report of the Statutory Auditors and report and review of Comptroller & Auditor General of India.

As you are aware, Cabinet Committee on Economic Affairs had given 'In-Principle' approval on 28th February 2019 for Strategic Disinvestment of 100% equity shares of Government of India in Kamarajar Port Limited to Chennai Port Trust in a single stage process. Pursuant to the Cabinet approval, during the year, the entire shareholding of your Company held by Government of India, through Ministry of Shipping (representing 66.67% of the paid-up share capital of the Company) along with the management control of your Company was transferred to Chennai Port Trust on 27.03.2020 in terms of Share Purchase Agreement that was executed by and between 'The President of India' and 'Chennai Port Trust' on 25.03.2020. Consequently, your Company has ceased to be a Government Company and is now a Wholly Owned Subsidiary of Chennai Port Trust as 100% of the Paid-up Share Capital of your Company is now held by Chennai Port Trust. I would like to summarize some salient features of your Company's performance, for the year ended 31st March 2020.

Physical Performance and highlights during the year 2019-20:

During the year 2019-20, the Company recorded cargo handling of 31.75 MTPA as against 34.50 MTPA in 2018-19. The main reason for shortfall of cargo throughput of your Company is due to reduced Thermal Coal demand on account of

a) reduced demand from TANGEDCO plants due to alternate power production through renewable sources;



- b) delay in commissioning of ongoing TANGEDCO plants;
- c) diversion of about 2.00 Million Tonnes Thermal Coal of Mettur Power Plant (MTPS) through other Port by TANGEDCO and direct movement of Coal through rakes from the originating Coalfield to MTPS.

Some of the performance highlights are:

- KPL and ChPT jointly conducted the PCS 1X Road show on 01.07.2019.
- ISUZU Motors India Pvt. Ltd. has commenced the trial export of automobiles through the General Cargo Berth on 30.09.2019.
- 3 newly completed projects namely Road cum Gate Complex, Container Pre-Parking Yard and Guest House were inaugurated by Hon'ble Minister for Shipping (Independent Charge) on 15th November 2019.
- The vessel call of Feeder service between KPL and Colombo by CMA CGM at Adani Ennore Container Terminal at Kamarajar Port Limited has commenced on 05.12.2019.
- Renault India launched export of 'Triber' model cars to South African Market from Kamarajar Port on 24.12.2019.

- A new RoRo service by the National Shipping of Saudi Arabia, M/s. Bahri Logistics has commenced at KPL's General Cargo Berth with the first RoRo vessel M.V. Bahri Jeddah berthed on 26.12.2019.
- KPL has executed an agreement with TANGEDCO for the use of Coal Berth facilities i.e., Coal Berth Nos.3 and 4 on 14.01.2020.

Ease of doing business

As a part of the Initiatives of "Ease of doing business", your Company:

- has imported one Mobile X-Ray Container Scanner equipment through the RoRo vessel handled at KPL's General Cargo Berth on 22.05.2019.
- has obtained a Technical & budgetary sanction to develop a New Port Operation System (POS) and Real Estate Module on SAP ERP System to replace the legacy POMS and LMS system. Slated for implementation in the next fiscal, this will cover the entire Port Operations, including vessels, cargo, port crafts, etc and seamlessly merge it all in a single IT system.

Capital Expenditure

Your Company spent Rs.102.22 Crores for capacity expansion during the financial year 2019-20 as against the revised target of Rs.120 Crores set for the year. Your Company capitalized the assets of Dredging for LNG Berth during the year and Internal Roads to the extent of completion.

Financial Performance

During the year under review, your Company registered an operating income of Rs.703.18 Crores as against Rs.707.98 Crores reported in the previous year reflecting a marginal decrease of Rs.4.80 Crores. The other income increased to Rs.30.50 Crores from Rs.9.19 Crores.

Your Company has reported a higher PBT (before Extraordinary and Exceptional Items) of Rs.452.22 Crores as against Rs.432.26 Crores reported in the previous year. The increase in PBT (after Extraordinary and Exceptional Items) was Rs.104.14 Crores (4.62%).

However, the Company has reported a lower PAT of Rs.249.03 Crores as against Rs.340.35 Crores reported

in the previous year mainly due to rectification of entries passed during the reporting period towards withdrawal of excess MAT credit provided in the earlier years and reworking of Deferred Tax.

MOU Performance

The Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of India setting Performance parameters and targets for the year 2019-20 was signed on 30.04.2019. The MOU rating for FY 2019-20 is "Fair".

As per the MOU guidelines, your Company had submitted the Draft MoU 2020-21 to the Department of Public Enterprises (DPE) through Ministry of Shipping on 02.12.2019. However, consequent to your Company ceasing to be a Government Company signing of MoU with Ministry of Shipping is not required. The MoU for the FY 2020-21 will now be signed with Chennai Port Trust.

Dividend

The Directors are pleased to recommend a dividend of Rs.6/- per share (i.e. 60%) highest ever, on the Equity Shares of the Company of Rs.10/- each for the year ended 31st March 2020, as against Rs.4/- Per Share paid for 2018-19 towards Interim and Final Dividend.

New Projects & Developments

Your Port continues to invest in infrastructure to increase its ability to provide services to its customers keeping their future requirements in mind. Accordingly, your Company has initiated action for development of additional six berths/terminals: - three berths to handle Coal, two berths to handle Liquid Cargo, and one more berth to handle Container (AECTPL Phase II).

Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, your Port is executing the Southern Port Access Road (Road widening from 2 lane to 4 lane) from Vallur to Port Main Gate at a cost of Rs.195 Crores through TNRDC. Works are in progress and expected completion is by June 2022.

Measures taken to contain the impact of COVID-19

Your Company is taking several precautions under the guidance of Ministry of Shipping and Port

Health Organization to prevent the outbreak of Novel Corona Virus (COVID-19) throughout the Port as summarized below:

- a. Regular disinfection is being carried out at all common contact points inside the port area including administrative building, gates, crafts, vehicles, canteen, Occupational Health Centre etc.
- b. Regular monitoring of temperature for port employees and monitoring of employees of port users by the respective BOT operators.
- c. All ship crew are being screened through PHO since 01.02.2020.
- d. Port Health Officer is giving clearance for every SIGN ON/SIGN OFF based on the SOP's.

Corporate Governance

Your Company gives high priority to core principles of Corporate Governance and believes that its primary goal is to protect investors; maintain fair, orderly, and efficient operating environment in the Organisation. To this end, your Company follows the guidelines and standards set for the Board of Directors, financial and non-financial disclosures thereby adding ethical values in all its operations and actions which safeguards interest of all stakeholders.

Your Company believes that a Company which applies the core principles of good corporate governance like fairness, accountability, responsibility and transparency, will usually outperform other companies and will be able to attract investors, whose support can help to finance further growth.

Your Company, being a debt listed Company, also adheres to the norms set by SEBI, Secretarial Standards issued by ICSI and the Companies Act, 2013 along with the Rules made there under.

Corporate Social Responsibility (CSR)

It has been your Company's conscious and continuous endeavor to contribute to the community development and services. Towards its commitment to the society, during the year under review, your Company has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and requirements of the Companies Act, 2013.

During the year 2019-20, your Company has spent Rs. 8.11 Crores towards various CSR activities namely Construction of School Buildings, Construction of Public Library Building, Construction of New Block of Siddha Section in Govt. Primary Health Centre, Construction of Anganwadi Centres, promoting ecological conservation activities, etc.

Women Empowerment

Your Company's human resource is represented by 17% of women employees. Women employees are facilitated to perform and display their efficiencies for the betterment of the organization as well as self improvement. Various cultural, social, educative and community activities, such as adult education, blood donation camps, eye camps, etc. are being organised regularly, mostly for the benefit of the women residing in the neighbouring areas.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Shipping, Government of India and Chennai Port Trust and appreciate the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN & and other Central Government Ministries & Departments, the Port Users, BOT Licensees/ Concessionaires, Contractors & Suppliers, Bankers, Indian Port Association and Southern Railways for their continued support, patronage and goodwill.

I take this opportunity to also thank the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. I wish to place on record my sincere appreciation to all my colleagues on the Board for their invaluable contribution in fulfilling the responsibilities of Board and strengthening the Company. Last but not the least, I would also like to express my gratitude to the strong team of talented officers and staff at all levels of the Company for their contribution.

I seek your continued support and patronage to take Kamarajar Port to new heights.

Regards,

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director**

KAMARAJAR PORT LIMITED**CIN: U45203TN1999GOI043322**

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Phone: 044 - 25251666 -70 Fax No: 044 - 25251665.

Website: www.kamarajarport.in, Email: info@kplmail.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held on Wednesday, the 16th day of December 2020 at 11.00 A.M. through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2020 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
2. To declare Dividend on equity shares for the financial year 2019-20.
3. To appoint a Director in place of Shri P. Raveendran (DIN: 07640613) who retires by rotation and being eligible, offers himself for reappointment.
4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2020-21."

SPECIAL BUSINESS

5. Appointment of Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (DIN: 01310101) as Chairman-cum-Managing Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Articles of Association of the Company and Section 196 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, Shri. Sunil Paliwal, I.A.S., (DIN: 01310101) who was appointed as Chairman-cum-Managing Director of the Company by the Board w.e.f. 16.09.2019 in terms of Ministry of Shipping, Government of India Letter No. PD-27/12/2017-PD-I/PE-I (Office Order No. 32/2019) dated 19th August 2019, be and is hereby appointed as Chairman-cum-Managing Director of the Company w.e.f 16.09.2019 for a period of 5 years on the terms and conditions as stipulated in the order issued by Government of India including the remuneration as set out in the Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting with liberty to the Board of Directors to alter and vary the terms and conditions of appointment and/or remuneration, subject to the Companies Act, 2013 or any statutory modification(s) or re-enactment thereof and shall not be liable to retire by rotation."

6. Appointment of Shri V.M.V. Subba Rao (DIN: 02435597) as an Independent Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Articles of Association of the Company and Sections 149, 152, 161 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, Shri. V.M.V. Subba Rao, (DIN: 02435597) who was appointed as Non-Official Independent Director of the Company by the Board w.e.f. 11.11.2019 in terms of Ministry of Shipping, Government of India Letter No. PD-

27/30/2017-PD-I dated 06th November, 2019 and who meets the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Act and the details regarding whose appointment and the terms and conditions as stipulated in the order issued by Government of India is given in Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as Non-Official Independent Director of the Company w.e.f 11.11.2019 for a period of 3 years on the terms and conditions as stipulated in the order issued by Government of India and shall not be liable to retire by rotation.”

7. Appointment of Shri S. Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) as a Nominee Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Articles of Association of the Company and Sections 149,152,161 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) Nominee of Chennai Port Trust who has been inducted in the Board of Kamarajar Port Limited w.e.f 04.09.2020, who holds office up to the date of this Annual General Meeting and the details regarding whose appointment is given in Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation.”

8. Appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN: 03531392) as an Independent Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Articles of Association of the Company and Sections 149,

152,161 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, Capt. Anoop Kumar Sharma, (DIN: 03531392) who has been appointed as Additional Director (Non-Official Independent Director) in the Board of Kamarajar Port Limited on 10.11.2020, who holds office upto the date of this Annual General Meeting and who meets the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Act and the details regarding whose appointment is given in Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as Non-Official Independent Director of the Company for a period of 3 years w.e.f 10.11.2020 and shall not be liable to retire by rotation.”

9. Appointment of Smt. Sarla Balagopal, IRTS (Retd.) (DIN: 01572718) as an Independent Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Articles of Association of the Company and Sections 149, 152,161 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, Smt. Sarla Balagopal, IRTS (Retd.) (DIN: 01572718) who has been appointed as Additional Director (Non-Official Independent Director) in the Board of Kamarajar Port Limited on 10.11.2020, who holds office upto the date of this Annual General Meeting and who meets the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Act and the details regarding whose appointment is given in Statement pursuant to Section 102 of the Act annexed to the Notice of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as Non-Official Independent Director of the Company for a period of 3 years w.e.f 10.11.2020 and shall not be liable to retire by rotation.”

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

Place : Chennai

Date : 10.11.2020

NOTES:

- a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 05, 2020 read with circulars dated April 08, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Those wishing to participate through VC or OAVM may do so in person. Proxy cannot participate in the meeting through VC or OAVM. Hence, Proxy Form, Attendance Slip, Route Map are not annexed to the Notice. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or only by sending emails through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company.
- b) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- c) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- d) All documents referred to in the Notice are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and holidays up to the date of the Annual General Meeting and will be made available to the members in electronic mode if requested.
- e) The relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of Item Nos. 5-9 is annexed hereto and forms a part of this Notice.
- f) Members are requested to notify immediately any change of address.
- g) Brief Resume of the Directors seeking appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the notice.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Web link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013**Item No. 5**

Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (TN: 1993) (DIN: 01310101) was appointed as Chairman-cum-Managing Director of the Company by the Board w.e.f. 16.09.2019 pursuant to Ministry of Shipping, Government of India Letter No. PD-27/12/2017-PD-I/PE-I (Office Order No. 32/2019) dated 19th August 2019, for a period of 5 years from the date of assumption of charge of the post, or until further orders whichever is earlier. Pursuant to the Company ceasing to be a Government Company w.e.f 27.3.2020, approval of the Shareholders is to be obtained at the Annual General Meeting.

Tenure, Terms and Conditions on deputation of the appointment are as under:-

1. **Period of Deputation:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will be on deputation from 16.09.2019 to 15.09.2024 or until further orders, whichever is earlier.
2. **Pay:** During the period, Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will draw the pay at level 14 (Rs.1,44,200-Rs.2,18,200/-) of the Pay Matrix plus deputation (duty) allowance thereon plus personal pay, if any.
3. **Deputation Allowance:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) while on deputation will be eligible to draw deputation allowance wherever admissible.
4. **Dearness Allowance:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will be eligible to draw dearness allowance at the Central Government rates.
5. **House Rent Allowance/ Transport Allowance:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will be paid House Rent Allowance/ Transport Allowance at the rates applicable to him in the cadre post under relevant rules.
6. **Transfer TA/ Joining Time:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will be entitled to T.A. and Joining

Time both on joining the post on deputation and on reversion under the rules of Kamarajar Port Limited and which shall not be inferior to the relevant provisions of AIS Rules. The expenditure on this account will be borne by the Kamarajar Port Limited.

7. **TA/DA for Journey On Duty:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance by the Kamarajar Port Limited under its own rules/ regulations for the journey undertaken by him in connection with the official work under Kamarajar Port Limited whether in India or abroad which shall not be inferior to the relevant provisions of the All India Services Rules.
8. **Medical Facilities:** Kamarajar Port Limited shall afford to Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) medical facilities not inferior to those which are admissible to an All India Service Officer of the same status under Central Government rules on the subject.
9. **Leave and Pension:** During the period of Deputation, Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will continue to be governed by All India Service (Leave) Rules, 1955 and the All India Services Officer (DCRB) Rules, 1958. The entire expenditure in respect of leave taken during and the end of deputation shall be borne by the Kamarajar Port Limited. Shri Sunil Paliwal IAS (TN: 1993) shall not be allowed to join any of the pension schemes of Kamarajar Port Limited.
10. **Provident Fund:** During the period of foreign service, Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will continue to subscribe to the AIS (Provident Fund) Scheme to which he was subscribing at the time of proceeding on foreign service in accordance with the rules of such fund.
11. **Conduct, Discipline and Appeal Rules:** Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) will continue to be governed by the All India Services (Conduct) Rules, 1968 and All India Services (Discipline & Appeal) Rules, 1969.
12. **Leave Travel Concession:** Kamarajar Port Limited will allow Leave Travel Concession to Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) as admissible under its own rules/ regulations provided these are not inferior to those admissible to him under the AIS (LTC) Rules, 1975. The whole expenditure in this regard will be met by Kamarajar Port Limited. This is, however, subject to the conditions that the officer had not already, before proceeding on deputation, availed of the concession during the particular block year period of his deputation.
13. **Disability Leave:** Kamarajar Port Limited will be liable to pay leave emoluments in respect of disability leave, if any, granted to Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) on account of any disability incurred in and through Foreign Service even though such disability manifests itself after the termination of foreign service. The relevant AIS rules will be applicable in such cases.
14. **Leave Salary/Pension Contributions:** Kamarajar Port Limited will pay to the Government of the parent cadre of the member of the service leave salary and pension contribution at the rates in force from time to time in accordance with the orders issued by the President under FR 116. The Payment of these contributions must be paid annually within 15 days from the end of each financial year or at the end of foreign service if the deputation expires before the end of a financial year. Delayed payment will attract liability of payment of interest in terms of the instructions continued in the Ministry of Finance's Notification No. F.1(1)- E.III/83 dated the 10th August, 1983, as amended from time to time. Pending intimation of the rates of Leave Salary and Pension Contributions by the concerned Accountant General, Kamarajar Port Limited shall pay Leave Salary and Pension Contributions provisionally at the prescribed rates.
15. **Group Insurance:** If Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) has not opted out of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, before 31.12.1981, the said scheme as appended to the Schedule to the AIS (Group Insurance) Rules, 1981, shall be applicable to him. In that case, the required amount will be deducted from his salary as per prescribed rates as subscription towards the Insurance Scheme which shall be remitted to the concerned Accountant General by the organization. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the Scheme on the accretions to the Saving Fund.

16. Residuary Matters: In all the matters relating to conditions of service and benefits/facilities and perquisites in the Kamarajar Port Limited and not covered by Items 1 to 15 above,

Shri Sunil Paliwal IAS (TN:1993) shall be governed by the existing rules, regulations and orders of the Kamarajar Port Limited.

His brief resume is as under:-

| Particulars | Details | |
|--|--|-----------------------------------|
| Date of Birth and Age | 25/11/1968; 52 years | |
| Educational & Professional Qualification | 1. B. Tech in Computer Science from IIT, Kanpur. 2. M.S. in Computer Science from University of Maryland, USA. 3. MBA from University of Birmingham, U.K. | |
| Business / Occupation | Employed | |
| Experience | Shri Sunil Paliwal started his career as Sub Collector, Cuddalore District and served as Additional Collector in Nagapattinam District. He also worked as the Collector of Tirunelveli, Theni and Kanniyakumari Districts. He also held crucial portfolios in the Government of Tamil Nadu such as Managing Director, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB), Managing Director, Tamil Nadu Road Development Company Limited (TNRDC), Managing Director, Tamilnadu Industrial Development Corporation, Secretary to Government, Commercial Taxes & Registration Department and Commissioner for Milk Production & Dairy Development and Managing Director, Tamilnadu Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. (Aavin), Principal Secretary to Government, Higher Education Department and Principal Secretary to Government, Labour & Employment Department. | |
| Securities held in KPL | 1 Equity Share of Rs. 10/- as a nominee of Chennai Port Trust | |
| Relationship with other Directors/KMP of KPL | Not Applicable | |
| Directorship/ Membership in other Companies | Name of the Company | Nature of interest/concern |
| | Chennai Ennore Port Road Company Limited | Nominee Director |
| | Kanniyakumari Port Limited | Nominee Director |
| | Sethusamudram Corporation Limited | Nominee Director |
| Remuneration last drawn | Rs.3,83,739/- p.m. | |
| Number of Meetings of the Board attended during the year | Details provided in the Corporate Governance Report (Annexure IV of Board's report) | |

Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (DIN: 01310101) shall not be liable to retire by rotation. He is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of his appointment as Chairman-cum-Managing Director of the Company. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. Shri Sunil Paliwal, I.A.S., is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section

164 of the Companies Act, 2013. No sitting fees will be paid to Shri Sunil Paliwal I.A.S. for attending the meeting of the Board or Committees thereof.

In view of his background and experience, it will be in the interest of the Company that he continues as Chairman-cum-Managing Director of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained, the same is brought

to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

Item No. 6

Shri V.M.V. Subba Rao (DIN:02435597) was appointed as Non-Official Independent Director of the Company by the Board w.e.f 11.11.2019 through circular resolution pursuant to Ministry of Shipping, Government of India Letter No. PD-27/30/2017-PD-I dated 6th November 2019. In the opinion of the Board, he fulfills the conditions specified in the Act and the rules made there

His brief resume is as under:-

| Particulars | Details | |
|--|--|-----------------------------------|
| Date of Birth and Age | 10/04/1965; 55 Years | |
| Educational & Professional Qualification | B.COM., F.C.A., DISA(ICAI) | |
| Business / Occupation | Practicing Chartered Accountant | |
| Experience | He is a fellow Member of Institute of Chartered Accountants of India and a Proprietor of V.M.V.S Rao & Co, Chartered Accountants, Nellore with more than 27 years of experience in Accounts, Audit, Taxation and Management Consultancy. He is a Qualified Anti Money Laundering Specialist of ICAI and has qualified various Professional Courses conducted by ICAI. He is Advisor in various reputed Corporate Entities in Nellore/ Sri City etc. He is Technical Reviewer of Financial Reporting Review Board (FRRB) of ICAI and has specialisation in Indirect Taxes. Presently he has been co-opted as Member of Indirect and GST Committee of SIRC of ICAI. He has published various Articles in professional journals - BCAJ, CASC, SIRC etc. He is Founder Secretary of Nellore branch of SIRC of ICAI and has been instrumental in bringing the Branch Status, Computer Lab & Examination Centre at Nellore branch. | |
| Securities held in KPL | Nil | |
| Relationship with other Directors/KMP of KPL | Not applicable | |
| Directorship/ Membership in other Companies | Name of the Company | Nature of interest/concern |
| | Enrica Enterprises Private Limited | Director |
| Remuneration last drawn | Not Applicable | |
| Number of Meetings of the Board attended during the year | Details provided in the Corporate Governance Report (Annexure IV of Board's Report) | |

Shri V.M.V. Subba Rao, (DIN: 02435597) shall not be liable to retire by rotation. He is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of his appointment as Non-Official Independent Director. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. He is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013. In view of his background and experience, it will be in the interest of the Company that he continues as

under for such an appointment and he is independent of the management. He holds office up to the date of this Annual General Meeting of the Company.

Tenure, Terms and Conditions of the appointment:

Pursuant to Ministry of Shipping, Government of India letter No. PD-27/30/2017-PD-I dated 06th November 2019, he has been appointed as Non-Official Independent Director on the Board of Kamarajar Port Ltd w.e.f. 11.11.2019 for a period of 3 years w.e.f the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

Independent Director of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained the same is brought to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

Item No. 7

Shri S. Balaji Arunkumar (DIN: 07526368), Nominee Director of Chennai Port Trust was appointed as Additional Director of the Company in the place of Shri Cyril C George by the Board w.e.f 04.09.2020

through Circular Resolution, pursuant to Chennai Port Trust letter No.ChPT/KPL CELL/2020/F dated 28.08.2020 and recommendation of Nomination and

Remuneration Committee. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013 he shall hold office only up to the date of this Annual General Meeting.

His brief resume is as under:-

| Particulars | Details | |
|--|---|------------------------------------|
| Date of Birth and Age | 05/06/1971; 49 Years | |
| Educational & Professional Qualification | B.Law | |
| Business / Occupation | Deputy Chairman, Chennai Port Trust | |
| Experience | Indian Railway Traffic Service Officer of 1997 batch (I.R.T.S). He worked in Southern Railways & Southern Eastern Railway, Bilaspur, for 17 years in operations, commercial and safety wings. He has wide experience in operations, Traffic planning, Rail Freight marketing and passenger time tabling. He has also worked as Senior General Manager, Chennai CONCOR on deputation for 2 years. Before joining as Deputy Chairman, Chennai Port Trust, he has worked as Deputy Chairman, Kolkata Port Trust (now called as Syama Prasad Mookerjee Port) for more than 4 years and he was holding the charge of Deputy Chairman, Haldia Dock Complex, Kolkata and Deputy Chairman, Kolkata Dock Labour Board. He is also the Managing Director of Central Inland Water Transport Corporation Ltd (CIWTC) and Director in Hooghly Dock and Port Engineers Ltd. He graduated in Law from Madras University. | |
| Securities held in KPL | 1 Equity Share of Rs.10/- as a Nominee of Chennai Port Trust | |
| Relationship with other Directors/KMP of KPL | Not applicable | |
| Directorship/ Membership in other Companies | Name of the Company | Nature of interest/ concern |
| | Central Inland Water Transport Corpn Ltd. | Managing Director |
| | Hooghly Dock & Port Engineers Ltd | Director |
| | Bhor Sagar Port Ltd. | Nominee Director |
| | Kolkatta Port Accretion Ltd | Nominee Director |
| Remuneration last drawn | Not applicable | |
| Number of Meetings of the Board attended during the year | Corporate Governance Report (Annexure IV of Board's Report) may be referred. | |

Shri S. Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of his appointment as Director. No other Director or KMP and their relatives are interested or concerned in the said resolution. He is liable to retire by rotation and not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

In view of his background and experience, it will be in the interest of the Company that he continues as Director of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained the same is brought to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

Item No. 8

Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN: 03531392) was appointed as Additional Director (Non-Official Independent Director) of the Company by the Board on 10.11.2020 pursuant to recommendation of Nomination and Remuneration Committee. He holds office up to the date of this Annual General Meeting. In the opinion of the Board, he fulfills the conditions specified in the Act and the rules made there under for such an appointment and he is independent of the management.

Tenure, Terms and Conditions of the appointment:

Appointment will be for a period of 3 years w.e.f. 10.11.2020.

His brief resume is as under:-

| Particulars | Details | |
|--|--|------------------------------------|
| Date of Birth and Age | 21/08/1960; 60 Years | |
| Educational & Professional Qualification | Master (F.G.); Diploma in Marketing Management ; Fellow of Institute of Chartered Shipbrokers; Executive Business Leadership Program, ISB Hyderabad. | |
| Business / Occupation | Professional | |
| Experience | Capt. Anoop Kumar Sharma was the Chairman & Managing Director of The Shipping Corporation of India Ltd (SCI), a Government of India 'Navratna' Public Sector Enterprise & India's largest Shipping Company. Prior to this he was the Managing Director of M/s. Essar Shipping Ltd. Under his stewardship at both the Companies, he established a diversified leadership team, streamlined processes and ensure balanced control in order to improve efficiency/ profitability & good governance. During his exceptional career spanning over 38 years, he was awarded Maritime Personality of the year 2019; "National Maritime Day Award of Excellence, 2019" for Lifetime exceptional and distinguished achievement and performance at the senior functional level; "The Maritime Standard Outstanding Achievement Award, 2018" for Outstanding achievement and contribution to the industry in India, Sri Lanka and the Middle East; "Indian Chamber of Commerce Award" for outstanding contribution to the Indian Public Sector Industry. He is a member of several high level committees of International classification societies. | |
| Securities held in KPL | Nil. | |
| Relationship with other Directors/KMP of KPL | Not applicable | |
| Directorship/ Membership in other Companies | Name of the Company | Nature of interest/ concern |
| | Dredging Corporation of India Limited | Independent Director |
| Remuneration last drawn | Not applicable | |
| Number of Meetings of the Board attended during the year | Not applicable | |

Capt. Anoop Kumar Sharma, (DIN: 03531392) shall not be liable to retire by rotation. He is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of his appointment as Non-Official Independent Director. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. He is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013. In view of his background and experience, it will be in the interest of the Company that he continues as Director of the Company. Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained the same is brought to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

Item No. 9

Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) was appointed as Additional Director (Non-Official Independent Director) of the Company by the Board on 10.11.2020 pursuant to recommendation of Nomination and Remuneration Committee. She holds office up to the date of this Annual General Meeting of the Company. In the opinion of the Board, she fulfills the conditions specified in the Act and the rules made there under for such an appointment and she is independent of the management.

Tenure, Terms and Conditions of the appointment:

Appointment will be for a period of 3 years w.e.f. 10.11.2020.

Her brief resume is as under:-

| Particulars | Details | |
|--|--|------------------------------------|
| Date of Birth and Age | 03/11/1955; 65 Years | |
| Educational & Professional Qualification | M.A. (English Lit) M.Phil. (Public Administration) | |
| Business / Occupation | Retired Government Servant | |
| Experience | <p>She is a retired Indian Railway Traffic Service officer of 1982 Batch. In her career span of 32 years in Indian Railways, she has held varied and important portfolios both at the field level as well as at the policy making level in the Railway Board. She headed the Commercial Department of Southern Railway for over 5 years during which she undertook various initiatives to increase freight earnings and improve rail passenger interface.</p> <p>She was the first CEO of Hassan Mangalore Rail Development Company (HMRDC), a joint venture of the Ministry of Railways and the Govt. of Karnataka, in Bengaluru. During her tenure the broad gauge link between Bengaluru and Mangalore was commissioned.</p> <p>She also served as a Member on the Bench of the Railway Rates Tribunal, Chennai.</p> <p>She has expertise in costing and pricing of transportation products, PPP (Public Private Partnership) projects and contract management.</p> | |
| Securities held in KPL | Nil. | |
| Relationship with other Directors/KMP of KPL | Not applicable | |
| Directorship/ Membership in other Companies | Name of the Company | Nature of interest/ concern |
| | - | - |
| Remuneration last drawn | Not applicable | |
| Number of Meetings of the Board attended during the year | Not applicable | |

Smt. Sarla Balagopal, (DIN: 01572718) shall not be liable to retire by rotation. She is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of her appointment as Non-Official Independent Director. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. She is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

In view of her background and experience, it will be in the interest of the Company that she continues as Director of the Company.

Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained the same is brought to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

By Order of the Board of Directors

Place : Chennai
Date : 10.11.2020

Sd/-
Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Directors have the pleasure of presenting the 20th Annual Report on the performance of your Company for the financial year ended 31st March 2020 along with Audited Statements of Accounts, Auditor's Report & Report on review of accounts by the Comptroller and Auditor General of India.

1.0 STRATEGIC SALE OF SHAREHOLDING OF GOVERNMENT OF INDIA

Pursuant to the In-Principle approval of Cabinet Committee on Economic Affairs for Strategic Disinvestment of 100% equity shares of Government of India in Kamarajar Port Limited to Chennai Port Trust in a single stage process, the entire shareholding of the Company held by the Government of India, through Ministry of Shipping (representing 66.67% of the paid-up share capital of the Company) along with the management control of your Company was transferred to Chennai Port Trust on 27.03.2020 in terms of Share Purchase Agreement that was executed by and between 'The President of India' and 'Chennai Port Trust' on 25.03.2020. Consequently, your Company has now become a Wholly Owned Subsidiary of Chennai Port Trust as 100% of the Paid-up Share Capital of your Company is now held by Chennai Port Trust and thereby your Company has now ceased to be a Government Company.

2.0 FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. in crores)

| Particulars | 2019-20 | 2018-19 |
|--|---------------|---------------|
| Income from Operations | 703.18 | 707.98 |
| Other Income | 30.50 | 9.19 |
| Total Income | 733.68 | 717.17 |
| Operating Expenses | 144.68 | 146.19 |
| Finance Costs | 84.65 | 91.15 |
| Depreciation and Amortization | 52.13 | 47.57 |
| Total Expenses | 281.46 | 284.91 |
| Profit Before Extraordinary & Exceptional Items | 452.22 | 432.26 |
| Exceptional Items (-) | 4.23 | 88.41 |
| Profit Before Tax | 447.99 | 343.85 |
| Taxes | 198.96 | 3.50 |
| Profit After Tax | 249.03 | 340.35 |
| Other Comprehensive Income | 0.23 | 0.20 |
| Total Comprehensive Income | 249.26 | 340.15 |

3.0 FINANCIAL PERFORMANCE

During the year under review, your Company registered an operating income of Rs.703.18 Crores as against Rs.707.98 Crores reported in the previous year reflecting a marginal decrease of Rs.4.80 Crores. The other income increased to Rs.30.50 Crores from Rs.9.19 Crores. The Company has reported a higher PBT (before Extraordinary and Exceptional Items) of Rs.452.22 Crores as against Rs.432.26 Crores reported in the previous year. The increase in PBT (after Extraordinary and Exceptional Items) was Rs.104.14 Crores (4.62%). However, the Company has reported a lower PAT of Rs.249.03 Crores as against Rs.340.35 Crores reported in the previous Year mainly due to rectification of entries passed during the reporting period towards withdrawal of excess MAT credit provided in the earlier year and reworking of Deferred Tax.

4.0 PHYSICAL PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

- Since inception, your Company has handled 17,29,405 units of automobiles in 1,102 RoRo vessels.
- KPL has imported one Mobile X-Ray Container Scanner equipment through the RoRo vessel handled at KPL's General Cargo Berth on 22.05.2019. The installation of Mobile X-Ray Container Scanner system at six Major Ports in India is one of the major initiatives of Ease of Doing Business under the Ministry of Shipping, Govt. of India.
- KPL and ChPT jointly conducted the PCS 1X Road show on 01.07.2019.
- ISUZU Motors India Pvt. Ltd. has commenced the trial export of automobiles through the General Cargo Berth on 30.09.2019.
- KPL has executed the agreement with TANGEDCO for the use of Coal Berth facilities i.e., Coal Berth Nos.3 and 4 on 14.01.2020.



Signing of Agreement between KPL and TANGEDCO

- A new RoRo service by the National Shipping of Saudi Arabia, M/s. Bahri Logistics has commenced at KPL's General Cargo Berth with the first RoRo vessel M.V. Bahri Jeddah berthed on 26.12.2019
- The vessel call of Feeder service between KPL and Colombo by CMA CGM at Adani Ennore Container Terminal at Kamarajar Port Limited has commenced on 05.12.2019.
- Renault India launched export of 'Triber' new model cars to South African Market at Kamarajar Port on 24.12.2019.



Shri Sunil Paliwal I.A.S, CMD of KPL along with Shri Venkatram Mamillapalle, Country CEO & MD, Renault India Operations flagged off the first car for export from General Cargo Berth of KPL.

- 3 newly constructed projects namely Road cum Gate Complex, Container Pre-Parking Yard and Guest House were inaugurated on 15th November 2019.



Inauguration of Guest House by Shri Mansukh Mandaviya, Honorable Minister of State for Shipping (Independent Charge) and Chemicals & Fertilizers on 15th November 2019.

5.0 DIVIDEND

For the financial year 2019-20, Board of Directors in their meeting held on 9th September 2020 recommended dividend @ 60% on paid up equity share capital absorbing an amount of Rs.180 crores (Rs.6.00 per share). The dividend will be paid, subject to the approval of Members at the Annual General Meeting.

6.0 TRANSFER TO RESERVES

6.1 General Reserve:

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2020 remains at Rs.79.02 Crores.

6.2 Debenture/Bond Redemption Reserve:

Your Company has transferred Rs.8.63 Crores to Debenture/Bond Redemption Reserve pursuant to Section 71 of the Companies Act, 2013 and the balance as on 31st March, 2020 stood at Rs.62.67 Crores.

7.0 FINANCE

During the reporting year, your Company has not availed/ raised any loan/ FCL borrowings.

Your Company has repaid scheduled installments of Foreign Currency Loan (FCL) amounting to Rs.80.70 crores availed from Axis Bank which had become due during the year and also served the monthly interest payments.

Your Company has repaid scheduled installments of term loans availed earlier from Chennai Port Trust amounting to Rs.23.01 Crores which had become due during the current year and served quarterly interest payments.

Your Company has promptly discharged the annual interest obligation to the tune of Rs.6.86 crores and Rs.32.25 crores on Tax Free Bonds Issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively on the due dates.

7.1 Ratings

As per the offer document of tax free bonds issued by your Company, your Company has to carry out the annual surveillance of Credit Ratings. Accordingly, the requisite details were furnished to Credit Rating Agencies for annual surveillance.

The Credit Rating Agencies have reaffirmed the ratings during annual surveillance as detailed below:

| Credit Rating Agencies | Ratings / Outlook |
|------------------------|-------------------|
| CRISIL | AA/ Stable |
| CARE | AA/ Stable |
| ICRA | AA/ Stable |
| Brick Work | AA+/ Stable |

7.2 Particulars of transaction made with Related Parties

No Related Party Transactions were entered into during the financial year.

7.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company between the end of financial year and date of report.

7.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the Financial Year.

7.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

7.6 Investments

During the year, your Company has invested in 10,000 shares of Dredging Corporation in India in the secondary market involving Rs.25,04,116.71/- as per the directions of Ministry of Shipping. Details of the same are contained in the financial statements.

7.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.102.22 Crores for capacity expansion during the financial year 2019-20 as against the revised target of Rs.120 Crores set for the year. Your Company capitalized the assets of Dredging for LNG Berth during the year and Internal Roads to the extent of completion.

7.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any fixed deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2020.

8.0 INTERNAL FINANCIAL CONTROL

Your Company has adopted policies and procedures for ensuring orderly and efficient conduct of its business and adheres to the Company's policies, for safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors, for accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation

of reliable financial disclosures. Internal control procedures are also considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements. The internal control and governance processes are duly reviewed by the Internal Auditor for their adequacy and effectiveness.

9.0 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

9.1 MOU Performance

The Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of India setting Performance parameters and targets for the year 2019-20 was signed on 30.04.2019. The MOU rating for FY 2019-20 is "Fair".

9.2 MOU 2020-21

As per the MOU guidelines, your Company had submitted the Draft MoU 2020-21 to Department of Public Enterprises (DPE) through Ministry of Shipping on 02.12.2019. However, consequent to your Company ceasing to be a Government Company signing of MoU with Ministry of Shipping is not required. The MoU for the FY 2020-21 will now be signed with Chennai Port Trust and the draft MoU has been sent to Chennai Port Trust on 27.07.2020.

10.0 VISITS OF COMMITTEES / COMMISSIONS

10.1 Visit Of Parliamentary Standing Committee On Subordinate Legislation (Rajya Sabha)

The Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha headed by Hon'ble Chairman of the Committee Dr. T. Subbarami Reddy, M.P. was held on 21.01.2020 at Chennai.



Study visit of the Committee on Subordinate Legislation Rajya Sabha to Chennai

10.2 Visit of National Commission for Scheduled Tribes

National Commission for Scheduled Tribes under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson and Miss Anusuiya Uikey Hon'ble Vice

Chairperson visited Chennai on 06.07.2019 and held discussions with the officials of Kamarajar Port Limited regarding implementation of Reservation Policy and various Constitutional safeguards for Scheduled Tribes.

11.0 OPERATIONS

Your Company was conceived to do Coal business for TNEB (TANGEDCO) to handle Thermal Coal in Coal Berths 1 & 2. Your Company which was looked upon initially as a mono commodity Port to handle the Coal requirements of TNEB, has over the years, diversified its cargo basket and has become an all cargo handling Port by strengthening its presence through PPP-BOT/Captive Operators with modern State of Art port facilities. Currently its 8 operational berths give it a capacity of 54.44 Million Tonnes Per Annum of handling capacity. However, the cargo basket has the predominance of Coal which still constitutes 64% of the total cargo while Liquid Bulk accounts for 14%, Automobile and associated Capital Goods 8% and Container 8%.

Your Company has invested in and built a portfolio that has strengthened its upstream and downstream integration and also has infrastructure facilities provided for evacuation of cargoes through rail and road, which facilitates faster and speedy evacuation. The closed conveyors connected directly from Jetty to Stack yards of Coal ensure environment-friendly transfer of potentially polluting cargo and keeps your Port and surroundings clean.

The details of the Port facilities are as follows:

11.1 Cargo Throughput

During the year 2019-20, the Company recorded cargo handling of 31.75 MTPA as against 34.50 MTPA in 2018-19. The main reason for shortfall of cargo throughput of your Company is due to reduced Thermal coal demand on account of

- a) reduced demand from TANGEDCO plants due to alternate power production through renewable sources;
- b) delay in commissioning of ongoing TANGEDCO plants;
- c) diversion of about 2.00 Million Tonnes Thermal Coal of Mettur Power plant to nearby Port at Karaikal and direct movement of Coal through rakes from the originating Coalfield itself.

11.2 Cargo Handling Capacity of Your Company

Presently the Cargo handling capacity is 54.44 Million Tonnes Per Annum with 8 operational berths. Out of the 8 operational berths, three berths are for handling bulk Coal, two berths are for handling Liquid Cargo (POL, LPG & LNG), one berth each to handle Container, Multi Cargo and Automobile export/import and associated capital goods.

I. The details of the operational berths are as follows:

(i) Bulk Terminals (Coal)

The capacity of the three berths to handle Bulk cargo i.e. Coal is 26 Million Tonnes per annum as detailed below:

Two coal berths of 16 MTPA capacity (CB1 & CB2) constructed to handle Thermal Coal by coastal/import for TNEB (TANGEDCO) and NTECL (Joint Venture of TNEB and NTPC) for Thermal Power Plants at North Chennai, Ennore, Mettur and Vallur.

Your Company developed one Common User Coal Terminal of 10 MTPA capacity under PPP mode with M/s. Chettinad International Coal Terminal Pvt. Ltd (CICTPL) as the BOT Operator. The revenue share offered to your Company is 52.524%. Terminal handles Thermal and Coking Coal of various users in the hinterland.

Your Company handled 19.31 Million Tonnes of Thermal Coal and 0.95 Million Tonnes of Coking Coal, totally 20.26 Million Tonnes in the three Bulk Terminal/Berths in the FY 2019-20.

(ii) Liquid Terminals

Two Liquid Terminals have been created by your Company through PPP and captive mode to handle POL/LPG, LNG, etc., with a total capacity of 8MTPA. Marine Liquid Terminal-1 of 3 MTPA capacity, developed by your Company on PPP mode, was commissioned in January 2009. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited (ETTPL) is the BOT Operator for Marine Liquid Terminal. The Terminal handles POL, LPG, Chemicals, etc. for Oil Sector PSUs and other users. Your Company is receiving 21.678% revenue share from the BOT operator. The total cargo handled during the year 2019-20 at MLT-1 is 4.72 Million Tonnes.

Your Company granted Concession for the development of 5 MTPA capacity LNG Terminal for import, storage and re-gasification of LNG. The Terminal has been built by the nation's largest fuel retailer Indian Oil Corporation Limited (IOCL) as the lead partner of the Joint Venture at a cost of Rs.5,151 crore inside the Port on captive basis. The Terminal was commissioned on 26.02.2019 and total cargo handled during the year 2019-20 is 0.51 Million Tonnes.

Totally 5.23 Million Tonnes of liquid cargo (POL, LPG, LNG and Chemicals) was handled by your Company during 2019-20.

(iii) Container Terminal

Your Company has awarded Concession for the development of Container Terminal with a capacity of 1.4 Million TEUs under PPP mode. The developer M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., Gujarat, who is the Concessionaire for the project, has offered 37.00% revenue share. The first phase of 400 m quay length with capacity of 15.44 MTPA started handling vessels in October 2017. The total cargo handled during the year 2019-20 is 2.52 Million Tonnes as against 1.10 Million Tonnes handled in the year 2018-19.

(iv) Automobile Export/Import Terminal

Your Company has developed a berth and parking space for import/export of automobile units. The berth can accommodate the biggest car carrier with a capacity of 8000 cars and has large car parking facilities of 1,99,600 sq.m to park 13,500 cars at a time. Your Company takes pride to be the lone entity to have such huge parking facilities in the Indian Port Sector. During the year 2019-20, your Company has handled 2.45 Million Tonnes of automobile cargo (1,99,651 units) as against 2.18 Million Tonnes of automobile cargo (1,77,370 units) handled in the year 2018-19. The major users of the terminal are RENAULT NISSAN, TOYOTA and FORD.

(v) Multi Cargo Terminal

Your Company has developed Multi Cargo Terminal in PPP Mode. The developer M/s. Chettinad International Bulk Terminal Private Limited (CIBPTL), who is the BOT Concessionaire for the project, has offered 36.00% revenue share. The Terminal was commissioned during August 2017. The total cargo handled during the year 2019-20 is 1.29 Million Tonnes as against 1.32 Million Tonnes handled in the year 2018-19.

II. Projects under Implementation:

The Port continues to invest in infrastructure to increase its ability to provide services to its customers keeping their future requirements in mind. Accordingly, your Company has initiated action for development of additional six berths/terminals: - three berths to handle Coal, two berths to handle Liquid Cargo, and one more berth to handle container as detailed below:

(i) Bulk Terminal (Coal)

The capacity of the three berths to handle Bulk cargo i.e. Coal is 30 Million Tonnes per annum are:

(a) Coal Berths 3 & 4

Considering the expansion of its existing Thermal Power Plants and that of its JV, TANGEDCO had requested KPL to establish 2 additional Coal Berths (CB3 & CB4) at its own investment of Rs.500 Crores. The Coal Berths have been constructed by KPL to accommodate Capesize vessels of 18 m draft and have capacity of 9 MTPA each. KPL has handed over Coal Berth - 4 and Coal Berth - 3 to TANGEDCO during August 2018 and June 2019 respectively, for installation of mechanization like Unloaders, Conveyor system etc. Mechanisation of the berths by TANGEDCO is under progress.

(b) Modification of Iron Ore Terminal on as is where is basis to also handle common user coal

KPL had signed an agreement for an Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis in September 2006 with the Project Company SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT operator had developed the first phase of 6 MTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put to use. Consequently, modification of existing Iron Ore Terminal on "as is where is" to also handle Common User Coal was contemplated. After obtaining necessary approvals from Government, KPL initiated action for re-bidding process and Letter of Intent was issued on 02.06.2016 for the quoted revenue share of 52.524%. License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

The Zero date for Modification of Iron Ore Terminal work was declared on 20.07.2018. The modification work was expected to be completed by July 2019; however, extension was granted for completion

till May 2020. Due to Covid-19 pandemic, the Concessionaire has invoked 'Force Majeure' clause. Now, the project is expected to be commissioned by the last quarter of 2020-21.



Ship Un-loader at Modified Iron Ore Terminal to also handle Coal

(ii) Liquid Terminals

Your Company has initiated action for development of two additional Liquid Terminals through Captive and PPP mode to handle POL and LPG etc. of total 6 MTPA capacity as detailed below:

(a) IOCL Captive Jetty

Your Company had signed an agreement on 9.6.2016 with IOCL for construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products at a project cost of Rs.465 crores. The capacity of the Terminal is 3 Million Tonnes per annum with provision for expansion upto 5 Million Tonnes per annum. Due to delay in obtaining the environmental clearance and litigation by the existing BOT operator, the construction of the project is yet to commence. Environmental clearance was obtained on 30.10.2018 and location of the jetty has now been finalized. As part of the Concession Agreement obligations, the Concessionaire has submitted the Performance Bank Guarantee for Rs.23.25 Cr in January 2020 and IOCL is in the process of obtaining the investment approval from its Board. The construction of Terminal is expected to commence by 3rd quarter of 2020-21 and commissioning is expected by March 2024.

(b) Marine Liquid Terminal 2

To meet the export/import demand of oil industry, KPL has initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode at an investment of Rs.393 Crores. The capacity of the Terminal is

3 MTPA. After competitive bidding, KPL issued Letter of Award (LoA) to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. Due to litigation by existing BOT operator of MLT-1, the Concession Agreement is yet to be signed.

(iii) Container Terminal - Phase 1 (stage 2)

As part of development of Container Terminal, the Concessionaire M/s. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., Gujarat has commenced the construction of second stage terminal for 330m quay length for a capacity of 0.6 Million TEUs during January 2020.

Due to COVID-19 Pandemic, Ministry of Shipping has declared Force Majeure w.e.f. 19.02.2020 till its revocation by Competent Authority. The timeline for completion of Phase-2 of Container Terminal originally expected by September 2021 may thus get delayed as work has stopped and site has been demobilized by the Concessionaire.

12.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a Corporate Port, your Company has chosen to function on "Landlord" model wherein the Port will provide the basic infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities.

For the efficient performance of the port, effective internal network of road and rail as well as external connectivity to the National Highway and trunk railway routes are essential to ensure faster receipt and evacuation of cargo.

I. Road Connectivity

Your Company had initiated following measures for development of port internal and external road connectivity to facilitate incoming and outgoing port cargoes for timely completion of projects:

(i) Internal Road Connectivity

To avoid congestion in the road traffic and parking problems of truck drivers inside the port area, your Company had initiated steps for developing the internal roads, truck parking bays at a cost of Rs.51.55 Crores. The work was awarded to M/s. P&C Projects Pvt Ltd and construction work has commenced and it is expected to be completed by December 2020.

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of Kamarajar Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, KPL has undertaken widening of the existing two lane road starting from Vallur Junction (TPP road) to Kamarajar Port Main entrance to four lane road. The proposal comprising 4.8 km length of North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) Road belonging to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd (TANGEDCO) and 2.3 km length of Port Access Road belonging to Kamarajar Port Limited.

Your Company has entrusted the work of Southern Port Access Road on a turnkey basis to TNRDC at a cost of Rs.195 Crores.

TNRDC has awarded the work for 1st Package i.e. Road improvement from NCTPS junction to KPL Main Gate (2.3 km) on 12.11.2018 and construction work is under progress. Expected completion, for this phase, is by December 2020.

Further, TNRDC has awarded the 2nd Package i.e. Road improvement from Vallur Junction to NCTPS junction (4.8 km) on 30.03.2020 and construction work has commenced on 04.08.2020. Expected completion for this phase is by June 2022.

(b) Northern Port Access Road

The Northern Port Access Road, which connects Kamarajar Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government has accorded administrative sanction for Rs.951 Crore vide G.O. (Ms) No.33 Highways and Minor Ports (HF2) Department dated 19.02.2016 for Land Acquisition work. GO mandates that 50% of the land acquisition cost for NPAR should be borne equally by Kamarajar Port and Kattupalli Port. As Kattupalli Port expressed its inability to bear its portion of land acquisition cost, Kamarajar Port informed the Government of Tamilnadu that in the

situation of Kattupalli Port not sharing the land acquisition cost, KPL too would like to be treated at par and hence the entire land acquisition cost could be borne by the GoTN.

The State Government has accorded administrative sanction for Rs.2673.42 Crore vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor Ports (HF2) Department dated 8.3.2016 for the construction of NPAR. JICA (Japan International Cooperation Agency) is the funding agency for this project. Land acquisition process is in progress. The project is being executed by TNRDC.

Northern Port Access Road is expected to play an important role in evacuating the cargo from Kamarajar Port in future.

II. Rail Connectivity

Presently, Kamarajar Port is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/ Kolkata route. KPL developed the railway facilities connecting the stackyards of the Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line.

(i) Internal Rail Connectivity to Container & Multi Cargo Terminals

An independent railway line exists for providing rail connectivity to Container and Multi Cargo Terminals. This line takes off from the current Railway Siding leading to NCTPS into KPL premises. Development of Rail Yard work was completed at a project cost of Rs.42 Crores and inaugurated on 09.06.2017. Your Company handled its first Rake of Container rail on 23.10.2018 at the newly developed dedicated Railway Siding for Containers inside the Port. The first consignment consisting of 59 imported Containers was evacuated from KPL Railway Siding to ICD Whitefield, Bengaluru.

(ii) External Rail Connectivity

(a) Southern Rail Connectivity

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has entered into agreement with Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (IPRRCL) for enhancement of existing single line rail connectivity from Holding yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.75.00 Crore.

IPRRCL has awarded contract for major and minor bridge construction and track formation work during 2018. IPRRCL could obtain all necessary clearances from different agencies like IWAI, MoEF, Railways, CTE from Tamil Nadu Pollution Control Board only in March 2020. It has commenced work in May 2020. The project is expected to be completed by March 2022.

(b) Northern Rail Connectivity

Given the Master Plan regarding capacity augmentation, futuristic need for rail and road infrastructure and the need for advance planning and participative action for such critical projects which otherwise would become difficult to implement on account of land acquisition issues, KPL has been pursuing the Northern Rail Link project intending to connect the Port from Northern side to main line of Chennai – Gudur Section near Minjur Station. During the configuration of the Project while KPL was in discussion with GoTN for land acquisition for its Northern Rail Link, it has been observed that Kattupalli Port has also approached the GoTN for land acquisition for their Rail Connectivity from Minjur broadly along the same schematic alignment as that of KPL. Government of Tamil Nadu had expressed its difficulty in land acquisition for the projects of KPL and Kattupalli Port separately and has suggested to utilize 30 meters ROW in the existing ROW for the Northern Port Access Road. The proposal is under final stage of discussion. IPRCL has been associated in the Project for preparation of DPR.

III. Dredging Plan

As per the Concession Agreement entered with SIOTL on 11.07.2016, KPL has to carry out the associated Capital Dredging alongside the SIOTL berth upto a depth of (-) 18m CD, basin (-)18.5m CD, Approach Channel (-)19m CD and Entrance Channel (-) 20m CD. Your Company carried out the Capital Dredging in basin (-)18.5m CD and channel (-)19m/20m CD during 2014. Due to siltation in the basin and channel, maintenance dredging is needed. Further, maintenance dredging for maintaining the dredging depth near CB1, CB-2, MLT-1 and GCB berth area and sand trap is required for providing the declared depth. Accordingly, your Company has initiated the Dredging Plan Phase IVA i.e Capital and Maintenance Dredging at Kamarajar Port. Your Company appointed

NTCPWC as a Technical Consultant for dredging plan of phase IV (A). The project cost of Rs.153.50 Crores has been approved by the Board of your Company. Ministry of Shipping has accorded approval for awarding the work to DCI on nomination basis on 24.12.2019. Pursuant to condition stipulated in MOEF & CC approval for SIOTL project, work was awarded to DCI on 23.06.2020 for the contract value of Rs.121.77 Crores after completion of fish breeding season. The Dredging work is in progress.

13.0 INDUSTRIAL RELATIONS

No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal.

14.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

14.1 Manpower

The manpower details with respect to all employees as on 31.03.2020 of your Company are given below:

| | SC | ST | OBC | Others | Total |
|--------------|----|----|-----|--------|-------|
| Officers | 12 | 3 | 29 | 22 | 66 |
| Staff | 9 | 1 | 20 | 6 | 36 |
| <i>Total</i> | 21 | 4 | 49 | 28 | 102 |

14.2 Representation of SCs/STs/OBCs and Minorities

Orders issued by the Central Government from time to time on reservation of posts in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. are followed meticulously in your organisation.

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

14.3 Training Programme

For the year 2019-20, MOU signed with Ministry of Shipping contains 2 HR Parameter viz.,

- (i) Talent Management & career progression by imparting at least 1 week training to at least 10% Executives (E0 & above) in Centres of Excellence within India e.g. IITs, IIMs, NITs, ICAI, etc.
- (ii) Capability Development Programs for Executives to build their technical & managerial competencies for higher positions with special focus on Web learning programs (No.

of programs) with 6 Nos. of Executives to be imparted training and 3 programs for achieving Excellent grading respectively.

In accordance with the MOU target, 16 Executives of KPL attended training in Centre of Excellence like JNPT-APEC, IIT Mumbai, ASCI, CWPRS Pune, AMET University and Coast Guard and 3 Executives have enrolled for web learning programs through SAP India. With this nomination, Excellent Grading w.r.t. training has been achieved in MOU for the year 2019-20.

Some of the training programmes attended by the employees during the year are Dredging Management, Efficient Design of Ports, Terminals, Waterways and Coastal Structures, Strategic Management, IMO Level 1 & 2, Mathematical Modelling, Marine Services, RTI, Cyber Security, EPF, Hindi Workshops, etc.

During the year 277 man days of training was imparted to its employees with an expenditure of Rs.14.67 lakhs (approx.)

14.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as non-executive employees. There was NIL grievance received for the year under review.

15.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Your Port is committed to providing a safe and healthy work environment for its users, contractors & employees. Health, Safety and Environment is priority and is not being compromised at any cost.

Your Port meets the requirements of all applicable legislation and regulations with respect to matters of occupational health and safety in the workplace and requires the same from any contractor it engages. Further, your Port believes that health and safety in the workplace is a shared responsibility and workers are expected to exercise and promote good safety practices.

15.1 Health

As a welfare measure, periodical health check-ups were provided to employees and their family members. Port organized a medical camp on 03.03.2020 in which 160 people comprising of KPL Employees, BOT Operators and SHG Women participated. Your Company is running Occupational

Health Centre equipped with trained paramedical staff and ambulance service round the clock (24 x 7) basis to provide the first aid during emergency to the employees of the Company and other BOT Operators and port users.

15.2 Safety

Your Port gives utmost importance to Safety in its work places. To sensitize employees, stakeholders and port users to improve the health and safety performance in your Port, National Safety Week was celebrated during first week of March 2020 in your Company.

Your Port has a safety committee and quarterly safety committee meetings are being conducted regularly in association with Inspectorate of Dock Safety along with BOT Operators and Stevedores.

Training programmes on Fire fighting for port users (14 nos.), mock drills at berths and port users (14 nos.), mutual aid drills with neighbouring industries namely IPPL & IOCL (02 nos.) and medical camps at Occupational Health Centre (02 nos.) were conducted. Port has also conducted an awareness programme on Coronavirus in association with Port Health Organisation (under Ministry of Health and Family Welfare), Chennai.

During the last five years no fatal accidents occurred in your Port.

Your Port ensures that the employees follow an accurate reporting system and comply with all the statutory requirements. The built in safety gadgets are regularly inspected and certified. Strict vigil is maintained for ensuring the use of proper PPE during the work. Port is having a Disaster/Crisis Management Plan comprising of all mitigation measures.

15.3 Environment

Your Company endeavors to remain as eco-friendly port serving the various needs of the maritime industry. Port is regularly monitoring the environment. Port has engaged M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, a NABL accredited/MoEF & CC recognised laboratory for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air, marine water quality, sediment and noise. Various BOT operators inside the Port are also monitoring

the environment. The environmental quality reports are forwarded to State Pollution Control Board.

Port has formulated "Waste Oil, Sewage & Other Wastes Reception Facilities Policy 2019" for the disposal of ship generated waste oil, sewage and other wastes through approved recyclers.

Your Port conducted a coastal cleanup day on 21.09.2019 in which employees of KPL, CISF personnel and BOT Operators actively participated.

15.4 Solid Waste Management

Your port has appointed a contractor for the collection, segregation and disposal of solid waste generated from the ships and inside port. The segregated wastes are sent to Pollution Control Board approved re-cyclers for further beneficial use.

16.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

The Company has zero tolerance for sexual harassment at workplace and complies with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules there under for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace.

As per provisions of Section 4 of "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", an Internal Committee has been constituted in your Company for dealing with the complaints on sexual harassment of women at workplace. No case of any harassment has been reported at any time in your Company and specifically no complaints of sexual harassments were received during the year 2019-20.

There are a total of 17 women employees, which is approximately 17 % of its total workforce of 102 as on 31.03.2020. International Women's Day was celebrated on 6th March 2020 with the active participation of women employees in various Games and Programmes to mark the day.

17.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

It has been your Company's conscious and continuous endeavor to contribute to the community development and services. Towards its commitment to the society,

during the year under review, your Company has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and requirement of the Companies Act, 2013. CSR budget outlay for this financial year is Rs.8.31 Crores and the unspent CSR funds carried over from the previous financial year is Rs.12.73 Crores. Hence, the total cumulative outlay available for this financial year 2019-20 is Rs.21.04 Crores. Out of this outlay, Rs.8.11 Crores has been spent towards various CSR activities viz., Construction of School Buildings, Construction of Public Library Building, Construction of New Block of Siddha Section in Govt. Primary Health Centre, Construction of Anganwadi Centres, promoting ecological conservation activities, etc.



Shri Sunil Paliwal I.A.S., CMD, KPL inaugurated the 12 classrooms constructed under the CSR Initiative at Nutakki, Guntur District, Andhra Pradesh.

The details of CSR and Sustainability Development initiatives taken by your Company are enclosed as **Annexure-I & IA** and forms part of the Board's Report.

17.1 Additional Disclosure CSR initiatives of District Collector, Tiruvallur for the year 2016-17

Rs.4.60 Crores was contributed to the District Collector, Tiruvallur for 28 CSR initiatives disclosed in the Annual Report 2016-17 for implementation by District Administration of Tiruvallur. Out of 28 initiatives the District Collector, Tiruvallur reported that 10 Nos. of activities/proposals were taken up for execution at a cost of Rs.1,44,95,000/- Out of 10 Nos. of CSR activities, 8 works have been completed and balance works are in progress and the same will be completed tentatively by 30.11.2020 (**Annexure IB**). In lieu of the balance 18 activities (disclosed in the Annual Report 2016-17 and not undertaken for administrative reasons), District Collector, Tiruvallur had made request for 31 Nos. of activities/proposals at a cost of Rs.315.15 Lakhs due to the urgent

local needs and the fact that some of the works were already taken up. The list of 31 Nos. of CSR activities is given in **Annexure- IC**. Out of 31 Nos. of CSR activities, 29 works have been completed and balance works are in progress and the same will be completed tentatively by 30.11.2020.

18.0 RESEARCH & DEVELOPMENT

Your Company, for its future growth and to improve and expand its operations, upgraded the Kamarajar Port Physical Model by installing new equipment for wave generation (RSWG) and Data Acquisition System at CWPRS, Pune. Further, your Company is the shareholder for Setting up of National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts (NTCPWC) at Indian Institute of Technology Madras at Chennai.

Your Company assigned the technical study to NTCPWC for conducting 3D Full Bridge Real-time Ship Navigation Simulation Study for verifying berth Maneuvering concerns at the upcoming IOCL Captive Jetty. NTCPWC conducted the study during January 2020 in the presence of our Company Pilots and confirmed that the present location is safe for berth Maneuvering. The Centre will be host to several technological arms to support the Port and Inland Waterways sector and will provide solutions to a variety of problems being faced in the industry through scientific research. It will also carry out valuable education, applied research and technology transfer in maritime transportation at the local, regional, national and international levels.

19.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified the Public Procurement Policy and in terms of the said notification, 89.58% of annual value of goods or services are procured from Micro and Small Enterprises as against 20% mandated in the policy. Details of the procurement from MSE's owned by SC/ST entrepreneurs/women entrepreneurs etc. are given below:

Percentage target for procurement as mandated in the policy.

| Sl. No. | Particulars | Target (%) |
|---------|--|------------|
| 1 | % of procurement from MSE's (including MSE's owned by SC/ST entrepreneurs) out of total procurement. | 25 |
| 2 | % of procurement from only MSE's owned by SC/ST entrepreneurs out of total procurement. | 4 |
| 3 | % of procurement from only MSE's owned by Women entrepreneurs out of total procurement | 3 |

Details of procurement as per plan vis a vis Actuals:

| Sl. No | Particulars | PLAN | | ACTUAL | |
|--------|--|------------|----|------------|-------|
| | | Rs. in Cr. | % | Rs. in Cr. | % |
| 1 | Total Annual Procurement | 8.3 | | 7.373 | |
| 2 | Total value of goods and services procured from MSE's (including MSE's owned by SC/ST entrepreneurs) | 2.075 | 25 | 6.605 | 89.58 |
| 3 | Total value of goods and services procured from only MSE's owned by SC/ST entrepreneurs | 0.332 | 4 | 1.419 | 19.25 |
| 4 | Total value of goods and services procured from only MSE's owned by Women entrepreneurs | 0.249 | 3 | 0.0574 | 0.78 |

20.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Risk Management Policy adopted by the Company provides a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities. It provides a way for managers to make informed management decisions.

Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them will help the Organizations to perform better.
- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the

objectives of the Organization, plan for their mitigation with specific responsibility.

- Implement such a plan with targeted date and review periodically.
- Improve strategic decision making;
- Improve business performance;
- Reduce operational surprises and losses;
- Promote a more innovate and less risk averse culture;
- Improve deployment of capital;
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance;
- Seizing opportunities.

The risks are identified; evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

21.0 WHISTLE BLOWER POLICY

With the object of conducting the affairs of its constituents in a fair and transparent manner the Company has put in place a “Whistle Blower Policy” for employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company’s code of conduct or ethics policy by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism has been hosted on the website of your Company. Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director is the Ombudsperson. No complaints have been received under the Policy during the year.

22.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

The Terms and Conditions of Remuneration were determined by the Government of India as your Company was a Government Company till 27.3.2020. Subsequent to disinvestment of entire Shareholding held by Government of India to Chennai Port Trust, the Company ceased to be Government Company and is a Subsidiary of Chennai Port Trust, an autonomous body under Ministry of Shipping, Government of India. All the KMP’s and employees continue to be governed by DPE pay structure. Other details are provided in the Corporate Governance Report which forms part of Board’s Report.

23.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has implemented the Right to Information Act, 2005 by providing information to the citizens of India and is also maintaining accountability and transparency in working.

The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajarport.in. During the year, Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Training, New Delhi has submitted an audit report on proactive disclosure under Right to Information Act, 2005 and the Audit Report is uploaded in your Company’s website. Your Company has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The details of designated officers are available in the Company’s website.

During the year, 50 applications were received and attended to under the Act. Three appeals were received and the same were disposed off within the stipulated time.

24.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company has always been at the forefront in technology adoption for better business process management and providing value to the business. Your Company has undertaken many IT initiatives to carry out all business processes and service delivery through IT systems and IT-enabled services and realize the digital transformation propounded by the Government of India. Your Company maintained 99 percent uptime of SAP operations during this year.

During 2019-20 some of the IT systems implemented and initiatives taken by your Company are:

- Engaged M/s PricewaterhouseCoopers (PWC) for SAP System Audit and Consulting for Implementation of Information Security Management Systems (ISMS) including IT Security Audit towards achieving IT/Cyber Security audit compliance and achieving ISO 27001:2013 standards. M/s Pricewaterhouse Coopers (PWC) has submitted a Risk Assessment report along with policy documents. Risk Mitigation strategy preparation is in the final stage based on Risk Assessment. Presently, the second phase of Audit is in progress. The entire activity including ISMS Roll-out is expected to be completed by first quarter of 2021-22. On successful completion,

action will be initiated towards external audit and process of obtaining the ISO-27001 Certification.

- Initiated action for establishing a new Modular data centre infrastructure complying with ISO 27001:2013 standards. Technical requirement specification and budgetary estimates have been arrived at. The supply and commissioning is planned for the fourth quarter of 2020-21.
- Obtained a Technical & Budgetary sanction to develop a New Port Operation System (POS) and Real Estate Module on SAP ERP System to replace the legacy POMS and LMS system. Slated for implementation in the next fiscal, this will cover the entire Port Operations, including vessels, cargo, port crafts, etc and seamlessly merge these in a single IT system.

25.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Company has made focused efforts for the propagation and implementation of the official language policy of the Government of India.

- Official Language Implementation Committee headed by CMD met every quarter for effective implementation of Raj Bhasha.
- All the Rules/Regulations/Manuals/Forms done in bilingual.
- All the rubber stamps, sign boards, seals, letterheads, Name plates, official description on vehicles, visiting cards, etc. done in bi-lingual.
- Resolutions are done in bi-lingual.
- KPL celebrated Hindi Fortnight commencing from 03.09.2019 to 13.09.2019 along with Chennai Port Trust. Various competitions were conducted during the fortnight, wherein KPL employees took active part in the competitions. CMD, KPL distributed prizes to the winners of the competitions on the Hindi Day Celebration held on 13.09.2019.



Hindi Day Celebrations

- In order to boost the morale and for effective implementation of Raj Bhasha, CS & BD department and CS department which made more contribution bagged the award with a shield on the Hindi Fortnight Celebrations.



Corporate Strategy & Business Development (CS&BD) Department receiving the Award



CS & Legal Department receiving the Award

- Hindi workshops were conducted every quarter to give wide publicity on progressive use of Hindi. An article was published on the Hindi Workshop held on 26.11.2019 in Daily Hindi Milap magazine.
- Rajbhasha wing of Ministry of Shipping inspected KPL w.r.t. implementation of Hindi on 24.10.2019.
- Employees were incentivized on successful completion of Prabodh, Praveen and Pragya Exams held during May 2019/Nov 2019.
- Important milestone has been achieved in KPL as 15 employees of KPL have gained working knowledge in Hindi and have been entrusted with the task of implementing the Official Language in their departments.

26.0 CHANGES IN DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONS

During the year under review,

- Pursuant to Office Order No. 32/2019 issued by Ministry of Shipping Vide Letter No. PD-27/12/2017-PD-I/PE-I dated 19th August 2019,

Shri Sunil Paliwal, I.A.S. was appointed as Chairman-cum-Managing Director in Kamarajar Port Limited for a period of five years from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. Consequently, Shri P. Raveendran, IRTS, Chairman-cum-Managing Director (I/C) handed over the charge and Shri Sunil Paliwal, I.A.S., assumed the charge as Chairman-cum-Managing Director of your Company on 16.09.2019.

- Pursuant to Ministry of Shipping Letter No. PD-27/12/2017-PD-I dated 06th November 2019, Shri V.M.V. Subba Rao was appointed as Non-Official Independent Director on the Board of Kamarajar Port Limited for a period of 3 years w.e.f. the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier. Consequently, the Board in its meeting held on 13th November 2019 has taken note of appointment of Shri V.M.V. Subba Rao, as Non-Official Independent Director of KPL w.e.f. 11.11.2019.
- Smt. L. Victoria Gowri ceased to be a Non-Official Independent Director in the Board of KPL w.e.f. 31.01.2020 consequent to expiry of tenure.
- Consequent to the Strategic Sale of entire shareholding held by Government of India in Kamarajar Port Limited, to Chennai Port Trust, Shri H. N Aswath, Nominee of the Government of India resigned w.e.f 27.3.2020 and in his place Shri Cyril C George, Nominee of Chennai Port Trust was inducted in the Board of Kamarajar Port Limited w.e.f 27.03.2020.
- Pursuant to Chennai Port Trust Letter No. ChPT/KPL CELL/2020/F dated 28.08.2020, Shri S. Balaji Arunkumar, Deputy Chairman, ChPT was appointed as Nominee Director of Chennai Port Trust w.e.f. 04.09.2020 on the Board of Kamarajar Port Limited in place of Shri Cyril C George.

27.0 NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

The Board met 7 times during the Financial Year, the details of which are given in the Corporate Governance Report that forms part of this Annual Report. The intervening gap between any two meetings was within the period of 120 days as prescribed by the Companies' Act, 2013.

28.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent Directors of the Company during the year 2019-20 conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under 149 (6) of Companies Act 2013, the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 and DPE guidelines.

In the opinion of the Board, the Independent Director appointed during the year possess the requisite integrity, expertise and experience required to discharge the duties as Independent Director.

The Independent Director appointed during the year has taken and successfully qualified the online proficiency self-assessment test conducted by the Institute notified under sub-section (1) of section 150 of the Companies Act, 2013.

29.0 COMMITTEES

Detailed note on committees including CSR, Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee is provided in Corporate Governance Report which forms part of Annual Report.

30.0 VIGILANCE

The Vigilance Division in Kamarajar Port Limited is headed by Shri P.Ravindra Babu, IRSME, Chief Vigilance Officer, Chennai Port Trust, who is holding additional charge of CVO, KPL from 20.09.2018. He is assisted by a Manager from Operations Department.

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the work contract executed by the departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions. The recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of KPL are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for the abnormalities, if any, from the concerned officers. The Audit reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

30.1 Vigilance Awareness Week, 2019

As per Central Vigilance Commission's direction, Kamarajar Port Limited observed Vigilance

Awareness Week from 28.10.2019 to 02.11.2019 in the theme of “**Integrity – A way of life**”. Essay and Slogan writing competitions were held with the active participation from KPL staff. Lectures were organized on vigilance related topics to create more awareness on Vigilance.

The Chief Guest, Shri M.N. Manjunatha, I.P.S. Addl. DGP/Chairman-cum-Managing Director of Tamil Nadu Police Housing Corporation and a recipient of President’s Police Medal for Meritorious Services in 2008 and for Distinguished Services in 2018 gave an elaborate lecture on the topic .



Observance of Vigilance Awareness Week – 2019

30.2 Adoption of Integrity Pact

The Central Vigilance Commission has been promoting integrity, transparency, equity and competitiveness in Government/PSU transactions as a part of vigilance administration and superintendence. Public procurement is a major area of concern for the Central Vigilance Commission and various steps have been taken to put proper systems in place. The Commission has recommended adoption of Integrity Pact and provided basic guidelines for its implementation in respect of major procurements in the Government Organizations. Further the Commission has recommended for the appointment of Independent External Monitors (IEMs) for the implementation of Integrity Pact and also advised the organisations to fix a threshold value for the contracts/procurement which are to be brought under the Integrity Pact. The Pact envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and the Employer/Principal committing the persons/officials of both parties, not to exercise any corrupt influence on any aspect of the contract.

The KPL Board had approved the Vigilance department’s proposal of Integrity Pact in the Board

meeting held on 21.02.2015. The threshold value for contracts/ procurement to be covered under Integrity Pact has been fixed as Rs.1 Crore and above. The CVC had appointed the following two retired officers as Independent External Monitors (IEMs) for implementing the Integrity Pact in KPL.

- 1) Shri.V.Kannan, Former CMD, Vijaya Bank.
- 2) Shri.R.Kuppan, IRSME(1980 batch)
Former Principal Chief Mechanical Engineer.

Integrity Pact covers all phases of the contract i.e from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. All the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having value more than the threshold value of Rs.1 Crore.

Integrity Pact has already been implemented in the PPP projects and other contract works in Kamarajar Port Limited as advised by the Ministry of Shipping. The IEMs reviewed the implementation of Integrity Pact in respect of all works having a threshold value of Rs.1 crore in KPL on 24.09.2019.

31.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company of KPL.

32.0 DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the

provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

33.0 PARTICULARS OF EMPLOYEES

As your Company was a Government Company till 27.3.2020, the provisions of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules were not applicable till then in view of the Gazette Notification No. GSR 463(E) dated 05.06.15 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs.

34.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. B.Thiyagarajan & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2020.

34.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. B. Thiyagarajan & Co., Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2019-20. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

34.2 Review Of Accounts By Comptroller And Auditor General Of India

Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General of India reported that "nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report". A copy of the report of C&AG is annexed herewith.

35.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s. S Dhanapal & Associates, practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the Financial Year 2019-20 as required under Section 204 of the Companies' Act, 2013 and rules there under.

The Secretarial Auditors have reported that during the period under review, your Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc to a required extent except appointment of Independent directors and all related Compliances. The Secretarial Auditor's Report for the financial year 2019-20 forms part of this Boards' Report as **Annexure – II**.

35.1 Reply to the comments of Secretarial Auditor

As your Company was a public sector undertaking till 27th March 2020, the appointment of Directors was to be made by Govt. of India and your Company had been regularly following up with the Ministry in this regard. Subsequent to your Company becoming a subsidiary of Chennai Port Trust, your Company has taken up the matter with Chennai Port Trust for appointment of remaining Independent Directors on the Board. Once the remaining Independent Directors are appointed, all related requirements will be complied with.

36.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

37.0 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

In terms of Notification No. G.S.R. 538(E) dated 28th August 2020, the copy of the Annual Return for the year 2018-19 is available at www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/MGT-7%20of%2018-19%20and%20Extract%20for%202019%20final.pdf. The Extract of Annual Return for the year 2019-20 is also available in the same weblink.

38.0 DEBENTURE TRUSTEE

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s. Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees

for Tax Free bonds issued during the Financial Years 2012-13 and 2013-14 respectively. The contact details of the Debenture Trustees are detailed below:-

| Debenture Trustees | |
|---|--|
| SBICAP Trustee Company Ltd., Mistry Bhavan, 4 th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 Phone : 022-4302 5555 Fax : 022-4302 5500 | Catalyst Trusteeship Limited, GDA House, Plot No.85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune – 411 038. Ph: 020 – 25280081 Fax : 020 -25280275 |

39.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO.

In accordance with the provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 information regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo is given at **Annexure – III** to this report.

40.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

As per the guidelines of Government of India, Department of Public Enterprises, a report on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance for the year ended 31st March 2020 is enclosed as **Annexure - IV** to this report.

40.1 Secretarial Standards

Your Company is in compliance with the revised Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General

Meetings (SS-2) with effect from 1st October 2017.

40.2 Cost Records

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

41.0 REPORT ON MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

A report on Management Discussion and Analysis is enclosed at **Annexure –V**.

42.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Shipping, Government of India and Chennai Port Trust and appreciates the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN and Gol, particularly the Ministry of Environment & Forests, Department of Public Enterprises, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance. Your Directors wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place : Chennai

Date : 09.09.2020

ANNEXURE-I

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| | |
|---|--|
| <p>1. A brief outline of the Company's CSR Policy, including overview of projects or Programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR Policy and projects or Programmes.</p> | <p>Some of the Strategies & Thrust areas as outlined in the Policy are:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ KPL shall consistently strive to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/quality of life of society/community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the CSR provisions of the Companies Act, 2013, Schedule VII of the Act, CSR rules, the Guidelines issued by DPE and the policy directions issued by the Government from time to time. ➤ KPL as a socially responsible corporate port would like to endeavor to - <ul style="list-style-type: none"> • Promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability • Take up CSR projects by priority to the issues which are in the National Development Agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation and education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and weaker sections of the society which consists of SC, ST, OBCs, minorities, BPL families, old and aged, woman/girl child and physically challenged, etc. <p>The CSR policy may be accessed on the Company's website at http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php</p> |
| <p>2. The Composition of the CSR Committee as on 31.03.2020</p> | <p>Shri. Sunil Paliwal, I.A.S, – Chairman Shri P. Raveendran, IRTS – Member Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA(ICAI) – Member</p> |
| <p>3. Average Net profit of the Company for last three financial years (PBT)</p> | <p>Rs. 415.84 Cr (480.09+423.58+343.85) /3</p> |
| <p>4. Prescribed CSR Expenditure (2% of the average Net profit)</p> | <p>Rs. 8.31 Crs</p> |
| <p>5. Details of CSR spent for the financial year:</p> <p>(a) Total amount to be spent for the financial year</p> <p>(b) Amount unspent, if any:</p> <p>(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:</p> | <p>Rs.21.04 Crs (Rs.12.73*Crs+Rs.8.31Crs = Rs.21.04Crs) * Unspent amount carried forward from the Previous year.</p> <p>Rs.12.93 Crs (Rs.21.04Crs-Rs.8.11 Crs)</p> <p>Rs. 8.11 Crs Manner in which the amount spent is annexed as Annexure 1A</p> |

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed / spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/ spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Construction of Public library building including Providing Furniture & Computer at Panapakkam, Vellore District, Tamilnadu | Setting up of public libraries | (1) Other (2) Vellore District, Tamil Nadu | 31,14,987 | 35,75,339 | 35,75,339 | Directly by KPL |
| 2 | Construction of 12 Class rooms in a school run by Jatiya Vidya Seva Samithi, Nutaki. | Promoting education | (1) Other (2) Guntur District, Andhra Pradesh | 1,25,57,634 | 87,90,343 | 1,25,57,634 | Jatiya Vidya Seva Samithi, Nutaki, Guntur District, Andhra Pradesh |
| 3 | Construction of Kids Indoor Play Hall at Vivekananda Vidyalaya Matriculation School in Vallur, Tiruvallur District | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamilnadu | 5,00,000 | 5,86,102 | 5,86,102 | Directly by KPL |
| 4 | Construction of New block of Siddha section in Govt. Primary Health Centre, Kurunthenkode, Kanyakumari District | Promoting preventive health care | (1) Other (2) Kanyakumari District, Tamilnadu | 20,00,000 | 2,36,000 | 2,36,000 | PWD, Govt.TN through Project Director, DRDA, Kanyakumari |
| 5 | Construction of two class rooms at Kanyakumari District for Government High school, Eraviputhoor | Promoting education | (1) Other (2) Kanyakumari District, Tamilnadu | 26,00,000 | 2,60,000 | 2,60,000 | PWD, Govt.TN through CEO Kanyakumari District |
| 6 | Swachh Bharat Mission | Promoting preventive health care and sanitation | (1) Other (2) Not Applicable | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 | The Secretary (Expenditure), GoI, Ministry of Finance, Department of Revenue |
| 7 | (i) Supply and installation of Semi Auto Analyzers-11 Nos and ECG machines-11 Nos. | Promoting preventive health care | (1) Other (2) Virudhunagar District, TamilNadu (Aspirational District) | 24,20,000 | 24,54,635 | 24,54,635 | Joint Director (Health) and Deputy Director (Health) |
| | 8,50,000 | | | 8,62,165 | | | |
| 8 | (ii) Supply of Hydraulic Operated COT-06 Nos, Blood Bank Donor Couch-2 Nos Project Save Water, Awareness Programme, through Lions Club Chennai Nightingale's Cycle rally | Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water | (1) Local Area (2) Chennai District, Tamilnadu | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | Lions Club Chennai Nightingale |

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs were undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Armed Forces Flag Day Fund | Measures for the benefit of armed forces, veterans, war widows and their dependents | (1) Other (2) Not Applicable | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | Directly by KPL |
| 10 | Construction of CC Road Nehru Nagar to Thiruvallur street Junction (1.4km) Athipattu | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 7,00,000 | 5,56,500 | 5,56,500 | |
| 11 | Construction of CC Road-New Balaji Nagar to Sri Devi Nagar 1KM Athipattu | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,86,000 | 7,83,870 | 7,83,870 | |
| 12 | Construction of Anganwadi Building at Indira Nagar Athipattu | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,10,000 | 7,23,450 | 7,23,450 | |
| 13 | Construction of Water tank at Nehru Nagar Athipattu | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 13,78,000 | 10,95,510 | 10,95,510 | |
| 14 | Construction of Community hall at KR palayam-Neithavoyal | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 25,00,000 | 19,87,500 | 19,87,500 | |
| 15 | Construction of Integrated Women Sanitation complex at Sengalanimeedu | Sanitation | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 16 | Construction of Water Tank at Kadampakkam | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 13,64,000 | 10,84,380 | 10,84,380 | |
| 17 | Construction of PHC Compound wall at Kattur | Health care | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,17,000 | 15,24,015 | 15,24,015 | |
| 18 | Construction of Panchayat Union building at Vayalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,00,000 | 15,10,500 | 15,10,500 | |
| 19 | Construction of Community building at Vayalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,00,000 | 7,15,500 | 7,15,500 | |
| 20 | Construction of Compound wall at PUES (Panchayat Union Elementary School) building at Ramanathapuram Village | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 3,18,000 | 3,18,000 | |
| 21 | Construction of toilets at Senkalanimeedu PUIS (Panchayat Union Middle School) school | Sanitation | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,20,000 | 2,54,400 | 2,54,400 | |
| 22 | Construction of 12m high OH Tank of 30,000 litre capacity at Rajathoppu | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | |
| 23 | Construction of 12m high OH Tank of 30,000 litre capacity at Senkalanimeedu | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | |
| 24 | Improvement of Graveyard at Ramanathapuram Village | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | |
| 25 | Improvement of Graveyard at Ramanathapuram Colony | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | |
| 26 | Improvement of Graveyard at Uranampedu | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | |

Through District Collector, Tiruvallur

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs were undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Construction of bore well and extension of drinking water pipe line, Neithavoyal | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,00,000 | 2,38,500 | 2,38,500 | |
| 28 | Construction of PUES at Tiruvellivoyal Panchayat | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 13,60,000 | 10,81,200 | 10,81,200 | |
| 29 | Construction of Combined Health Centre for women at Tiruvellivoyal Panchayat | Health care | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 30 | Construction of Paver block road at Tiruvellivoyal | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 13,35,000 | 10,61,325 | 10,61,325 | |
| 31 | Desilting of Draupadi Amman Temple at Neithavoyal panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | |
| 32 | Construction of 12m high OH Tank of 30,000 litre capacity at K.R.Palayam | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | |
| 33 | Construction of Panchayat Union building at Kattoor Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,00,000 | 15,10,500 | 15,10,500 | |
| 34 | Construction of drainage facility at Kattoor Panchayat | Sanitation | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 35 | Construction of Anganwadi Centre at Kattoor Panchayat | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | |
| 36 | Construction of Anganwadi Centre at Kanchivoyal Village, Tirupalaivanam | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | |
| 37 | Construction of paver block road at Tirupalaivanam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 14,80,000 | 11,76,600 | 11,76,600 | |
| 38 | Construction of Cement road near Panchayat Union Building at Tirupalaivanam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,60,000 | 2,86,200 | 2,86,200 | |
| 39 | Raising the playground at PUES School at Tirupalaivanam | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 1,59,000 | 1,59,000 | |
| 40 | Construction of Borewell and providing drinking water facility at Sirupazhaverkadu village, Kadapakkam. | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 8,00,000 | 6,36,000 | 6,36,000 | |
| 41 | Extension of water pipeline from bus shelter to Periya Colony, Merattoor | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 1,70,000 | 1,35,150 | 1,35,150 | |
| 42 | Construction of Paver block street at Merattoor Mettu Colony | Infrastructure. | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,80,000 | 4,61,100 | 4,61,100 | |
| 43 | Construction of 12m high OH Tank of 30,000 litre capacity at Lakshmi Amman Kovil Street at merattoor | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | |

Through District Collector, Tiruvallur

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | Construction of Thar road from Kattupalli Panchayat to Annanagar Shiva Temple, Kattupalli | Infrastructure. | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 45 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Athipattu. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 46 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Nandhiyampakkam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 47 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Vallur. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 48 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Kondagarai | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 49 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Vellivoyal chavadi | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 50 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Nalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 51 | Providing Highmass Light with 5 Nos of Light, Poongulam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | |
| 52 | Providing Highmass Light with 5 Nos of Light, Arasur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | |
| 53 | Providing Highmass Light with 5 Nos of Light, Sombatu. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | |
| 54 | Purchase of 25 KV Vehicle Mounted Genset for Dewatering, Nalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | |
| 55 | Providing Highmass Light with 5 Nos of Light, Medhur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | |
| 56 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each), Athipattu | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |
| 57 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each), Thadperumpakkam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |
| 58 | Pazhaverkadu-Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each) | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |
| 59 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each), L H Kuppam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |
| 60 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each), Kondagarai | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |

Through District Collector, Tiruvallur

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (2 Nos.x2.48 lakhs each), Nalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | |
| 62 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (1 No.),Vellivoyal chavadi | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | |
| 63 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (1 No.),Vallur. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | |
| 64 | Purchase of E-Cart Vehicle for garbage removal (1 No.), Medhur. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | |
| 65 | Purchase of Power saw for cutting for trees 10 Nos, Minjur. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 60,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 66 | Purchase of 10KV Genset for pumping of water (5 Nos. x 3.5 Lakhs each),Minjur. | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 17,50,000 | 4,37,500 | 4,37,500 | |
| 67 | Construction of PUES Building in Thirupalaivanam Panchayat, Thirupalaivanam. | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 68 | Construction of PUES Building in Devampattu in Agaram Panchayat, Agaram. | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 69 | Construction of Panchayat Union Elementary School (PUES) Building in KanagamPakkam in Eliambedu panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 70 | Construction of PUES Building in Kadamancheri @ Velur panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 71 | Construction of PUES Building in Vanjivakkam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 72 | Construction of PUES Building in RamanathaPuram in voyalur panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 73 | Construction of PUES Building @ Sirulapakkam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 74 | Construction of PUES Building in Veppathur@Sirulapakkam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 75 | Construction of PUES Building in Seganyam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 76 | Construction of PUES Building in Kolar panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 77 | Construction of PUES Building in Pudupedu at Neithavoyal Panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | |
| 78 | Construction of 30000ltr OHT with 12m staging in Kil kuppam @ Avurivakkam panchayat. | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | Through District Collector, Tiruvallur |

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs were undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | Construction of 30000 Ltrs OHT with 12m staging, Sirulapakkam. | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | |
| 80 | Construction of 30000 Ltrs OHT with 12m staging, Kilikodi. | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | |
| 81 | Construction of 30000 Ltrs OHT with 12m staging in Sombattu East | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | |
| 82 | Construction of 30000 Ltrs OHT with 12m staging in Edapalayam | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | |
| 83 | Construction of 60000 Ltrs OHT with 12m staging at Aravakkam Village in Erusivan panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | |
| 84 | Construction of 60000 Ltrs OHT with 12m staging at Kattur colony 1 in Erusivan panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | |
| 85 | Construction of 60000 Ltrs OHT with 12m staging at Kattur colony 2 in Erusivan panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | |
| 86 | Providing BT Road MKT Road to Urnambedu in Voyalur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 49,00,000 | 12,25,000 | 12,25,000 | |
| 87 | Providing BT to Pattamandiri Road in Vallur Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,20,000 | 1,05,000 | 1,05,000 | |
| 88 | Providing Paver block Road in Puli kulam @ Aaladu Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 89 | Providing Paver block Road in Edayankulam Road @ Thangalperumbulam panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | |
| 90 | Providing Paver Block Road interlocking Thottakadu Vina Yagar Koil Cross Street in Meratoor Panchayat. Road | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,20,000 | 1,05,000 | 1,05,000 | |
| 91 | Providing Paver Block Road @ Perumbedu panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | |
| 92 | Providing Paver Block Nalur Kesavapuram road @ Nalur panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 16,00,000 | 4,00,000 | 4,00,000 | |
| 93 | Providing CC Road in Rajiv Gandhi nagar @ ThadaPerumbakkam Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 10,00,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | |
| 94 | Providing CC road and (continuous Pipe culvert) from Thangalperumbulam to Sathankuppam | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 49,00,000 | 12,25,000 | 12,25,000 | |
| 95 | Purchase of ECOMAT Vehiele for SWM Works in Minjur | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 73,90,000 | 18,47,500 | 18,47,500 | |

Through District Collector, Tiruvallur

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 96 | Purchase of ECOMAT vehicle SWM Works | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 73,90,000 | 18,47,500 | 18,47,500 | |
| 97 | Drilling of Borewell @ Seganyam panchayat and pumped to Annamalaicheri village. | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,80,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 98 | Providing Drilling of Borewell and extension of pipe line from Velur to Kadamanchery in Velur panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 7,00,000 | 1,75,000 | 1,75,000 | |
| 99 | Providing Drilling of Borewell in Boulders area with motor 7.5HP submersible pumpset and Pipeline from Poongulam village of Poongulam Panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |
| 100 | Providing Drilling of Borewell in Boulders area with motor 7.5HP submersible pumpset and Pipeline from Poongulam village of Poongulam Panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |
| 101 | Extension of pipeline with from A.Reddy palayam to Somneri in A.Reddypalayam Phachayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,80,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | |
| 102 | Improvements to Amman Kulam at Thirupalaivanam panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 24,00,000 | 6,00,000 | 6,00,000 | |
| 103 | Construction of Compound wall @ PUES in Poongulam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 104 | Construction of Compound wall @ PUES in Aladu panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 105 | Construction of Compound wall @ PUES in Vanjivakkam panchayat | Promoting education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |
| 106 | Construction of Anganwadi Building in Sombattu panchayat | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 107 | Construction of Anganwadi Building in Ramanathapuram in Voyalur panchayat | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 108 | Construction of Anganwadi Building in Parambedu in Kilikodi panchayat | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 109 | Construction of Anganwadi Building in Pazhaverkadu in Palaverkadu panchayat | Day Care Centre | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 110 | Construction of Library Building at Kaniyambakkam Panchayat | Setting up of public libraries | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,80,000 | 2,45,000 | 2,45,000 | |
| 111 | Construction of PDS Shop at Uppunelvoyal in Agaram | Rural Development | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 9,60,000 | 2,40,000 | 2,40,000 | |

Through District Collector, Tiruvallur

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs were undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency |
|---------|--|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112 | Providing RO System in PUES in Kaniyambakkam panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | Through District Collector, Tiruvallur |
| 113 | Providing RO System in PUES in Kattur panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 114 | Providing RO System in PUES in Merattoor panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 115 | Providing RO System in PUES in Dhevananam panchayat | Drinking water | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 116 | Providing Smart class in PUES in Aavoor panchayat | Promoting education-Special Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 117 | Providing Smart class in PUES in Seganyam panchayat | Promoting education-Special Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 118 | Providing Smart class in PUES in Poongulam panchayat | Promoting education-Special Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 119 | Providing Smart class in PUES in Auvirakkam panchayat | Promoting education-Special Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 120 | Providing Smart class in PUES in Kattur panchayat | Promoting education-Special Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 121 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Community Hall at Kadapakkam Panchayat | Rural Development | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 122 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Community Hall at Voyalur Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 123 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Community Hall at Thirupalaivanam Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 124 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Community Hall at Thirupalaivanam Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 125 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Community Hall at Attipattu Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 126 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Cyclone shelter at Thirupalaivanam Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | |

CSR ACTIVITIES OF KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR 2019-20

| Sl. No. | CSR Project or activity identified | Sector in which the project is covered | Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Amount contributed/spent on the projects or programs Sub heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads: (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Amount contributed/spent: Direct or through implementing agency | |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 127 | Supply and fixing of Furnitures and Kitchen utilities for Cyclone shelter at Anadarmadam at Kadapakkam Panchayat | Infrastructure | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | Through District Collector, Tiruvallur | |
| 128 | Construction of additional school building @ AD High school | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 30,00,000 | 7,50,000 | 7,50,000 | | |
| 129 | Purchase and Supply of School furniture and computer @AD Welfare Elementry school in Minjur | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | | |
| 130 | Purchase and Supply of School furniture and computer @AD Welfare High school in Minjur | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | | |
| 131 | Purchase and Supply of School furniture and computer @AD Welfare Elementry school in Vallur | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | | |
| 132 | Purchase and Supply of School furniture and computer @AD Welfare High school in Vallur | Promoting Education | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | | |
| 133 | Administration Expenses | Engagement of CSR Cell Officers | (1) Not Applicable (2) Not Applicable | 51,995 | 51,995 | 51,995 | | Directly by RPL |
| 134 | CER (Consultancy Expenses) | Ensuring Environmental Sustainability | (1) Local Area (2) Tiruvallur District, Tamil Nadu | 3,86,700 | 3,86,700 | 3,86,700 | | |
| Grand Total | | | | 17,05,91,316 | 8,10,54,229 | 8,48,21,520 | | |

6. In case the Company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the Company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board's Report.

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Place : Chennai
Date : 09.09.2020

Chairman-cum-Managing Director & Chairman of CSR Committee

STATUS OF 10 NOS. OF CSR ACTIVITIES UNDERTAKEN IN 2016-17

| Sl. No. | CSR Project or activity identified# | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Status completed/ not completed |
|---------|---|--|---|---|
| 1 | Renovation work in Pond- 50% of the work through contribution at Nethavoyal | 25,00,000 | 25,00,000 | work will be completed by 30.11.2020 |
| 2 | Development of Bore well at Mothambedu | 4,60,000 | 4,60,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 3 | Construction of Bus Shelter at Merattur | 3,00,000 | 3,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 4 | Repairing to water bunds at Chengalinimedu | 15,00,000 | 15,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 5 | Devopment of Integrated Women Sanitary Complex-Vayalur Colony | 10,00,000 | 10,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 6 | Construction of Community Hall at Thirupallaivanam. | 25,00,000 | 25,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 7 | Construction of Mel Colony Inner Road at Kadappakam village. | 10,00,000 | 10,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 8 | Construction of Andarmadam link road at Kadappakam village | 10,00,000 | 10,00,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 9 | Repairing of Bund at Attipattu | 28,90,000 | 28,90,000 | Work completed and awaiting inaguration |
| 10 | Construction of CC Road-Reddyar Palayam to Karampedu Road (600 Mtrs.) | 13,45,000 | 13,45,000 | work will be completed by 30.11.2020 |
| | Total | 1,44,95,000 | 1,44,95,000 | |

Projects or Programs undertaken at Local Area; Tiruvallur District, Tamil Nadu through District Collector, Tiruvallur District.

STATUS OF 31 Nos. OF CSR ACTIVITIES UNDERTAKEN IN LIEU OF 18 ACTIVITIES DISCLOSED IN ANNUAL REPORT 2016-17

| Sl. No. | CSR Project or activity identified # | Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rs.) | Cumulative expenditure upto the reporting period (in Rs.) | Status completed/ not completed |
|---------|--|--|---|--|
| 1 | Laying Tar road in Mettu Street, Vayalur Kuppam Village | 6,00,000 | 6,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 2 | Laying Tar road in Lakshmi Amman Kovil Street, Vayalur Kuppam Village | 6,00,000 | 6,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 3 | Laying Tar road in Vayalur Village | 9,00,000 | 9,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 4 | Laying road in Thulukananthamman Kovil street, Vayalur Panchayat, Ramanathapuram Village | 6,00,000 | 6,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 5 | Laying Tar road in Ramanathapuram Colony, Vayalur Panchayat. | 9,00,000 | 9,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 6 | Improvement of Burial Ground in Uranambedu Village, Vayalur Panchayat | 5,00,000 | 5,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 7 | Improvement of Burial Ground in Vayalur Kuppam | 5,00,000 | 5,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 8 | Improvement of Burial Ground in Vayalur colony | 5,00,000 | 5,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 9 | Construction of toilet in Panchayat Union Middle school, Thathamanchi Panchayat, | 3,60,000 | 3,60,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 10 | Construction of compound wall in Panchayat Union Middle school, Thathamanchi Panchayat | 9,50,000 | 9,50,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 11 | Construction of Public Distribution Building in Thathamanchi Panchayat | 9,60,000 | 9,60,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 12 | Development of Borewell and Drinking Water facilities in Thathamanchi Colony | 4,00,000 | 4,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 13 | Laying of Tar road towards Burial Ground at Thathamanchi Panchayat. | 12,00,000 | 12,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 14 | Laying of Tar road in Irular Colony, Thathamanchi Panchayat | 10,00,000 | 10,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 15 | Laying of Tar road in Thathamanchi Colony, Thathamanchi Panchayat | 14,00,000 | 14,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 16 | Laying of Tar road in Big Street of Thathamanchi Village, Thathamanchi Panchayat | 14,00,000 | 14,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 17 | Construction of a New Panchayat Primary School in Kattur Village, Kattur Panchayat | 13,60,000 | 13,60,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 18 | Construction of 30000 Lts Storage Water Tank with 12ft height in Kattur Panchayat Abiramapuram village | 14,00,000 | 14,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 19 | Construction of 30000 Lts Storage Water Tank with 12ft height in Thirupalaivanam Colony, Thirupalaivanam Panchayat | 14,00,000 | 14,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 20 | Laying of Tar Road in Thirupalaivanam Panchayat, i.e., from Thirupalaivanam upto Uhambakkam | 42,00,000 | 42,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 21 | Laying of Tar Road in Vanchivakkam Village, Vanchivakkam Panchayat | 24,18,000 | 24,18,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 22 | Laying of Tar Road in Small Pazhaverkadur Village, Kadappakkam Panchayat | 8,67,000 | 8,67,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 23 | Construction of toilet in Panchayat Union Primary school in Neithavoil Panchayat, Mouthambedu | 3,20,000 | 3,20,000 | work will be completed by 30.11.2020 |
| 24 | Construction of 30000 Lts Storage Water Tank with 12ft height Neithavoil Panchayat, Rajathoppu | 14,00,000 | 14,00,000 | work will be completed by 30.11.2020 |
| 25 | Laying of Paver Block Road in Muthumariamman Kovil Street, Mouthambedu, Neithavoil Panchayat. | 6,60,000 | 6,60,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 26 | Development of Drinking Water facilities from Kulakariamman pond upto upper level storage tank in Tamil Koranjur Colony, Neithavoil village. | 1,70,000 | 1,70,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 27 | Construction of Borewell in Thiruvellivoil Colony, Thiruvellivoil Panchayat | 3,00,000 | 3,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 28 | Laying Paver Block road in Thottakad Kullathumedu Vinayagar Kovil Street, Merattur Panchayat | 7,50,000 | 7,50,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 29 | Development of Drinking water pipeline works in Merattur Colony, Merattur Panchayat | 3,00,000 | 3,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 30 | Laying Tar road in Athipattu to Pattamandri, Athipattu Panchayat | 22,00,000 | 22,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| 31 | Laying Tar road from Kattupalli Kuppam upto Kalani Burial Ground, Kattupalli Panchayat | 10,00,000 | 10,00,000 | Work completed and awaiting inauguration |
| | Total | 3,15,15,000 | 3,15,15,000 | |

Projects or Programs undertaken at Local Area; Tiruvallur District, Tamil Nadu through District Collector, Tiruvallur District.

ANNEXURE-II

Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex
No. 96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai - 600 034
Phone No. 044 - 4553 0256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICSI)

R. Pratheepa, B.C.S., A.C.S

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2020

*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]*

To,

The Members,
Kamarajar Port Limited
(erstwhile Ennore Port Limited)

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. KAMARAJAR PORT LIMITED** (erstwhile Ennore Port Limited), (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion/understanding thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minutes' book, forms and returns filed and other records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on March 31, 2020 according to the applicable provisions of:

- I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder as applicable;
- II. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- III. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- IV. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- V. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and exchange Board of India Act, 1992('SEBI ACT');
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

- d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- i) The Company has identified and informed the following laws as being specifically applicable to the Company:
 1. Indian Ports Act, 1908
 2. International Convention for Safety of Life at Sea, 1974
 3. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
 4. The Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)
 5. Coastal Regulation Zone Notification, 2011
 6. Guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) vide reference No. 18 (8)/2005-GM dated May 14, 2010, namely Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises ("DPE Guidelines")

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2).
- ii. The Listing Agreement entered into by the Company with BSE Limited by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to a required extent except appointment of independent directors & all related compliances.

It is reported by the Company that they have a risk management plan as required under the DPE Guidelines but the Board is to periodically review and take remedial action to implement the risk management plan as a separate agenda and further that the Company has ceased to be covered under the DPE Guidelines w.e.f. FY 2020-21 due to disinvestment of Central Government's stake in the Company.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the statutory authorities and letters/notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above lapses, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with Executive Directors and Non-Executive Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company sought the approval of its members for the following matters other than ordinary business at the Annual General Meeting:

- Appointment of H N Aswath (DIN 7754393) as Director of the Company, liable to retire by rotation. We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures

that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company.

Place : Chennai

Date : 19.08.2020

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A firm of Practising Company Secretaries)

Sd/-

N. RAMANATHAN

(Partner)

FCS 6665 CP No. 11084

UDIN: F006665B000594274

ANNEXURE - A

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

To

**The Members,
Kamarajar Port Limited**
(erstwhile Ennore Port Limited),
Chennai

Management's Responsibility

- a. maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

Auditor's Responsibility

- b. Our responsibility was to express an opinion on the secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

- c. We believe that audit evidence and information obtained from Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
- d. Where ever required, we have obtained Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happenings of events and policies, appraisal and processes etc.

Disclaimer

- e. The Secretarial Audit is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A firm of Practising Company Secretaries)

Sd/-

N. RAMANATHAN

(Partner)

FCS 6665 CP No. 11084

UDIN: F006665B000594274

Place: Chennai

Date: 19.08.2020

**INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT, 2013
READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014**

A) Conservation of Energy :

(i) Steps taken or impact on Conservation of Energy:

(a) To ensure effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s. Greenserve Energy during February 2020 and provided detailed presentation of the report and data collected to KPL management. The following energy conservation measures were recommended by the auditor.

1. Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building at Trade Facilitation Center.
2. Installing of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in the corridor outside the Chairman's chamber and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting.
3. Installation of additional 40KW new solar power plant in Signal Station and renovation of existing storage system.
4. Installing new substation near signal station which will help in reduction of distribution losses.

The above said recommendations will be implemented in phased manner after obtaining approval from the competent authority.

(b) Impacts:

- Energy Efficient.
- Environment friendly.
- Reduce distribution losses and conserve energy
- About 10,980 units (KWh) power consumption was saved compared to previous year i.e 2018-19.

(ii) Steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Your Company is exploring possibilities for setting up of Solar Power Plant in the Premises. In addition, to conserve energy and to reduce power requirement wherever possible, consolidation is practiced as per the requirement.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments:

Nil.

B) Technology Absorption :

i) SAP ERP System

KPL has successfully implemented SAP S/4 HANA 1610 ERP system covering various functional areas like, Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc.

- The SAP S/4 HANA 1610 ERP System at KPL has been declared completely deployed in May 2018. The SAP ERP System covers all business functions of Finance & Accounts, HR & Payroll, Project Systems and Material Management and File Lifecycle Management (FLM) and all transactions are being carried out in SAP.
- Employees' Requests/claims and Loans are also being made through the SAP-ESS portal. Employees Annual Performance Appraisal is also being carried out through the SAP-ESS Portal.
- Post deployment enhancements have also been implemented for SMS alerts, e-mail alerts, automatic data transfer from legacy systems such as POMS, LMS.
- Business Intelligence/Business Objects (BI/BO) has been implemented providing graphical presentation/dashboards for port statistics.
- Plans are being drawn to develop the entire Port Operating System in SAP itself which will enhance the overall IT utilization and take KPL forward in terms of increasing the overall productivity, enhance the customer services, service level commitments, utilization of resources in optimal level, etc.

ii) Benefits

Business processes and functionalities of HR/ Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems (WBS), Employee Requests/ Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal. These had resulted in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year

a) The details of technology imported:

Not applicable

b) The year of import:

Not applicable

c) Whether the technology been fully absorbed:

Not applicable

d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof :
Not applicable

iv) The expenditure incurred on Research and Development:

NIL

C) Foreign Exchange Earnings & outgo:

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange outflow is Rs.103.84 Crores towards debt services of Foreign Currency Loan.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai

Date : 09.09.2020

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance refers to rules, practices & processes used to direct and manage Company. Good Corporate Governance is a set of fiduciary and managerial responsibilities that binds a Company's management, shareholders, and the board within a larger societal context defined by legal, regulatory, competitive, economic, ethical, and other societal forces. Your Company gives high priority to core principles of Corporate Governance and believes that its primary goal is to protect investors; maintain fair, orderly, and efficient operating environment in the Organisation. To this end the Company follows the guidelines and standards set for the Board of Directors, financial and non-financial disclosures thereby adding ethical values in all its operations and actions which safeguards interest of all stakeholders.

2.0 BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition and category of the Board of Directors as on 31.03.2020

Executive Director

Shri Sunil Paliwal, Chairman-cum-Managing Director

Nominee Directors

Shri P. Raveendran, Nominee Director of Chennai Port Trust (ChPT)

Shri Cyril C George, Nominee Director of Chennai Port Trust (ChPT)

Non-official Part time (Independent) Directors

Shri V.M.V. Subba Rao

During the year and till the signing of Boards' Report, the following changes took place in the Board:

- a) Shri A. K. Saran ceased to be a Nominee Director of Government of India w.e.f. 15.05.2019 and in his place Shri H. N. Aswath was appointed as Nominee Director of Government of India w.e.f. 15.05.2019. Subsequently, pursuant to the sale of entire Shares held by Gol in KPL to ChPT, he resigned as Government Nominee Director w.e.f. 27.03.2020 and Shri Cyril C George, Dy Chairman Chennai Port has been appointed in his place as Nominee Director representing Chennai Port Trust in the Board of KPL w.e.f 27.03.2020. Subsequently,

pursuant to the communication received from Chennai Port Trust vide its letter No.ChPT/KPL CELL/2020/F dated 28.08.2020 for replacing Shri Cyril C George, Nominee Director of ChPT in KPL Board with Shri S. Balaji Arunkumar, Deputy Chairman, ChPT and pursuant to the recommendation of Nomination and Remuneration Committee, Shri S. Balaji Arunkumar, Deputy Chairman, ChPT was appointed as Nominee Director of Chennai Port on the Board of KPL in place of Shri Cyril C George w.e.f 04.09.2020.

- b) Vide letter No. PD-27/12/2017-PD-1/PE-1 and Office Order No. 26/2019 dated 14.06.2019, the tenure of Shri P. Raveendran as Chairman Cum Managing Director additional Charge was extended for a period of one year w.e.f. 08.06.2019, or till the appointment of regular incumbent to the post, or until further orders, whichever is the earliest Subsequently vide letter No PD-27/12/2017-PD-1/PE-1 and Office order No. 32/2019 dated 19th August 2019, Ministry of Shipping, Government of India communicated the approval of the Appointment Committee of the Cabinet (ACC), Ministry of Personnel OM.No.1/3/2019-EO(SM-I) dated 14th August 2019 for the appointment of Shri Sunil Paliwal, IAS (TN: 1993) as CMD of KPL for a period of 5 years from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. Shri Sunil Paliwal took charge as CMD w.e.f. 16.09.2019 .
- c) Vide letter No. PD-27/30/2017-PD-1 dated 06.11.2019 Ministry of Shipping conveyed the approval of ACC for appointment of Shri V.M.V. Subba Rao as Non-Official Independent Director on the Board of Kamarajar Port Limited, for a period of 3 years w.e.f. the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier. He was appointed in the Board w.e.f 11.11.2019.
- d) Smt. L. Victoria Gowri ceased to be an Independent Director consequent to the completion of her tenure on 31.01.2020.
- e) Shri P. Raveendran retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible offers himself for reappointment.

f) Pursuant to Companies Act, 2013 and the rules made there under, proposal for appointment of Shri Sunil Paliwal, I.A.S., Shri V.M.V. Subba Rao and Shri S. Balaji Arunkumar as Directors are being made at the Annual General Meeting for the approval of Shareholders. A brief profile of the Directors proposed to be appointed/re-appointed at the forthcoming AGM is provided in the Notice to the AGM.

2.2 Evaluation of Board's Performance.

A statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its Committees and

2.4 Attendance of each Director at the Board Meetings, Last AGM, Number of Directorship and Membership / Chairmanship of Committee held by each of them

| Name of Director | Designation of the Director | No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2019-20 | No. of Board Meeting Attended | Last AGM attended | Other Directorship as on 31 st March 2020 | No. of Committees across all Companies* | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | | | As Member** As on 31 st March 2020 | As Chairman** As on 31 st March 2020 |
| Shri Sunil Paliwal | Chairman-cum-Managing Director w.e.f 16.09.2019 | 5 | 5 | *** | 2 | M-AC- KPL M- SRC -KPL | AC- SCL |
| Shri P. Raveendran | Chairman-cum-Managing Director w.e.f 13.06.2018 to 16.09.2019 | 2 | 2 | Yes | 3 | M-AC- KPL M-AC- SCL | SRC-KPL |
| | Nominee Director of Chennai Port Trust (w.e.f 16.09.2019) | 5 | 5 | | | | |
| Shri H.N. Aswath | Nominee Director of Govt. of India (w.e.f 15.05.2019 to 27.03.2020) | 7 | 7 | Yes | **** | **** | **** |
| Shri Cyril C George | Nominee Director of Chennai Port Trust (w.e.f. 27.03.2020 to 04.09.2020) | NA | NA | *** | 2 | 0 | 0 |
| Smt L. Victoria Gowri | Independent Director (upto 31.01.2020) | 5 | 5 | Yes | **** | **** | **** |
| Shri V.M.V. Subba Rao | Independent Director (w.e.f 11.11.2019) | 4 | 4 | *** | 1 | Nil | AC-KPL |

Notes : M-Member, AC - Audit Committee, SRC - Stakeholder Relationship Committee, SCL- Sethusamudram Corporation Limited

* Chairmanship/Membership of the AC and SRC of Public Limited Companies (including KPL).

** As per the data/details made available during their tenure in the Company/ Committee.

*** was not Director on the date of AGM

**** was not Director as on 31.03.2020

3.0 COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS

Various Board level Committees have been constituted in compliance with various rules, regulations, Acts as may be applicable. Committees after due deliberations gives its recommendations to the Board for approval.

The Minutes of the meetings of the various Committees are placed before the Board for information pursuant to

individual directors is not required for a Government Company as the evaluation of Directors is made by the concerned Ministry. Your Company has been a Government Company, upto 27th March 2020 and accordingly this requirement was not applicable for the FY 2019-20.

2.3 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2019-20, 7 (Seven) Nos. of Board meetings were held on 24.05.2019, 26.08.2019, 21.10.2019, 13.11.2019, 03.01.2020, 06.03.2020 and 27.03.2020.

the Secretarial Standards. Various Committees of Board are as under:

3.1 Audit Committee

A. Terms of reference:

The role and terms of reference of the Audit Committee is in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and Guidelines on Corporate

Governance for CPSEs issued by DPE. It inter-alia includes among others:

- review and monitoring the auditor's independence and performance, effectiveness of audit process;
- oversight of the Company's financial reporting process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
- reviewing with the management the half-yearly and annual financial statements before submission to Board;
- reviewing with the management, external and internal auditors the adequacy of internal control systems,
- reviewing the adequacy of internal audit function,
- reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors, discussion with external auditors,
- scrutiny of inter-corporate loans and investments,
- review of the functioning of the Whistle Blower Mechanism etc.

B. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2020:

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Shri V.M.V. Subba Rao | - | Chairman |
| Shri Sunil Paliwal | - | Member |
| Shri P. Raveendran | - | Member |

During the year 2019-20, Shri A.K. Saran ceased to be Member of the Committee on 15.05.2019. Shri H. N. Aswath was inducted as member of the Audit Committee w.e.f 17.05.2019 and ceased w.e.f 27.03.2020. Shri Sunil Paliwal was inducted as member of the Audit Committee w.e.f 21.10.2019. Shri V.M.V. Subba Rao was inducted as Chairman of the Audit Committee w.e.f 24.12.2019. Smt L.Victoria Gowri ceased to be a member of the Audit Committee w.e.f. 31.01.2020 on completion of her tenure.

The Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee. Shri M. Gunasekaran, General Manager (Finance)-cum-CFO acts as the Nodal Officer to the Audit Committee.

C. Meetings and Attendance during the year

During the year 2019-20, four Audit Committee meetings were held on 24.05.2019, 26.08.2019, 13.11.2019 and 06.03.2020.

Attendance of the Audit Committee Meetings during the year 2019-20:

| Members | No. of Meetings eligible to Participate | Meetings attended |
|-----------------------|---|-------------------|
| Shri V.M.V. Subba Rao | 1 | 1 |
| Shri Sunil Paliwal | 2 | 2 |
| Shri P. Raveendran | 4 | 4 |
| Smt L. Victoria Gowri | 3 | 3 |
| Shri H.N. Aswath | 3 | 3 |

Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited in the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee.

3.2 Nomination and Remuneration Committee

Your Company was a Government Company till 27th March 2020. In a Government Company, appointment and terms and conditions of remuneration of Whole-time Directors are determined by Government of India through the Administrative Ministry. The remuneration of Part-time official Directors is governed by their respective Government rules. Sitting fees are paid to Independent Directors. The pay scales of the other employees are fixed in line with guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

A. Terms of reference:

Nomination and Remuneration Committee has been constituted for the purpose of determining the quantum of Annual Bonus/Variable Pay and policy for distribution across the Executives and staff within the limits as prescribed under the DPE guidelines. DPE guidelines were applicable upto 27th March 2020. The Committee also gives recommendation to the Board for appointment of Directors pursuant to the Companies Act, 2013.

B. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Presently, the Nomination and Remuneration Committee is comprised of the following Members:

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Shri V.M.V. Subba Rao | - | Chairman |
| Shri P. Raveendran | - | Member |
| Shri S. Balaji Arunkumar | - | Member |
| Shri Sunil Paliwal | - | Member |

During the year 2019-20, Shri H. N. Aswath was inducted as member of this Committee w.e.f 17.05.2019 and ceased w.e.f 27.03.2020. Shri V.M.V. Subba Rao was inducted as Chairman of this Committee w.e.f 24.12.2019. Smt L.Victoria Gowri

ceased to be a member of this Committee w.e.f. 31.01.2020 on completion of her tenure. Shri Cyril C George was inducted as member of this Committee w.e.f 11.05.2020. Shri S. Balaji Arunkumar was inducted as member of this Committee w.e.f 09.09.2020 in place of Shri Cyril C George.

The Company Secretary acts as Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

C. Meetings and Attendance during the year

During the year 2019-20, two Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 26.08.2019 and 27.03.2020.

Attendance during the year 2019-20:

| Members | No. of Meetings held during tenure | Meetings attended |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Shri V.M.V. Subba Rao | 1 | 1 |
| Smt. L.Victoria Gowri | 1 | 1 |
| Shri P Raveendran | 2 | 2 |
| Shri H. N. Aswath | 2 | 2 |

Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of functional directors of the Company paid for the financial year 2019-20:

| Name of the Directors | Salary & Other Allowances (Rs.) | Bonus / Commission / PRP (Rs.) | Total (Rs.) |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Shri P Raveendran* upto 15.09.2019 | - | - | - |
| Shri Sunil Paliwal from 16.09.2019 | 27,71,671 | - | 27,71,671** |

* Not applicable – as he was holding additional charge as CMD

** The total remuneration mentioned above does not include value of perquisites under Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 and Provident Fund (including employer's contribution)

3.3 Share Allotment and Share Transfer Committee

A. Terms of Reference

Share Allotment and Share Transfer Committee had been constituted to complete all formalities involved in the allotment of shares and/or other securities issued by the Company from time to time including the signing and issue of share certificates and to give effect to and complete all formalities involved in the transfer of the Company's shares and/or other securities from time to time.

B. Composition of the Committee

The Share Allotment and Share Transfer Committee as on date is as follows

| | |
|--------------------------|------------|
| Shri S. Balaji Arunkumar | - Chairman |
| Shri Sunil Paliwal | - Member |

During the year 2019-20, Shri H. N. Aswath was inducted as Chairman of this Committee w.e.f 24.05.2019 and ceased w.e.f 27.03.2020. Shri P Raveendran was inducted as member of this Committee w.e.f 24.05.2019. Shri P. Raveendran ceased to be a member w.e.f 21.10.2019 and Shri Sunil Paliwal was inducted as member of this Committee w.e.f 21.10.2019. Smt L.Victoria Gowri was inducted as member of this Committee w.e.f 24.05.2019 and ceased w.e.f 31.01.2020. Shri Cyril C George was inducted as Chairman of this Committee w.e.f 11.05.2020. Shri S. Balaji Arunkumar was inducted as Chairman of this Committee w.e.f 09.09.2020 in place of Shri Cyril C George.

C. Meetings and Attendance during the year

During the year 2019-20, three Share Allotment and Share Transfer Committee meeting were held on 06.09.2019, 03.01.2020 and 27.03.2020.

Attendance during the year 2019-20:

| Members | No. of Meetings held during tenure | Meetings attended |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Shri H. N. Aswath | 3 | 3 |
| Shri Sunil Paliwal | 2 | 2 |
| Shri P Raveendran | 1 | 1 |
| Smt. L. Victoria Gowri | 2 | 2 |

3.4 Stakeholder Relationship Committee.

A. Terms of reference:

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/grievances of bondholders pertaining to non receipt of interest/transfer/transmission of bonds and other miscellaneous complaints.

B. Composition

As on 31.03.2020, the Stakeholder Relationship Committee is comprised of the following Members

| | |
|--------------------|------------|
| Shri P. Raveendran | - Chairman |
| Shri Sunil Paliwal | - Member |

During the year 2019-20,

- Shri P. Raveendran ceased to be a member of this Committee w.e.f 25.09.2019 and was again inducted as Chairman on 24.12.2019.

- Shri Sunil Paliwal was inducted as a member of this Committee w.e.f 25.09.2019.
- Smt L.Victoria Gowri ceased to be Chairperson/ member of this Committee w.e.f 24.12.2019.
- Shri M Gunasekaran ceased to be a member of this Committee w.e.f. 24.12.2019.
- Shri H. N. Aswath was inducted as member of this Committee w.e.f 24.12.2019 and ceased w.e.f 27.03.2020

The Company Secretary acts as Secretary to the Stakeholder Relationship Committee.

C Meetings and Attendance during the year

During the year 2019-20, four Stakeholder Relationship Committee meetings were held on 24.05.2019, 26.08.2019, 21.10.2019 and 06.03.2020

D Attendance during the year 2019-20:

| Members | Entitled to attend | Meeting attended |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Shri P Raveendran | 3 | 3 |
| Shri Sunil Paliwal | 2 | 2 |
| Smt. L.Victoria Gowri | 3 | 3 |
| Shri H. N. Aswath | 1 | 1 |
| Shri M. Gunasekaran | 3 | 2 |

3.5 Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

A. Terms of reference:

Terms of reference includes inter alia recommending proposals, amount of expenditure to be incurred to the Board. CSR policy is available on the website of the Company.

B. Composition:

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2020:

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Shri Sunil Paliwal | - | Chairman |
| Shri P Raveendran | - | Member |
| Shri V.M.V. Subba Rao | - | Member |

During the year 2019-20, Shri H. N. Aswath was inducted as Member of the Committee w.e.f. 17.05.2019 and ceased w.e.f 27.03.2020. Shri Sunil Paliwal was inducted as Chairman of this Committee w.e.f 25.09.2019 in the place of Shri P Raveendran who ceased to be Chairman of this Committee w.e.f 25.09.2019 but continues to be member of this Committee w.e.f 25.09.2019. Shri V.M.V. Subba Rao was inducted as a member of this Committee w.e.f 24.12.2019. Smt L.Victoria Gowri ceased to

be a member of this Committee w.e.f. 31.01.2020 on completion of her tenure. Shri Cyril C George was inducted as member of this Committee w.e.f 11.05.2020. Subsequently, Shri S. Balaji Arunkumar was inducted as member of this Committee w.e.f 09.09.2020 in place of Shri Cyril C George. The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development as on 09.09.2020 is given below.

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Shri Sunil Paliwal | - | Chairman |
| Shri P. Raveendran | - | Member |
| Shri V.M.V. Subba Rao | - | Member |
| Shri S. Balaji Arunkumar | - | Member |

Shri P. Radhakrishnan, DGM(C) acts as the Nodal Officer. The Company Secretary acts as Secretary to the CSR Committee.

C. Meetings and Attendance during the year

During the year under review, four Meetings of the Committee on CSR and Sustainable Development were held on 26.08.2019, 21.10.2019, 13.11.2019 and 06.03.2020.

| Members | Entitled to attend | Meeting attended |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Shri Sunil Paliwal | 3 | 3 |
| Shri P Raveendran | 4 | 4 |
| Shri H. N. Aswath | 4 | 4 |
| Smt. L.Victoria Gowri | 3 | 3 |
| Shri V.M.V. Subba Rao | 1 | 1 |

4.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

| Year | Date | Time | Place | Special Resolution passed |
|---------|------------|-----------|--|---------------------------|
| 2018-19 | 06.09.2019 | 12.15 p.m | Board Room at the Registered office of the Company – 600 001 | -NIL- |
| 2017-18 | 24.09.2018 | 11.00 a.m | Board Room at the Registered office of the Company – 600 001 | -NIL- |
| 2016-17 | 21.09.2017 | 11.30 a.m | Board Room at the Registered office of the Company – 600 001 | -NIL- |

5.0 DISCLOSURES

- Related Party Transactions are set out in Note No. 30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2020 in the Annual Report.
- The Company has not received any Presidential directives during the FY 2019-20 and also in the last three financial years.

- (iii) Note no.15 of Notes to Accounts refers to the Government of India's disinvestment of the entire Equity shares held in the Company to Chennai Port Trust through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020.
- (iv) There was no case of non-compliance of provisions of Companies Act, 2013 or any other statutory laws, except appointment of requisite independent directors. As the Company was a Public Sector Undertaking until 27.3.2020 the appointment of Directors had to be made by Govt. of India and the Company was regularly following up with the Ministry in this regard. Subsequently, the Company has taken up with Chennai Port Trust, the new Promoter for appointment of Directors. The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- (v) Your Company has a Whistle Blower Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- (vi) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred which was personal in nature and was incurred for the Board of Directors and Top Management.
- (vii) The Company has complied with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance except as stated in the compliance certificate on Corporate Governance issued by Practicing Company Secretary. The response for the same is provided in Para 35.1 of the Directors' Report.
- (viii) None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.
- (ix) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.
- (x) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.
- (xi) Ministry of Shipping, Government of India vide Letter No. PD-27/12/2017-PD-I/PE-I (Office

Order No. 32/2019) dated 19th August, 2019 has communicated that *"In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet (ACC), Ministry of Personnel OM No. 1/3/2019-EO(SM-I) dated 14th August 2019, Shri Sunil Paliwal, IAS (TN: 1993) is hereby appointed as Chairman-cum-Managing Director (JS level) in Kamarajar Port Limited at Level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) of the pay matrix for a period of five years from the date of assumption of Charge of the post or until further orders, whichever is the earlier"*.

6.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2019-20.

Declaration

As provided under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public Enterprises, all the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2020.

For Kamarajar Port Limited

Sd/-

(Sunil Paliwal, I.A.S.,)

**Chairman-Cum-Managing Director
(DIN : 01310101)**

Chennai
30.04.2020

7.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors approved by the Board. The training policy for the directors has the following objectives:

- Empower and equip the board with skills and attitudes required to perform their challenging tasks and play their role in a transparent, objective and ethical manner as per the best corporate governance practices.
- Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

- Promoting an environment conducive to learning and development by serving as a role model for all the other employees of the Company.

8.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board has periodically reviewed the compliance report of all laws applicable to the Company and has ensured compliance of all the applicable laws.

9.0 MEANS OF COMMUNICATION

Half-Yearly Results: Pursuant to listing of Tax Free Bonds in the Bombay Stock Exchange, the Company intimated half-yearly financial results/ audited annual financial results during 2019-20 to the Stock Exchange promptly after it was taken on record and approved by the Board. These financial results were published in the Business Standard all Editions. The results were also sent to Debenture Trustees and Bond Holders and displayed on the website of the Company.

Website: The Company's website is www.kamarajarport.in. Annual Report and Audited Financial statements including Directors' Report and Auditors' Report are also available on the website. Website displays major official news releases.

Annual Report: Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information is circulated to the members and others entitled thereto.

Compliance Officer: The Company has designated Shri M.Gunasekaran, General Manager (Finance) and Chief Financial Officer as Compliance Officer for servicing Tax Free Bond holders. The email id mguna@kplmail.in has been created for addressing the queries of Bond holders.

Registrar and Transfer Agent : Details of Registrar and Transfer Agent for Tax Free Bonds issued u/s 10 (15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961 for the financial years 2012-13 & 2013-14, are as under:

Link Intime India Pvt. Ltd
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg
Vikhroli (West), Mumbai – 400083.
Public Issue-Shares and Bonds (Allotment) :
022 - 4918 6200
Tel : 022 - 4918 6270/6000/6200
Fax: 022 - 4918 6060,
Email : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai

Date : 09.09.2020

Suite No. 103, First Floor, Kaveri Complex
 No. 96/104, Nungambakkam High Road
 (Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai - 600 034
 Phone No. 044 - 4553 0256, 4553 0257/4265 2127
 E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates Practising Company Secretaries

Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICSI)

R. Pratheepa, B.C.S., A.C.S

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE **(Under Guidelines issued by the Department of Public Enterprises)**

To

The Shareholders

Kamarajar Port Limited, Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by KAMARAJAR PORT LIMITED, Chennai ("The Company") for the financial year ended March 31, 2020 as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010.

The Compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us,

we certify that the Company has largely complied with the conditions of Corporate Governance, as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) vide reference no. 18(8)/2005-GM dated 14th May 2010, except with regard to appointment of Independent Directors and all related compliances.

It is reported by the Company that they have a risk management plan as required under the DPE Guidelines but the Board is to periodically review and take remedial action to implement the risk management plan as a separate agenda and further that the Company has ceased to be covered under the DPE Guidelines w.e.f. FY 2020-21 due to disinvestment of Central Government's stake in the Company.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES

(A Firm of Practising Company Secretaries)

Sd/-

SMITA CHIRIMAR

Partner

Membership No. F8137

CP #9357

Date : 31.08.2020

Place : Chennai

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

The Port Sector is an important fundamental sector for national economic and social development and is closely related to the development of macro economy. Port plays an important role in meeting the transportation needs of national energy, raw materials and other bulk materials, thereby supporting economic, social and trade development, improving people's living standards, and enhancing the overall strength of the country.

India is richly endowed with natural maritime advantages, with a 7,500-km coastline covering 13 states and union territories, a strategic location on key international trade routes and 14,500 km of navigable and potentially navigable waterways. Maritime logistics has been an important component of the Indian economy, accounting for 90 per cent of EXIM trade by volume and 72 per cent by value.

Your Company provides highly integrated port services of International Standards including stevedoring, stacking, evacuation and also handles various types of cargoes mainly Coal, Petroleum, LPG, LNG, Chemicals, Automobiles, Containers, General Cargoes and other goods.

1.0 Global Economy

Global economic activity significantly slowed in 2019 following strong growth in 2018 on account of factors emanating from both advanced and emerging economies. COVID-19 has upended the global economy, and with it, international trade. Global Trade was already slowing in 2019 before the virus struck, weighed down by trade tensions and slowing economic growth. World merchandise trade registered a slight decline for the year of 0.1% in volume terms after rising by 2.9% in the previous year. Meanwhile, the dollar value of world merchandise exports in 2019 fell by 3% to US\$ 18.89 trillion. (Source: WTO)

Trade tensions between China and the United States re-escalated in August 2019, following the announcement by the United States that it will impose tariffs on a further \$300 billion of Chinese

imports. In retaliation, China introduced additional tariffs on \$75 billion of imports from the United States. As the trade disputes threaten to become even more pervasive, the global growth outlook has darkened. (Source: WTO)

1.1 Global Economy Outlook

The economic shock of the COVID-19 pandemic inevitably invites comparisons to the global financial crisis of 2008-09. These crises are similar in certain respects but very different in others. As in 2008-09, governments have again intervened with monetary and fiscal policy initiatives to counter the downturn and provide temporary income support to businesses and households. But restrictions on movement and social distancing to slow the spread of the disease mean that labor supply, transport and travel are today directly affected in ways they were not during the financial crisis. Under these circumstances, forecasting requires strong assumptions about the progress of the disease and a greater reliance on estimated rather than reported data. (Source WTO)

IMF June 2020 World Economic Outlook Report projects the Global growth to be negative (-4.9%) in 2020, 1.9 percentage points below the April 2020 World Economic Outlook (WEO) forecast. The COVID-19 pandemic has had a more negative impact on activity in the first half of 2020 than anticipated, and the recovery is projected to be more gradual than expected.

Hit by Covid-19 disruptions, world trade in goods is likely to have registered a historic 18.5 per cent fall in the second quarter of 2020 (year-on-year), at par with the lows of the 2008-09 financial crisis, but there are indications of a slight recovery in the third quarter, according to the latest reading of the World Trade Organization's Goods Trade Barometer.

The Geneva-based WTO said that for 2021 it was forecasting a rebound in global goods trade of between 21% and 24%, depending largely on the duration of the Coronavirus outbreak and the effectiveness of policy responses.

The immediate goal is to bring the pandemic under control and mitigate the economic damage to people, companies and countries. Hence the policymakers would start planning for the aftermath of the pandemic. Under the optimistic scenario, the recovery will be strong enough to bring trade close to its pre-pandemic trend, while the pessimistic scenario only envisages a partial recovery. Given the level of uncertainties, it is worth emphasizing that the initial trajectory does not necessarily determine the subsequent recovery. For example, one could see a sharp decline in 2020 trade volumes along the lines of the pessimistic scenario, but an equally dramatic rebound, bringing trade much closer to the line of the optimistic scenario by 2020-21 or 2021-22.

During the last two decades China has become crucial to the global economy. China's rising importance in the global economy is not only related to its status as a manufacturer and exporter of consumer products. China has become the main supplier of intermediate inputs for manufacturing companies abroad. A reduction in Chinese supply of intermediate inputs can affect the productive capacity and therefore the exports of any given country depending on how reliant its industries are on Chinese suppliers. While there is still uncertainty about the impact of the COVID-19 on China's productive capacity, the most recent statistics point to a significant downturn. The full effect of COVID19 on global value chains will become clearer in the coming months

2.0 Indian Economy

India's economy has surged ahead in recent years. The pressures of a growing economy have naturally pushed its transport system to full capacity. Realizing the urgency for resolving infrastructure constraints decisively in the next two decades, the government has set development targets and plans aiming to sustain high levels of inclusive economic growth.

The movement of bulk commodities is one of the major responsibilities of India's transportation system. Thermal coal alone accounts for around 61 percent of the freight volume on the Indian Railways and 24 percent of the seaport freight mix. The Sagarmala program aims to change the way logistics

evacuation happens in India and to save logistics costs nationwide for cargo handled and evacuated through seaports. Augmenting the operational efficiency of ports, optimizing logistics evacuation and increasing port-led development for India can help achieve this. The project could form around 2 percent of the country's GDP from coastal states and districts and create societal impact in the form of 10 million jobs, coastal community skill building, etc.

Five commodities contribute 80 percent of the total export-import freight movement with dynamic origin and destination points across the country. They include Coal, Petroleum, Oil and Lubricants (POL), Iron Ore, Fertilizers and Containers.

Under the Sagarmala Programme, the government has envisioned a total of 189 projects for modernisation of ports involving an investment of Rs 1.42 trillion (US\$ 22 billion) by the year 2035. Ministry of Shipping has set a target capacity of over 3,130 MMT by 2020, which would be driven by participation from the private sector. Non-major ports are expected to generate over 50 per cent of this capacity.

India's cargo traffic handled by ports is expected to reach 1,695 million metric tonnes by 2021-22, according to a report of the National Transport Development Policy Committee. Within the ports sector, projects worth an investment of US\$ 10 billion have been identified and will be awarded over the coming five years.

Further, the Government of India has allowed foreign direct investment (FDI) of up to 100 per cent under the automatic route for projects related to the construction and maintenance of ports and harbours. A 10-year tax holiday is extended to enterprises engaged in the business of developing, maintaining, and operating ports, inland waterways, and inland ports. The government has also initiated National Maritime Development Programme (NMDP), an initiative to develop the maritime sector with a planned outlay of US\$ 11.8 billion.

In the Financial Year ended 31st March 2020, cargo handling at India's major ports grew by a meagre 0.82 per cent as against 2.90 per cent growth achieved in the previous financial year.

Growth eased to 7.3 percent in the subsequent quarter due to rising global volatility, largely from financial volatility, normalized monetary policy in advanced economies, externalities from trade disputes, and investment rerouting. Further, the Indian rupee suffered because of the crude price shock, and conditions exacerbated as recovery in some advanced economies caused faster investment outflows. Ports handle almost 95% of total international trade volume in India. With the Government of India's "Make in India" initiative for rapid economic growth, it is expected that the share of merchandize trade in India's GDP would increase substantially in the next 5 years.

2.1 Indian Economy Outlook

According to Asian Development Outlook (ADO), Indian economy is expected to contract by 4% during the current financial year 2020-21. Growth in Indian GDP slowed to 3.1% in the first quarter of 2020, its slowest since early 2003. Economic growth slowed to 4.2% in the whole of the last fiscal year as both exports and investment started to contract. The Reserve Bank of India (RBI) earlier in May has projected that the impact of COVID-19 is more severe than anticipated and the GDP growth during 2020-21 is likely to remain in the negative territory.

Washington headquartered World Bank projected India's economy to shrink by 3.2 per cent in the current fiscal due to the coronavirus pandemic that has hit a hard blow to the economy due to the lockdown.

International rating agencies like Moody's Investors Service, Fitch Rating and S&P Global Ratings have all predicted a 4-5 per cent contraction in India's economic growth rate during April 2020 to March 2021 fiscal. Crisil has said this would be the country's fourth recession since Independence, first since liberalisation, and perhaps the worst to date.

3.0 Indian Port Sector Performance

As per Indian Ports Association data the performance of Major Ports are as follows

Traffic handled at Major Ports

| (IN '000 TONNES) | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| PORTS | APRIL TO MARCH | | % VARIATION AGAINST PREV. YEAR |
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| KOLKATA | | | |
| Kolkata Dock System | 17,303 | 18,551 | - 6.73 |
| Haldia Dock Complex | 46,680 | 45,212 | 3.25 |
| TOTAL: KOLKATA | 63,983 | 63,763 | 0.35 |
| PARADIP | 1,12,689 | 1,09,275 | 3.12 |
| VISAKHAPATNAM | 72,722 | 65,301 | 11.36 |
| KAMARAJAR (ENNORE) | 31,747 | 34,497 | -7.97 |
| CHENNAI | 46,759 | 53,012 | -11.80 |
| V.O. CHIDAMBARANAR | 36,076 | 34,342 | 5.05 |
| COCHIN | 34,038 | 32,022 | 6.30 |
| NEW MANGALORE | 39,145 | 42,508 | -7.91 |
| MORMUGAO | 16,019 | 17,683 | -9.41 |
| MUMBAI | 60,696 | 60,588 | 0.18 |
| JNPT | 68,449 | 70,706 | -3.19 |
| DEENDAYAL | 1,22,499 | 1,15,402 | 6.15 |
| GRAND TOTAL: | 7,04,822 | 6,99,099 | 0.82 |

India's State-owned ports handled a combined 704.82 Million Tonnes (MT) of cargo in the year to March 2020, registering a nominal growth of about 0.8 per cent, the slowest in eight years.

These Major ports have a capacity to handle 1,524.91 MT of cargo a year and the FY20 cargo throughput translates into a capacity utilisation of 46.2 per cent. The existing capacity would thus be able to cater to growth till at least 2025, according to industry sources. In FY19, the 12 ports handled 699.10 MT of cargo including Containers registering a growth of 2.9 per cent over the 679.37 MT handled in FY18. Last time the Major ports posted a decline in volumes was in FY12 when they handled 560.14 MT, down from 570.03 MT in FY11.

3.1 Indian Port Sector Performance Outlook

Cargo handled by the country's major ports declined by 19.68% to 141.92 MT in the first quarter of this FY20-21. These Major ports had together handled 176.69 MT of cargo during April-June period of 2018-19.

Ports like Chennai and Kamarajar saw their cargo volumes nosedive about 40% during April-June 2020, while Kolkata suffered a drop of over 30%. While Chennai Port saw 39.91% decline in cargo handling to 7.28 MT, Kamarajar Port suffered a drop

of 39.41% to 5.16 MT in April-June 2020, as per IPA data. Cargo handling at Cochin port slipped 33.78% to 5.63 MT, while the same at JNPT declined 31.38% to 12.09 MT. Kolkata port logged a fall of 27.26% to 11.72 MT. (Source : IPA)

According to ICRA, while all cargo segments are vulnerable, container segment is expected to be more adversely impacted. General cargo throughput may witness 5-8 per cent contraction for full year 2020-21, the container segment may witness a decline of 12-15 per cent during the same period.

4.0 KPL's Performance Overview

The cargoes at ports are divided into five major categories, namely dry bulk cargo, liquid bulk cargo, general cargo, containers and Ro-Ro vehicles.

Since commencement of the Port, the volume of traffic handled has increased nearly 10 times from 3.40 million tons in 2001-02 to 34.50 million tons in year 2018-19. The details of cargo handled during the last five years are given under:

| Traffic Handled at KPL in the last five years (Million Tonnes) | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cargo | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| Coal TNEB | 21.07 | 18.83 | 17.27 | 18.26 | 14.11 |
| Coal Others | 4.54 | 4.27 | 5.90 | 6.78 | 6.15 |
| POL/ Chemicals / LPG | 3.99 | 4.17 | 4.44 | 4.83 | 4.72 |
| Iron ore | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Other Cargo | 2.61 | 2.75 | 2.63 | 2.18 | 2.45 |
| Container | - | - | 0.05 | 1.10 | 2.52 |
| Break bulk | - | - | 0.16 | 1.32 | 1.29 |
| LNG | - | - | - | 0.03 | 0.51 |
| Total | 32.21 | 30.02 | 30.45 | 34.50 | 31.75 |

4.1 Outlook

The main cargo handling in KPL is thermal coal followed by Coke, POL, Containers, Automobiles, LNG and break bulk.

The imposition of lockdown to check Covid-19 has adversely impacted electricity demand and the average thermal PLF since March 24, 2020.

Hence Power demand is expected to decline at least 4-5% in fiscal 2020-21 due to slowing activity and policy actions.

It is estimated that containers, coal and other bulk cargo could be the most impacted categories. Liquid cargo like LNG and petroleum products would be comparatively less affected as tumbling crude oil prices would buoy demand growth

5.0 Industry Structure, Market-Scenario, Opportunities & Threats, Outlook, Risks and Concerns.

Industry Structure and Market Scenario:

India has 12 major and 205 notified minor and intermediate ports. Under the National Perspective Plan for Sagarmala, six new mega ports will be developed in the country. The Indian ports and shipping industry play a vital role in sustaining growth in the country's trade and commerce. India is the sixteenth largest maritime country in the world. The Indian Government plays an important role in supporting the ports sector.

In FY20, major ports in India handled 704.82 million tonnes (MT) of cargo traffic, implying a CAGR of 2.74 per cent during FY16-FY20. Cargo traffic at non-major ports reached 447.21 MT in FY20 (till December 2019).

The major ports had a capacity of 1,514.09 MT per annum (MTPA) in FY19. The Government has taken several measures to improve operational efficiency through mechanisation, deepening the draft and speedy evacuations.

(Source: <https://www.ibef.org/industry/ports-india-shipping.aspx#>.)

According to the ICRA report, "The ongoing slowdown in coal imports is most likely attributable to the economic slowdown in recent months which has brought down the overall demand. Power demand and consequently thermal power generation has witnessed a decline in the last three to four months which along with the slowdown in other consuming industries is resulting in the fall in coal demand supply gap. Growth in coal demand is also stifled by the impact of higher generation from newly added renewable capacities. Systemic inventory with users is also possibly down on account of lower ordering following the anticipation of further slowdown in demand".

Overall container volume slowed down to 3.5 per cent in April-February as against 11 per cent growth in the corresponding period of FY19. Non major ports have outperformed the major ports in terms of retaining higher incremental cargo volumes. This is evident from the relatively higher growth of 4.5 per cent registered by them compared to 1.1 per cent by major ports. While coal logged 13 per cent growth at non major ports, it plunged 9.4 per cent at major ports. In container growth too, the non-major ports scored higher with 5.8 per cent compared to 2.2 per cent for non-major ports.

Ports have been struggling due to a shortage of workers to move cargoes, particularly for dry bulk shipments. Vessel movements almost halted because of the lockdown and quarantine measures taken by the government to control coronavirus pandemic and the resultant delays, due to manpower shortage and logistics problems at the ports.

Even though port services have been brought under the 'essential services list', some vessels which came alongside berths have encountered difficulties in carrying out cargo operations as only 20-25% of the total workforce were present. There is also a shortage of trucks, which is badly affecting cargo evacuation alongside berths and at storage yards.

After the surfacing of the deadly Coronavirus, many industries such as chemicals, dyes & pigments, pharmaceuticals, textiles, electronics and automobiles run the possibility of short-term supply disruptions due to a production shutdown in China, a study by ICRA noted.

With the contagion spreading to more countries, the supply disruptions could get more pronounced, affecting export and import trade at ports.

"Ports that have a significant exposure to the affected cargo categories could see an impact on their cargo volumes in the near term. The extent of the impact will be dependent of the duration of slowdown in consumer demand and industrial activities due to Covid-19 and the pace of subsequent recovery", the report by ICRA noted.

5.1 Strength and Weakness

Strength:

- Landlord Model with adequate risk sharing with PPP/ BOT operators
- Adequate connectivity, water front and land available for expansion.
- Optimal mix of captive and common user berths. 1st LNG Terminal on East Coast located in KPL.
- Deep draft port designed to handle large vessels
- Being Corporate Port the Company is vested with more operational and financial autonomy.
- With the current debt equity ratio, the Company can raise funds for investments.

Weakness :

- More dependent on Thermal Coal, as substantial revenues earnings from coal handling.

As a mitigation measure development and operation of other cargoes like Automobile, Container, POL etc.

Opportunities:

- Located in Port dependent industrialized region (Auto, machinery, electronics, garments, power and oil sectors in prominence)
- Policy impetus towards LPG consumption and city Gas supply in Chennai and its suburbs.
- Expected growth in power sector in the region.
- Expansion of industries in the hinterland area.

Threats:

- Multiple ports in vicinity for the same hinterland leading to excess capacity vis-à-vis Cargo availability and intense competition.
- Excessive environmental activism in the area.
- Longer rail link to potential hinterland in Karnataka vis-à-vis Krishnapatnam Port.

Risks & Concerns

The Company has established a robust enterprise risk and compliance management framework and processes to ensure the achievement of strategic objectives. The Risks are assessed and managed at various levels. Listed below are some of key risks:

Key Risks and their Profiling

| Risk | Profile of Risk |
|--|---|
| Financial Risk | Within the scope of our normal business activities, we are exposed to financial risks that affect our access to liquidity, availability of capital to achieve our growth objectives, foreign currency and interest rate volatility. This risk has remained stable due to the Company's consistently strong balance sheet and available financing arrangements in place |
| Industry capacity and competition | <p>The utilization of our operations is influenced by any available capacity to handle cargo volumes. An increase in capacity can lead to intensified competition between nearby ports, resulting in weak pricing power, loss of revenue.</p> <p>We continue to repurpose and refit our ports and terminals in line with market demand and use technology as much as possible to increase the traffic in our existing assets.</p> |
| Major projects planning and project management | <p>Major projects contribute significantly to reshaping our portfolio and delivering our strategy. We are involved in a number of high-value, long-term projects that can take months or years to complete. These projects, due to their nature, are exposed to geopolitical events, forces of nature, unforeseen site conditions, technology development and other external factors, which can result in delays, quality issues or cost overruns. Failure to deliver these major projects can expose the Company to the risk of reduced profitability and potential losses.</p> <p>Project risks are constantly assessed, mitigated, managed and reported to the Project Management Department (PMD) during the project planning and execution stage.</p> |
| Environmental | <p>There is a growing portfolio of legislation and government regulations aimed at tackling climate change, which could have consequences on our development of new projects. New legislation and other evolving practices could impact our developmental activity resultantly affect the business. However, the proposed EIA notification 2020 is expected to streamline the process of MoEF clearance for expansion and incremental capacity addition.</p> <p>We are constantly reviewing and updating our standards to ensure leading and best practices are applied. Operational terminals operators (BOT), play an important role in developing strategies and actions to combat the adverse potential effects of climate change through operation, modification of infrastructure and retrofitting, etc. India's ports have been constrained due to many developmental, procedural and policy related challenges.</p> |
| Multiple agency model | Dual institutional structure has led to development of major and non-major ports as separate, unconnected entities. While India has a fairly extensive regulatory framework for ports, its effectiveness is questionable. The main problem is that major and non-major ports fall under different jurisdictions with continued uncertainty as to the ultimate scenario. |
| Efficiency: | Indian ports, especially the major ports have a lot of scope for improvement in operational efficiencies compared to international ports. |

6.0 Segment wise Performance

6.1 Sales Performance

Management considers "Port Services" as single reportable segment. The income from services during the year 2019-20 was Rs.703.17 crores as against Rs. 707.98 crores during the same period in previous year.

6.2 Quantity

During the year 2019-20, a quantity of 31.75 million tonnes of cargo was handled as against 34.50 million tonnes previous year.

7. Internal Control Systems and their adequacy

The Company has an internal control system with proper internal delegation of authority, supervision

and checks and balances and procedures through documented policy guidelines and manuals. This system is reviewed and updated periodically in order to improve upon it and to meet the business requirements.

8. Discussion on Financial Performance with respect to Operational Performance

- Refer Board's Report

9. Material developments in Human Resources, Industrial Relations front, including number of people employed

- Refer Board's Report

10. Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation.

- Refer Board's Report

11. Corporate Social Responsibility

- Refer Board's Report

12. Cautionary Statement

Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results may vary materially from those expressed or implied by the forward looking statements due to risks or uncertainties associated therewith depending upon economic conditions, government policies and other incidental factors. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
(DIN : 01310101)**

Place: Chennai

Date : 09.09.2020



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Director General of Commercial Audit, Chennai

Dated 26.08.2020

No. DGCA/CHENNAI/CA-II/KPL 2-181/2020-21/ 80

To
The Chairman-cum-Managing Director,
Kamarajar Port Limited,
2nd Floor (North wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

Sir,

Sub:

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited, Chennai for the year ended 31 March 2020.

I forward herewith comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year ended 31st March 2020.

Five copies of Printed Annual Report of your Company may be arranged to be forwarded to this office. The date of holding of Annual General Meeting may also be intimated

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

(R. AMBALAVANAN)

DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT, CHENNAI

Encl: Audit Certificate

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139 महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै - 600 034.
Indian Oil Bhavan, Level-2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600034
Tel: 044-28330147 Fax: 044-28330142/145 e-mail: mabchennai@cag.gov.in

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013
ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KAMARAJAR PORT LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020**

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Sd/-

**(R. AMBALAVANAN)
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT, CHENNAI**

Place: Chennai
Date : 26 August 2020

B. THIAGARAJAN & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members Kamarajar Port Limited

Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Kamarajar Port Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31st 2020, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date including summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements"),
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st 2020, the profit and total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of

Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 30(18) regarding impact of management's evaluation of the impact of the prevailing and emerging circumstances surrounding the Corona (Covid-19) virus which have had a profound impact on people's health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial performance of organizations,
5. Reference is invited to Note 4a regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to an agency is yet to be finalized and have not been provided for,
6. Reference is invited to Note 11 regarding excess payments of Rs.4509.49 Lakhs made to project contractors included in Other Assets - Non-Current and not capitalized till date pending disputes referred to High Court of Madras.
7. Reference is invited to Note 30(16) regarding balances of Trade Receivable, term Loans and Advances, Service tax input credit/GST, Advance tax and Tax deducted at source and Trade

Payables as at 31st March 2020 to the extent not subsequently adjusted/paid are subject to confirmation and reconciliation.

Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 4 to 8.

Key Audit Matters:

8. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most

significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| SI No | Key Audit Matter | Auditor's response |
|-------|--|---|
| 1 | <p>Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of revenues and other related balances in view of adoption of Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" (new revenue accounting standard)</p> <p>The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations, determination of transaction price of the identified performance obligations. The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations and determination of transaction price of the identified performance obligations.</p> | <p>We evaluated management's process to identify the impact of adoption of the new standard and tested key controls by selecting a sample of continuing and new contracts, and tested the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price. We also carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, reperformance and inspection of evidence in respect of operation of these controls.</p> <p>We performed the following procedures on the -selected samples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read, analysed and identified the distinct performance obligations in these contracts. • Compared these performance obligations with that identified by the Company. • Considered the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration. |
| 2 | <p>Uncertain Direct/indirect tax positions and recoverability of tax receivables as at March 31, 2020, assets in respect of direct/indirect taxes including MAT Credit entitlements, prepaid taxes and CENVAT recoverable which are pending for future set-offs/ adjudication.</p> | <p>Our in-house expert has reviewed the nature of the amounts recoverable, the sustainability and the likelihood of recoverability upon final resolution.</p> |

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

9. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board Report including Annexures to Board's Report and Annual report on CSR

Activities but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

10. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider

whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

11. If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
12. The Management Discussion and Analysis, Board Report including Annexures to Board's Report and Annual report on CSR Activities and Information to Shareholders is expected to be made available to us after that date. When we read the reports which, are expected to be made available to us after the date of this auditor's report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Management's Responsibility for the Financial Statements

13. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, total comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
14. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
15. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

16. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
17. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
18. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation
19. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit
 20. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

21. As required under section 143(5) of the Act, 2013, We give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
22. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
23. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account;
- d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
- e) In terms of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) dealing with directors disqualification is not applicable to a Government Company
- f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- g) In terms of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015, managerial remuneration u/s 197 read with Schedule V to the Act is not applicable to a Government Company
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements.
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
 FRN 004371S

Sd/-

Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN: 20220112AAAABG1939

Place: Chennai

Date: 29-June-2020

ANNEXURE - A TO THE AUDITORS' REPORT

Annexure referred to in paragraph 1 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2020.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, maybe stated | The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact maybe stated | There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan |
| 3 | Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation | During the year under review, the Company has not received funds for specific schemes from Central/State agencies. |

ANNEXURE - B TO THE AUDITORS' REPORT

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2020.

- 1.(a) The Company is maintaining proper records including quantitative details of fixed assets. In our opinion, the records require further improvement with respect to updating of the situation of fixed assets.
- (b) The Company has a program of verification to cover all the items of fixed assets in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, fixed assets were physically verified by the management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) The Company owns land measuring 2,802.49 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), out of which 2,787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession. Further, out of the total land area owned, 2,008.34 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 682.66 acres from Salt Department have been registered in the name of the Company and patta has been obtained for 32.65 acres procured from Government of Tamil Nadu and the in respect of the balance, registration is in process.
2. The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any inventory

of goods. Thus, Para 3(ii) of the Order is not applicable.

3. As informed, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act.
4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has not given Loans, guarantees, investments or securities in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act, 2013.
5. The Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (as amended). Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the

maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 for any of the services rendered by the Company.

7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, goods and services tax, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities and no material statutory dues have been outstanding for more than six months from the due date as at the year end.
- (b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax/ duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2020.

| Statute | Nature of dues | Amount (In Lakhs) | Period to which amount relates | Forum to which amount is pending |
|----------------------|----------------|-------------------|--|---|
| Finance Act 1994 | Service Tax | Rs. 305.71 ## | 2012-13 to 2015-16 | Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal |
| Income Tax Act, 1961 | Income Tax | Rs. 98.15 | AY 2005-06 to AY 2012-13 | Rectification pending with assessing Officer |
| Income Tax Act, 1961 | Income Tax | Rs. 525.63 | AY 2002 - 03 to AY 2004-05, AY 2012-13 | High Court of Madras |

Out of this, Rs. 16.75 Lakhs has been paid

8. According to information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of its dues to bank/financial institution/debenture holders during the year.
9. The Company has not raised money by way of Initial Public offer or further public offer. The term loans raised have been applied for the purposes for which they were raised.
10. According to the information and explanations given to us and as per our verification of the records of the Company, no fraud either on or by the Company has been noticed or reported by its officers or employees during the year.
11. In terms of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015, managerial remuneration u/s 197 read with Schedule V to the Act is not applicable to a Government Company
12. The Company is not a Nidhi Company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
14. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has

not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable.

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company

has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

16. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 0043715

Sd/-

Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN: 20220112AAAABG1939

Place: Chennai

Date: 29-June-2020

ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal

financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are

being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

Sd/-

Ram Srinivasan
Partner

M. No. 220112

UDIN: 20220112AAAABG1939

Place: Chennai
Date: 29-June-2020

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH 2020

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Note No | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| ASSETS | | | |
| Non-current assets | | | |
| (a) Property, Plant and Equipment | 4 | 2,73,178.30 | 2,66,119.21 |
| (b) Right- of- Use Assets | 4A | 1,575.22 | 1,661.24 |
| (c) Capital work-in-progress | 5 | 10,761.88 | 9,894.54 |
| (d) Other intangible assets | 6 | 608.86 | 759.84 |
| (e) Financial Assets | | | |
| (i) Investments | 7 | 4,148.04 | 4,123.00 |
| (ii) Loans & Advances | 8 | 408.74 | 335.94 |
| (iii) Others | 9 | 187.20 | 166.82 |
| (f) Deferred Tax Assets | 10 | 23,845.14 | 35,901.62 |
| (g) Other non-current Assets | 11 | 10,873.32 | 13,865.28 |
| Current Assets | | | |
| (a) Financial Assets | | | |
| (i) Trade Receivables | 12 | 4,816.59 | 3,038.16 |
| (ii) Cash & Cash Equivalents | 13 | 9,920.80 | 3,183.93 |
| (iii) Loans & Advances | 8 | 52.94 | 82.13 |
| (iv) Others | 9 | 9.94 | 20.19 |
| (b) Current Tax Assets | 14 | 388.77 | 874.36 |
| (c) Other Current Assets | 11 | 2,018.77 | 2,647.70 |
| Total Assets | | 3,42,794.51 | 3,42,673.96 |
| EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| Equity | | | |
| (a) Equity Share Capital | 15 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| (b) Other Equity | | 2,07,906.66 | 1,92,101.73 |
| Liabilities | | | |
| Non-current liabilities | | | |
| (a) Financial Liabilities | | | |
| (i) Borrowings | 16 | 77,522.09 | 87,196.04 |
| (ii) Other Financial Liabilities | 17 | 566.15 | 299.32 |
| (b) Provisions | 18 | - | - |
| (c) Deferred tax liabilities (Net) | | | |
| (d) Other non-current liabilities | 19 | 8,334.98 | 10,780.22 |
| Current liabilities | | | |
| (a) Financial Liabilities | | | |
| (i) Trade payables | 20 | 1,229.15 | 5,523.20 |
| (ii) Other Financial Liabilities | 17 | 12,047.45 | 11,468.23 |
| (b) Other current liabilities | 19 | 4,154.53 | 4,030.13 |
| (c) Provisions | 18 | 1,033.50 | 1,275.11 |
| Total Equity and Liabilities | | 3,42,794.51 | 3,42,673.96 |
| Notes to Accounts | 30 | | |

Significant Accounting policies

1 to 3

The notes referred to above form an integral part of the financial statements.

For KAMARAJAR PORT LIMITED

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

M. GUNASEKARAN
Chief Financial Officer & Compliance Officer

P. RAVEENDRAN
Director
DIN : 07640613

JAYALAKSHMI SRINIVASAN
Company Secretary

For B. THIAGARAJAN & CO.,
Chartered Accountants,
FRN . 004371S

RAM SRINIVASAN
Partner,
M.No. 220112
UDIN: 20220112AAAABG1939

Place : Chennai

Date : 29th June 2020

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st March 2020**

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Note No. | Year Ended Mar 31, 2020 | Year Ended Mar 31, 2019 |
|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| Income | | | |
| i) Revenue From Operations | 21 | 70,317.50 | 70,798.21 |
| ii) Other Income | 22 | 3,050.49 | 918.73 |
| Total Income | | 73,367.99 | 71,716.93 |
| Expenses | | | |
| i) Operating Cost | 23 | 8,158.88 | 8,308.15 |
| ii) Employee Benefits | 24 | 2,058.83 | 1,983.95 |
| iii) Finance Cost | 25 | 8,464.84 | 9,114.93 |
| iv) Depreciation & Amortization Expenses | 26 | 5,213.04 | 4,756.75 |
| v) Other Expenses | 27 | 4,250.38 | 4,327.49 |
| Total expenses | | 28,145.97 | 28,491.28 |
| Profit before exceptional items and tax | | 45,222.02 | 43,225.65 |
| Exceptional Items | 28 | 423.32 | 8,840.76 |
| Profit Before Tax | | 44,798.70 | 34,384.90 |
| Less : Tax expense | | | |
| - Current Tax | 10 | 7,827.23 | 7,338.00 |
| - Deferred Tax | 10 | 12,068.66 | (6,988.49) |
| Profit for the period from continuing operations | | 24,902.81 | 34,035.38 |
| Profit/(loss) from discontinued operations | | - | - |
| Tax expense of discontinued operations | | - | - |
| Profit from discontinued operations after tax | | | |
| I Profit for the year | | 24,902.81 | 34,035.38 |
| II Other Comprehensive Income | | | |
| i) Items that will not be reclassified to profit or loss | | | |
| - Remeasurements of the defined benefit plans | | 34.88 | (14.59) |
| Less: Income Tax on Above | 10 | (12.19) | (4.88) |
| Other Comprehensive Income | | 22.69 | (19.47) |
| Total Comprehensive Income for the period | | 24,925.50 | 34,015.91 |
| Earnings per equity share : | | | |
| (1) Basic | 29 | 8.31 | 11.34 |
| (2) Diluted | | 8.31 | 11.34 |
| Notes to Accounts | 30 | | |

Significant Accounting policies

1 to 3

The notes referred to above form an integral part of the financial statements.

For KAMARAJAR PORT LIMITED**SUNIL PALIWAL, I.A.S.,**

Chairman cum Managing Director

DIN : 01310101

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

P. RAVEENDRAN

Director

DIN : 07640613

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

For B. THIAGARAJAN & CO.,

Chartered Accountants,

FRN . 004371S

RAM SRINIVASAN

Partner,

M.No. 220112

UDIN: 20220112AAAABG1939

Place : Chennai**Date :** 29th June 2020

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | |
| Net Profit/Loss Before Tax | 44,798.70 | 34,384.89 |
| Adjustment for:- | | |
| Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 5,213.04 | 4,668.40 |
| Interest & Finance Charges | 7,730.35 | 10,314.43 |
| Short Term gain on Mutual Funds | (148.83) | (349.55) |
| Interest Income | (623.14) | (290.96) |
| Dividend received | (51.01) | |
| Operating Profit before Working Capital Changes | 56,919.12 | 48,727.22 |
| Adjustment for:- | | |
| Loans & Advances (Non-Current) | (72.79) | (6.59) |
| Other Assets (Non-Current) | (20.37) | 87.55 |
| Other non-current Assets | 2991.95 | (232.85) |
| Trade Receivables | (1,778.43) | (201.31) |
| Loans & Advances | 29.18 | 3.98 |
| Other Assets | 10.25 | 9.81 |
| Other Current Assets | 628.92 | (1,497.26) |
| Other Financial Liabilities (Non-Current) | 266.83 | 82.96 |
| Other Non-current Liabilities | (2,445.24) | 1,105.94 |
| Trade payables | (4,294.05) | (851.54) |
| Other Financial Liabilities | 579.22 | (2,649.86) |
| Other current liabilities | 124.40 | 567.67 |
| Provisions | (309.99) | 265.64 |
| Current Tax Payments | (7,341.63) | (7,762.91) |
| Net Cash From Operating Activities | 45,287.37 | 37,648.45 |
| B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | |
| Fixed Assets | (12,902.47) | (15,098.42) |
| Investments made during the Year | (25.04) | (2.00) |
| Short Term gain on Mutual Funds | 148.83 | 349.55 |
| Interest Income | 623.14 | 290.96 |
| Dividend received | 51.01 | |
| Net Cash From Investing Activities | (12,104.53) | (14,459.91) |
| C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | | |
| Dividend paid during the Year | (9,041.68) | (14,466.64) |
| Loans raised during the year | 0.00 | 9,000.00 |
| Loans repaid during the year | (9,673.95) | (8,927.09) |
| Interest & Finance Charges | (7,730.35) | (8,874.08) |
| Net Cash From Financing Activities | (26,445.98) | (23,267.81) |
| D. Net changes in Cash & Cash equivalents | 6,736.86 | (79.27) |
| E. Opening Cash & Cash Equivalents (Note No 13) | 3,183.94 | 3,263.20 |
| F. Closing Cash & Cash Equivalents (Note No 13) | 9,920.80 | 3,183.94 |

For KAMARAJAR PORT LIMITED

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

M. GUNASEKARAN
Chief Financial Officer & Compliance Officer

P. RAVEENDRAN
Director
DIN : 07640613

JAYALAKSHMI SRINIVASAN
Company Secretary

For B. THIAGARAJAN & CO.,
Chartered Accountants,
FRN . 004371S

RAM SRINIVASAN
Partner,
M.No. 220112
UDIN: 20220112AAAABG1939

Place: Chennai
Date : 29th June 2020

Statement of Changes In Equity Balance as at 31st March, 2020

Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

| Balance as at April 1, 2020 | Changes in share capital during the year | Balance as at Dec 31, 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 30,000 | 0.00 | 30,000 |

| Balance as at April 1, 2019 | Changes in share capital during the year | Balance as at Mar 31, 2019 |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 30,000 | 0.00 | 30,000 |

Other Equity

For the year ended 31st Mar, 2020 (Rupees in lakhs)

| Particulars | Debenture Redemption Reserve | Reserves and Surplus | | Other Components of Equity | | Total |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | General Reserve | Retained Earnings | Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset | FVTOCI - Investments | |
| Balance at the beginning of the reporting period | 5,404.44 | 7,902.00 | 1,80,776.87 | (19.82) | (1,961.76) | 1,92,101.73 |
| Changes in accounting policy prior period errors | 0.00 | 0.00 | (33.50) | 0.00 | 0.00 | (33.50) |
| Total Comprehensive Income for the Year | 0.00 | 0.00 | 24,902.81 | 0.00 | 0.00 | 24,902.81 |
| Other Comprehensive Income for the Year | 0.00 | 0.00 | | (22.69) | 0.00 | (22.69) |
| Transfer to Debenture Redemption Reserve | 862.93 | 0.00 | (862.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Final Dividend (Incl DDT) - F.Y. 2018-19 | 0.00 | 0.00 | (9,041.68) | 0.00 | 0.00 | (9,041.68) |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance at the end of the reporting period | 6,267.37 | 7,902.00 | 1,95,741.57 | (42.51) | (1,961.76) | 2,07,906.66 |

Pursuant to Regulation 16 of the SEBI Debt Regulations and Section 71 C of the Companies Act, 2013, the Company creates Debenture / Bond Redemption Reserve (DRR) upto 25% of the value of bonds / debentures issued through public issue during the maturity period of such bonds / debentures. Accordingly, during the year, the Company has created DRR amounting to Rs. 8,62,92,983/- (Previous year Rs.8,62,92,983/-).

Other Equity

For the year ended 31st Mar, 2019 (Rupees in lakhs)

| Particulars | Debenture Redemption Reserve | Reserves and Surplus | | Other Components of Equity | | Total |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | General Reserve | Retained Earnings | Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset | FVTOCI - Investments | |
| Balance at the beginning of the reporting period | 4,541.51 | 7,902.00 | 16,20,71.05 | (1.51) | (1,961.76) | 1,72,551.29 |
| Changes in accounting policy prior period errors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Comprehensive Income for the Year | 0.00 | 0.00 | 34,035.38 | (18.31) | 0.00 | 34,017.07 |
| Other Comprehensive Income for the Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to Debenture Redemption Reserve | 862.93 | 0.00 | (862.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividend (incl DDT) of F.Y. 2017-18 | 0.00 | 0.00 | (9,041.65) | 0.00 | 0.00 | (9,041.65) |
| Interim Dividend (Incl DDT) - F.Y. 2018-19 | 0.00 | 0.00 | (5,424.99) | 0.00 | 0.00 | (5,424.99) |
| Balance at the end of the reporting period | 5,404.44 | 7,902.00 | 1,80,776.86 | (19.82) | (1,961.76) | 1,92,101.73 |

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999GOI043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Notes to the Financial Statements

1. Corporate Information:

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

3. Significant Accounting Policies

3.1. Use of estimates and judgment:

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2. Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3. Revenue Recognition:

1 Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and duties. Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met

- i) the amount of revenue can be measured reliably;
- ii) It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
- iii) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

iv) No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream includes:

- i) Vessel Related Income.
- ii) Cargo related income.
- iii) Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users / captive users.
- iv) Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related Income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/Captive use basis.

- a) Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year.
- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.

d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) **Composite Tariff**

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

2 Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.

3 a) Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.

b) Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4. Property, Plant and Equipment:

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.

ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, Plant and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The Company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/ overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/ overhaul.

3.5. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the Company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets

will flow to the Company for more than one economic period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

3.6. Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7. Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying

asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8. Foreign Currency Transactions:

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9. Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value

and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

3.10. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11. Contingent Liabilities / Assets:

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the Company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets:

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12. Employee benefits:

i) Defined Benefit Plan:

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling and the return on plan assets excluding interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss.

ii) Defined Contribution Plan:

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) Short Term Employee Benefits:

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14. Impairment:

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its

recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15. Earnings per share:

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity

shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16. Financial instruments:

i) Non-derivative financial instruments:

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits, investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;
- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

- a) Investments in, equity securities (other than Subsidiaries, Joint Venture and Associates) are valued at their fair value. These investments are measured at fair value and changes therein, other than impairment losses, are recognized in Statement of Other Comprehensive Income. The impairment losses, if any, are reclassified from Other Equity to Statement of Profit and Loss. When an available for sale financial asset is derecognized, the related cumulative gain or loss recognised in Other Equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The Company estimates the un-collectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer credit-worthiness and current economic trends. If the financial condition of a customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) Trade and other payables:

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) Security Deposits

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) Tax Free Bonds:

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent

recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

iii) De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17. Segment Information

The Chairman cum Managing Director (CMD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The CMD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a single reportable Business/Geographical segment.

3.18. Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts.

3.19. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re measured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities". Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20. Current/Non-Current Classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if:

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;

- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21. Dividend distribution to shareholders:

Dividends proposed by the board of directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22. Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-

3.23. Premia for foreclosure

Premia for foreclosure of loans or any part thereof is recognised as finance cost in the year in which the foreclosure is effected.

3.24. Liquidated damages

Liquidated damages is accounted on certainty basis. In respect of Capital Projects, the same will be reduced from the cost of asset and in all other cases, the same is recognized as Other Income.

3.25. Statement of Cash Flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand and are considered part of the Company's cash management system.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Gross carrying value as at April 1, 2019 | Additions | Disposal/ adjustments | Gross carrying value as at Mar 31,2020 | Accumulated depreciation as at April 1, 2019 | Depreciation for the year | Disposal/ adjustments | Accumulated depreciation as at Mar 31,2020 | Carrying Value as at Mar 31,2020 |
|---|--|------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Land | 58,994.47 | 4,961.61 | - | 63,956.08 | - | - | - | - | 63,956.08 |
| Building,Sheds & Other Structures | 11,225.41 | 1,159.99 | -60.80 | 12,324.60 | 889.29 | 300.64 | -2.53 | 1,187.40 | 11,137.20 |
| Wharves & Boundaries | 64,369.47 | 537.50 | -421.07 | 64,485.90 | 5,057.52 | 1,532.79 | -12.99 | 6,577.32 | 57,908.58 |
| Roads | 8,558.95 | 361.04 | - | 8,919.99 | 1,437.06 | 550.95 | - | 1,988.01 | 6,931.98 |
| Railway Track & Signalling System | 7,660.95 | - | - | 7,660.95 | 1,765.42 | 493.64 | - | 2,259.06 | 5,401.89 |
| Docks,Seawalls, Piers & Break Water | 57,581.56 | 56.30 | - | 57,637.86 | 11,143.33 | 753.87 | - | 11,897.20 | 45,740.66 |
| Navigational Aids | 381.67 | - | - | 381.67 | 283.77 | 6.61 | - | 290.38 | 91.29 |
| Vehicles | 111.63 | 72.84 | - | 184.47 | 28.19 | 13.91 | - | 42.10 | 142.37 |
| Electrical Installations | 1,716.76 | 145.26 | - | 1,862.02 | 925.07 | 135.33 | - | 1,060.40 | 801.62 |
| Installation For Water, Communication & Fire Syst | 306.19 | - | - | 306.19 | 141.08 | 8.69 | - | 149.77 | 156.42 |
| Electrical Appliance | 192.48 | 6.12 | - | 198.60 | 91.67 | 16.93 | - | 108.60 | 90.00 |
| Office Equipment | 177.98 | 11.05 | - | 189.03 | 129.99 | 14.80 | - | 144.79 | 44.24 |
| Furniture & Fittings | 921.56 | 9.23 | - | 930.79 | 345.45 | 74.11 | - | 419.56 | 511.23 |
| Computers | 849.36 | 7.30 | - | 856.66 | 305.09 | 121.79 | - | 426.88 | 429.78 |
| Port Basin & Entrance Channel | 79,743.49 | 5,177.27 | - | 84,920.76 | 4,669.10 | 800.89 | - | 5,469.99 | 79,450.77 |
| Plant & Machinery | 1,099.46 | - | - | 1,099.46 | 567.80 | 160.35 | - | 728.15 | 371.31 |
| Security Asset | 53.71 | 11.38 | - | 65.09 | 46.07 | 6.14 | - | 52.21 | 12.88 |
| Total | 2,93,945.10 | 12,516.89 | (481.87) | 3,05,980.12 | 27,825.91 | 4,991.44 | (15.52) | 32,801.82 | 2,73,178.30 |

- The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession.
- The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress. The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress. The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department, out of which 682.66 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress. The Company acquired 47.87 acres of land from GoTN, out of which 32.65 acres for which Patta obtained in the name of Company and the balance is in progress.
- Land measuring in Sq.m. 134600, 542524, 472460, 384780 (Phase I & II), 171611, 520000 (total measuring 550.05 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Chettinad International Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Chettinad Bulk Terminal Private Limited and IOC LNG Private Ltd respectively.

Building, Sheds & Other Structures

Disposal / adjustments includes the Company had filed claim for refund of service tax paid on works contract forming part of "original works" on which was pending before CESTAT Appeals. As a matter of abundant caution, recoverable in this regard was not recognised in the books of account and the same was capitalised as part of cost of fixed assets. Vide order of dated 16.03.2020, refund has been sanctioned by the Government authority to the extent of Rs.436.74 lakhs and the balance 45.12 lakh were recovered from the EPC contractor who failed to provide the Tax challan. Accordingly, the amount of Rs. 481.86 lakhs has been adjusted against the gross block of fixed assets as at 31st March, 2020. The cumulative depreciation impact of the same amounts to Rs.15.52 lakhs, which has been adjusted against the depreciation for the year.

Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Gross carrying value as at April 1, 2018 | Additions | Disposal/ adjustments | Gross carrying value as at Mar 31,2019 | Accumulated depreciation as at April 1, 2018 | Depreciation for the year | Disposal/ adjustments | Accumulated depreciation as at Mar 31,2019 | Carrying Value as at Mar 31,2019 |
|---|--|------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Land | 59,033.03 | 0.00 | (38.55) | 58,994.47 | | | | 0.00 | 58,994.47 |
| Building,Sheds & Other Structures | 7883.37 | 3,342.03 | 0.00 | 11,225.41 | 648.21 | 241.08 | 0.00 | 889.29 | 10,336.12 |
| Wharves & Boundaries | 35,113.72 | 29,255.75 | 0.00 | 64,369.47 | 3643.14 | 1,414.38 | 0.00 | 5,057.52 | 59,311.95 |
| Roads | 5,064.55 | 3,494.40 | 0.00 | 8,558.95 | 1098.03 | 339.03 | 0.00 | 1,437.06 | 7121.89 |
| Railway Track & Signalling System | 7,247.71 | 413.24 | 0.00 | 7,660.95 | 1285.90 | 479.51 | 0.00 | 1,765.42 | 5,895.53 |
| Docks,Seawalls,Piers & Break Water | 53,155.23 | 4,426.33 | 0.00 | 57,581.56 | 10,389.54 | 753.79 | 0.00 | 11,143.33 | 46,438.23 |
| Navigational Aids | 277.27 | 104.40 | 0.00 | 381.67 | 277.27 | 6.50 | 0.00 | 283.77 | 97.90 |
| Vehicles | 111.63 | 0.00 | 0.00 | 111.63 | 15.84 | 12.35 | 0.00 | 28.19 | 83.44 |
| Electrical Installations | 1,711.22 | 5.55 | 0.00 | 1,716.76 | 797.55 | 127.52 | 0.00 | 925.07 | 791.69 |
| Installation For Water, Communication & Fire Syst | 306.19 | 0.00 | 0.00 | 306.19 | 132.39 | 8.69 | 0.00 | 141.08 | 165.11 |
| Electrical Appliance | 187.13 | 5.35 | 0.00 | 192.48 | 74.74 | 16.93 | 0.00 | 91.67 | 100.81 |
| Office Equipment | 168.57 | 9.41 | 0.00 | 177.98 | 112.03 | 17.96 | 0.00 | 129.99 | 47.99 |
| Furniture & Fittings | 791.05 | 130.51 | 0.00 | 921.56 | 274.67 | 70.79 | 0.00 | 345.45 | 576.11 |
| Computers | 718.78 | 130.58 | 0.00 | 849.36 | 196.32 | 108.77 | 0.00 | 305.09 | 544.26 |
| Port Basin & Entrance Channel | 79,743.49 | 0.00 | 0.00 | 79,743.49 | 3,912.28 | 756.82 | 0.00 | 4,669.10 | 75,074.39 |
| Plant & Machinery | 1,099.46 | 0.00 | 0.00 | 1,099.46 | 407.44 | 160.35 | 0.00 | 567.80 | 531.66 |
| Security Asset | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 40.13 | 5.94 | 0.00 | 46.07 | 7.64 |
| Total | 2,52,666.10 | 41,317.56 | (38.55) | 2,93,945.11 | 23,305.48 | 4,520.41 | 0.00 | 27,825.90 | 2,66,119.21 |

4 (a) Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Gross carrying value as at April 1, 2019 | Additions | Disposal/ adjustments | Gross carrying value as at Mar 31,2020 | Accumulated depreciation as at April 1, 2019 | Depreciation for the year | Disposal/ adjustments | Accumulated depreciation as at Mar 31,2020 | Carrying Value as at Mar 31,2020 |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Leased assets of Registered office | 2,002.42 | - | - | 2,002.42 | 341.18 | 86.02 | - | 427.20 | 1,575.22 |
| Total | 2,002.42 | 0.00 | 0.00 | 2,002.42 | 341.18 | 86.02 | 0.00 | 427.20 | 1,575.22 |

5. Capital Work- In- Progress

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Balance as at April 1, 2019 | Additions/ Adjustemnts during the year | Capitalized during the year | Balance as at Mar, 31 2020 |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| CWIP - Building,Sheds & Other Structures | 1,810.17 | 790.39 | -1,386.37 | 1,214.19 |
| CWIP - Wharves & Boundaries | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| CWIP - Roads | 859.28 | 3,741.38 | -337.16 | 4,263.50 |
| CWIP - Railway Track & Signalling System | 2,709.93 | 1,196.12 | 0.00 | 3,906.05 |
| CWIP -Docks,Seawalls,Piers & Break Water | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
| CWIP -Navigational Aids | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP -Vehicles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP -Electrical Installations | 34.91 | 195.61 | -167.54 | 62.98 |
| CWIP - Installation For Water, Communication & Fire Sys | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP - Electrical Appliance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP - Office Equipment | 4.50 | 11.38 | -15.88 | 0.00 |
| CWIP - Computers | 0.32 | 0.04 | -0.37 | 0.00 |
| CWIP - Port Basin & Entrance Channel | 4,443.98 | 877.87 | -5,177.27 | 144.58 |
| CWIP - Plant & Machinery | 0.00 | 1,139.53 | 0.00 | 1,139.53 |
| CWIP-Computer software | 0.42 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| Total | 9,894.56 | 7,952.32 | (7,085.03) | 10,761.88 |

Capital Work- In- Progress

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Balance as at April 1, 2018 | Additions/ Adjustemnts during the year | Capitalized during the year | Balance as at Mar, 31 2019 |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| CWIP - Building, Sheds & Other Structures | 3,206.77 | 1,945.43 | -3,342.04 | 1,810.17 |
| CWIP - Wharves & Boundaries | 28,443.70 | 818.95 | -29,255.75 | 6.90 |
| CWIP - Roads | 2,252.52 | 2,101.16 | -3,494.40 | 859.28 |
| CWIP - Railway Track & Signalling System | 1,912.00 | 1,211.17 | -413.24 | 2,709.93 |
| CWIP - Docks, Seawalls, Piers & Break Water | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
| CWIP - Navigational Aids | 62.64 | 41.76 | -104.40 | 0.00 |
| CWIP - Vehicles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP - Electrical Installations | 41.52 | -1.26 | -5.35 | 34.91 |
| CWIP - Installation For Water, Communication & Fire Sys | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP - Electrical Appliance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CWIP - Office Equipment | 0.00 | 5.25 | -0.75 | 4.50 |
| CWIP - Computers | 82.37 | 14.12 | -96.16 | 0.32 |
| CWIP - Port Basin & Entrance Channel | 144.58 | 4,299.40 | 0.00 | 4,443.98 |
| CWIP - Plant & Machinery | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| CWIP-Computer software | 0.00 | 95.54 | -95.12 | 0.42 |
| CWIP - Furniture & Fittings | 0.00 | 1.80 | -1.80 | 0.00 |
| Total | 36,170.25 | 10,533.31 | (36,809.02) | 9,894.55 |

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Gross carrying value as at April 1 | 1,077.01 | 981.90 |
| Additions | 0.13 | 95.11 |
| Disposal/adjustments | | 0.00 |
| Gross carrying value as at Mar 31 | 1,077.14 | 1,077.01 |
| Accumulated depreciation as at April 1 | 317.18 | 169.19 |
| For the Year | 151.10 | 147.99 |
| On Disposal/adjustments | | |
| Accumulated depreciation as at Mar 31 | 468.28 | 317.18 |
| Carrying Value as at Mar 31 | 608.86 | 759.84 |

7. Investments

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Non-Current | | |
| Investment in Shares-Quoted | | |
| 10000 shares in Dredging corporation of India (Market value as at 31 st March 2020 - Rs.14,54,500/-) | 25.04 | 0.00 |
| Investment in Shares - Unquoted | | |
| Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Less: Provision for Diminution in value of Investments | -3,000.00 | -3,000.00 |
| Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd | 3,400.00 | 3,400.00 |
| Equity Shares of Indian Port Rail Corporation Limited | 720.00 | 720.00 |
| Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited | 2.00 | 2.00 |
| Investments in Renewable Energy Certificate | 1.00 | 1.00 |
| Total | 4,148.04 | 4,123.00 |
| Current | | |
| Investments in Liquid Funds | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for diminution towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Long Term | | |
| <i>Secured (considered good)</i> | | |
| Advances to Employees (House Building Advance) | 394.59 | 334.77 |
| Advances to Employees (Vehicle Advance) | 14.15 | 1.17 |
| Total | 408.74 | 335.94 |
| Short Term | | |
| <i>Secured (considered good)</i> | | |
| Advances to Employees (House Building Advance) | 44.98 | 57.51 |
| Advances to Employees (Vehicle Advance) | 5.56 | 6.78 |
| Advances to Employees (Others) | 2.40 | 17.83 |
| Total | 52.94 | 82.13 |

9. Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Long Term | | |
| Deposits | 187.20 | 166.82 |
| Interest accrued on: | 0.00 | 0.00 |
| -Advances to Related Parties | 0.00 | 0.00 |
| Total | 187.20 | 166.82 |
| Short Term | | |
| Interest accrued on: | | |
| -Short Term Deposits | 9.94 | 20.19 |
| -Advances to Related Parties | 0.00 | 0.00 |
| Income Receivable | 0.00 | 0.00 |
| Total | 9.94 | 20.19 |

10. Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Current income tax | | |
| Current year | 7,827.23 | 7,338.00 |
| Sub Total (A) | 7,827.23 | 7,338.00 |
| Deferred tax expense | | |
| Origination and reversal of temporary differences | 12,068.66 | -6,988.49 |
| Changes in tax rate | | |
| Change in accounting policy | | |
| Sub Total (B) | 12,068.66 | - 6,988.49 |
| Total (A+B) | 19,895.89 | 349.51 |

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Defined benefit plan actuarial gains (losses) | -12.19 | -4.88 |
| Diminution in Value of Investments | 0.00 | 0.00 |
| Total | -12.19 | -4.88 |

* The Company is claiming exemption U/s 80IA of the Income Tax Act, 1961. The Company is paying Tax under MAT Provisions of the Income Tax Act. Effective Tax rate of 17.472% is considered in reconciliation of Current Tax Expense.

Recognised deferred tax assets and liabilities

Deferred tax assets and liabilities are attributable to the following:

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Deferred Tax Liability | | |
| Property, Plant & Equipment | 28,831.69 | 22,520.84 |
| Sub Total | 28,831.69 | 22,520.84 |
| Deferred tax Assets | | |
| Any Section 40a(ia) Disallowance | - | - |
| Any Section 43B Disallowance | - | - |
| Provision for Bad & Doubtful Debts | 454.18 | 449.81 |
| MAT Credit entitlement | 50,930.42 | 56,698.24 |
| Movement in Defined Benefit Plan | 6.79 | (0.95) |
| Diminution in Investment | 1,048.32 | 1,038.24 |
| Others | 237.12 | 237.12 |
| Sub Total | 52,676.83 | 58,422.46 |
| Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities) | 23,845.14 | 35,901.62 |

Movement in deferred tax balances during the year

(Rupees in lakhs)

| Particulars | Balance as at April 1, 2019 | Recognised in profit & loss | Recognised in OCI | As at Mar 31, 2020 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Property, plant and equipment | (22,520.84) | (6,310.85) | | -28,831.69 |
| Employee benefits | (0.95) | (4.45) | 12.19 | 6.79 |
| TDS Disallowance | - | - | | 0.00 |
| Provisions | 449.81 | 4.37 | | 454.18 |
| MAT Credit Entitlement * | 56,698.24 | (5,767.82) | | 50,930.42 |
| Others | 237.12 | - | | 237.12 |
| Diminution in Investments | 1,038.24 | 10.08 | | 1,048.32 |
| Total | 35,901.62 | (12,068.66) | 12.19 | 23,845.14 |

* Movement in MAT Credit Entitlement includes reversal of a sum of Rs. 7513.30 lakhs which represents excess MAT Credit recognised in the books of accounts in earlier years.

| Particulars | Balance as at April 1, 2018 | Recognised in profit & loss | Recognised in OCI | Balance As at Mar 31, 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Property, plant and equipment | (22,175.05) | (345.79) | | -22,520.84 |
| Employee benefits | 2.77 | (3.72) | | -0.95 |
| TDS Disallowance | - | - | | 0.00 |
| Provisions | 449.81 | - | | 449.81 |
| MAT Credit Entitlement | 49,360.24 | 7,338.00 | | 56,698.24 |
| Others | 237.12 | - | | 237.12 |
| Diminution in Investments | 1,038.24 | - | | 1,038.24 |
| Total | 28,913.13 | 6,988.49 | - | 35,901.62 |

Unrecognised Deferred tax assets

Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following items

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deductible temporary differences | 0.00 | 0.00 |
| Tax losses | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

11. Other Assets

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Non-Current | | |
| Advance to Contractors | 0.00 | 0.00 |
| Advance for Capital Expenditure | 10,108.65 | 13,434.92 |
| Prepaid Lease Rental | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Employee Cost | 137.78 | 126.04 |
| Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits | 173.40 | 0.00 |
| Advance against Arbitration Award | 0.00 | 170.14 |
| Balance with Government Authorities | 453.49 | 134.17 |
| Total | 10,873.32 | 13,865.28 |
| Current | | |
| Advance to Contractors | 971.86 | 0.00 |
| Prepaid Expenses | 96.30 | 251.57 |
| Service Tax Input Credit/GST | 761.92 | 1,566.92 |
| Deferred Employee Cost | 0.00 | 0.00 |
| Amount Recoverable from Others | 188.69 | 829.21 |
| Total | 2,018.77 | 2,647.70 |

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taken over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

Balances with Government Authorities under Non-Current portion includes advance payment of Rs.16.75 lakhs paid towards "Sabka Vishwas Scheme". Further, it includes refund of Rs. 436.74 lakhs receivable from Service Tax Department, being amount paid on Original works as per relevant Notification which was subsequently received on 12th June 2020.

Advance against Arbitration Award includes 75% of the disputed amount paid as per the guidelines of NITI Aayog in Escrow account in respect of pending dispute with ECPP contractor. The case was decided in favour of the ECPP contractor in the High Court of Madaras before the year end and consequently, the Company entered a Settlement Agreement with the ECPP contractor on 26.05.2020.

12. Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Trade receivables | | |
| Debtors outstanding for a period exceeding six months from the date they become due for payment | | |
| - Unsecured - Considered good | 854.82 | 3.03 |
| - Doubtful | 1,299.74 | 1,299.74 |
| Other debtors (Less than six months) | | |
| - Unsecured - Considered good | 3,961.76 | 3,035.12 |
| Less: Allowances for doubtful debts | -1,299.74 | -1,299.74 |
| Total | 4,816.59 | 3,038.16 |

13. Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Cash on hand | 0.00 | 0.00 |
| Cheques, Drafts on hand | 0.00 | 0.00 |
| Balances with Banks | 2,920.80 | 1,683.93 |
| Sub-total (A) | 2,920.80 | 1,683.93 |
| Other Bank Balances | | |
| - Term Deposit | | |
| - Less than 3 months | 0.00 | 1,500.00 |
| - More than 3 months but less than 12 months | 7,000.00 | 0.00 |
| Sub-total (B) | 7,000.00 | 1,500.00 |
| Total | 9,920.80 | 3,183.93 |

14. Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Advance Tax and Tax Deducted at Source | 66,006.00 | 58,664.36 |
| Provision for Income Tax | -65,617.23 | -57,790.00 |
| Total | 388.77 | 874.36 |

15. Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Authorized | | |
| Equity shares of Rs. 10/- each | | |
| 500,000,000 equity shares | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Issued, subscribed and fully paid | | |
| Equity shares of Rs. 10/- each | | |
| 300,000,000 equity shares | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 30,000.00 | 30,000.00 |

Reconciliation of Share Capital:

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | |
|---|--------------------|-------------------|
| | No of Shares | Amount |
| Opening Equity Shares | 300000000 | 3000000000 |
| Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year | 0 | 0 |
| Closing balance | 300000000 | 3000000000 |

| Particulars | As at Mar 31, 2019 | |
|---|--------------------|-------------------|
| | No of Shares | Amount |
| Opening Equity Shares | 300000000 | 3000000000 |
| Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year | 0 | 0 |
| Closing balance | 300000000 | 3000000000 |

Shares in the Company held by shareholder holding more than 5 percent

| Name of the Shareholder | % | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|-------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Government of India | 0% | 0 | 20,000 |
| Chennai Port Trust | 100% | 30,000 | 10,000 |

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the Company to Chennai Port Trust through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020.

16. Borrowings

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| SECURED - LONG TERM | | |
| Term Loan | | |
| Chennai Port Trust | 22,807.50 | 25,108.75 |
| Foreign Currency Loan from Axis Bank | 8,868.90 | 16,264.82 |
| Tax Free Bonds | | |
| (i) Series 2012-13 | 9,416.85 | 9,404.88 |
| (ii) Series 2013-14 | 36,428.84 | 36,417.59 |
| Total | 77,522.09 | 87,196.04 |

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 829334 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.82,93,34,000/- are due on 25.03.2023 and 117156 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. Small Craft Jetty - 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013.

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/- are due on 25.03.2024 and 1916630 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/-

each amount to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the Company. The Company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Foreign Currency Loan from Axis Bank

Axis Bank has sanctioned Foreign Currency Loan (FCL) 100 USD Million on 30.03.2017 against Trade receivables @ interest rate of 6M Libor Plus 195 BPS repayable within Five Year including one year moratorium. The Company has availed 47 USD Million during the year 2017-18. The Company also hedged the 6M Libor Rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk.

Overdraft Facility from State Bank of India

State Bank of India sanctioned clean Overdraft facilities of Rs.50 Crores towards Fund Based and Rs.10 Crores towards Non-fund based limits @ One year MCLR Plus 0.15%. The Company has entered loan agreement on 31st January, 2020.

However, no facilities were availed as on 31st March 2020.

17. Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Long Term | | |
| Security Deposits | 275.97 | 265.87 |
| Retention Money Payable | 290.18 | 33.45 |
| Total | 566.15 | 299.32 |
| Short term | | |
| Current maturities of long term debt | | |
| - Chennai Port Trust | 2,301.25 | 2,301.25 |
| - Foreign Currency Loan from Axis Bank | 8,935.25 | 8,129.83 |
| Security Deposits | 260.63 | 140.98 |
| Retention Money Payable | 350.98 | 675.38 |
| Amount Payable to Employees | 0.48 | 0.84 |
| Other Liabilities | 198.86 | 219.95 |
| Total | 12,047.45 | 11,468.23 |

18. Provisions

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Non- Current FOR EMPLOYEE BENEFITS | | |
| Leave Encashment | 0.00 | 0.00 |
| Gratuity | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |
| Current FOR EMPLOYEE BENEFITS | | |
| Leave Encashment | 7.65 | 5.21 |
| Gratuity | 11.79 | 20.09 |
| Performance Related Pay | 200.00 | 299.10 |
| Sub Total (A) | 219.44 | 324.40 |
| OTHER | | |
| Expenses | | |
| - Revenue | 748.79 | 583.73 |
| - Capital | 65.27 | 366.97 |
| Sub Total (B) | 814.06 | 950.70 |
| Total(A+B) | 1,033.50 | 1,275.11 |

19. Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Non-Current | | |
| Income Received in Advance | 6,956.78 | 7,494.71 |
| Advance Lease Charges | 781.21 | 826.21 |
| Other Liabilities | 0.00 | 1,827.43 |
| Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits | 588.85 | 604.06 |
| Government Grant | 8.14 | 27.81 |
| Total | 8,334.98 | 10,780.21 |
| Current | | |
| Income Received in Advance | 814.61 | 597.00 |
| Other Statutory Payables | 1,313.69 | 2,034.46 |
| Advance Received from Customers | 1,981.23 | 1,353.66 |
| Advance Lease Charges | 45.00 | 45.00 |
| Total | 4,154.53 | 4,030.12 |

Income received in advance of Rs.6956.78 lakhs under Non-Current includes an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20. Trade Payables

(Rupees in lakhs)

| Particulars | As at Mar 31, 2020 | As at Mar 31, 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| Total outstanding dues of micro and small scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ` Nil/-) | 0.00 | 0.00 |
| Total outstanding dues of Medium scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ` Nil/-) | 0.00 | 0.00 |
| Others | 1,229.15 | 5,523.20 |
| Total | 1,229.15 | 5,523.20 |

21. Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Lease Income | | |
| Composite Tariff on Coal | 21,361.49 | 25,568.34 |
| Estate Income | 4,473.35 | 3215.36 |
| Revenue Share | 19,182.64 | 20,454.02 |
| Marine Services | | |
| Vessel Related Income | 17,616.88 | 16,318.16 |
| Cargo Related Service | | |
| Wharfage | 6,922.01 | 50,88.82 |
| Royalty | 622.36 | - |
| Other Operating Revenues | | |
| Other Services | 138.76 | 153.51 |
| Total | 70,317.50 | 70,798.21 |

22. Other Income

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Interest from Banks | 415.85 | 45.40 |
| Interest on Staff Advances | 42.61 | 34.98 |
| Interest - Others | 164.68 | 210.57 |
| Short Term Gain from Mutual Fund | 148.83 | 349.55 |
| Dividend received | 51.01 | 0.00 |
| Other non operating income | | |
| Sale of Tender Documents | 0.08 | 0.15 |
| Personnel & Vehicle Entry Pass | 65.76 | 75.18 |
| Profit on sale of Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Liquidated Damages | 1,892.30 | 0.00 |
| Other Income | 269.37 | 202.89 |
| Total | 3,050.49 | 918.73 |

Liquidated damages represents Rs.1892.30 lakhs received from BOT Operators for delay in commissioning of operations.

Other income includes a sum of Rs.19.66 lakhs being depreciation charged on the asset (Oil Spill Response Equipment) shown under Plant & Machinery procured out of Government Grant as per accounting policy of the Company.

23. Operating Cost

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Time Charter Crafts | 3,293.86 | 3139.16 |
| Consultancy Services - Operations | 364.85 | 213.89 |
| Power & Water charges | 215.90 | 224.96 |
| Environment | 473.75 | 264.26 |
| Research & Development Expenses | 0.00 | 6.42 |
| Fuel Expense | 769.46 | 833.03 |
| Manning Services | 646.55 | 603.56 |
| Survey & Maintenance Dredging | 8.58 | 13.22 |
| Pilotage Expense | 0.00 | 0.00 |
| Repairs and Maintenance | 815.62 | 906.23 |
| Maintenance Dredging | 94.12 | 0.00 |
| Incentive | 1,231.23 | 1,986.95 |
| Insurance | 244.96 | 116.48 |
| Total | 8,158.88 | 8,308.15 |

24. Employee Benefits

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Salaries and Wages | 1,400.68 | 1,369.93 |
| Contribution to Provident Fund | 117.17 | 105.07 |
| Staff Welfare expenses | 21.98 | 7.24 |
| Performance Related Pay | 152.99 | 100.00 |
| Employee Medical expenses | 75.30 | 85.72 |
| Terminal Benefits | 290.71 | 315.99 |
| Total | 2,058.83 | 1,983.95 |

25. Finance Cost

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Interest Expense : | | |
| - From Banks | 1,038.42 | 2,224.22 |
| - Tax Free Bonds - 2012-13 | 686.11 | 685.43 |
| - Tax Free Bonds - 2013-14 | 3,225.18 | 3,233.72 |
| - Others | 2,780.64 | 2,724.86 |
| Other Borrowing Costs : | | |
| - Tax Free Bond Expenses | 9.32 | 5.85 |
| Net loss on Foreign currency transaction and translation to the extent treated as Borrowing costs. | 725.17 | 240.85 |
| Total | 8,464.84 | 9,114.93 |

26. Depreciation And Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Depreciation / Amortisation for the year | | |
| Tangible Assets | 4,975.92 | 4,520.41 |
| Right- of- Use Assets | 86.02 | 88.35 |
| Intangible Assets | 151.10 | 147.99 |
| Total | 5,213.04 | 4,756.75 |

27. Other Expenses

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| AMC - Software Expenses | 65.52 | 36.61 |
| Auditors' remuneration | | |
| - Statutory audit | 3.00 | 3.00 |
| - Tax Audit Fees | 0.50 | 0.50 |
| - Payment for other Services | 0.50 | 0.59 |
| - Reimbursement of expenses | 0.30 | 0.30 |
| Books and periodicals | 2.75 | 1.93 |
| Electricity & Water Charges | 122.86 | 99.34 |
| Legal & Professional Charges | 165.46 | 171.28 |
| Miscellaneous Expense | 124.42 | 149.78 |
| Printing and stationery | 17.19 | 32.34 |
| Rent, Rates & Taxes | 55.38 | 81.61 |
| Safety & security expenses | 1,277.89 | 1,043.35 |
| Seminars & conference expenses | 15.64 | 14.45 |
| Corporate Social Responsibility Expenses | 810.54 | 468.65 |
| Subscription & Membership fees | 119.58 | 155.92 |
| Communication Expenses | 62.22 | 73.83 |
| Travelling and conveyance | 44.71 | 38.65 |
| Vehicle running expenses | 294.73 | 300.10 |
| Advertising and promotional expenses | 47.59 | 116.86 |
| Foreign Exchange Fluctuation Loss | 688.16 | 1,199.50 |
| R & M Office | 331.44 | 338.90 |
| Total | 4,250.38 | 4,327.49 |

Corporate Social Responsibility Expenses

- (a) Gross amount required to be spent by the Company during the year
 (b) Amount spent during the year on :

(Rupees in lakhs)

| Particulars | In Cash | Yet to be paid in cash |
|--|---------------|------------------------|
| Construction / acquisition of any asset on purposes other than (i) above | 0.00 | 0.00 |
| | 810.54 | 0.00 |
| | 810.54 | 0.00 |

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Interest paid on Arbitration/ Service tax | 144.27 | 8383.04 |
| Creek Maintenance | 161.63 | 457.72 |
| Service Tax Deposit - Dispute settlement | 117.42 | 0.00 |
| Total | 423.32 | 8840.76 |

Interest on arbitration claims settled during the year with ECPP contractor, M/s. Afcons as per the guidelines of Niti Aayog is shown under Exceptional items.

29. Earnings per Share

| Particulars | For the year ended Mar 31, 2020 | For the year ended Mar 31, 2019 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Total Comprehensive Income for the Year | 2492549819 | 3401590685 |
| Weighted average number of shares - Basic | 300000000 | 300000000 |
| Weighted average number of shares - Diluted | 300000000 | 300000000 |
| Earnings per Share - Basic | 8.31 | 11.34 |
| Earnings per Share - Diluted | 8.31 | 11.34 |

Note 30 : Disclosure Notes

1. Commitments:

Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs.23175.21 lakhs (Previous Year. Rs.30598.59 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | 2019-20 | 2018-19 |
|--------------------------|---------|---------|
| Audit Fees | 3.00 | 3.00 |
| Tax Audit Fees | 0.50 | 0.50 |
| Certification fees | 0.50 | 0.50 |
| Reimbursements: | | |
| - Out of Pocket Expenses | 0.30 | 0.30 |
| - Service Tax / GST | 0.09 | 0.09 |

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2020:

(In Rs. Lakhs)

| Sl. | Particulars | 2019-20 | 2018-19 |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon | Nil | Nil |
| 2 | Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day; | Nil | Nil |
| 3 | Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; | Nil | Nil |
| 4 | Amount of interest accrued and remaining unpaid | Nil | Nil |
| 5 | Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. | Nil | Nil |

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments

5.1 Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Rupees in Lakhs)

| Sl. | Particulars | 2019-20 | 2018-19 |
|----------|--|----------|----------|
| A | Expenditure in Foreign currency on: | | |
| | i. Professional and consultancy fee | - | - |
| | | - | 0.22 |
| | ii. Tours and Travels | 1,038.42 | 2,224.22 |
| | iii. Interest on FCL including Hedging | - | - |
| | iv. Others | | |
| B | Earnings in Foreign Exchange | 15.15 | Nil |

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

| Particulars | Amortized cost | Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss | Financial assets/ liabilities at fair value through OCI | Total carrying value | Total fair value |
|--|----------------|---|---|----------------------|------------------|
| Assets: | | | | | |
| Non-current Investment (Ref Note No.7) | - | - | 4,148.04 | 4,148.04 | 4,148.04 |
| Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13) | 9,920.80 | - | - | 9,920.80 | 9,920.80 |
| Trade Receivable (Ref Note No. 12) | 4,816.59 | - | - | 4,816.59 | 4,816.59 |
| Loans and Advances (Ref Note No. 8) | 461.68 | - | - | 461.68 | 461.68 |
| Other Financial Assets (Ref Note No. 9) | 370.54 | - | - | 370.54 | 370.54 |
| Liabilities: | | | | | |
| Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16 & 17) | 25,108.75 | - | - | 25,108.75 | 25,108.75 |
| Tax Free bonds (Ref Note No. 16) | 45,845.69 | - | - | 45,845.69 | 45,845.69 |
| Loan from Axis Bank (Ref Note No.16 & 17) | 17,804.15 | - | - | 17,804.15 | 17,804.15 |
| Trade Payables (Ref Note No. 20) | 1,229.15 | - | - | 1,229.15 | 1,229.15 |
| Other Financial Liabilities (Ref Note No.17) | 1,377.10 | - | - | 1,377.10 | 1,377.10 |

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2019)

| Particulars | Amortized cost | Financial assets / liabilities at fair value through profit or loss | Financial assets/ liabilities at fair value through OCI | Total carrying value | Total fair value |
|--|----------------|---|---|----------------------|------------------|
| Assets: | | | | | |
| Non-current Investment (Ref Note No.7) | - | - | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 |
| Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13) | 3,183.93 | - | - | 3,183.93 | 3,183.93 |
| Trade Receivable (Ref Note No. 12) | 3,038.16 | - | - | 3,038.16 | 3,038.16 |
| Loans and Advances (Ref Note No. 8) | 418.07 | - | - | 418.07 | 418.07 |
| Other Financial Assets (Ref Note No. 9) | 187.01 | - | - | 187.01 | 187.01 |
| Liabilities: | | | | | |
| Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16 & 17) | 27,410.00 | - | - | 27,410.00 | 27,410.00 |
| Tax Free bonds (Ref Note No. 16) | 45,822.47 | - | - | 45,822.47 | 45,822.47 |
| Loan from Axis Bank | 24,394.64 | - | - | 24,394.64 | 24,394.64 |
| Trade Payables (Ref Note No. 21) | 5,523.20 | - | - | 5,523.20 | 5,523.20 |
| Other Financial Liabilities (Ref Note No.17) | 220.79 | - | - | 220.79 | 220.79 |

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following tables presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year 31.03.2020 | | | | For the year 31.03.2019 | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|-------|-------------------------|---------|---------|-------|
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total |
| Financial Assets | | | | | | | | |
| Investments in unquoted equity instruments | - | - | 4,123 | 4,123 | - | - | 4,123 | 4,123 |

5.3 Financial risk management

Financial risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The Company does not have price risk on its financial instruments since Company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk:

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The Company has availed Foreign Currency Loan of USD 47 Million out of sanctioned loan of USD 100 Million from Axis Bank in four tranches @ LIBOR plus 195 BPS during the year 2017-18. However, LIBOR rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk.

Further, the Company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

As at the reporting date, the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments are as follows:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | 31 st Mar 2020 | 31 st Mar 2019 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fixed Rate Instruments | | |
| Financial Asset | | |
| - Fixed Deposit with Bank | 7,000.00 | 1,500.00 |
| - Employee Advance | 459.27 | 400.24 |
| Financial Liabilities | | |
| - Tax Free Bonds | 45,845.69 | 45,822.87 |
| Variable Rate Instruments | | |
| - Loan from Chennai Port Trust | 25,108.75 | 27,410.00 |
| - Foreign Currency Loan | 17,804.15 | 24,394.64 |

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the Company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the Company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The Company has outstanding trade receivables amounting to Rs.4676.15 Lakhs and 3038.16 Lakhs as of March 31, 2020 and March 31, 2019, respectively. Trade receivables are typically unsecured and are derived from revenue accrual from customers.

Since most of the port services are rendered on pre recovery basis by collecting in advance accumulation of such debts are insignificant. Provision for disputed debts arising on account of interpretation of certain clauses in the concessionaire agreements, are reviewed at each balance sheet date and provided for on a case to case basis.

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | March 31, 2020 | | March 31, 2019 | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Gross | Impairment | Gross | Impairment |
| Not past due | | | - | |
| Past due less than three months | 2,791.23 | - | 3,034.85 | - |
| Past due more than three months but not more than six months | 1,166.47 | - | 0.20 | - |
| Past due more than six months but not more than one year | 4.40 | - | 3.11 | - |
| More than one year | 2,154.57 | 1,299.74 | 1,299.74 | 1,299.74 |
| Total | 6,116.67 | 1,299.74 | 4,337.90 | 1,299.74 |

Provision for impairment of trade receivables on a case to case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the Company or is based on likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the

concessionaire agreements. The Company considers all other financial assets which are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the Company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port trust, Tax Free Bonds, and Foreign Currency Loan from Axis Banks, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

| Particulars | Less than 6 months | 6 months to 1 year | 1-3 years | 3-5 years | More than 5 years | Total |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Chennai Port Trust Loan | 1,150.62 | 1,150.62 | 4,602.48 | 4,602.48 | 13,602.56 | 25,108.76 |
| Loan from Axis bank | 4,467.63 | 4,467.63 | 8,868.90 | - | - | 17,804.15 |
| Tax Free Bonds | - | - | - | 8,293.34 | 37,552.35 | 45,845.69 |
| Retention money | - | 350.98 | 290.18 | - | - | 641.16 |
| Security Deposits | - | 260.63 | 275.97 | - | - | 536.60 |
| Trade Payables | - | 1,229.15 | - | - | - | 1,229.15 |
| Other Liabilities | - | 199.34 | - | - | - | 199.34 |
| Total | 5,618.25 | 7,658.35 | 14,037.53 | 12,895.82 | 51,154.91 | 91,364.86 |

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2019)

| Particulars | Less than 6 months | 6 months to 1 year | 1-3 years | 3-5 years | More than 5 years | Total |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Chennai Port Trust Loan | 1,150.62 | 1,150.62 | 4,602.48 | 4,602.48 | 15,903.8 | 27,410.00 |
| Loan from Axis bank | 4,064.92 | 4,064.91 | 16,264.82 | - | - | 24,394.65 |
| Tax Free Bonds | - | - | - | 8,293.34 | 37,529.13 | 45,822.47 |
| Retention money | - | 675.38 | 33.45 | - | - | 708.83 |
| Security Deposits | - | 140.98 | 265.87 | - | - | 406.85 |
| Trade Payables | - | 5,523.20 | - | - | - | 5,523.20 |
| Other Liabilities | - | - | 220.79 | - | - | 220.79 |
| Total | 5,215.54 | 11,555.09 | 21,387.41 | 12,895.82 | 53,432.93 | 1,04,486.79 |

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates"

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss Rs.688.16 lakhs (P.Y.Rs. 1199.50 Lakhs) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 "Impairment of assets"

During the year, the Company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial year (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"

(Rupees in Lakhs)

| Grant received for | 2019-20 | 2018-19 |
|------------------------------|------------|------------|
| Government Grants | Nil | Nil |
| Total Grants Received | Nil | Nil |

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

a. General description of various employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund:

The Company's Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The Company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the Company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the Company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life

Insurance Corporation of India as per the demand made by them. The recognition of net obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @ 12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The Company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the Company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income(OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|---|------|-------------------|----------------|
| Defined Benefit Obligation | C.Y. | 354.38 | 315.72 |
| | P.Y. | 232.58 | 226.48 |
| Fair Value of Plan Assets | C.Y. | 346.74 | 303.93 |
| | P.Y. | 211.64 | 221.27 |
| Funded Status [Surplus/ (Deficit)] | C.Y. | (7.64) | (11.79) |
| | P.Y. | (20.09) | (5.21) |
| Effect of asset ceiling | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| Net Defined Benefit Assets/(Liabilities) | C.Y. | 7.64 | (11.79) |
| | P.Y. | (20.09) | (5.21) |

Movement in defined benefit obligation

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|--|------|-------------------|----------------|
| Defined benefit obligation - Beginning of the year | C.Y. | 272.70 | 226.48 |
| | P.Y. | 232.28 | 223.98 |
| Current service cost | C.Y. | 33.53 | 16.07 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| Interest Cost | C.Y. | 20.88 | 17.55 |
| | P.Y. | 16.26 | 14.78 |
| Benefits Paid | C.Y. | (6.61) | 0 |
| | P.Y. | 0 | (25.54) |
| Re-measurements actuarial loss/(gain) | C.Y. | 23.72 | (30.67) |
| | P.Y. | (4.35) | (6.55) |
| Defined benefit obligation – End of the year | C.Y. | 354.38 | 315.72 |
| | P.Y. | 272.69 | 226.47 |

Movement in plan asset

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|--|------|-------------------|----------------|
| Fair value of plan assets at beginning of year | C.Y. | 346.73 | 221.27 |
| | P.Y. | 252.60 | 218.98 |
| Interest income | C.Y. | 22.39 | 19.63 |
| | P.Y. | 14.81 | 15.47 |
| Employer contributions | C.Y. | 79.34 | 64.04 |
| | P.Y. | 23.62 | 11.37 |
| Benefits paid | C.Y. | (6.61) | 0 |
| | P.Y. | 0 | (25.54) |
| Re-measurements – Return on plan assets | C.Y. | (0.99) | (1.01) |
| | P.Y. | 2.52 | 1.00 |
| Fair value of plan assets at end of year | C.Y. | 346.74 | 303.93 |
| | P.Y. | 252.60 | 221.26 |

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|------------------------------------|------|-------------------|----------------|
| Current service cost | C.Y. | 33.53 | 16.08 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| Past Service Cost – Plan Amendment | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| Curtailment cost/(credit) | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|---|------|-------------------|----------------|
| Settlement cost/(credit) | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| Service Cost (A) | C.Y. | 33.53 | 16.08 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| Net Interest on Net Defined Benefit Liability/ (assets) (B) | C.Y. | (1.52) | (2.08) |
| | P.Y. | 1.44 | (0.68) |
| Cost Recognized in P&L (A+B) | C.Y. | 32.01 | 14.00 |
| | P.Y. | 29.94 | 19.12 |

Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2020)

| Assumption | Change in Assumption | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Discount rate | +1.00% | 325.58 | 303.25 |
| | -1.00% | 387.92 | 329.40 |
| Salary growth rate | +1.00% | 386.10 | 329.33 |
| | -1.00% | 325.68 | 303.06 |
| Withdrawal rate | +1.00% | 358.57 | 316.75 |
| | -1.00% | 349.70 | 314.59 |

(Rupees in Lakhs as of March 31, 2019)

| Assumption | Change in Assumption | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Discount rate | +1.00% | 251.10 | 210.50 |
| | -1.00% | 297.71 | 244.83 |
| Salary growth rate | +1.00% | 297.57 | 246.31 |
| | -1.00% | 250.87 | 208.96 |
| Withdrawal rate | +1.00% | 277.96 | 234.16 |
| | -1.00% | 266.77 | 217.95 |

Actuarial Assumption

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|------------------------------|------|-------------------|----------------|
| Method used | C.Y. | PUC | PUC |
| | P.Y. | PUC | PUC |
| Discount rate | C.Y. | 6.75% | 6.75% |
| | P.Y. | 7.75% | 7.75% |
| Rate of salary increase | C.Y. | 5% | 5% |
| | P.Y. | 5% | 5% |
| Rate of return of plan Asset | C.Y. | 6.75% | 6.75% |
| | P.Y. | 7.75% | 7.75% |
| Withdrawal Rate | C.Y. | 1% to 3% | 1% to 3% |
| | P.Y. | 1% to 3% | 1% to 3% |
| Retirement Age | C.Y. | 60 Years | 60 Years |
| | P.Y. | 60 Years | 60 Years |

| Particulars | | Gratuity (Funded) | Leave (Funded) |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Average Future Service | C.Y. | 16.05 | 16.05 |
| | P.Y. | 16.14 | 16.14 |
| Mortality rate | C.Y. | IALM (2012-14) Table | IALM (212-14) Table |
| | P.Y. | IALM (2006-08) Table | IALM (2006-08) Table |
| | C.Y. | No explicit loading | No explicit loading |
| Disability Rate | P.Y. | | |

Category of investment in Plan assets

| Category of Investment | % of fair value of plan assets |
|------------------------|--------------------------------|
| Insurance Policies | 100% |

10. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS)-108:“Operating Segments”

The Company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10 per cent or more of Company’s revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the Company’s revenues

(Rupees in Lakhs)

| Customer | For the year ended 31 March 2020 | For the year ended 31 March 2019 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| TANGEDCO | 14,990.94 | 15,986.47 |
| NTECL (JV of Tangedco & NTPCL) | 8,338.10 | 9,581.87 |
| Chettinad International Coal Terminal Private Limited | 12,023.54 | 13,499.73 |

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 “Borrowing Costs”

Borrowing costs capitalised during the year is **Rs. Nil (Previous Year Rs.205.70 lakhs)** in the respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 “Related Parties Disclosures”

a. Disclosures for Other than Govt. Related Entities

a. List of Related parties:

Key Managerial Persons:

| Name | Designation |
|-----------------------------|---|
| Shri Sunil Paliwal, IAS., | Chairman-cum-Managing Director (From 16.09.2019) |
| Shri P. Raveendran, IRTS., | Chairman-cum-Managing Director (Upto 15.09.2019) |
| Shri M. Gunasekaran, | General Manager (Finance) cum CFO |
| Smt. Jayalakshmi Srinivasan | Company Secretary |

Other Entities:

▪ M/s. Kanniyakumari Port Limited

Compensation of key management personnel

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Remuneration and Short-term benefits | 94.61 | 48.84 |
| Post-employment benefits | 8.61 | 7.79 |
| Other long-term benefits | - | - |
| Share-based payments | - | - |
| Termination benefits | - | - |
| Sitting fee | - | - |
| Total | 103.22 | 56.63 |
| Recovery of Loans & Advances during the year | - | - |
| Advances released during the year | - | - |
| Closing Balance of Loans & Advances | - | - |

* Shri.P.Raveendran, IRTS., Chairman, Chennai Port Trust is given Additional Charge as Chairman cum Managing Director of KPL from 13.06.2018 to 15.09.2019. Hence his remuneration is not included.

b. Chennai Port trust**Transaction with other related parties:**

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Interest Paid | 2,758.93 | 2,656.07 |
| Loan Repaid | 2,301.25 | 2,301.25 |
| Lease Rent Expenses | 40.31 | 39.98 |
| Project Management Services | 47.75 | 93.96 |
| Advance Lease Rent | 193.76 | 88.34 |
| Dividend paid for FY 1819 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Interim Dividend paid for FY 1819 | - | 1,500.00 |
| CSR Expenses | - | 100.00 |
| Others | 49.11 | 7.52 |
| Closing Balance of Term Loan | 25,108.75 | 27,410.00 |

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 17 "Leases"**a. Operating lease****i) As a Lessee**

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Not later than 1 year | 15.48 | 40.55 |
| Later than 1 year and not later than 5 years | 11.47 | 36.72 |
| Later than 5 years | - | - |

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum lease payments * | 40.55 | 128.89 |

*Includes portion of upfront lease payment charged off.

Leasing arrangement:

The Company has leased Motor Vehicles for the use of officials. The lease has been taken for four years. The Company has leased office premises for 30

years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Not later than 1 year | 2,421.13 | 2,305.84 |
| Later than 1 year and not later than 5 years | 14,047.20 | 13,378.29 |
| Later than 5 years | 56,508.51 | 59,598.56 |

- Leasing arrangement:

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence / Concession Agreement. The Company leased out water front and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"**a) Basic EPS**

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company | 24,925.51 | 34,015.91 |
| Earnings used in calculation of basic earnings per share(A) | 24,925.51 | 34,015.91 |
| Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B) | 30,00,00,000 | 30,00,00,000 |
| Basic EPS(A/B) – Rs. | 8.31 | 11.34 |

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | For the year ended March 31, 2020 | For the year ended March 31, 2019 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company | 24,925.51 | 34,015.91 |
| Earnings used in calculation of basic earnings per share(A) | 24,925.51 | 34,015.91 |
| Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B) | 30,00,00,000 | 30,00,00,000 |
| Basic EPS(A/B) | 8.31 | 11.34 |

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Contingent Liabilities

(i) Disputed Tax demand:

Disputed tax matters amounting to Rs. 910.74 lakhs (Previous year Rs.2036.98 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) ECPP Liabilities :

The claim made by the contractor during the construction of Port is pending with Appellate authorities amounting to Rs. Nil (Previous year Rs.323.30 lakhs). During the year, the Company has settled the claim with the approval of competent authority.

(iii) Contract / supply works:

Some of the contractors for construction / supply and execution of works at our projects have made claims on the Company aggregating to Rs. 11308.00 lakhs (Previous Year : 16059.87 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the Company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts.

The Company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | 2019-20 | 2018-19 |
|---|------------------|------------------|
| Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt | 910.74 | 2,036.98 |
| Claims against the Company not acknowledged as debt | 834.60 | - |
| - NGT | - | 323.30 |
| - ECPP Liabilities | 11,308.00 | 16,059.89 |
| - Contract / supply works | | |
| Total | 13,053.34 | 18,420.17 |

16. Confirmation of balances:

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, Service tax input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and Reconciliation.

17. Capital Management:

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. Net debt comprises of long term and short term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Rupees in Lakhs)

| Particulars | As at 31 st March, 2020 | As at 31 st March, 2019 |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Debt | 88,758.58 | 97,627.11 |
| Less : Cash and cash equivalent | 9,920.80 | 3,183.95 |
| Net Debt | 78,837.78 | 94,443.18 |
| Total Equity | 2,37,906.66 | 2,22,104.30 |
| Net debt to equity ratio | 33.14% | 42.52% |

18. Note on COVID 19

Coronavirus (COVID-19) has been described as an unprecedented Human, Economic and Financial

Crisis facing the world. This pandemic has resulted in widespread economic uncertainty and disruption of businesses.

Government of India had issued order No.40-3/2020 DM-I(A) dated 24.3.2020 to impose lockdown for a period of 21 days to contain COVID 19 pandemic in the country. Government of India has further extended the lockdown up to 3rd May 2020 and thereafter in Containment Zones up to 30th June permitting all activities outside containment zones in a phased manner.

Since the pandemic and consequent lockdown have disturbed the economic activities towards the end of the Financial year 2019-20, there was no significant impact in the Financials of 2019-20.

The economic effect of COVID 19 would be felt significantly from the FY 2020-21. Although the Ministry of Home Affairs (MHA) has released a fresh order dated 30th May with revised guidelines to regulate different activities based on the risk

profiling of the districts of the country and permit unrestricted inter-state and intra-state movement of persons and goods, however, due to reduced demand and decrease in production, the impact on domestic and EXIM trade will be expected in short to medium term.

Ports are also expected to experience reduced traffic volumes decreasing the overall utilisation level and revenues in short to medium term.

Ministry of Shipping issued series of directions/guidelines to major ports to extend certain Exemptions/Remission to EXIM trade and the impact of these Exemptions/ Remission will be known in the FY 2020-21.

19. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

20. Approval of financial statements

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on 29th June 2020.

For KAMARAJAR PORT LIMITED

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman cum Managing Director
DIN : 01310101

M. GUNASEKARAN
Chief Financial Officer & Compliance Officer

P. RAVEENDRAN
Director
DIN : 07640613

JAYALAKSHMI SRINIVASAN
Company Secretary

For B. THIAGARAJAN & CO.,
Chartered Accountants,
FRN . 004371S

RAM SRINIVASAN
Partner, M.No. 220112
UDIN: 20220112AAAABG1939

Place: Chennai
Date : 29th June 2020



कामराजर पोर्ट लिमिटेड
(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)
(CIN : U45203TN1999GOI043322)

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-20



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मंडल

| निदेशक मंडल | डिन |
|---|----------|
| श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक | 01310101 |
| श्री पी. रवीन्द्रन, नामांकित निदेशक - सिएचपीटी | 07640613 |
| श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, नामांकित निदेशक - सिएचपीटी | 07526368 |
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक | 02435597 |
| कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, नामांकित निदेशक | 03531392 |
| श्रीमती सरला बालगोपाल, नामांकित निदेशक | 01572718 |

प्रमुख अधिकारी

श्री संजय कुमार,
महाप्रबंधक (सीएस और बीडी)
श्री एम.गुणसेकरन,
महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ
कैप्टन ए.के. गुप्ता,
महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)
श्री वी. कृष्णस्वामी,
महाप्रबंधक (संचालन)
श्री पी. राधाकृष्णन,
उप महाप्रबंधक (सिविल)
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

डिबेंचर ट्रस्टी

- एसबीएसपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
मिस्ट्री भवन 4 वि तल,
122, दिनशॉ वाचा रोड,
चर्चगेट, मुंबई - 400 020
फोन: 022 - 43025555 / फैक्स: 022 - 43025500
- कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड,
जीडीए हाउस, प्लॉट नंबर 85,
भुसारी कॉलोनी (दाएं),
पौड रोड, पुणे - 411 038
फोन: 020 - 25280081 / फैक्स: 020 - 25280275

डिपॉजिटरीस

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

डिन

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल
जवाहर बिल्डिंग,
17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001.
फोन : 044 - 25251666-70 / फैक्स: 044 - 25251665

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी - 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083
फोन: 022 - 49186000 / फैक्स: 022 - 49186060

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स बी. थियागराजन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आंतरिक लेखाकार

मैसर्स जोसेफ और राजाराम
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स

एक्सिस बैंक
आंध्रा बैंक
स्टेट बैंक आफ इंडिया
इंडियन बैंक


उद्देश्य व लक्ष्य

उद्देश्य

“भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना”

लक्ष्य

“अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना”





कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मंडल

(10.11.2020 तक)



श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



श्री पी. रवीन्द्रन, आईआरटीएस
नामांकित निदेशक



श्री एस. बालाजी अरुणकुमार,
आईआरटीएस
नामांकित निदेशक




श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए,
डिआईएसए (आईसीएआई)
स्वतंत्र निदेशक




कैप्टन अनूप कुमार शर्मा,
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती सरला बालगोपाल,
आईआरटीएस, (रिटायर्ड)
स्वतंत्र निदेशक



पिछले पांच वर्षों के दौरान परिचालन आय और पीबीटी



पिछले पांच वर्षों के दौरान संचालित कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन - 2019-20

सूची

| | |
|---|----|
| अध्यक्ष का अभिभाषण | 8 |
| सूचना | 11 |
| मंडल की रिपोर्ट | 18 |
| सीएसआर गतिविधियाँ..... | 32 |
| सचिवीय लेखा रिपोर्ट..... | 46 |
| कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट..... | 50 |
| प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण..... | 57 |
| नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ | 63 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 65 |
| संपत्तियों व देयताओं का विवरण..... | 72 |
| लाभ और हानि का विवरण | 73 |
| नकदी प्रवाह विवरण | 74 |
| वित्तीय विवरण के लिए नोट्स | 76 |

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, कामराजर पोर्ट लिमिटेड की 20वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। आशा है कि आपने कंपनी की 20 वीं वार्षिक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण शामिल थे, साथ ही वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और समीक्षा भी है।

जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 28 फरवरी, 2019 को एकल स्तरीय प्रक्रिया में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को कामराजर पोर्ट लिमिटेड में भारत सरकार के 100% इक्विटी शेयरों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सिद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट अनुमोदन के अनुपालन में, वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के सहित पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से (कंपनी के चुकता शेयर पूंजी का 66.67% का प्रतिनिधित्व) भारत सरकार द्वारा आयोजित आपकी कंपनी की संपूर्ण शेयरहोल्डिंग 27.03.2020 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी थी। शेयर खरीद अनुबंध 25.03.2020 को भारत के राष्ट्रपति और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के बीच निष्पादित किया गया। नतीजतन, आपकी कंपनी सरकारी कंपनी नहीं रही और अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है क्योंकि आपकी कंपनी का 100% चुकता शेयर पूंजी अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पास है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मैं आपकी कंपनी के प्रदर्शन की कुछ मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान भौतिक प्रदर्शन और मुख्य आकर्षण:

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 2018-19 में 34.50 एमडीपीए की तुलना में 31.75 एमडीपीए की कार्गो हैंडलिंग दर्ज की। कंपनी के कार्गो प्रवाह क्षमता की कमी का मुख्य कारण थर्मल कोयले की मांग में कमी है

- क) नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से वैकल्पिक बिजली उत्पादन के कारण टेनजेडको संयंत्रों से मांग में कमी;
- ख) चल रहे टेनजेडको संयंत्रों के चालू होने में देरी;
- ग) टेनजेडको द्वारा अन्य पोर्ट के माध्यम से लगभग 2.00 मिलियन टन थर्मल कोल ऑफ मेडूर पावर प्लांट (एमटीपीएस) का डायवर्जन और कोलिंग की उत्पत्ति से लेकर एमटीपीएस तक रिक के माध्यम से कोयले की सीधी आवाजाही।

कुछ प्रदर्शन इस प्रकार हैं:

- केपीएल और सिएचपीटी ने संयुक्त रूप से 01.07.2019 को पीसीएस 1 एक्स रोड शो किया।
- ऐसयुइसयु मोटर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने 30.09.2019 को जनरल



कार्गो बर्थ के माध्यम से ऑटोमोबाइल के परीक्षण निर्यात की शुरुआत की।

- 15 नवंबर, 2019 को माननीय पोत परिवहन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा सड़क सह गेट कॉम्प्लेक्स, कंटेनर प्री-पार्किंग यार्ड और गेस्ट हाउस जैसे 3 नव पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- कामराजर पोर्ट लिमिटेड में अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में सीएमए सीजीएम द्वारा केपीएल और कोलंबो के बीच फीडर सेवा का पोत कॉल 05.12.2019 को शुरू किया गया है।
- रेनॉल्ट इंडिया ने 24.12.2019 को कामराजर पोर्ट से दक्षिण अफ्रीकी बाजार में 'ट्राइबर' मॉडल कारों का निर्यात शुरू किया।
- सऊदी अरब के नेशनल शिपिंग, मैसर्स बहरी लॉजिस्टिक्स द्वारा 26.12.2019 को एक नई रोरो पोत एम.वी. बहरी जेद्दा के साथ केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ शुरू किया गया।
- केपीएल ने 14.01.2020 को कोल बर्थ सुविधाएं यानी कोल बर्थ नं .3 और 4 के उपयोग के लिए टेनजेडको के साथ एक समझौता किया।

व्यापार करने में आसानी

“व्यापार करने में आसानी” की पहल के एक भाग के रूप में, कंपनी :

- 22.05.2019 को केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ पर रोरो पोत के माध्यम से एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर उपकरण आयात किया गया है।

- विरासत पीओएमएस और एलएमएस सिस्टम को बदलने के लिए एसओपी इआरपी सिस्टम पर एक नया पोर्ट ऑपरेशन सिस्टम (पिओएस) और रियल एस्टेट मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक तकनीकी और बजटीय मंजूरी प्राप्त की है। अगले वित्त वर्ष में कार्यान्वयन के लिए स्लेट, यह पूरे पोर्ट संचालन को कवर करेगा, जिसमें पोत, कार्गो, पोर्ट क्राफ्ट आदि शामिल हैं और यह सभी को एक एकल आईटी प्रणाली में विलय कर देगा।

पूँजीगत व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षमता विस्तार के लिए 102.22 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वर्ष के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्य रु.120 करोड़ था। कंपनी ने वर्ष के दौरान एलएनजी बर्थ के लिए ड्रेजिंग की संपत्ति और आंतरिक सड़कों को पूरा करने की सीमा तक कैपिटल किया।

वित्तीय प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु.703.18 करोड़ की परिचालन आय दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष में रु.707.98 करोड़ की तुलना में रु.4.80 करोड़ की मामूली कमी को दर्शाया गया था। अन्य आय बढ़कर रु. 9.19 करोड़ से बढ़कर रु. 30.50 करोड़ हो गई।

कंपनी ने पिछले वर्ष में रु.432.26 करोड़ की तुलना में रु.452.22 करोड़ के एक उच्च पीबीटी (असाधारण और अपवाद मदों से पहले) की सूचना दी है। पीबीटी (असाधारण और अपवाद मदों के बाद) में वृद्धि रु. 104.14 करोड़ (4.62%) थी।

हालाँकि, कंपनी ने पिछले वर्ष में रु.340.35 करोड़ के मुकाबले रु. 249.03 करोड़ का कम पीएटी रिपोर्ट किया है, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष में प्रदान किए गए अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट की वापसी के प्रति समीक्षाधीन अवधि के दौरान पारित प्रविष्टियों की सुध लेने के कारण और आस्थगित कर पर फिर से काम करना है।

समझौता ज्ञापन प्रदर्शन

वर्ष 2019-20 के लिए प्रदर्शन मापदंडों और लक्ष्यों को स्थापित करने वाले भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30.04.2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू रेटिंग “निष्पक्ष” है।

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 02.12.2019 को नौवहन मंत्रालय के माध्यम से मसौदा उद्यम को सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) को प्रस्तुत किया था। हालाँकि, शिपिंग कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के परिणाम की आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।

लाभांश

2018-19 (अंतरिम और अंतिम लाभांश की ओर) के लिए रु. 4/- प्रति शेयर के तुलना में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 10/- प्रत्येक के कंपनी के इक्विटी शेयरों पर उच्चतम रु. 6/- प्रति शेयर (अर्थात 60%) के लाभांश की सिफारिश करने पर निदेशकों को खुशी है।

नई परियोजनाएं और विकास

आपका पोर्ट अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखता है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने अतिरिक्त छह बर्थ / टर्मिनलों का विकास शुरू किया की है:- कोल को संभालने के लिए तीन बर्थ, लिक्विड कार्गो को संभालने के लिए दो बर्थ, और कटेनर (एईसीटीपीएल फेज II) को संभालने के लिए एक और बर्थ।

कार्गो के आयात / निर्यात के बढ़ते सड़क यातायात आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, आपका पोर्ट दक्षिणी पोर्ट एक्सेस रोड (सड़क को 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ी करने) को वल्लूर से पोर्ट मेन गेट तक टिएनआरडिसी द्वारा रु.195 करोड़ की लागत से निष्पादित कर रहा है। कार्य प्रगति पर है और जून 2022 तक पूरा होना अपेक्षित है।

कोविड -19 के प्रभाव को मापने के लिए किए गए उपाय

आपकी कंपनी शिपिंग और पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मार्गदर्शन में कई सावधानियां बरत रही है ताकि पूरे पोर्ट में कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप को रोका जा सके।

ए. बंदरगाह क्षेत्र के अंदर सभी सामान्य संपर्क बिंदुओं पर नियमित रूप से सेनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक भवन, द्वार, शिल्प, वाहन, कैटीन, व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शामिल हैं।

बी. पोर्ट कर्मचारियों के लिए तापमान की नियमित निगरानी और संबंधित बीओटी ऑपरेटरों द्वारा पोर्ट उपयोगकर्ताओं के कर्मचारियों की निगरानी।

सी. 01.02.2020 के बाद से सभी शिप क्रू को पीएचओ के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है।

डी. पोर्ट हेल्थ ऑफिसर एसओपी के आधार पर हर साइन ऑन/ साइन ऑफ के लिए क्लीयर्स दे रहा है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के मुख्य सिद्धांतों को उच्च प्राथमिकता देती है और मानती है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य निवेशकों की रक्षा करना है; संगठन में उचित, व्यवस्थित और कुशल संचालन वातावरण बनाए रखें। इसके लिए, आपकी कंपनी निदेशक मंडल के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और मानकों का पालन करती है, वित्तीय और गैर-वित्तीय खुलासे जिससे उसके सभी कार्यों और कार्यों में नैतिक मूल्य जुड़ते हैं जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हैं।

आपकी कंपनी का मानना है कि एक कंपनी जो निष्पक्षता, जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता जैसे अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल सिद्धांतों को लागू करती है, आमतौर पर अन्य कंपनियों को पछाड़ देगी और निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होगी, जिनके समर्थन से आगे की वृद्धि को वित्त करने में मदद मिल सकती है।

आपकी कंपनी, एक ऋण सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, सेबी, एसीएसए और कंपनी अधिनियम, 2013 व उसके अंतर्गत बने नियमों द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों का भी पालन करती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सामुदायिक विकास और सेवाओं में योगदान देने में कंपनी सचेत और निरंतर प्रयासरत है। समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की समीक्षा के दौरान, कंपनी ने अपनाई गई सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाएं शुरू की हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने रु. 8.11 करोड़ विभिन्न सीएसआर गतिविधियों जैसे स्कूल भवन का निर्माण, सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण, सरकार खंड का नया खंड का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, पारिस्थितिक संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने आदि में खर्च किए।

महिला सशक्तिकरण

आपकी कंपनी में मानव संसाधन का 17% महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों को संगठन की बेहतरी के साथ-साथ आत्म सुधार के लिए अपनी दक्षता प्रदर्शित करने की सुविधा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षाप्रद और सामुदायिक गतिविधियाँ, जैसे वयस्क शिक्षा,

रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ ज्यादातर पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मिलता है।

स्वीकृत

निदेशक मंडल की ओर से, मैं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और टेनजेडको/टीएनइबी, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार और अन्य केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग, पोर्ट उपयोगकर्ता, बीओटी लाइसेंस / रियायतकर्ता, ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता, बैंकर्स, भारतीय पोर्ट एसोसिएशन और दक्षिणी रेलवे को उनके निरंतर समर्थन, संरक्षण और सद्भावना के लिए उनसे प्राप्त सहयोग की सराहना करता हूँ।

मैं इस अवसर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सचिवालय लेखा परीक्षक का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं बोर्ड के सभी सहयोगियों को बोर्ड की जिम्मेदारियों को पूरा करने और कंपनी को मजबूत बनाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए ईमानदारीपूर्वक उनकी सराहना करता हूँ। अंत में, मैं भी उनके योगदान के लिए कंपनी के सभी स्तरों पर प्रतिभाशाली अधिकारियों और कर्मचारियों की मजबूत टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं कामराजर पोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपका निरंतर समर्थन और संरक्षण चाहता हूँ।

सादर सहित,

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर भवन,
17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

फोन: 044 - 25251666 -70 फैक्स नंबर: 044 - 25251665

वेबसाइट: www.kamarajarport.in, ईमेल: info@kplmail.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार को 16 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11.00 बजे पर निम्नलिखित व्यापार में लेन - देन करने के लिए दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी :

साधारण व्यवसाय

- 31 मार्च, 2020 तक अंकेक्षित तुलन पत्रक, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट और टिप्पणी को प्राप्त, विचार और अपनाने के लिए
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा
- श्री पी. रवीन्द्रन डिन (डिन 07640613) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त और पात्र होते हैं, स्वयं पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव रखा है।
- वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव संशोधन या बिना संशोधन के पारित करने के लिए,

“प्रस्तावित है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्ति किए जाने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल अनुमोदन दिया जाना है और दिया जाता है।”

विशेष व्यापार

- श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (डिन: 01310101) को कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए :

विचार करने और विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर, संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए, साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव :

“प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुपालन में श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस (डिन : 01310101) जिन्हें शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक पिटि-27/12/2017 / पिटि-I / पिई -I (कार्यालय आदेश संख्या 32/2019) दिनांक 19 अगस्त, 2019 के संबंध में 16.09.2019 से बोर्ड द्वारा कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 5 वर्षों की अवधि के लिए 16.09.2019 कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना और किया गया है, इसमें नियुक्ति और / या पारिश्रमिक के नियमों और शर्तों

को बदलने और संशोधित करने के लिए निदेशक मंडल को स्वतंत्रता के साथ इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के लिए अधिनियम की व्याख्या अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में विवरण में वर्णित अनुसार पारिश्रमिक शामिल है जो कंपनी अधिनियम या किसी अन्य वैधानिक संशोधन (ओं) या उसमें परिवर्तन का विषय है और रोटेशन से रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

- श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डिन : 02435597) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए :

विचार करने और विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर, संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए, साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव :

“प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुपालन में श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डिन : 02435597) जिन्हें शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक पिटि-27/30/2017 / पिटि-I / पिई -I दिनांक 06 नवंबर, 2019 के संबंध में बोर्ड द्वारा कंपनी के गैर—आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो अधिनियम की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करती हैं और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए परिशिष्ट अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में विवरण में दिए अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में निर्धारित नियमों व शर्तों और नियुक्ति के संबंध में विवरण दिया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में निर्धारित अनुसार नियम व शर्तों पर 3 वर्षों के लिए 11.11.2019 से कंपनी के गैर—आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा व किया गया है और रोटेशन से रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

- श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डिन : 07526368) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए:

विचार करने और विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर, संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए, साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव :

“प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 और अन्य लागू नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुपालन में श्री एस. बालाजी अरुण कुमार (डिन : 07526368) जिन्हें कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में 04.09.2020 को शामिल किया गया है, जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय रखते हैं जिनकी नियुक्ति के संबंध में विवरण इस वार्षिक आम बैठक की सूचना में परिशिष्ट अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में विवरण दिया गया है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा व किया गया है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।”

8. कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन: 03531392) की नियुक्ति:

विचार करने और विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर, संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए, साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव :

“प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, (डी. आई.एन: 03531392) जिन्हें 10.11.2020 को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) के रूप में पर नियुक्त किया गया है, जो इस वार्षिक आम बैठक तक कार्यालय में हैं और जो अधिनियम की धारा 149 (6) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 102 के अनुसार, जिसकी नियुक्ति के संबंध में विवरण दिया गया है 10.11.2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।”

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 10-11-2020

टिप्पणियाँ:

- क) जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई, 2020 को 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित (सामूहिक रूप से "MCA परिपत्रों" के रूप में सदभित) ने एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। प्रॉक्सी वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं ले सकते। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप, रूट मैप इस सूचना के साथ नहीं दिए गए हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य बैठक के दौरान संकल्पों पर अपने हाथ दिखाकर या पोल के मामले में कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पते के माध्यम से ईमेल भेजकर वोट डाल सकते हैं। उक्त ईमेल केवल कंपनी द्वारा परिचालित निर्दिष्ट ईमेल पते पर भेजे जाएंगे।
- ख) बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वोट करने और अपनी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
- ग) सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के

9. कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (रिटायर्ड) (डीआईएन: 01572718) की नियुक्ति :

विचार करने और विचार करने के लिए उपयुक्त होने पर, संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए, साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव :

“प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 और अन्य लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 01572718) जिन्हें 10.11.2020 को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक हैं और जो अधिनियम की धारा 149(6) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं और इस वार्षिक आम बैठक की सूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 102 के अनुसार विवरण में नियुक्ति के संबंध में विवरण दिया गया है 10.11.2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, रोटेशन के साथ रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी / ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

- घ) सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए हैं, और अनुरोध किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में सदस्यों को उपलब्ध कराए जायेंगे।
- ड) मद न.5-9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के लिए प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है और इस सूचना का एक हिस्सा है।
- च) सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के किसी भी परिवर्तन को तुरंत सूचित करें।
- छ) इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है और इस सूचना का हिस्सा है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश:

1. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब लिंक और लॉग-इन क्रेडेंशियल्स सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजे जाने वाले ई-मेल में प्रदान किया जाएगा।
2. सदस्य मोबाइल / लैपटॉप / डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 की धारा के अनपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) (डिन: 01310101) को पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक पिटि-27/12/2017/पिटि-1/पिई-1 (कार्यालय आदेश संख्या 32/2019) दिनांक 19 अगस्त 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से, या जब तक कि जो भी पहले के हो, के अनपालन में 16.09.2019 से बोर्ड द्वारा कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 27.3.2020 से सरकारी बनाए जाने के लिए कंपनी के अनुपालन में, शोयरधारकों की मंजूरी वार्षिक आम बैठक में प्राप्त की जानी है।

नियुक्ति के प्रतिनियुक्ति पर कार्यकाल, नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं: -

- 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) 16.09.2019 से 15.09.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक प्रतिनियुक्ति की जानी है।
- 2. वेतन:** इस अवधि के दौरान, श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, उसपर प्रतिनियुक्ति (शुल्क) भत्ते के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 (₹.1,44,200-Rs.2,18,200/-) का भुगतान करेगा।
- 3. प्रतिनियुक्ति भत्ता:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) जबकि प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति भत्ते को जहां भी स्वीकार्य है, पाने के पात्र होंगे।
- 4. महंगाई भत्ता:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) केंद्र सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- 5. मकान किराया भत्ता / परिवहन भत्ता:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) को मकान किराया भत्ता / परिवहन भत्ता का भुगतान प्रासंगिक नियमों के तहत कैडर पोस्ट में उनके लिए लागू दरों पर किया जाएगा।
- 6. ट्रांसफर टीए / जॉइनिंग टाइम:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) कामराजार पोर्ट लिमिटेड के नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति पर और प्रत्यावर्तन पर टी.ए. और पद जॉइनिंग के समय के पात्र होंगे और जो एआईएस नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों से कम नहीं होगा। इस खाते का खर्च कामराजार पोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा।
- 7. ड्यूटी पर यात्रा के लिए टीए/डीए:** श्री सुनील पालीवाल आईएस (टीएन: 1993) को कामराजार पोर्ट लिमिटेड के तहत आधिकारिक काम के सिलसिले में उनके द्वारा शुरू की गई यात्रा द्वारा यात्रा चाहे भारत में हो या विदेश में, की यात्रा के लिए कामराजार पोर्ट लिमिटेड यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो अखिल भारतीय सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों से कम नहीं होगा।
- 8. चिकित्सा सुविधाएं:** कामराजार पोर्ट लिमिटेड श्री सुनील पालीवाल आईएस (टीएन: 1993) को देगी उन लोगों से कम नहीं हैं, जो इस विषय पर केंद्र सरकार के नियमों के तहत एक ही स्थिति के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के रूप में स्वीकार्य हैं।
- 9. अवकाश और पेंशन:** प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 और अखिल भारतीय सेवा अधिकारी (डिसिआरबी)

नियम, 1958 द्वारा संचालित होते रहेंगे। प्रतिनियुक्ति के दौरान ली ली गई और समाप्ति के संबंध में संपूर्ण व्यय कामराजार पोर्ट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा। श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) को कामराजार पोर्ट लिमिटेड की किसी भी पेंशन योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 10. भविष्य निधि:** विदेशी सेवा की अवधि के दौरान, श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) एआईएस (भविष्य निधि) योजना की सदस्यता लेते रहेंगे, जिसके लिए ऐसे फंड के नियम के अनुसार वह विदेश सेवा कर रहे थे।
- 11. आचरण, अनुशासन और अपील नियम:** श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 द्वारा शासित होते रहेंगे।
- 12. छुट्टी यात्रा रियायत:** कामराजार पोर्ट लिमिटेड श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टिएन: 1993) को अपने स्वयं के नियमों / विनियमों के तहत स्वीकार्य रूप में अवकाश यात्रा रियायत की अनुमति देगा, बशर्ते ये एएएस (एलडिसि) नियम, 1975 के तहत उनके लिए स्वीकार्य से कम नहीं हैं। इस संबंध में पूरा खर्च कामराजार पोर्ट लिमिटेड को मिलेगा। यह, हालांकि, उन स्थितियों के अधीन है जिस अधिकारी ने पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रतिनियुक्ति के विशेष ब्लॉक वर्ष की अवधि के दौरान रियायत का लाभ नहीं उठाया था।
- 13. विकलांगता अवकाश:** कामराजार पोर्ट लिमिटेड विकलांगता अवकाश, यदि कोई हो के संबंध में छुट्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) को दी गई विकलांगता के कारण (विदेशी सेवा के माध्यम से) भले ही ऐसी विकलांगता हो। विदेशी सेवा की समाप्ति के बाद स्वयं प्रकट होता है। ऐसे मामलों में प्रासंगिक एआईएस नियम लागू होंगे।
- 14. अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान:** कामराजार पोर्ट लिमिटेड फआर 116 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार समय-समय पर लागू होने वाली सेवा अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के सदस्य का पैरेंट कडर का सरकार को भुगतान करेगा। इन योगदानों का भुगतान वर्ष के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से 15 दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष के अंत से पहले विदेशी सेवा के अंत पर, प्रतिनियुक्ति यदि समाप्त होती है पर किया जाना चाहिए। विलंबित भुगतान वित्त मंत्रालय के अधिसूचना संख्या फ.1 (1) - ई. III / 83 तिथि 10 अगस्त, 1983 से जारी निर्देशों के अनुसार ब्याज के भुगतान की देयता को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। संबंधित महालेखाकार, कामराजार पोर्ट लिमिटेड द्वारा अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की दरों का अंतरिम निर्धारण, निर्धारित दरों पर अस्थायी रूप से अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा।
- 15. समूह बीमा:** यदि श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस. (टीएन: 1993) ने 31.12.1981 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 लेने का चयन नहीं किया है, तो एआईएस (समूह बीमा) 1981 की अनुसूची में संलग्न उक्त योजना उन पर लागू होगी। उस मामले में, आवश्यक राशि को बीमा योजना की सदस्यता के अनुसार निर्धारित वेतन

के अनुसार उनके वेतन से काटा जाएगा, जिसे संगठन द्वारा संबंधित महा-लेखाकार को भेज दिया जाएगा। यदि किसी समय सदस्यता की वसूली बकाया राशि में आती है, तो बचत निधि के अभिवृद्धि पर योजना के तहत स्वीकार्य ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।

16. अतिरिक्त मामले : कामराजर पोर्ट लिमिटेड में सेवा और लाभ / सुविधाओं और अनुलाभ की शर्तों से संबंधित सभी मामलों में और उपरोक्त मद 1 से 15 तक कवर नहीं किए गए हैं, श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस (टिएन: 1993) कामराजर पोर्ट लिमिटेड के मौजूदा नियम, विनियम और आदेश द्वारा शासित होंगे।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण | विवरण | |
|--|--|------------------------------|
| जन्म तिथि और आयु | 25/11/1968; 52 साल | |
| शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता | 1. आईआईटी, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक। 2. एम.एस. अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में। 3. बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यू.के से एमबीए | |
| व्यापार / व्यवसाय | कार्यरत | |
| अनुभव | श्री सुनील पालीवाल ने अपने करियर की शुरुआत सब कलेक्टर, कडेलोर जिले के रूप में की और नागपट्टिनम जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कार्य किया। उन्होंने तिरुनेलवेली, थेनी और कन्नियाकुमारी जिलों के कलेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में मैनेजिंग डायरेक्टर, चेन्नै मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सिएमडबल्युएसएसबी), मैनेजिंग डायरेक्टर, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टिएनआरटिसी), मैनेजिंग डायरेक्टर, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सचिव सरकार, वा. गिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग और दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास और प्रबंध निदेशक के लिए आयुक्त, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड (आविन), सरकार के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और सरकार, श्रम और रोजगार के प्रधान सचिव विभाग के रूप में काम किया | |
| केपीएल में प्रतिभूतियां | चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के एक नामित व्यक्ति के रूप में रु. 10/- के 1 इक्विटी शेयर | |
| केपीएल के अन्य निदेशकों/केएमपी के साथ संबंध | लागू नहीं | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकता/सदस्यता | कंपनी का नाम | हित/सम्बंध की प्रकृति |
| | चेन्नै एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड | नामांकित निर्देशक |
| | कन्नियाकुमारी पोर्ट लिमिटेड | नामांकित निर्देशक |
| | सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | नामांकित निर्देशक |
| लिया गया अंतिम पारिश्रमिक | रु. 3,83,739 / - प्रतिमाह | |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया | कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध IV) में प्रदान किया गया विवरण | |

श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस., (डिन: 01310101) रोटेशन द्वारा रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित प्रस्ताव में रुचि रखने वाली माना जाता है। किसी कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार को उक्त प्रस्ताव में रुचि नहीं है। श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस., (डिन: 01310101) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है। श्री सुनील पालीवाल ऐ.ए.एस को बोर्ड या समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैठने की फीस नहीं दी जाएगी।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत रहें। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है क्योंकि इसे शेयरधारकों के ज्ञान में लाया जाना है। निदेशक मंडल साधारण अनुमोदन के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव (डिन: 02435597), को शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक पिटि-27/30/2017-पिटि-I दिनांक 06th नवंबर, 2019 के अनुपालन में परिपत्र प्रस्ताव के द्वारा 11.11.2019 से बोर्ड द्वारा कंपनी के गैर - आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड की राय में, वह अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और इस तरह की नियुक्ति के तहत बनाए गए नियमों को पूरा करती हैं और वह प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। वह कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में हैं।

नियुक्ति का कार्यकाल, नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं: -

शिपिंग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक पिटि-27/30/2017 / पिटि-I दिनांक 06 नवंबर, 2019 के अनुपालन में, उन्हें कामराजर पोर्ट लिमिटेड 11.11.2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण | विवरण | | | | |
|--|---|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| जन्म तिथि और आयु | 10/04/1965; 55 साल | | | | |
| शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता | बी. कॉम, एफ.सी.ए., दीसा (डिप्लोमा) एफ.सी.ए., डीआईएसए (डिप्लोमा) | | | | |
| व्यापार / व्यवसाय | अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट | | | | |
| अनुभव | वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्य हैं और वी.एम.वी.ए. राव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेल्लोर की स्वामी हैं। उनके पास लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और प्रबंधन परामर्श में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह आईसीएआई की एक क्वालिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने आईसीएआई द्वारा संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में योग्यता हासिल की है। वह नेल्लोर / श्री सिटी आदि में विभिन्न प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट संस्थाओं में सलाहकार हैं। वे आईसीएआई की वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (एफआरआरबी) की तकनीकी समीक्षक हैं और अप्रत्यक्ष करों में विशेषज्ञता रखती हैं। वर्तमान में उन्हें ऐसिए के एसएआरसी के अप्रत्यक्ष और जिएसटी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने व्यावसायिक पत्रिकाओं - पीसीएजे, सीएएससी, एसएआरसी आदि में विभिन्न लेख प्रकाशित किए हैं। वह ऐसिए की एसएआरसी की नेल्लोर शाखा के संस्थापक सचिव हैं और नेल्लोर शाखा में शाखा की स्थिति, कंप्यूटर लेब और परीक्षा केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। | | | | |
| केपीएल में प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| केपीएल के अन्य निदेशकों / केएमपी के साथ संबंध | लागू नहीं | | | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकता/सदस्यता | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कंपनी का नाम</th> <th>हित/संबंध की प्रकृति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड</td> <td>निदेशक</td> </tr> </tbody> </table> | कंपनी का नाम | हित/संबंध की प्रकृति | एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | निदेशक |
| कंपनी का नाम | हित/संबंध की प्रकृति | | | | |
| एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | निदेशक | | | | |
| लिया गया अंतिम पारिश्रमिक | लागू नहीं | | | | |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रदान किए गए विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न किया गया है | | | | |

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, (डिन : 02435597) रोटेशन से रिटायर होने के पात्र नहीं होंगी। उन्हें गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित प्रस्ताव में रुचि रखने वाला माना जाता है। कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं। वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं हैं।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के निदेशक के रूप में जारी रहे। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है, इसे शेरधारकों को बताया जाना है।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण | विवरण |
|---|--|
| जन्म तिथि और आयु | 05/06/1971; 49 साल |
| शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता | बी. लॉ |
| व्यापार / व्यवसाय | चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष |
| अनुभव | 1997 बैच (ए.आर.टी.एस) के भारतीय रेलवे यातायात अधिकारी। उन्होंने संचालन, वाणिज्यिक और सुरक्षा विंग में दक्षिणी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे, बिलासपुर में 17 वर्षों तक काम किया। उनके पास ऑपरेशंस, ट्रेफिक प्लानिंग, रेल फ्रेट मार्केटिंग और पैसेंजर टाइम टेबलिंग का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर चेन्नै कॉन्कार में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है। चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने 4 साल से अधिक समय तक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है) के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है और वह कोलकाता के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड के उपाध्यक्ष। वह केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सिएटबल्युटीसी) और हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया है। |
| केपीएल में प्रतिभूतियां | चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के एक नामित व्यक्ति के रूप में रु. 10/- के 1 इक्विटी शेयर |
| केपीएल के अन्य निदेशकों / केएमपी के साथ संबंध | लागू नहीं |

निदेशक मंडल साधारण अनुमोदन के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद नंबर 7

श्री एस. बालाजी अरुणकुमार (डिन : 07526368) को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पत्र क्रमांक सिपेचपीटी/केपीएल सिइएलएल/2020/एफ दिनांक 28.08.2020 और नामांकन व पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के अनुपालन में परिपत्र प्रस्ताव के माध्यम से 04.09.2020 से बोर्ड द्वारा कंपनी के चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट नामांकन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, वह इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करेंगे।

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| अन्य कंपनियों में निदेशकता/सदस्यता | कंपनी का नाम | हित/संबंध की प्रकृति |
| | केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | प्रबंध निदेशक |
| | हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड | निदेशक |
| | भोर सागर पोर्ट लिमिटेड | नामांकित निदेशक |
| | कोलकत्ता पोर्ट एक्विजिशन लिमिटेड | नामांकित निदेशक |
| लिया गया अंतिम पारिश्रमिक | लागू नहीं | |
| वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की संख्या | कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक IV के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। | |

श्री एस. बालाजी अरुणकुमार (डिन: 07526368), कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं और निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित प्रस्ताव में रुचि रखने पर विचार किया जाना है। कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं। वह रोटेशन द्वारा रिटायर होने के पात्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के निदेशक के रूप में जारी रहे। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है क्योंकि इसे शेयरधारकों को लाया जाता है। निदेशक मंडल साधारण अनुमोदन के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण | विवरण | |
|---|--|----------------------------|
| जन्म तिथि और आयु | 21/08/1960; 60 साल | |
| शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता | मास्टर (एफ.जी.); विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा; इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड शिपब्रोकर के फेलो; कार्यकारी बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, आईएसबी हैदराबाद | |
| व्यापार / व्यवसाय | प्रोफेशनल | |
| अनुभव | कैप्टन अनूप कुमार शर्मा भारत सरकार के शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीए) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, 'नवरत्न' पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हैं। इससे पहले वह मैसर्स एस्सार शिपिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। दोनों कंपनियों में अपने नेतृत्व के तहत उन्होंने दक्षता / लाभप्रदता और सुशासन में सुधार के लिए एक विविध नेतृत्व टीम की स्थापना की, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और संतुलित नियंत्रण सुनिश्चित किया। 38 वर्षों में अपने असाधारण करियर के दौरान, उन्हें वर्ष 2019 के 'मैरीटाइम व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया; जीवन भर असाधारण और प्रतिष्ठित उपलब्धि और वरिष्ठ कार्यात्मक स्तर पर प्रदर्शन के लिए "नेशनल मैरीटाइम डे एक्सीलेंस का पुरस्कार, 2019"; भारत, श्रीलंका और मध्य पूर्व में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के लिए "समुद्री मानक उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार, 2018"; भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए "इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स अवार्ड"। वह अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण समितियों की कई उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य हैं। | |
| केपीएल में प्रतिभूतियां | नहीं | |
| केपीएल के अन्य निदेशकों / केएमपी के साथ संबंध | लागू नहीं | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकता / सदस्यता | कंपनी का नाम | हित / पद की प्रकृति |
| | ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | स्वतंत्र निदेशक |
| लिया गया अंतिम पारिश्रमिक | लागू नहीं | |
| वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या | लागू नहीं | |

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, (डिन: 03531392) रोटेशन से रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उन्हें गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित प्रस्ताव संकल्प में रुचि रखने वाला माना जाता है। किसी कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार को उक्त प्रस्ताव में

मद नंबर 8

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन: 03531392) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा 10.11.2020 को बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। वह इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय में है। बोर्ड की राय में, वह अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और इस तरह की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों को पूरा करते हैं और वह प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कार्यकाल, नियुक्ति की शर्तें और नियम:

नियुक्ति 10.11.2020 से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए होगी।

रुचि नहीं है। वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है क्योंकि इसे शेयरधारकों के ज्ञान में लाया जाना है। निदेशक मंडल साधारण अनुमोदन के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद नंबर 9

श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन: 01572718) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश से बोर्ड द्वारा 10.11.2020 पर बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक

उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण | विवरण | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|---|---|
| जन्म तिथि और आयु | 03/11/1955; 65 साल | | | | |
| शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता | एम. ए. (अंग्रेजी लिट) एम.फिल. (सार्वजनिक प्रशासन) | | | | |
| व्यापार / व्यवसाय | सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी | | | | |
| अनुभव | वह 1982 बैच की एक सेवानिवृत्त भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। भारतीय रेलवे में अपने 32 साल के करियर में, उनका पोर्टफोलियो फील्ड स्तर और साथ ही रेलवे बोर्ड में पॉलिसेी मैकिंग स्तर पर विविध और महत्वपूर्ण है। उन्होंने 5 वर्षों तक दक्षिणी रेलवे के वाणिज्यिक विभाग का नेतृत्व किया, जिसके दौरान उन्होंने माल दुलाई की आय बढ़ाने और रेल यात्री इंटरफ़ेस में सुधार करने के लिए कई पहल कीं। वह हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी (एचएमआरटीसी) के पहली सीईओ थे, जो रेल मंत्रालय और कर्नाटक में, बेंगलुरु सरकार का संयुक्त उपक्रम था। उनके कार्यकाल में बेंगलुरु और मैंगलोर के बीच ब्रॉड गेज लिंक चालू किया गया था। उन्होंने रेलवे दरों न्यायाधिकरण, चेन्नै की खंडपीठ में एक सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्हें परिवहन उत्पादों, पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) परियोजनाओं और अनुबंध प्रबंधन की लागत और मूल्य निर्धारण में विशेषज्ञता हासिल है। | | | | |
| केपीएल में प्रतिभूतियां | नहीं | | | | |
| केपीएल के अन्य निदेशकों / केएमपी के साथ संबंध | लागू नहीं | | | | |
| अन्य कंपनियों में निदेशकता / सदस्यता | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कंपनी का नाम</th> <th>हित / पद की प्रकृति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | कंपनी का नाम | हित / पद की प्रकृति | - | - |
| कंपनी का नाम | हित / पद की प्रकृति | | | | |
| - | - | | | | |
| लिया गया अंतिम पारिश्रमिक | लागू नहीं | | | | |
| वर्ष के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या | लागू नहीं | | | | |

श्रीमती सरला बालगोपाल, (डिन: 01572718) रोटेशन द्वारा रिटायर होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। उन्हें गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक प्रस्तावित प्रस्ताव में रुचि रखने वाली माना जाता है। किसी कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार को उक्त प्रस्ताव में रुचि नहीं है। वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 10-11-2020

(गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था। वह कंपनी की इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक कार्यालय हैं। बोर्ड की राय में, वह इस तरह की नियुक्ति के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और वहां बनाए गए नियमों को पूरा करती हैं और वह प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कार्यकाल, नियुक्ति की शर्तें और नियम:

नियुक्ति 10.11.2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वह कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यरत रहें।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जानी है क्योंकि इसे शेयरधारकों के ज्ञान में लाया जाना है। निदेशक मंडल साधारण अनुमोदन के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

मंडल की रिपोर्ट

माननीय सदस्य,

आपके निदेशक को आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की 20वीं वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट साथ में लेखा परीक्षक के खाता विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की खाता समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यंत खुशी हो रही है।

1.0 कामराजर पोर्ट लिमिटेड में भारत सरकार की शेयरधारिता की मजबूत बिक्री:

एकल चरण प्रक्रिया में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को कामराजर पोर्ट लिमिटेड में भारत सरकार के 100% इक्विटी शेयरों के रणनीतिक विनिवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की इन-प्रिसिपल स्वीकृति के अनुपालन में, आपकी कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के सहित शिपिंग मंत्रालय (कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 66.67% का प्रतिनिधित्व) के माध्यम से भारत सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता 25.03.2020 में 'द प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के बीच निष्पादित किया गया शेयर खरीद अनुबंध के अनुसार, 27.03.2020 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया गया था। नतीजतन, आपकी कंपनी अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बन गई है क्योंकि आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 100% अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के पास है और इस तरह आपकी कंपनी अब सरकारी कंपनी नहीं है।

2.0 वित्तीय उपलब्धियां

| विवरण | (₹.करोड़ में) 2019-20 | (₹.करोड़ में) 2018-19 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| परिचालन सेवाओं से आय | 703.18 | 707.98 |
| अन्य आय | 30.50 | 9.19 |
| कुल आय | 733.68 | 717.17 |
| परिचालन व्यय | 144.68 | 146.19 |
| वित्त लागत | 84.65 | 91.15 |
| मूल्य हास व ऋण मुक्ति | 52.13 | 47.57 |
| कुल व्यय | 281.46 | 284.91 |
| लाभ असाधारण व अपवाद मदों से पहले | 452.22 | 432.26 |
| अपवाद देरें (-) | 4.23 | 88.41 |
| लाभ कर से पहले | 447.99 | 343.85 |
| कर | 198.96 | 3.50 |
| लाभ कर के बाद | 249.03 | 340.35 |
| अन्य समग्र आय | 0.23 | 0.20 |
| कुल समग्र आय | 249.26 | 340.15 |

3.0 वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष में, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान सूचित 707.98 करोड़ रुपए की प्रचालन आय की तुलना में 703.18 करोड़ रुपए की प्रचालन आय दर्ज की है जो ₹. 4.80 करोड़ की मामूली घटोतरी को दर्शाता है। अन्य आय में ₹. 9.19 करोड़ से ₹. 30.50 करोड़ की वृद्धि हुई है। कंपनी ने पिछले वर्ष की

तुलना में ₹.432.26 करोड़ की तुलना में 452.22 करोड़ रुपये अधिक पीबीटी (असाधारण और अपवाद मदों से पहले) की सूचना दी है। पीबीटी (असाधारण और अपवाद मदों के बाद) में वृद्धि ₹.104.14 करोड़ (4.62%) थी। हालाँकि, कंपनी ने पिछले वर्ष में ₹.340.35 करोड़ के मुकाबले ₹.249.03 करोड़ का कम पीएटी रिपोर्ट किया है, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष में प्रदान किए गए अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट की वापसी के प्रति रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पारित प्रविष्टियों के सुधार के कारण और आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन है।

4.0 प्रदर्शन और उपलब्धियां

- स्थापना के बाद से, आपकी कंपनी ने 1,102 रोरो जहाजों में ऑटोमोबाइल की 17,29,405 इकाइयों को संभाला है।
- केपीएल ने 22.05.2019 को केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ के रोरो पोत के माध्यम से एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर उपकरण आयात किए हैं। भारत में छह प्रमुख बंदरगाहों पर मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर प्रणाली की स्थापना जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रमुख पहलों में से एक है।
- केपीएल और सीएचपीटी ने संयुक्त रूप से 01.07.2019 को पिसिएस 1X रोड शो किया।
- ऐएसयुइसटयु मोटर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने 30.09.2019 को जनरल कार्गो बर्थ के माध्यम से ऑटोमोबाइल के परीक्षण निर्यात की शुरुआत की।
- केपीएल ने 14.01.2020 को कोयला बर्थ सुविधाओं यानी कोयला बर्थ नं.3 और 4 के उपयोग के लिए टेनजेडको के साथ समझौता किया है।



केपीएल और टेनजेडको के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए

- सऊदी अरब के नेशनल शिपिंग द्वारा एक नई रोरो सेवा, मैसर्स बहरी लॉजिस्टिक्स ने 26.12.2019 को जुड़े पहले रोरो पोत एम. वी. बहरी जेद्दा के साथ केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ की शुरुआत की।
- कामराजर पोर्ट लिमिटेड में अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में सीएमए सीजीएम द्वारा केपीएल और कोलंबो के बीच फीडर सेवा के पोत कॉल 05.12.2019 में शुरू हो गया है।
- रेनॉल्ट इंडिया ने 24.12.2019 को कामराजर पोर्ट में दक्षिण अफ्रीकी बाजार में 'ट्राइबर की नई मॉडल कारों का निर्यात शुरू किया।



श्री सुनील पालीवाल ए.ए.एस, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केपीएल के साथ श्री वेंकटराम मामिलपल्ले, कंट्री सीईओ और एमडी, रेनॉल्ट इंडिया ऑपरेशंस ने केपीएल के जनरल कार्गो बर्थ से निर्यात के लिए पहली कार को झंडी दिखाकर रवाना किया।

- 15 नवंबर 2019 को 3 नवनिर्मित परियोजनाओं जैसे रोड सह गेट कॉम्प्लेक्स, कंटेनर प्री-पार्किंग यार्ड और गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया।



15 नवंबर 2019 को श्री मनसुख मंडाविया, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन और उर्वरक द्वारा गेस्ट हाउस का उद्घाटन।

5.0 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 9 सितंबर 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में ₹.180 करोड़ (₹. 6.00 प्रति शेयर) की राशि को अवशोषित करने वाली चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 60% लाभांश की सिफारिश की गई। लाभांश का भुगतान किया जाएगा, जो वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

6.0 रिजर्व का स्थानांतरण

6.1 सामान्य रिजर्व:

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनरल रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी राशि को स्थानांतरित करना अनिवार्य नहीं है। 31 मार्च, 2020 तक शेष राशि ₹. 79.02 करोड़ है।

6.2 डिबेंचर / बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के तहत डिबेंचर / बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व के लिए ₹. 8.63 करोड़ का हस्तांतरण किया है और शेष राशि 31 मार्च, 2020 को ₹. 62.67 करोड़ है।

7.0 वित्त

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी भी ऋण / एफसीएल ऋण का लाभ नहीं उठाया / उठाया।

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) की ₹.80.70 निर्धारित किस्तों की अदायगी की है, जो एक्सिस बैंक से लिया गया है, जो कि वर्ष के दौरान बना है और मासिक ब्याज का भुगतान भी किया है।

आपकी कंपनी ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से पहले ली गई अवधि के ऋणों की निर्धारित किस्तों की अदायगी ₹.23.01 करोड़ से की है, जो वर्तमान वर्ष के दौरान बन गई थी और त्रैमासिक ब्याज का भुगतान किया है।

आपकी कंपनी ने नियत तारीखों पर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों पर ₹. 6.86 करोड़ और ₹.32.25 करोड़ की वार्षिक ब्याज बाध्यता का तुरंत निर्वहन किया है।

7.1 रेटिंग्स

आपकी कंपनी द्वारा जारी किए गए कर मुक्त बॉन्ड के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार, आपकी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग की वार्षिक निगरानी की है। तदनुसार, आवश्यक विवरण वार्षिक निगरानी के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए थे।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वार्षिक निगरानी के दौरान रेटिंग की पुष्टि नीचे विस्तृत रूप से की है:

| क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां | रेटिंग / आउटलुक |
|--------------------------|-----------------|
| क्रिसिल | ए / स्थिर |
| केयर | ए / स्थिर |
| आईसीआरए | ए / स्थिर |
| ब्रिक वर्क | ए + / स्थिर |

7.2 संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया।

7.3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धता

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

7.4 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

7.5 ऋण, गारंटी का विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण और गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

7.6 निवेश

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ₹.25,04,116.71 के शामिल द्वितीयक बाजार में भारतीय ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के 10,000 शेयरों में निवेश किया है, उसका विवरण वित्तीय विवरणों में निहित है।

7.7 पूंजीगत व्यय

वर्ष के लिए निर्धारित रु. 120 करोड़ के संशोधित लक्ष्य के साथ आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षमता विस्तार के लिए 102.22 करोड़ रुपये खर्च किए। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान एलएनजी बर्थ के लिए ड्रेजिंग की संपत्ति और आंतरिक सड़कों को पूरा करने की सीमा तक कैपिटल किया।

7.8 जमा पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई पूंजी जमा नहीं की और न ही 31.03.2020 तक कोई बकाया गैर दावा या गैर चुकता भुगतान है।

8.0 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी ने अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है और लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता के लिए समय से विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण व धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने और पता लगाने के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी की नीतियों का पालन किया जाता है। वित्तीय विवरणों की अखंडता और विश्वसनीयता के लिए एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को भी पर्याप्त माना जाता है। आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की उनकी पर्याप्तता और प्रभावशीलता के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत समीक्षा की जाती है।

9.0 समझौता ज्ञापन

9.1 एमओयू प्रदर्शन

भारत सरकार के साथ वर्ष 2019-20 के लिए प्रदर्शन मापदंडों और लक्ष्यों को स्थापित करने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30.04.2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू रेटिंग "निष्पक्ष" है।

9.2 एमओयू 2020-21

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने 02.12.2019 को पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से मसौदा एमओयू 2020-21 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को सौंप दिया था। हालांकि, पोत परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी को परिणाम की आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू पर अब चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे और ड्राफ्ट एमओयू को 27.07.2020 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को भेज दिया गया है।

10.0 समितियों/आयोग का दौरा

10.1 अधीनस्थ विधान (राज्य सभा) पर पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी का दौरा

समिति के माननीय अध्यक्ष डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी की अध्यक्षता में अधीनस्थ विधान, राज्य सभा समिति का आयोजन चेन्नै में 21.01.2020 को किया गया था।



अधीनस्थ विधान राज्य सभा समिति का चेन्नै में अध्ययन दौरा

10.2 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का दौरा

श्री नंद कुमार साई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, माननीय अध्यक्ष और सुश्री अनुसुईया उड्के, माननीय उपाध्यक्ष ने 06.07.2019 को चेन्नै का दौरा किया और आरक्षण नीति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

11.0 संचालन

आपकी कंपनी ने कोल बर्थ 1 और 2 में थर्मल कोल को संभालने के लिए टीएनइबी (टेनजेडको) के लिए कोयला व्यापार करने की कल्पना की थी। आपकी कंपनी शुरुआत में टीएनइबी की कोयला आवश्यकताओं को संभालने के लिए मोनो क्मोडिटी पोर्ट के रूप में थी, अब इसकी कार्गो पिछले कुछ वर्षों में बास्केट विविध बन गई है और पोर्ट में सभी आधुनिक के साथ पीपीपी-बीओटी / कैप्टिव ऑपरेटर्स के माध्यम से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सभी कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन वर्तमान में इसके 8 ऑपरेशनल बर्थ की क्षमता 54.44 मिलियन टन प्रति वर्ष है। हालांकि, कार्गो बास्केट में कोयला मुख्य होता है जो अभी भी कुल कार्गो का 64% है, जबकि लिक्विड बल्क में 14%, ऑटोमोबाइल और संबंधित कैपिटल गुड्स 8% और कंटेनर 8% है।

आपकी कंपनी ने एक ऐसे पोर्टफोलियो का निवेश और निर्माण किया है जिसने इसके ऊपर व नीचे एकीकरण को मजबूत किया है और इसमें रेल और सड़क के माध्यम से कार्गो की निकासी के लिए बुनियादी सुविधाएं भी हैं, जिससे निकासी में तेजी आती है। कोयले की जेट यार्ड से लेकर स्टैक यार्ड तक सीधे जुड़े हुए कन्वेयर संभावित प्रदूषणकारी कार्गो का हस्तांतरण पर्यावरण के अनुकूल करते हैं और पोर्ट व परिवेश को साफ रखते हैं।

पोर्ट सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

11.1 कार्गो प्रवाह क्षमता

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 2018-19 में 34.50 एमटीपीए की तुलना में 31.75 एमटीपीए की कार्गो हैंडलिंग दर्ज की। कंपनी के कार्गो प्रवाह क्षमता की कमी का मुख्य कारण निम्नलिखित है: थर्मल कोयले की मांग में कमी आई

क) नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से वैकल्पिक बिजली उत्पादन के कारण टेनजेडको संयंत्रों से मांग में कमी;

ख) चालित टेनजेडको संयंत्रों के चालू होने में देरी;

ग) कराईकल में पास के बंदरगाह पर मेट्रू पावर प्लांट के लगभग 2.00 मिलियन टन थर्मल कोल का डायवर्जन और कोलफील्ड से रोक के माध्यम से कोयले की सीधी आवाजाही।

11.2 कंपनी की कार्गो हैंडलिंग क्षमता

वर्तमान में 8 ऑपरेशनल बर्थ से कार्गो हैंडलिंग क्षमता 54.44 मिलियन टन प्रति वर्ष है। 8 ऑपरेशनल बर्थ में से तीन बर्थ बल्क कोल हैंडलिंग के लिए हैं, दो बर्थ लिक्विड कार्गो (पीओएल, एलपीजी और एलएनजी) हैंडलिंग के लिए हैं, एक बर्थ कंटेनर, मल्टी कार्गो और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट / इम्पोर्ट और संबंधित कैपिटल गुड्स की हैंडलिंग के लिए हैं।

I. परिचालन बर्थ का विवरण इस प्रकार है

(i) बल्क टर्मिनल (कोल)

बल्क कार्गो यानी कोयले को संभालने के लिए तीन बर्थ की क्षमता 26 मिलियन टन प्रति वर्ष है जैसा विवरण नीचे दिया गया है:

उत्तरी चेन्नै, एन्नोर, मेट्रू और वल्लूर में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए टिएनईबी (टेनजेडको) और एनइसीएल (टिएनईबी और एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर) के लिए तटीय / आयात द्वारा थर्मल कोल को हैंडल करने के लिए निर्मित 16 एमटीपीए क्षमता (सीबी1 & सीबी2) के दो कोयला बर्थ।

कंपनी ने बीओटी ऑपरेटर के रूप में मैसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्रा. लिमिटेड (सीएसीडीपीएल) के साथ पीपीपी मोड के तहत 10 एमटीपीए क्षमता का एक सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल विकसित किया। कंपनी को दिया जाने वाला राजस्व हिस्सा 52.524% है। टर्मिनल हिंदुरलैंड में विभिन्न उपयोगकर्ताओं के थर्मल और कोकिंग कोल को संभालता है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में तीन बल्क टर्मिनल / बर्थ में थर्मल कोल के 19.31 मिलियन टन और कोकिंग कोल के 0.95 मिलियन टन, कुल 20.26 मिलियन टन हैंडल किया।

(ii) लिक्विड टर्मिनल

कंपनी द्वारा 8 एमटीपीए की कुल क्षमता के साथ पीओएल/एलपीजी, एलएनजी आदि को हैंडल करने के लिए पीपीपी और कैप्टिव मोड के माध्यम से दो लिक्विड टर्मिनल बनाए हैं। पीपीपी मोड पर कंपनी द्वारा विकसित 3 एमटीपीए क्षमता का मरीन लिक्विड टर्मिनल -1 जनवरी 2009 में चालू किया गया था। मैसर्स एन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) मरीन लिक्विड टर्मिनल के लिए बीओटी ऑपरेटर है। टर्मिनल तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए पीओएल, एलपीजी, रसायन आदि हैंडल करता है। कंपनी को बीओटी ऑपरेटर से 21.678% राजस्व प्राप्त हो रहा है। एमएलटी-1 में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 4.72 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है।

कंपनी ने एलएनजी के आयात, भंडारण और पुनः गैसीकरण के लिए 5 एमटीपीए क्षमता वाले एलएनजी टर्मिनल के विकास के लिए रियायत दी। टर्मिनल को कैप्टिव आधार पर पोर्ट के अंदर रु. 5,151 करोड़ के मुख्य भागीदार के रूप में राष्ट्र के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऐओसिएल) द्वारा तैयार किया गया। 26.02.2019 को टर्मिनल चालू किया गया था और वर्ष 2019-20 के दौरान कुल कार्गो 0.51 मिलियन टन था।

2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 5.23 मिलियन टन लिक्विड कार्गो (पीओएल, एलपीजी, एलएनजी और केमिकल्स) हैंडल किया।

(iii) कंटेनर टर्मिनल

कंपनी ने पीपीपी मोड के तहत 1.4 मिलियन टीईयू की क्षमता वाले कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए रियायत प्रदान की है। डेवलपर मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, गुजरात, जो परियोजना के लिए रियायतकर्ता है, ने 37.00% राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश की है। अक्टूबर 2017 में 15.44 एमटीपीए की क्षमता के साथ 400 मीटर की लंबी लंबाई के पहले चरण में जहाजों को हैंडल करना शुरू कर दिया। वर्ष 2019-20 के दौरान हैंडल किया गया कुल कार्गो 2.52 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2018-19 में 1.10 मिलियन टन की आपूर्ति की गई थी।

(iv) ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट / इंपोर्ट टर्मिनल

कंपनी ने ऑटोमोबाइल इकाइयों के आयात / निर्यात के लिए एक बर्थ और पार्किंग का निर्माण किया है। 8000 कारों की क्षमता वाला बर्थ सबसे बड़े कार वाहक को समायोजित कर सकती है और एक समय में 13,500 कारों को पार्क करने के लिए 1,99,600 वर्ग मीटर की बड़ी कार पार्किंग की सुविधा है। कंपनी को भारतीय पोर्ट सेक्टर में पार्किंग की इतनी बड़ी सुविधा होने के लिए एकमात्र इकाई होने पर गर्व है। वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2018-19 में 2.45 मिलियन टन ऑटोमोबाइल (1,99,651 यूनिट) के रूप में 2.18 मिलियन टन ऑटोमोबाइल कार्गो (1,77,370 यूनिट) हैंडल किया। टर्मिनल के प्रमुख उपयो- गकर्ता रेनॉल्ट निसान, टोयोटा और फोर्ड हैं।

(v) मल्टी कार्गो टर्मिनल

कंपनी ने पीपीपी मोड में मल्टी कार्गो टर्मिनल विकसित किया है। डेवलपर मैसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सिएबिटिपिएल), जो इस परियोजना के लिए बीओटी रियायतकर्ता है, ने 36.00% राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश की है। अगस्त 2017 में टर्मिनल चालू किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल कार्गो की कुल संख्या 1.29 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2018-19 में 1.32 मिलियन टन था।

II. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं:

अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के लिए पोर्ट द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी है। तदनुसार, कंपनी ने अतिरिक्त छह बर्थ / टर्मिनलों के विकास की कार्यवाई शुरू की है: नीचे दिए गए विवरण अनुसार कोयला हैंडल करने के लिए तीन बर्थ, लिक्विड कार्गो हैंडल करने के लिए दो बर्थ, और कंटेनर हैंडल करने के लिए एक और बर्थ हैं।

(i) बल्क टर्मिनल (कोयला)

बल्क कार्गो यानी कोयला हैंडल करने के लिए तीन बर्थ की क्षमता 30 मिलियन टन प्रति वर्ष है:

(ए) कोल बर्थ 3 और 4

अपने मौजूदा थर्मल पावर प्लांट्स और अपने जेवी के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, टेनजेडको ने केपीएल से 500 करोड़ रुपये के अपने स्वयं के निवेश पर 2

अतिरिक्त कोल बर्थ (सीबी3 & सीबी4) स्थापित करने का अनुरोध किया था। कोल बर्थ का निर्माण केपीएल द्वारा 18 मीटर ड्राफ्ट के कैपेसाइज जहाजों को समायोजित करने के लिए किया गया है और प्रत्येक में 9 एमटीपीए की क्षमता है। केपीएल ने अगस्त 2018 और जून 2019 के दौरान क्रमशः कोल बर्थ - 4 और कोल बर्थ - 3 को टेनजिटको को सौंप दिया है, टेनजिटको द्वारा बर्थों के मशीनीकरण जैसे अनलोडर्स, कन्वेयर सिस्टम की स्थापना प्रगति पर है।

(बी) जहां के आधार पर एक लौह अयस्क टर्मिनल का संशोधन भी आम उपयोगकर्ता कोल हैंडल करने के लिए किया गया

केपीएल ने सितंबर 2006 में प्रोजेक्ट कंपनी सिकल लौह अयस्क टर्मिनल लिमिटेड (लौह अयस्क) के साथ 30 साल के बीओटी आधार पर लौह अयस्क टर्मिनल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बीओटी ऑपरेटर ने 2010-11 के दौरान 6 एमटीपीए के पहले चरण का विकास किया था। हालांकि, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, टर्मिनल का उपयोग कभी नहीं किया गया था। नतीजतन, आम उपयोगकर्ता कोयला हैंडल के लिए "जहां है" के आधार पर मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल के संशोधन पर विचार किया गया था। सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, केपीएल ने पुनः बोली प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की और 02.06.2016 को 52.524% के निविदा राजस्व के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। केपीएल और एसएओटीएल के बीच 11.07.2016 को लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

20.07.2018 को लौह अयस्क टर्मिनल कार्य में संशोधन के लिए शून्य तिथि घोषित की गई। संशोधन कार्य जुलाई 2019 तक पूरा होने की उम्मीद थी; हालांकि, मई 2020 तक पूरा करने के लिए अनुमति दी गई थी। कोविड -19 महामारी के कारण, कंसेशनर ने 'फोर्स मैज्योर' क्लॉज लागू किया है। अब, इस परियोजना के 2020-21 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है।



कोयला को संभालने के लिए संशोधित लौह अयस्क टर्मिनल पर शिप अन-लोडर

(ii) लिक्विड टर्मिनल

कंपनी ने नीचे दिए विवरण के अनुसार कुल 6 एमटीपीए क्षमता के पीओएल और एलपीजी आदि हैंडल करने के लिए कैप्टिव और पीपीपी मोड के माध्यम से दो अतिरिक्त तरल टर्मिनलों के विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है:

(ए) आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी

कंपनी ने ₹.465 करोड़ की परियोजना लागत पर पीओएल और एलपीजी उत्पादों को हैंडल करने के लिए कैप्टिव जेट्टी के निर्माण के लिए आईओसीएल के साथ 9.6.2016 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। टर्मिनल की क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक विस्तार के प्रावधान के साथ 3 मिलियन टन प्रति वर्ष

है। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने और मौजूदा बीओटी ऑपरेटर द्वारा मुकदमेबाजी करने देरी के कारण, परियोजना का निर्माण शुरू होना बाकी है। 30.10.2018 को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई और जेट्टी के स्थान अब निश्चित हो गया। रियायत समझौते के दायित्वों के हिस्से के रूप में, रियायतकर्ता ने जनवरी 2020 में ₹.23.25 करोड़ के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की है और आईओसीएल अपने बोर्ड से निवेश की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। टर्मिनल का निर्माण 2020-21 की तीसरी तिमाही तक शुरू होने और मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

(बी) मरीन लिक्विड टर्मिनल 2

तेल उद्योग के निर्यात / आयात की मांग को पूरा करने के लिए, केपीएल ने ₹. 3.93 करोड़ के निवेश पर डीबीएफओटी मोड में बर्थ और टैंकेज सुविधाओं से युक्त दूसरे मरीन लिक्विड टर्मिनल के विकास की कार्रवाई शुरू की है। टर्मिनल की क्षमता 3 एमटीपीए है। प्रतिस्पर्धी बोली के बाद, केपीएल ने 14.02.2018 को बीपीसीएल—एचपीसीएल के संकाय को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया। एमएलटी -1 के मौजूदा बीओटी ऑपरेटर द्वारा मुकदमेबाजी के कारण, रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं।

(iii) कंटेनर टर्मिनल - फेज 1 (चरण 2)

कंटेनर टर्मिनल के विकास के हिस्से के रूप में, कंसेशनर मैसर्स अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, गुजरात ने जनवरी 2020 के दौरान 0.6 मिलियन टीईयू की क्षमता के लिए 330 मीटर लंबाई के लिए दूसरे चरण के टर्मिनल के निर्माण की शुरुआत की है।

कोविड-19 महामारी के कारण, पोत परिवहन मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसके निरसन 19.02.2020 से प्रभावी फोर्स मैज्योर घोषित किया है। मूल रूप से सितंबर 2021 तक कंटेनर टर्मिनल के चरण -2 के पूरा होने की समय सीमा में देरी हो सकती है क्योंकि काम बंद हो गया है और साइट को कंसेशनर द्वारा हटा दिया गया है।

12.0 ढांचागत विकास

कांपोर्ट पोर्ट के रूप में, कंपनी ने "लैंडलॉर्ड" मॉडल पर कार्य करना चुना है, जिसमें पोर्ट सड़क और रेल कनेक्टिविटी, ड्रेज्ड बेसिन / चैनल, समुद्री सेवाओं और अन्य सामान्य उपयोगिताओं जैसी बुनियादी संरचना प्रदान करेगा।

बंदरगाह के कुशल प्रदर्शन के लिए, सड़क और रेल के प्रभावी आंतरिक नेटवर्क के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रंक रेलवे मार्गों के लिए बाहरी संपर्क तेजी से रसीद और कार्गो की निकासी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

I. सड़क संपर्क

कंपनी ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए आने वाले और बाहर जाने वाले बंदरगाह कार्गो की सुविधा के लिए बंदरगाह आंतरिक और बाहरी सड़क संपर्क के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए थे:

(i) आंतरिक सड़क संपर्क

बंदरगाह क्षेत्र के अंदर ट्रक चालकों की सड़क यातायात और पार्किंग समस्याओं में भीड़ से बचने के लिए, कंपनी ने ₹. 51.55 करोड़ की लागत पर आंतरिक सड़कों, ट्रक पार्किंग खण्डों को विकसित करने का काम शुरू किया। कार्य मैसर्स

पीएंडसी प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड ने निर्माण कार्य शुरू किया है और यह दिसंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ii) बाहरी सड़क संपर्क

(ए) दक्षिणी पोर्ट एक्सेस रोड

कामराजर पोर्ट का मौजूदा वर्तमान सड़क संपर्क तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 व एनएच45) एनसीटीपीएस एप्रोच रोड, तिरुवोटियूर - पोन्नेरी - पंचेट्टी (टिपिपि) रोड, आंतरिक रिंग रोड (आईआरआर) और चेन्नै बाय पास रोड के माध्यम से है। कार्गो के आयात / निर्यात के लिए बढ़ती सड़क यातायात आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, केपीएल ने वल्लूर जंक्शन (टीपीपी रोड) से कामराजर पोर्ट मुख्य प्रवेश द्वार से चार लेन सड़क तक शुरू होने वाली मौजूदा दो लेन सड़क को चौड़ा करने का काम किया है। इस प्रस्ताव में उत्तरी चेन्नै थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस) की लंबाई 4.8 किलोमीटर, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टेनजेडको) से संबंधित सड़क और कामराजर पोर्ट से संबंधित पोर्ट एक्सेस रोड की 2.3 किमी लंबाई शामिल है।

कंपनी ने ₹.195 करोड़ की लागत से टीएनआरडीसी को टर्नकी आधार पर दक्षिणी पोर्ट एक्सेस रोड का काम सौंपा है।

टीएनआरडीसी ने 12.11.2018 को 1 पैकेज-1 यानी एससीटीपीएस जंक्शन से केबिएल मेन गेट (2.3 किमी) तक सड़क सुधार के लिए काम से सम्मानित किया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस चरण के लिए अपेक्षित पूर्णता दिसंबर 2020 तक है।

इसके अलावा, टीएनआरडीसी ने 30.03.2020 को वल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन (4.8 किमी) तक पैकेज-2 यानी सड़क सुधार का कार्य किया और निर्माण कार्य 04.08.2020 से शुरू हो गया है। जून 2022 तक इस चरण के पूरा होने की उम्मीद है।

(बी) उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड

उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड, जो कामराजर पोर्ट को एनएच5 से जोड़ता है, की लंबाई 21.148 किलोमीटर है और मौजूदा चेन्नै ओआरआर के लिए 4.35 किमी पीएआर रोड है। यह उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड चेन्नै पेरिफेरल रिंग रोड (सीपीआरआर) का हिस्सा है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए जी.ओ. (एमएस) सं33 राजमार्ग और माइनर पोर्ट्स (एचएफ2) विभाग दिनांक 19.02.2016 को ₹. 951 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जीओ ने कहा कि एनपीएआर के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 50% कामराजर पोर्ट और काड्डुपल्ली पोर्ट द्वारा समान रूप से वहन किया जाना चाहिए। जैसा कि काड्डुपल्ली पोर्ट ने भूमि अधिग्रहण लागत के अपने हिस्से को वहन करने में असमर्थता व्यक्त की, कामराजर पोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सूचित किया कि काड्डुपल्ली पोर्ट की भूमि अधिग्रहण लागत को साझा नहीं करने की स्थिति में, केपीएल भी समतुल्य पसंद करेगा और इसलिए पूरी जमीन अधिग्रहण की लागत तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन की जा सकती है।

राज्य सरकार ने एनपीएआर के निर्माण के लिए जी. ओ. (एमएस) क्रमांक नं. 37 हाईवे और माइनर पोर्ट्स (एचएफ2) विभाग दिनांक 8.3.2016 के तहत ₹. 2673.42 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। जेआईसीए (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) इस परियोजना की वित्तपोषण एजेंसी है। भूमि

अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन टीएनआरडीसी द्वारा किया जा रहा है।

उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड को भविष्य में कामराजर पोर्ट से कार्गो को खाली करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

II. रेल कनेक्टिविटी

वर्तमान में, कामराजर पोर्ट चेन्नै में स्थित अट्टिपट्टु और अट्टिपट्टु पुदुनागर स्टेशनों पर मुख्य लाइन से जुड़ा हुआ है - चेन्नै में दक्षिणी रेलवे का गुडूर खंड - दिल्ली / कोलकाता मार्ग। केपीएल ने कोयला और लौह अयस्क टर्मिनलों के स्टैकयार्ड को मौजूदा एनसीटीपीएस रेलवे लाइन से जोड़ने वाली रेलवे सुविधाओं का विकास किया।

(i) कंटेनर और मल्टी कार्गो टर्मिनलों के लिए आंतरिक रेल कनेक्टिविटी

कंटेनर और मल्टी कार्गो टर्मिनलों को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र रेलवे लाइन मौजूद है। यह लाइन वर्तमान रेलवे साइडिंग से एनसीटीपीएस से केपीएल परिसर में जाती है। रेल यार्ड कार्य का विकास ₹. 42 करोड़ की परियोजना लागत पर पूरा हुआ और 09.06.2017 को इसका उद्घाटन हुआ। कंपनी ने पोर्ट के अंदर कंटेनरों के लिए नए विकसित समर्पित रेलवे साइडिंग में 23.10.2018 को कंटेनर रेल का अपना पहला रैक संभाला। 59 आयातित कंटेनरों से युक्त पहली खेप को केपीएल रेलवे साइडिंग से आईसीडी व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु तक निकाला गया था।

(ii) बाहरी रेल कनेक्टिविटी

(ए) दक्षिणी रेल कनेक्टिविटी

रेल बाध्य यातायात में भीड़ को कम करने के लिए, कंपनी ने ₹. 75.00 करोड़ की परियोजना लागत पर कंटेनर यार्ड से होल्डिंग यार्ड नं. 1 तक मौजूदा सिंगल लाइन रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कएकल लाइन कंटेनर भारतीय पोर्ट रेल और रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीआरआरसीएल) के साथ अनुबंध किया।

आईपीआरआरसीएल ने 2018 के दौरान प्रमुख और मामूली पुल निर्माण और ट्रैक निर्माण कार्य के लिए अनुबंध किया है। आईपीआरआरसीएल केवल मार्च 2020 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आईडब्ल्यूआई, एमओईएफ, रेलवे, सीटीई जैसी विभिन्न एजेंसियों से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर सकती है। मई 2020 से कार्य शुरू हुआ। इस परियोजना के मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(बी) उत्तरी रेल कनेक्टिविटी

क्षमता वृद्धि के संबंध में मास्टर प्लान को देखते हुए, रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के लिए भविष्य की आवश्यकता और ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना और सहभागी कार्रवाई की आवश्यकता है जो अन्यथा भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर लागू करना मुश्किल हो जाएगा, केपीएल चेन्नै की मुख्य लाइन से उत्तरी तरफ — मिंजूर स्टेशन के पास गुडूर सेक्शन तक पोर्ट को जोड़ने के लिए उत्तरी रेल लिंक परियोजना कर रहा है। परियोजना के विन्यास के समय केपीएल ने अपने उत्तरी रेल लिंक के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जीओटी. एन के साथ चर्चा में की, तो यह देखा गया है कि कड्डुपल्ली पोर्ट ने अपनी रेल कनेक्टिविटी मिंजूर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए तमिलनाडु सरकार से भी संपर्क किया है, साथ ही योजनाबद्ध सरेखण के रूप में केपीएल तमिलनाडु

सरकार ने केपीएल और काट्टुपल्ली पोर्ट की परियोजनाओं के लिए भूमि अधि-ग्रहण में अपनी कठिनाई को अलग से व्यक्त किया था और उत्तरी पोर्ट एक्सेस रोड के लिए मौजूदा आरओडब्ल्यू में 30 मीटर आरओडब्ल्यू का उपयोग करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव चर्चा के अंतिम चरण में है। आईपीआरसीएल को डीपीआर तैयार करने के लिए परियोजना में संबद्ध किया गया है।

III. ड्रेजिंग प्लान

11.07.2016 को एसआईओटीएल के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार, केपीएल को (-) 18 मीटर सीडी, बेसिन (-) 18.5 मीटर सीडी, एप्रोच चैनल (-) 19 मीटर सीडी और प्रवेश चैनल (-) 20 मीटर सीडी की गहराई तक एसआईओटीएल बर्थ के साथ-साथ कैपिटल ड्रेजिंग करनी होगी। कंपनी ने 2014 के दौरान बेसिन (-) 18.5 मीटर सीडी और चैनल (-) 19 मीटर / 20 मीटर सीडी में कैपिटल ड्रेजिंग की। बेसिन और चैनल में सिल्टेशन के कारण, रखरखाव ड्रेजिंग की जरूरत है। इसके अलावा, सीबी-1, सीबी-2, एमएलटी -1 और जीसीबी बर्थ क्षेत्र के पास ड्रेजिंग की गहराई बनाए रखने के लिए रखरखाव और घोषित गहराई प्रदान करने के लिए रेत का जाल आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने कामराजर पोर्ट पर ड्रेजिंग प्लान चरण IVA यानी पूंजी और रखरखाव ड्रेजिंग की शुरुआत की है। कंपनी ने एनटीसीपीडब्ल्यूसी को चरण IV (A) के ड्रेजिंग प्लान के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। रु. 153.50 करोड़ की परियोजना लागत को कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने डीसीआई को 24.12.2019 को नामांकन के आधार पर काम करने के लिए मंजूरी दी है। एसआईओटीएल परियोजना के लिए एमओईएफ और सीसी अनुमोदन में निर्धारित शर्त के अनुसार, मछली प्रजनन सीजन पूरा होने के बाद, 121.77 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य के लिए 23.06.2020 को डीसीआई को काम दिया गया था। ड्रेजिंग कार्य प्रगति पर है।

13.0 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान किसी भी हड़ताल या काम रुकने के कारण किसी भी दिन काम नहीं रुका। बंदरगाह पर श्रम की स्थिति सामान्य थी।

14.0 मानव संसाधन विकास

14.1 जनशक्ति

आपकी कंपनी के 31.03.2020 को सभी कर्मचारियों के संबंध में जनशक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अन्य लोग | कुल |
|----------|---------------|-----------------|------------------|----------|-----|
| अधिकारी | 12 | 3 | 29 | 22 | 66 |
| कर्मचारी | 9 | 1 | 20 | 6 | 36 |
| कुल | 21 | 4 | 49 | 28 | 102 |

14.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यकों आदि के पदों पर आरक्षण के लिए समय-समय पर जारी आदेशों का संगठन में सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी को संगठन में आरक्षण आदेशों के अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

14.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 के लिए, शिपिंग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में 2 एचआर पैरामीटर शामिल हैं:

- भारत के भीतर उत्कृष्टता केंद्रों आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई, आदि में कम से कम 10% कार्यकारी अधिकारियों (E0 & ऊपर) को कम से कम 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर की प्रगति।
- कार्यकारी अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम वेब शिक्षण कार्यक्रमों (कार्यक्रमों की संख्या) पर विशेष ध्यान देने के साथ उच्च पदों के लिए अपने तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं का निर्माण करने के लिए, 6 अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उत्कृष्ट कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए 3 कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

एमओयू लक्ष्य के अनुसार, केपीएल के 16 अधिकारियों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे जेएनपीटी-एपीईसी, आईआईटी मुंबई, एएससीआई, सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे, एमईटी यूनिवर्सिटी और कोस्ट गार्ड में प्रशिक्षण में भाग लिया और 3 कार्यकारी अधिकारियों ने एएसपी इंडिया के माध्यम से वेब लर्निंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। इस नामांकन के साथ, वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू में उत्कृष्ट प्रेडिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा भाग लेने वाले कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम ड्रेजिंग प्रबंधन, पोर्ट्स के कुशल डिजाइन, टर्मिनल, जलमार्ग और तटीय संरचना, सामरिक प्रबंधन, आईएमओ स्तर 1 और 2, गणितीय मॉडलिंग, समुद्री सेवा, आरटीआई, साइबर सुरक्षा, ईपीएफ हिंदी कार्यशालाएँ आदि हैं।

वर्ष के दौरान 277 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान अपने कर्मचारियों पर 14.67 लाख रुपये (लगभग) खर्च किए गए।

14.4 शिकायत निवारण तंत्र

कंपनी के पास कार्यकारी अधिकारियों और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

15.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

पोर्ट अपने उपयोगकर्ताओं, ठेकेदारों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा रहा है।

पोर्ट कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों के संबंध में सभी लागू कानूनों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें शामिल किसी भी ठेकेदार से इसकी अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, आपके पोर्ट का मानना है कि कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और श्रमिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छे सुरक्षा तरीकों को अपनाएं और प्रचार करें।

15.1 स्वास्थ्य

एक कल्याणकारी उपाय के रूप में, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच प्रदान की गई। पोर्ट ने 03.03.2020 को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें 160 लोगों में केपीएल कर्मचारी, बीओटी संचालक और एसएचजी महिलाएं शामिल थे। कंपनी व्यावसायिक पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा से सुसज्जित व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबीसों घंटे (24 x 7) आधार पर चला रही है, जो कंपनी के कर्मचारियों और अन्य बीओटी संचालकों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं को आपात स्थिति के दौरान प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करती है।

15.2 सुरक्षा

पोर्ट अपने कार्य स्थानों में सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। पोर्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों, हितधारकों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए, कंपनी में मार्च 2020 के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

पोर्ट की एक सुरक्षा समिति है और त्रैमासिक सुरक्षा समिति की बैठकें बीओटी संचालकों और स्टीवर्ड्स के साथ डॉक सेपटी के निरीक्षण के साथ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

पोर्ट यूजर्स के लिए अग्निशमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (14 नग), बर्थ पर मॉक ड्रिल और पोर्ट यूजर्स (14 नग), पड़ोसी उद्योगों जैसे आईपीएल और आईओसीएल (02 नग) के साथ पारस्परिक सहायता ड्रिल करते हैं और व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (चिकित्सा शिविर) 02 नग) का संचालन किया गया। पोर्ट ने पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), चेन्नै के सहयोग से कोरोनावायरस पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया है।

पिछले पांच वर्षों में पोर्ट में कोई भी घातक दुर्घटना नहीं हुई।

पोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी एक सटीक रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करें और सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करें। सुरक्षा उपकरणों में निर्मित नियमित रूप से निरीक्षण और प्रमाणित किया जाता है। कार्य के दौरान उचित पीपीई के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है। पोर्ट में एक आपदा / संकट प्रबंधन योजना है जिसमें सभी शमन उपाय शामिल हैं।

15.3 पर्यावरण

कंपनी समुद्री उद्योग की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए बंदरगाह को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करती है। पोर्ट नियमित रूप से पर्यावरण की निगरानी कर रहा है। पोर्ट ने मैसर्स ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स (पी) लिमिटेड, एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त / एमओएफ और सीसी परिवेशी वायु, समुद्री जल की गुणवत्ता, तलछट और शोर जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों के नमूने और परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है, की सेवाएं ली हैं। पोर्ट के अंदर विभिन्न बीओटी ऑपरेटर भी पर्यावरण की निगरानी कर रहे हैं। पर्यावरणीय गुणवत्ता की रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाती है।

पोर्ट ने स्वीकृत पुनरावर्तक के माध्यम से जहाज से उत्पन्न अपशिष्ट तेल, सीवेज और अन्य कचरे के निपटान के लिए “अपशिष्ट तेल, मल और अन्य अपशिष्ट रिसेप्शन सुविधाएं नीति 2019” तैयार की है।

पोर्ट ने 21.09.2019 को एक तटीय सफाई दिवस का आयोजन किया, जिसमें केपीएल, सीआईएसएफ कर्मियों और बीओटी ऑपरेटरों के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

15.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बंदरगाह ने जहाजों और अंदरूनी बंदरगाह से उत्पन्न ठोस कचरे के संग्रह, पृथक्करण और निपटान के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया है। अलग किए गए कचरे को आगे लाभकारी उपयोग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमोदित रिसाइकिल को भेजा जाता है।

16.0 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रभाव और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण और महिला सशक्तिकरण

कंपनी के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न असहनीय है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और बचाव के लिए नियमों का अनुपालन किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए कंपनी में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। कंपनी में कभी भी उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं किया गया है और विशेष रूप से वर्ष 2019-20 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

कुल 17 महिला कर्मचारी हैं, जो 31.03.2020 तक 102 के कुल कार्यबल का लगभग 17% है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 मार्च 2020 को विभिन्न खेलों और कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया।

17.0 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता

सामुदायिक विकास और सेवाओं में योगदान देने के लिए यह कंपनी का सचेत और निरंतर प्रयास है। समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की समीक्षा के दौरान, कंपनी ने अपनाई गई सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप परियोजनाएं शुरू की हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर बजट परिव्यय रु.8.31 करोड़ है और पिछले वित्तीय वर्ष से ली गई अप्रयुक्त सीएसआर निधि रु.12.73 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध कुल संचयी परिव्यय रु.21.04 करोड़ है। इस परिव्यय में, रु. 8.11 करोड़ विभिन्न सीएसआर गतिविधियों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, पारिस्थितिक संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना आदि के लिए खर्च किए गए हैं।



केपीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सुनील पालीवाल आई.एस.नुट्राकी गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश के सीएसआर इनिशिएटिव के तहत निर्मित 12 कक्षाओं का उद्घाटन किया।

सीएसआर और कंपनी द्वारा की गई स्थिरता विकास पहलों का विवरण परिशिष्ट-I & IA के रूप में संलग्न है और बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

17.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण वर्ष 2016-17 के लिए जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर की सीएसआर पहल

तिरुवल्लूर के जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वयन के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में प्रकट 28 सीएसआर पहलों के लिए जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर को 4.60 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया था। जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर ने बताया कि 28 पहलों में से ₹.1,44,95,000/- रुपये की लागत से 10 गतिविधियों / प्रस्तावों को क्रियान्वित किया गया। सीएसआर गतिविधियों के 10 से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें 30.11.2020 द्वारा अस्थायी रूप से पूरा किया जाएगा (परिशिष्ट IB)। शेष 18 गतिविधियों (वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में प्रकट और प्रशासनिक कारणों के लिए नहीं किया गया), के बजाय जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर ने तत्काल स्थानीय आवश्यकताओं के लिए 31 गतिविधियों 315.15 लाख रुपये की लागत से गतिविधियों / प्रस्तावों के लिए अनुरोध किया था। और तथ्य यह है कि कुछ कार्यों को पहले ही ले लिया गया था। 31 सीएसआर गतिविधियों की सूची परिशिष्ट - IC में दी गई है। 31 सीएसआर गतिविधियों में से 29 कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं और इन्हें 30.11.2020 तक अस्थायी रूप से पूरा कर लिया जाएगा।

18.0 अनुसंधान और विकास

कंपनी, अपने भविष्य के विकास के लिए और अपने कार्यों को बेहतर बनाने और विस्तार करने के लिए, वेब जनरेशन (आरएसडब्ल्यूजी) और पुणे के एमओएफसीडब्ल्यूपीआरएस में डेटा अधिग्रहण प्रणाली के लिए नए उपकरण स्थापित करके कामराजर पोर्ट फिजिकल मॉडल को अपग्रेड किया। इसके अलावा, कंपनी चेन्नै में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र पोर्ट्स, जलमार्ग और तट (नटीसीपीडब्ल्यूसी) की स्थापना के लिए शेरधारक है।

कंपनी ने आगामी आईओसीएल कैप्टिव जेट्टी में बर्थ कौशल समस्याओं को वेरिफाई करने के लिए 3D पूर्ण पुल वास्तविक समय जहाज नेविगेशन सिमुलेशन अध्ययन करने के लिए एनटीसीपीडब्ल्यूसी को तकनीकी अध्ययन सौंपा। एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने जनवरी 2020 में हमारी कंपनी पायलटों की उपस्थिति का अध्ययन किया और पुष्टि की कि वर्तमान स्थान बर्थ मैन्युइंग के लिए सुरक्षित है। केंद्र बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कई तकनीकी हथियारों की मेजबानी करेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उद्योग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। यह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री परिवहन में मूल्यवान शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करेगा।

19.0 सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद नीति को अधिसूचित कर दिया है और उक्त अधिसूचना के संदर्भ में, माल या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का 89.58% पॉलिसी में 20% के विरुद्ध अनिवार्य रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाता है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ उद्यमियों / महिला उद्यमियों आदि के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

नीति में अधिदेश के अनुसार खरीद के लिए प्रतिशत लक्ष्य।

| क्रम सं. | विवरण | लक्ष्य (%) |
|----------|---|------------|
| 1 | एमएसई से खरीद का % (एससी / एसटी उद्यमियों द्वारा एमएसई के स्वामित्व सहित)। | 25 |
| 2 | कुल खरीद में से एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले केवल एमएसई से खरीद का%। | 4 |
| 3 | कुल खरीद में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले केवल एमएसई से खरीद का% | 3 |

योजना व वास्तविक के अनुसार खरीद का विवरण

| क्र.सं. | विवरण | योजना | | वास्तविक | |
|---------|---|----------|----|----------|-------|
| | | रु. करोट | % | रु. करोट | % |
| 1 | कुल वार्षिक खरीद | 8.3 | | 7.373 | |
| 2 | एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) | 2.075 | 25 | 6.605 | 89.58 |
| 3 | एससी / एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले केवल एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य | 0.332 | 4 | 1.419 | 19.25 |
| 4 | महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली केवल एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य | 0.249 | 3 | 0.0574 | 0.78 |

20.0 जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह प्रबंधकों को सूचित प्रबंधन निर्णय लेने का एक तरीका प्रदान करता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचे के कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- बाधाओं की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने में एक केंद्रित दृष्टिकोण संगठनों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा।
- संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए संगठन में एक संरचित जोखिम प्रबंधन पहल का परिचय दें जो संगठन के उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ उनके शमन की योजना बना सकता है।
- ऐसी योजना को लक्षित तिथि और समय-समय पर समीक्षा के साथ लागू करें।
- रणनीतिक निर्णय लेने में सुधार;

- व्यवसाय के प्रदर्शन में सुधार;
- परिचालन आश्चर्य और नुकसान को कम करना;
- अधिक नवीन और कम जोखिम वाले विपरीत संस्कृति को बढ़ावा देना;
- पूंजी की डेप्लोयमेंट में सुधार;
- एकीकृत कॉरपोरेट प्रबंधन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के घटकों के रूप में आंतरिक नियंत्रण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना;
- अवसरों को हासिल करना

जोखिमों की पहचान की जाती है; समय-समय पर मूल्यांकन और शमन योजनाओं की समीक्षा और निगरानी की जाती है।

21.0 व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने घटकों के मामलों के संचालन के उद्देश्य से, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए व्यावसायिकता, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर आचरण या नैतिकता की नीति, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के कोड के उल्लंघन के प्रबंधन मामलों की रिपोर्ट करने के लिए "व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी" रखी है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी / विजिल मैकेनिज्म कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक लोकपाल हैं। वर्ष के दौरान पॉलिसी के तहत कोई शिकायत नहीं मिली है।

22.0 नामकरण और पुनर्मूल्यांकन नीति

पारिश्रमिक के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थीं क्योंकि कंपनी 27.3.2020 तक एक सरकारी कंपनी थी। चैन्नै पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा आयोजित संपूर्ण शेयरहोल्डिंग के विनिवेश के बाद, कंपनी सरकारी कंपनी बन गई और चैन्नै पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय की सहायक कंपनी है। केएमपी के सभी कर्मचारी डीपीई वेतन संरचना द्वारा शासित होते रहते हैं। अन्य विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं जो बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

23.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान करके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया है और काम करने में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बनाए हुए है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अनुसार प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर पोस्ट की गई है। वर्ष के दौरान, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण पर एक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है और ऑडिट रिपोर्ट आपकी कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है। आपकी कंपनी ने आरटीए अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकरण को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान, 50 आवेदन प्राप्त हुए और अधिनियम के तहत भाग लिया। तीन अपीलों को प्राप्त किया गया और उसी को निर्धारित समय के भीतर निपटा दिया गया।

24.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी हमेशा बेहतर व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन और व्यवसाय को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे रही है। कंपनी ने आईटी प्रणालियों और आईटी-सक्षम सेवाओं के माध्यम से सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और सेवा वितरण को पूरा करने के लिए कई आईटी पहल की हैं और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल परिवर्तन का ध्यान रखती है। कंपनी ने इस वर्ष के दौरान एसएपी संचालन के 99 प्रतिशत अपटाइम को बनाए रखा।

2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा लागू किए गए कुछ आईटी सिस्टम निम्नलिखित हैं:

- एसएपी सिस्टम ऑडिट और आईटी / साइबर सिक्योरिटी ऑडिट अनुपालन और आईएसओ 27001: 2013 मानकों को प्राप्त करने के लिए आईटी सुरक्षा ऑडिट सहित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के कार्यान्वयन के लिए परामर्श मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) शामिल है। मैसर्स प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) ने पॉलिसी दस्तावेजों के साथ एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जोखिम मूल्यांकन रणनीति की तैयारी जोखिम मूल्यांकन पर आधारित अंतिम चरण में है। वर्तमान में, ऑडिट का दूसरा चरण प्रगति पर है। ऐएसएमएस रोल-आउट सहित पूरी गतिविधि 2021-22 की पहली तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है। सफल समापन पर, बाहरी ऑडिट और आईएसओ-27001 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- आईएसओ 27001: 2013 मानकों का अनुपालन करते हुए एक नया मॉड्यूलर डेटा सेंटर बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की। तकनीकी आवश्यकता विनिर्देश और बजटीय अनुमानों का आगमन हो चुका है। आपूर्ति और कमीशनिंग की योजना 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए बनाई गई है।
- लीगेसी पीओएमएस और एलएमएस सिस्टम को बदलने के लिए एसएपीइ-आरपी सिस्टम पर एक नया पोर्ट ऑपरेशन सिस्टम (बीउएस) और रियल एस्टेट मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक तकनीकी और बजटीय मंजूरी प्राप्त की। अगले वित्त वर्ष में क्रियान्वयन के लिए, यह पूरे पोर्ट संचालन को कवर करेगा, जिसमें जहाज, कार्गो, पोर्ट क्राफ्ट आदि शामिल हैं और इन्हें एक ही आईटी सिस्टम में मूल रूप से मर्ज किया जाएगा।

25.0 सरकारी भाषा का कार्यान्वयन

कंपनी ने भारत सरकार की आधिकारिक भाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए हैं।

- सीएमडी की अध्यक्षता में राजभाषा की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने प्रत्येक तिमाही में बैठक की।
- सभी नियम / विनियम / नियमावली / प्रपत्र द्विभाषी किए गए।
- सभी रबर स्टैम्प, साइन बोर्ड, सील, लेटरहेड, नेम प्लेट, वाहनों पर आधिकारिक विवरण, विजिटिंग कार्ड, द्वि-भाषी किए गए।
- प्रस्ताव द्विभाषी किए जाते हैं।

- केपीएल ने चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ 03.09.2019 से 13.09.2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें केपीएल कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। सीएमडी, केपीएल ने 13.09.2019 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।



हिंदी दिवस समारोह

- मनोबल को बढ़ावा देने के लिए और राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सीएस और बीडी विभाग और सीएस विभाग ने हिंदी पखवाड़ा समारोह में एक शिल्ड जीतकर योगदान दिया।



कॉर्पोरेट रणनीति और व्यवसाय विकास (सीएस एंड बीडी) विभाग पुरस्कार प्राप्त करते हुए



सीएस एंड लीगल विभाग पुरस्कार प्राप्त करते हुए

- हिंदी के प्रगतिशील उपयोग पर व्यापक प्रचार के लिए हर तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दैनिक हिंदी मिलाप पत्रिका में 26.11.2019 को आयोजित हिंदी कार्यशाला पर एक लेख प्रकाशित किया गया था।
- शिपिंग मंत्रालय के राजभाषा विंग ने 24.10.2019 को हिंदी के कार्यान्वयन के लिए केपीएल का निरीक्षण किया।

- कर्मचारियों को मई 2019/नवंबर 2019 के दौरान आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा परीक्षा के सफल समापन पर प्रोत्साहित किया गया था।
- केपीएल में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है क्योंकि केपीएल के 15 कर्मचारियों ने हिंदी में काम करने का ज्ञान प्राप्त किया है और उन्हें अपने विभागों में राजभाषा को लागू करने का काम सौंपा गया है।

26.0 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकों में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान,

- पत्र क्रमांक पीडी -27 / 12/2017 / पीडी- I / पिई -I दिनांक 19 अगस्त 2019 के तहत शिपिंग मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 32/2019 के तहत श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस को कामराजर पोर्ट लिमिटेड में अध्यक्ष के पद पर पद के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नतीजतन, श्री पी. रवींद्रन, आईआरटीएस, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (ऐ/सी) ने प्रभार सौंपा और श्री सुनील पालीवाल, ऐ.ए.एस, ने 16.09.2019 को आपकी कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- पत्र क्रमांक पीडी -27/12/2017-पीडी-I दिनांक 06 नवंबर 2019 के तहत पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा, श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव को 3 साल की अवधि के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। नतीजतन, बोर्ड ने 13 नवंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव को 11.11.2019 से केपीएल के गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
- कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप 31.01.2020 से श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी केपीएल के बोर्ड में एक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के पद से मुक्त किया गया।
- चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को कामराजर पोर्ट लिमिटेड में भारत सरकार द्वारा आयोजित संपूर्ण शेयरहोल्डिंग की रणनीतिक बिक्री के परिणामस्वरूप, श्री एच. एन. असवथ, भारत सरकार के नामित व्यक्ति ने 27.3.2020 से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह 27.03.2020 से श्री. सिरिल सी जॉर्ज, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नॉमिनी को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल किया गया था।
- पत्र सं. सिएचपीटी/केपीएल सेल/2020/एफ दिनांक 28.08.2020 के तहत चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के लिए, श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, उपाध्यक्ष, सीएचपीटी को 04.09.2020 से श्री सिरिल सी जॉर्ज के स्थान पर कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नॉमिनी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

27.0 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 7 बार बैठक हुई, जिसका विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। किसी भी दो बैठकों के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित 120 दिनों की अवधि के भीतर था।

28.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त किए, जिसके अनुसार वे कंपनी अधिनियम 2013 के 149 (6), सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2015 और डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं

बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के पास स्वतंत्र निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक अखंडता, विशेषज्ञता और अनुभव होता है।

वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत संस्थान द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा को सफलतापूर्वक किया है।

29.0 समिति

सीएसआर, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति सहित समितियों पर विस्तृत नोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

30.0 सतर्कता

कामराजर पोर्ट लिमिटेड में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व 20.09.2018 से सीवीओ, केपीएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे श्री पी.रविंद्र बाबू, आईआरएसएमई, मुख्य सतर्कता अधिकारी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट हैं। उन्हें संचालन विभाग के एक प्रबंधक द्वारा सहायता प्रदान जाती है।

सतर्कता प्रभाग विभागों द्वारा निष्पादित कार्य अनुबंध के संबंध में दस्तावेजों की जांच करता है। प्रक्रियात्मक अंतराल, टेंडरिंग मानदंड से विचलन और अनुबंध कार्यों में कमियों को सुधार कार्यों के लिए संबंधित विभागों को इंगित किया जाता है। फिटिंग के मामलों में भी पैसे की रिकवरी की सलाह दी जाती है।

सीवीसी के दिशानिर्देश / सूचनाएं विभागों को परिचालित की जाती हैं। केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न की सतर्कता प्रभाग द्वारा जांच की जाती है। संबंधित अधिकारियों से असामान्यताओं, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। सतर्कता प्रभाग में ऑडिट रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, विभागों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

30.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार, कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने "अखंडता - जीवन का एक तरीका" के विषय में 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। केपीएल कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ निबंध और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सतर्कता से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता से संबंधित विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए।

2008 में मेधावी सेवाओं और 2018 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता मुख्य अतिथि श्री एम.एन. मंजूनाथ, आई.पी.एस. तमिलनाडु पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अतिरिक्त डीजीपी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने विषय पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अवलोकन - 2019

30.2 अखंडता संधि को अपनाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता प्रशासन और अधीक्षण के एक भाग के रूप में सरकार/पीएसयू लेनदेन में अखंडता, पारदर्शिता, इकिवटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक खरीद केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके लिए उचित व्यवस्था करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। आयोग ने अखंडता संधि को अपनाने की सिफारिश की है और सरकारी संगठनों में प्रमुख खरीद के संबंध में इसके कार्यान्वयन के लिए बुनियादी दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। आगे आयोग ने अखंडता संधि के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (एड्म) की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, साथ ही संगठनों को अनुबंध/खरीद के लिए एक सीमा मूल्य तय करने की सलाह दी है जिन्हें अखंडता संधि के तहत लाया जाना है। पैक्ट भावी विक्रेताओं/बोलीदाताओं और दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध नियोक्ता/मूल बीच एक समझौते की परिकल्पना है, जो अनुबंध के किसी भी पहलू पर किसी भी भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करता है।

21.02.2015 को हुई बोर्ड की बैठक में केपीएल बोर्ड ने इंटीग्रिटी पैक्ट के सतर्कता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत आने वाले कॉन्ट्रैक्ट / प्रोक्योरमेंट के लिए मूल्य सीमा रु.1 करोड़ और उससे अधिक निर्धारित की गई है। सीवीसी ने निम्नलिखित दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को केपीएल में इंटीग्रिटी पैक्ट लागू करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्टनल मॉनिटर्स (एईएम) के रूप में नियुक्त किया था।

- 1) श्री वी. कन्नन, पूर्व सीएमडी, विजया बैंक
- 2) श्री आर. कुप्पन, आईआरएसएमई (1980 बैच)
पूर्व प्रधान मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर।

इंटीग्रिटी पैक्ट अनुबंध के सभी चरणों को शामिल करता है यानी निविदा आमंत्रण सूचना (एनएटी) के चरण से लेकर अनुबंध के समापन तक सभी विभागों को 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले कार्यों/खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में अखंडता संधि खंड को शामिल करने की सलाह दी गई थी।

पोत परिवहन मंत्रालय की सलाह के अनुसार कामराजर पोर्ट लिमिटेड में पीपीपी परियोजनाओं और अन्य अनुबंध कार्यों में इंटीग्रिटी पैक्ट पहले ही लागू हो चुका है। आईएम ने 24.09.2019 को केपीएल में 1 करोड़ रुपये की सीमा मूल्य वाले सभी कार्यों के संबंध में अखंडता संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

31.0 कंपनियों के नाम, जो वर्ष में इसकी सहायक, संयुक्त उपक्रम या सहयोगी संयुक्त कंपनी बन या बंद हो चुकी हैं।

वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी केपीएल की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं बनी या बंद नहीं हुई।

32.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

आपके निदेशक बताते हैं कि: -

- (ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय दिए और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- (डी) निदेशकों ने चालित संबंधित आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे;
- (ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से चल रहे थे।
- एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया था और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित थे।

33.0 कर्मचारियों का विवरण

जैसा कि आपकी कंपनी 27.3.2020 तक सरकारी कंपनी थी, जब तक भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.15 के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधान और संबंधित नियम लागू नहीं थे।

34.0 लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए कंपनी के खातों की पुस्तकों के लेखा परीक्षण के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

34.1 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मैसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के खातों पर एक अयोग्य रिपोर्ट

दी है। ऑडिटर की रिपोर्ट में निर्दिष्ट वित्तीय विवरण पर मामलों और नोटों का जोर आत्म-व्याख्यात्मक है और आगे की टिप्पणियों के लिए कॉल नहीं करते हैं।

34.2 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा कि "मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो किसी भी टिप्पणी को जन्म देगा या वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक होगा"। सी एंड एजी की रिपोर्ट की एक प्रति उम्मे दी गई है।

35.0 सचिवीय ऑडिट

मैसर्स एस धनपाल एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और आवश्यक नियमों के तहत आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय ऑडिट का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट की है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक, आदि के लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सभी संबंधित शिकायतों को छोड़कर आवश्यक सीमा तक अनुपालन किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट परिशिष्ट - II के रूप में इस बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

35.1 सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

चूंकि आपकी कंपनी 27 मार्च 2020 तक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम थी, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी और आपकी कंपनी इस संबंध में मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुसरण कर रहे हैं। आपकी कंपनी चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट की सहायक कंपनी बनने के बाद, आपकी कंपनी ने बोर्ड पर शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ मामला उठाया है। एक बार शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, सभी संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

36.0 नियामकों या कोर्ट द्वारा जारी आदेशों का महत्व और सामग्री

भविष्य में कंपनी के संचालन और स्थिति को प्रभावित करने वाले नियामक या कोर्ट या न्यायाधिकरणों द्वारा जारी आदेशों को कोई महत्व और सामग्री नहीं है।

37.0 वार्षिक रिटर्न्स का सार

अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 538 ¼ई½ दिनांक 28 अगस्त 2020 के संबंध में] वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न्स की प्रति www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/MGT-7%20of%2018-19%20and%20Extract%20for%202019%20final.pdf. पर उपलब्ध है। वर्ष 2019&20 के लिए वार्षिक रिटर्न्स का सार भी उसी वेबलिक में उपलब्ध है।

38.0 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी ने मैसर्स एसबीएसबीबीपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और मैसर्स कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से

ज्ञात) को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए टैक्स फ्री बॉन्ड के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया था। डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं: -

| डिबेंचर ट्रस्टी | |
|--|---|
| एसबीएसएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्ट्री भवन, 4 मंजिल 122, डिनशा वाच्चा रोड, चर्चीगट, मुम्बई - 400 020 फोन: 022-4302 5555 फैक्स: 022-4302 5500 | कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट), पौड रोड, पुणे - 411 038 फोन: 020 - 25280081 फैक्स: 020 -25280275 |

39.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी निरपेक्षता, विदेश विनिमय आय व व्यय के संबंध में रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी निरपेक्षता, विदेश विनिमय आय व व्यय के संबंध में सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट III में दी गई है।

40.0 कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगमित शासन और निगमित शासन पर सर्टिफिकेट पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट IV के रूप में संलग्न है।

40.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी

सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (SS-1) और जनरल मीटिंग्स (SS-2) की बैठकों के लिए भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए ई संशोधित सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

40.2 लागत रिकॉर्ड

केंद्र सरकार ने कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

41.0 प्रबंधन के निर्णय और विश्लेषण पर रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट परिशिष्ट - V में संलग्न है।

42.0 स्वीकृत

आपके निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार और चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार दर्ज करना चाहते हैं और टेनजेडको/टीएनइबी, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु और भारत सरकार से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं, विशेष रूप से मंत्रालय पर्यावरण और वन, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय बंदरगाह संघ, वित्त मंत्रालय और भारतीय रेलवे / दक्षिणी रेलवे से सराहना करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षक से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहयोग को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। आपके निदेशक पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटी रियायतों, ठेकेदारों और बैंकों को उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह.

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन नंबर 01310101)

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 09/09/2020

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| | |
|---|---|
| <p>1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की अवलोकन और सीएसआर नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।</p> | <p>नीति में उल्लिखित कुछ रणनीतियाँ और रूपरेखा क्षेत्र हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ केपीएल कंपनी अधिनियम, 2013, अधिनियम] सीएसआर नियमों की अनुसूची VII, डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों और समय - समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप स्थायी आधार पर पारिस्थितिक मुद्दों पर समझौता किए बिना समाज / समुदाय के बुनियादी ढांचे / जीवन स्तर में सुधार के लिए पहल का समर्थन करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का निरंतर प्रयास करेगा। ➤ केपीएल सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में निम्न करने का प्रयास करेगा - <ul style="list-style-type: none"> • सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना • राष्ट्रीय विकास एजेंडा जैसे सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा आदि मुद्दों को प्राथमिकता से सीएसआर परियोजनाएं लेना, जिसमें मुख्य फोकस समाज के विशेषाधिकार प्राप्त और कमजोर वर्ग के अंतर्गत वंचितों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, बूढ़े और वृद्ध, महिला / बालिका और शारीरिक रूप से अक्षम, आदि शामिल हैं। <p>सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php पर देखा जा सकता है।</p> |
| <p>2. 31.03.2020 को सीएसआर समिति की संरचना</p> | <p>श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. - अध्यक्ष श्री पी. रवीन्द्रन, आईआरटीएस - सदस्य श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए, (आईसीएआई) - सदस्य</p> |
| <p>3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (पीबीटी) के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ</p> | <p>₹.415.84 करोड़ (480.09 + 423.58 + 343.85) / 3</p> |
| <p>4. निर्धारित सीएसआर व्यय (औसत शुद्ध लाभ का 2%)</p> | <p>₹.8.31 करोड़</p> |
| <p>5. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:</p> <p>(ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि</p> <p>(बी) अयोग्य, यदि कोई हो:</p> <p>(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:</p> | <p>₹.21.04 करोड़ (₹. 12.73* करोड़ + ₹.8.31करोड़ = ₹.21.04 करोड़) * पिछले वर्ष से बची राशि को आगे बढ़ाया गया।</p> <p>₹.12.93 करोड़ (₹.21.04 करोड़ - ₹. 8.11 करोड़)</p> <p>₹. 8.11 करोड़</p> <p>तरीका जिसमें खर्च की गई राशि को अनुलग्नक 1ए के रूप में संलग्न है</p> |

परिशिष्ट -IA

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | पनायकम, वेल्डोर जिला, तमिलनाडु में फर्नीचर और कंप्यूटर प्रदान करने सहित सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण | सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना | (1) अन्य (2) वेल्डोर जिला तमिलनाडु | 31,14,987 | 35,75,339 | 35,75,339 | केपीएल द्वारा निर्दिष्टित |
| 2 | जाति विद्या सेवा समिति, नटकी द्वारा संचालित एक स्कूल में 12 कक्षा कमरों के निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश | 1,25,57,634 | 87,90,343 | 1,25,57,634 | जाति विद्या सेवा समिति, नटकी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश |
| 3 | वल्लूर, तिरुवल्लूर जिले में विवेकानंद विद्यालय मैट्रिकुलेशन स्कूल में क्रिड्स इंडोर प्ले हॉल का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 5,86,102 | 5,86,102 | केपीएल द्वारा निर्दिष्टित |
| 4 | सरकार में सिद्ध खंड के नए ब्लॉक का निर्माण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरुथेनकोड, कन्याकुमारी जिला | निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु | 20,00,000 | 2,36,000 | 2,36,000 | परियोजना निदेशक, सीईओ, कन्याकुमारी के माध्यम से पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार |
| 5 | गवर्नमेंट हाई स्कूल, एरिविपुर के लिए, कन्याकुमारी जिले में दो क्लास रूम का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु | 26,00,000 | 2,60,000 | 2,60,000 | परियोजना निदेशक, सीईओ, कन्याकुमारी जिला के माध्यम से पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार |
| 6 | स्वच्छ भारत मिशन | निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) लागू नहीं | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 | सचिव (व्यय), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग |
| 7 | (i) अर्ध अंटो एनालाइजर - 11 ना और ईसीबी स्पॉनि - 11 ना की आपूर्ति और स्थापना (ii) हाइड्रोलिक ऑपरेटड सीओटी-06 ना की आपूर्ति, ब्लड बैंक डोनर काउच - 2 ना | निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना | (1) अन्य (2) विरुधुनार जिला, तमिलनाडु (आकांक्षामक जिला) | 24,20,000 | 24,54,635 | 24,54,635 | संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य) और उप निदेशक (स्वास्थ्य) के माध्यम से सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, राज्य समन्वयक, तमिलनाडु सरकार |
| 8 | लायंस क्लब चैने नीडिल की साइकिल रैली के माध्यम से प्रोजेक्ट सेव वाटर, जागरूकता कार्यक्रम | पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) चैने जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | लायंस क्लब चैने नीडिल |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संघीय व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | सशस्त्र बल इंडा टिविस कोष | सशस्त्र बलों, सेवानिवृत्तों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय | (1) अन्य (2) लागू नहीं | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | केपीएल द्वारा निर्देशित |
| 10 | सीसी रोड नेहरू नगर से तिरुवल्लुवर स्ट्रीट जंक्शन (1.4 किमी) अधिशुद्ध का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 7,00,000 | 5,56,500 | 5,56,500 | |
| 11 | सीसी रोड-न्यू बालाजी नगर से श्री देवी नगर किमी अधिशुद्ध | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 9,86,000 | 7,83,870 | 7,83,870 | |
| 12 | इंदिरा नगर अधिशुद्ध में आंगनवाड़ी बिल्डिंग | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 9,10,000 | 7,23,450 | 7,23,450 | |
| 13 | नेहरू नगर अधिशुद्ध में पानी की टंकी | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 13,78,000 | 10,95,510 | 10,95,510 | |
| 14 | केआर पलायम-नौथावोयल में सामुदायिक हॉल | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 25,00,000 | 19,87,500 | 19,87,500 | |
| 15 | सेंगलानिमेडु में एकिकृत महिला स्वच्छता परिसर | स्वच्छता | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 16 | वाटर टैंक-कदमपक्कम | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 13,64,000 | 10,84,380 | 10,84,380 | |
| 17 | कस्तुर में पीएचसी कम्पाउंड वॉल | स्वास्थ्य देखभाल | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 19,17,000 | 15,24,015 | 15,24,015 | जिला कलेक्टर, तिरुवल्लुर के माध्यम से |
| 18 | वायलूर में पंचायत संघ भवन का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 19,00,000 | 15,10,500 | 15,10,500 | |
| 19 | वायलूर में सामुदायिक भवन का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 9,00,000 | 7,15,500 | 7,15,500 | |
| 20 | रामनाथपुरम गाँव में पीयूडूस (पंचायत यूनिथन एलिमेंटरी स्कूल) भवन में कम्पाउंड वॉल का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 3,18,000 | 3,18,000 | |
| 21 | सेनकलानमेडु पीयूएएस (पंचायत यूनिथन मिडिल स्कूल) स्कूल में शौचालय का निर्माण | स्वच्छता | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु | 3,20,000 | 2,54,400 | 2,54,400 | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|--|--|--|---|--|---|
| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
| 22 | राजशेपुर में 30,000 लीटर क्षमता के 12 मीटर ऊंचे ओएच टैंक का निर्माण | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | | |
| 23 | सेनकलामिन्दु में 30,000 लीटर क्षमता के 12 मीटर ऊंचे ओएच टैंक का निर्माण | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | | |
| 24 | रामनाथपुरम गाँव में कब्रिस्तान का सुधार | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | | |
| 25 | रामनाथपुरम कॉलोनी में कब्रिस्तान का सुधार | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | | |
| 26 | यून्मिन्दु में कब्रिस्तान का सुधार | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 3,97,500 | 3,97,500 | | |
| 27 | नीथवयल-वोरेल का निर्माण और पेयजल पाइप लाइन का विस्तार | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,00,000 | 2,38,500 | 2,38,500 | | |
| 28 | तिरुवल्लूरओयल पंचायत में पीथूईप्पु का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 13,60,000 | 10,81,200 | 10,81,200 | | |
| 29 | तिरुवल्लूरओयल पंचायत में महिलाओं के लिए संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण | स्वास्थ्य देखभाल | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | | |
| 30 | तिरुवल्लूरओयल में पेक् ब्लॉक रोड का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 13,35,000 | 10,61,325 | 10,61,325 | | |
| 31 | नेथिवयल पंचायत में द्रौपदी अम्मन मंदिर की डिजिटिंग | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | | |
| 32 | के.आर. पल्लायम में 30,000 लीटर क्षमता के 12 मी ओएच टैंक का निर्माण | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | | |
| 33 | काडूर पंचायत में पंचायत संघ भवन का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 19,00,000 | 15,10,500 | 15,10,500 | | |
| 34 | काडूर पंचायत में जल निकासी सुविधा का निर्माण | स्वच्छता | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | | |
| 35 | काडूर पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | | |

जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर के माध्यम से

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | काचिवोयल गांव में आगनवाड़ी केंद्र का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 8,50,000 | 6,75,750 | 6,75,750 | |
| 37 | तिरुपालैवनम में पेवर ब्लॉक रोड का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 14,80,000 | 11,76,600 | 11,76,600 | |
| 38 | तिरुपालैवनम में पंचायत यूनिन बिल्डिंग के पास सॉफ्ट सड़क का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,60,000 | 2,86,200 | 2,86,200 | |
| 39 | तिरुपालैवनम में पीयूईएस स्कूल में खेल के मैदान का विस्तार | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 1,59,000 | 1,59,000 | |
| 40 | कडयक्कम-बोरोल का निर्माण और सिरुशिवेरकाडु गांव में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 8,00,000 | 6,36,000 | 6,36,000 | |
| 41 | बस शेड से पीरिया कॉलोनी तक पानी की पाइप लाइन का विस्तार | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 1,70,000 | 1,35,150 | 1,35,150 | |
| 42 | मेराटूर में कॉलोनी में पेवर ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,80,000 | 4,61,100 | 4,61,100 | |
| 43 | मरातूर में लक्ष्मी अम्मन कोविल स्ट्रीट में 30,000 लीटर क्षमता के 12 मीटर ऊंचे ओपेच टैंक का निर्माण | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 14,00,000 | 11,13,000 | 11,13,000 | |
| 44 | काडुपल्ली- काडुपल्ली पंचायत से अनासाग शिव मंदिर तक तार रोड का निर्माण | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 7,95,000 | 7,95,000 | |
| 45 | एथिपट्ट - डिवाटॉरिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 46 | नंदिपंपाक्कम- डिवाटॉरिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 47 | वल्लूरु — डिवाटॉरिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 48 | कोडागरई — डिवाटॉरिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |
| 49 | वेल्लीवोयल छावनी — डिवाटॉरिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद (1) स्थानीय क्षेत्र | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | |

जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर के माध्यम से

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---|--|--|--|---|--|---|
| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
| 50 | नालू— डिवाटिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,50,000 | 2,37,500 | 2,37,500 | | |
| 51 | पौनुलम- 5 लाइट के साथ हाईमास लाइट प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | | |
| 52 | आगसुर- 5 लाइट के साथ हाईमास लाइट प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | | |
| 53 | सोमबातू- 5 लाइट के साथ हाईमास लाइट प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | | |
| 54 | नालू— डिवाटिंग के लिए 25 केवी वाहन माउंटिंग जेनसेट की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | | |
| 55 | मेधुर-5 लाइट के साथ हाईमास लाइट प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,50,000 | 87,500 | 87,500 | | |
| 56 | अधिपट्टू- कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |
| 57 | थाइपेरुम्पक्कम - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |
| 58 | पद्माकेकाडु - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |
| 59 | एल एच कुप्पम - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |
| 60 | कोंडागई — कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |
| 61 | नालू — कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (2 नग X प्रत्येक 2.48 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,96,000 | 1,24,000 | 1,24,000 | | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|--|---|--|--|--|---|--|---|
| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से | |
| 62 | वेलिबिनल चावडी - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (1 नग) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर के माध्यम से | |
| 63 | वाल्लूर - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (1 नग) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | | |
| 64 | मेधूर - कचरा हटाने के लिए ई-कार्ट वाहन की खरीद (1 नग) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,48,000 | 62,000 | 62,000 | | |
| 65 | मिंजुर-10 पेड़ों की कटाई के लिए पावर शॉ की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 60,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| 66 | मिंजुर-पानी की पम्पिंग के लिए 10KV जेनेसेट की खरीद (5 नग x प्रत्येक 3.5 लाख) | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 17,50,000 | 4,37,500 | 4,37,500 | | |
| 67 | शिरुलाइवमम- शिरुलाइवमम पंचायत में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 68 | आगराम— आगराम पंचायत में देमपट्टू में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 69 | एलियांबुडु-एलियमबुडु पंचायत में कानूनाभकम में पंचायत संघ एलिमेंटरी स्कूल (PUEs) भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 70 | वेलूर-कदमानचोय @ वेलूर पंचायत में पीयूईएस बिल्डिंग का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 71 | वंचीवकम पंचायत में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 72 | वैयलूर-वैयलूर पंचायत में रामनाथपुरम में पीयूईएस बिल्डिंग का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 73 | सिरुलापकम पंचायत में पीयूईएस बिल्डिंग का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 74 | सिरुलापकम-वीईपीपथुर @ सिरुलापकम पंचायत में पीयूईएस बिल्डिंग का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
| 75 | सेथानम—सेथानम पंचायत में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 76 | कोल्चूर- कोल्चूर पंचायत में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 77 | नीथावोवल पंचायत में पुरेपेडु में पीयूईएस भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,60,000 | 3,90,000 | 3,90,000 | | |
| 78 | अवुरिवक्कम— किल कुप्पम @ अवुरिवक्कम पंचायत में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 30000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | | |
| 79 | सरुत्तक्कम- 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 30000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | | |
| 80 | कितिकोडी- 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 30000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | | |
| 81 | सोमबटूर पूर्व में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 30000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | | |
| 82 | एडपलायम में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 30000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,50,000 | 3,87,500 | 3,87,500 | | |
| 83 | एरुसिवन पंचायत में अरवाकम गांव में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 60000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | | |
| 84 | एरुसिवन पंचायत में कन्नूर कॉलोनी 1 में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 60000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | | |
| 85 | एरुसिवन पंचायत में कन्नूर कॉलोनी 2 में 12 मीटर के स्टेडिंग के साथ 60000 लीटर ओएचटी का निर्माण | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 19,00,000 | 4,75,000 | 4,75,000 | | |
| 86 | वैथलूर में उरुमबटु से एमकेटी तक बीटी रोड प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 49,00,000 | 12,25,000 | 12,25,000 | | |
| 87 | वल्लूर पंचायत में पट्टमवैरी रोड को बीटी प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,20,000 | 1,05,000 | 1,05,000 | | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | अलाह पुली कुलम @ अलाह पंचायत में पेवर ब्लॉक रोड प्रदान करना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 89 | एनकुलम रोड @ थंगलपेरुम्बुलम पंचायत में पावेक ब्लॉक सड़क बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | |
| 90 | मवसूर पंचायत में थोडुकाडु विनथगर कोइल स्ट्रीट को इंटरलाकिंग करते हुए पेवर ब्लॉक रोड बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,20,000 | 1,05,000 | 1,05,000 | |
| 91 | पेरुम्बु पंचायत में पावे ब्लॉक रोड बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | |
| 92 | नलूर पंचायत में पावर ब्लॉक नालूर केशवपुरम रोड बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 16,00,000 | 4,00,000 | 4,00,000 | |
| 93 | थुडपेरुम्बुलम पंचायत में राजीव गांधी नगर में सीसी रोड बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 10,00,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | |
| 94 | थंगलपेरुम्बुलम से सतानकुपम तक सीसी रोड और (बारी पाइप क्लवर्ट) बनाना | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 49,00,000 | 12,25,000 | 12,25,000 | |
| 95 | मिजुर में SWM वर्क्स के लिए ECOMAT न्हीकल की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 73,90,000 | 18,47,500 | 18,47,500 | |
| 96 | ECOMAT वाहन SWM वर्क्स की खरीद | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 73,90,000 | 18,47,500 | 18,47,500 | |
| 97 | बोरेवेल @ सेवाम पंचायत की ड्रिलिंग और अन्नमालीचेरी गांव में पंप | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,80,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 98 | बोरेवेल की ड्रिलिंग करना और वेलरू पंचायत में वेलरू से कदमानचेर तक पाइप लाइन का विस्तार | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 7,00,000 | 1,75,000 | 1,75,000 | |
| 99 | पौनुलम पंचायत के पोओलुम गांव से मोटर 7.5HP सबमर्सिबल पंपसेट और पाइपलाइन के साथ बोल्डर क्षेत्र में बोरेवेल ड्रिलिंग करना | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |
| 100 | पौनुलम पंचायत के पूनुलम गांव से मोटर 7.5HP सबमर्सिबल पंपसेट और पाइपलाइन के साथ बोल्डर क्षेत्र में बोरेवेल ड्रिलिंग करना | पाने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |

जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर के माध्यम से

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 | ए. रेड्डीपालयम पंचायत में ए. रेड्डी पालयम से सोमसंबरी तक पाइपलाइन का विस्तार | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,80,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर के माध्यम से |
| 102 | तिरुपालैवनम-पंचायत में अम्मान कुलम में सुधार | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 24,00,000 | 6,00,000 | 6,00,000 | |
| 103 | पुंगुलाम पंचायत में कंचांड डीवार @ पीथूईस का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 104 | अलाडू पंचायत में अलाडू-कंचांड की दीवार @ पीथूईस का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 105 | वंजीवकम पंचायत में कम्पांड की दीवार @ पीथूईस का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,50,000 | 1,12,500 | 1,12,500 | |
| 106 | सोमबट्टू पंचायत में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 107 | बोयालूर पंचायत में रामनाथपुरम में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 108 | किलिकोडी पंचायत के परानामबेट्टु में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 109 | पलावरकाडु पंचायत में पञ्चोवरकाडु में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण | डे केयर केंद्र | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,10,000 | 2,27,500 | 2,27,500 | |
| 110 | कनियंबकम पंचायत में पुस्तकालय भवन का निर्माण | सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,80,000 | 2,45,000 | 2,45,000 | |
| 111 | अमाराम में उपमेलुलविल में पीडीएस शॉप का निर्माण | ग्रामीण विकास | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 9,60,000 | 2,40,000 | 2,40,000 | |
| 112 | कनियंबकम पंचायत में पीथूईस में आरओ सिस्टम प्रदान करना | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 113 | कट्टुर पंचायत में पीथूईस में आरओ सिस्टम प्रदान करना | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 114 | भेराटूर पंचायत में पीथूईस में मेराटूर में आरओ सिस्टम प्रदान करना | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |
| 115 | धेवस्तम पंचायत में पीथूईस में आरओ सिस्टम प्रदान करना | पीने का पानी | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 4,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|---------|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 116 | अवूर पंचायत में पीयूईएस में स्मार्ट क्लास प्रदान करना | शिक्षा-विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 117 | सेयानम पंचायत में पीयूईएस में स्मार्ट क्लास प्रदान करना | शिक्षा-विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 118 | पुंगुलाम पंचायत में पीयूईएस में स्मार्ट क्लास प्रदान करना | शिक्षा-विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 119 | अयुवरीवक्कम पंचायत में पीयूईएस में स्मार्ट क्लास प्रदान करना | शिक्षा-विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 120 | कडूर पंचायत में पीयूईएस में स्मार्ट क्लास प्रदान करना | शिक्षा-विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 2,00,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 121 | कडपक्कम पंचायत में कम्युनिटी हॉल के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ग्रामीण विकास | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 122 | बोयालूर पंचायत में कम्युनिटी हॉल के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 123 | थिरुपलाईवम पंचायत में कम्युनिटी हॉल के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 124 | थिरुवेलाईवलय पंचायत में कम्युनिटी हॉल के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 125 | अथिपट्टु पंचायत में कम्युनिटी हॉल के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 6,00,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
| 126 | थिरुपलाईवम पंचायत में चक्रवात आश्रय के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | |
| 127 | कडपक्कम पंचायत के अनारसामदम में चक्रवात आश्रय के लिए फ़नीचर्स और किचन यूटिलिटीज की आपूर्ति और फ़िक्सिंग | ढांचागत संरचना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 15,00,000 | 3,75,000 | 3,75,000 | |

वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियाँ

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना को कवर किया गया है | परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले को निदिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों में राशि का योगदान / खर्च उप प्रमुख: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स: (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | योगदान राशि / खर्च: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | हाई स्कूल में एडिशनल स्कूल भवन का निर्माण | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 30,00,000 | 7,50,000 | 7,50,000 | |
| 129 | मिजूर में @AD वेलेफेयर एलीमेंट्री स्कूल के लिए स्कूल फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद व आपूर्ति | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 130 | मिजूर में @AD वेलेफेयर हाई स्कूल के लिए स्कूल फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद व आपूर्ति | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 131 | वल्लूर में @AD वेलेफेयर एलीमेंट्री स्कूल के लिए स्कूल फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद व आपूर्ति | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 132 | वल्लूर में @AD वेलेफेयर हाई स्कूल के लिए स्कूल फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद व आपूर्ति | शिक्षा को बढ़ावा देना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 5,00,000 | 1,25,000 | 1,25,000 | |
| 133 | प्रशासनिक व्यय | सीएसआर सेल अधिकारियों की सलामता | (1) लागू नहीं (2) लागू नहीं | 51,995 | 51,995 | 51,995 | केपीएल द्वारा निर्देशित |
| 134 | सीईआर (कंसट्रेंसी खर्च) | पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु | 3,86,700 | 3,86,700 | 3,86,700 | |
| कुल | | | | 17,05,91,316 | 8,10,54,229 | 8,48,21,520 | |
| <p>6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण प्रदान करेगी।</p> <p>प्रशासनिक कारणों से, कंपनी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित धन खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए ₹.12.93 करोड़ की कुल बकाया राशि को आगे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ाया जाता है और अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को आगे वित्त वर्ष 2020-21 में लागू किया जाएगा।</p> | | | | | | | |
| <p>7. सीएसआर समिति का एक अंतरदाखिलपूर्ण विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।</p> <p>सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।</p> | | | | | | | |

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 09.09.2020

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और
अध्यक्ष सीएसआर समिति

2016-17 में 10 सीएसआर गतिविधियों की स्थिति

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि# | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम रुपये में (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | स्थिति पूरा किया गया/पूरा नहीं किया गया |
|---------|---|--|---|---|
| 1 | तालाब में मरम्मत का काम- नेथावोयल में योगदान के माध्यम से 50% काम | 25,00,000 | 25,00,000 | कार्य 30.11.2020 को पूरा होगा |
| 2 | मोथमबेडु में बोर वेल का विकास | 4,60,000 | 4,60,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 3 | मेरातुर में बस शेल्डर का निर्माण | 3,00,000 | 3,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 4 | चेंगल्लिमेट्टु में पानी के बांध की मरम्मत | 15,00,000 | 15,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 5 | एकीकृत महिला स्वच्छता परिसर-वायलूर कॉलोनी का विकास | 10,00,000 | 10,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 6 | थिरुपल्लिवानम -कन्युनिटी हॉल का निर्माण | 25,00,000 | 25,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 7 | कडप्पाकम गांव में मेल कालोनी इनर रोड का निर्माण | 10,00,000 | 10,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 8 | कडप्पाकम गांव में अंडरमद लिंक रोड का निर्माण | 10,00,000 | 10,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 9 | अट्टिपट्टू में बांध की मरम्मत | 28,90,000 | 28,90,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 10 | सीसी रोड-रेडियार पालयम से करमपेट्टु रोड (600 मीटर) का निर्माण | 13,45,000 | 13,45,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| | कुल | 1,44,95,000 | 1,44,95,000 | - |

जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर जिला के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में किए गए प्रोजेक्ट या कार्यक्रम

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में बताई गई 18 गतिविधियों के बदले 31 सीएसआर गतिविधियों की सूची

| क्र.सं. | पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि# | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम (रुपये में) | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपये में) | स्थिति पूरा किया गया/पूरा नहीं किया गया |
|---------|---|--|---|---|
| 1 | मेडू स्ट्रीट, वायलूर कुप्पम गांव में तार रोड बिछाने के लिए | 6,00,000 | 6,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 2 | लक्ष्मी अम्मन कोविल स्ट्रीट, वायलूर कुवाम गांव में तार रोड बिछाने के लिए | 6,00,000 | 6,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 3 | वायलूर गांव में तार सड़क बिछाने के लिए | 9,00,000 | 9,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 4 | रामनाथपुरम गांव, शुलुकनाथमन कोविल में सड़क बिछाने के लिए | 6,00,000 | 6,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 5 | रामनाथपुरम कॉलोनी में तार सड़क बनाने के लिए | 9,00,000 | 9,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 6 | उरणामबेडु गांव में कब्रिस्तान की भूमि का सुधार | 5,00,000 | 5,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 7 | वायलूर कुप्पम में कब्रिस्तान की भूमि का सुधार | 5,00,000 | 5,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 8 | वायलूर कॉलोनी में कब्रिस्तान की भूमि का सुधार | 5,00,000 | 5,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 9 | शर्मोचि पंचायत, पंचायत संघ मध्य विद्यालय में शौचालय का निर्माण करने के लिए | 3,60,000 | 3,60,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 10 | शर्मोचि पंचायत, पंचायत यूनिवर्सिटी मिडिल स्कूल में कंपाउंड की दीवार बनाने के लिए | 9,50,000 | 9,50,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 11 | शर्मोचि पंचायत में सार्वजनिक वितरण भवन का निर्माण करने के लिए | 9,60,000 | 9,60,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 12 | शर्मोचि पंचायत, बोरेल का विकास और शाथमनची कॉलोनी में पीने के पानी की सुविधा | 4,00,000 | 4,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 13 | शर्मोचि पंचायत, कब्रिस्तान की भूमि की ओर तार रोड बिछाने के लिए | 12,00,000 | 12,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 14 | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला - शर्मोचि पंचायत, इस्लाम कॉलोनी में तार रोड बिछाने के लिए | 10,00,000 | 10,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 15 | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला - शर्मोचि पंचायत, शर्मोचि कॉलोनी में तार रोड बिछाने के लिए | 14,00,000 | 14,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 16 | (1) स्थानीय क्षेत्र (2) तिरुवल्लूर जिला - शर्मोचि पंचायत, शर्मोचि गांव के बिग स्ट्रीट में तार रोड बिछाने के लिए | 14,00,000 | 14,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 17 | कट्टूर गाँव, कट्टूर पंचायत में एक नई पंचायत प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करने के लिए | 13,60,000 | 13,60,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 18 | कट्टूर पंचायत अबरामपुरम गाँव में 12 फीट ऊँचाई के साथ 30000 लीटर स्टोरेज वाटर टैंक का निर्माण करना | 14,00,000 | 14,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 19 | थिरुपलीवनम कॉलोनी, थिरुपलाइवनम पंचायत में 12 फीट ऊँचाई के साथ 30000 लीटर स्टोरेज वाटर टैंक का निर्माण करना | 14,00,000 | 14,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 20 | थिरुपलाइवनम पंचायत में तार रोड बिछाने के लिए, थिरुपलाइवनम से उन्नावक्कम तक | 42,00,000 | 42,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 21 | वंचिवक्कम गाँव, वंचिवक्कम पंचायत में तार रोड बिछाने के लिए | 24,18,000 | 24,18,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 22 | छोटे पझावकट्टूर गाँव, कडप्पक्कम पंचायत में तार रोड बिछाने के लिए | 8,67,000 | 8,67,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 23 | नीथाविल पंचायत, मुथांबुदु में पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण करने के लिए | 3,20,000 | 3,20,000 | कार्य 30.11.2020 को पूरा होगा |
| 24 | नीथाविल पंचायत, राजथुप्पु 12 फीट ऊँचाई के साथ 30000 लीटर स्टोरेज वाटर टैंक का निर्माण करने के लिए | 14,00,000 | 14,00,000 | कार्य 30.11.2020 को पूरा होगा |
| 25 | मुथुमारिम्मन कोविल स्ट्रीट, मुथांबुदु, नीथाविल पंचायत में पेवर ब्लॉक रोड बिछाने के लिए | 6,60,000 | 6,60,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 26 | तमिल कॉंजुर कॉलोनी, नीथाविल गाँव में ऊपरी स्तर के स्टोरेज टैंक तक कुलकर्मी तालाब से पेयजल सुविधाओं का विकास | 1,70,000 | 1,70,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 27 | थिरुवल्लिविल कॉलोनी, थिरुवल्लिविल पंचायत में बोरेल का निर्माण करने के लिए | 3,00,000 | 3,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 28 | शोटाकड कुल्लथुमुदु विनयार कोविल स्ट्रीट, मरुतुरा पंचायत में पेवर ब्लॉक रोड बिछाने के लिए | 7,50,000 | 7,50,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 29 | मरातुर कॉलोनी, मरातुर पंचायत में पेयजल पाइपलाइन कार्यों का विकास | 3,00,000 | 3,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 30 | अथीपट्टूर में पट्टामट्टी, अथीपट्टूर पंचायत में तार रोड बिछाने के लिए | 22,00,000 | 22,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| 31 | कलानी बुरियल ग्राउंड, कट्टूरपल्ली पंचायत तक कट्टूरपल्ली कुप्पम से तार रोड बिछाने के लिए | 10,00,000 | 10,00,000 | कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन की प्रतीक्षा |
| | कुल | 3,15,15,000 | 3,15,15,000 | |

जिला कलेक्टर, तिरुवल्लूर जिला के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में किए गए प्रोजेक्ट या कार्यक्रम

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स

अभ्यासरत कंपनी सचिव

पार्टनर

एस. धनपाल, बी. कॉम, बी.ए.बी.एल., एफ.सी.एस.

एन. रामनाथन, बी.कॉम., एफसीएस

स्मिता चिरिमार, एम.कॉम., एफसीएस, डीसीजी (आईसीएसआई)

आर. प्रथीपा, बी.सी.एस., ए.सी.एस.

फार्म नं. एमआर 3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के नियम संख्या 9 के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014]

सेवा,

सदस्यगण,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(पूर्व में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड)

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और **मैसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड** (पूर्व में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड), (इसके बाद कंपनी कहा जाए) द्वारा बेहतर कॉर्पोरेट कार्यों का पालन करने के लिए सचिवीय ऑडिट किया है।

हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर, सचिवीय ऑडिट का आयोजन किया गया था, जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और भरी गई रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के आधार पर और हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम, उन रिकॉर्ड्स के आधार पर, और इतनी जानकारी प्रदान की गई, जिससे यह पता चलता है कि हमारी राय और समझ में, कंपनी, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान का अनुपालन करती है और हमारी सीमित समीक्षा में भी, कंपनी के पास तरीके से विस्तारित करने के लिए उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं, और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है। हमने निम्न लागू प्रावधानों के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, पुस्तकों, पत्रों, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और भरी गई रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए और दर्ज किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बने नियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बने नियम, लागू अनुसार;

- II. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- III. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके अंतर्गत बने विनियम और उपनियम;
- IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बने नियम और विनियम, लागू विस्तार के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋण तक
- V. भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश।
 - ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015;
 - सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) विनियम, 2009;
 - डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जारी करने व शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ काम करने के बारे में;
 - जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009; तथा
 - एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

आई) कंपनी ने निम्नलिखित कानूनों को विशेष रूप से कंपनी पर लागू होने के रूप में पहचाना और सूचित किया है

1. भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908
2. इंटरनेशनल सेशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, 1974
3. अंतर्देशीय जहाज अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
4. मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
5. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011
6. संदभ सं. 18 (8) / 2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश (“डीपीई दिशानिर्देश”)

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- i. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (एसएस -1) और जनरल मीटिंग्स (एसएस -2) के संबंध में जारी किए गए सचिवीय मानक।
- ii. बीएसई लिमिटेड और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कंपनी द्वारा किया गया सूचीबद्ध अनुबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सभी संबंधितों अनुपालनों को छोड़कर आवश्यक सीमा के लिए उक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कंपनी द्वारा यह बताया गया है कि उनके पास डीपीई दिशानिर्देशों के तहत एक जोखिम प्रबंधन योजना है, लेकिन बोर्ड समय-समय पर समीक्षा करता है और जोखिम प्रबंधन योजना को एक अलग एजेंडे के रूप में लागू करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करता है और इसके अतिरिक्त कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कंपनी को कवर किया जाना बंद हो गया है।

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 19.08.2020

इस रिपोर्ट को हमारी समयावधि की गवाही के साथ पढ़ा जाना है जो परिशिष्ट A के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी के लिए लागू किए गए विभिन्न अधिनियमों के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक अधिकारियों और कंपनी द्वारा प्राप्त पत्र / नोटिस द्वारा उठाए गए मुद्दों को दूर करने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपाय शुरू किए हैं।

हम आगे बताते हैं कि, उपरोक्त खामियों के अधीन, संबंधित दस्तावेज जिन्हें हम दर्शाते हैं जो हैं:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ लागू अनुसार किया जाता है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड बैठक, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट जारी करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

निर्णय बहुमत पर लिया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को मिनट के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक में साधारण व्यवसाय के अलावा निम्नलिखित मामलों के लिए अपने सदस्यों की मंजूरी मांगी:

- कंपनी के निदेशक के रूप में एच एन अश्वथ (डीआईएन 7754393) की नियुक्ति, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी ऑडिट केवल उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए की गई थी जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हैं और हम कंपनी की ओर से उन अनुपालन में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(अभ्यासरत कंपनी सचिव फर्म)

ह.

एन रामनाथन

(पार्टनर)

एफसीएस 6665 सीपी नंबर 11084

यूडिएएन : एफ006665बी000594274

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स

अभ्यासरत कंपनी सचिव

सेवा

सदस्य,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(पूर्व में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड),

चेन्नै

प्रबंधन की जिम्मेदारी

ए. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

बी. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में सचिवीय रिकॉर्ड,

कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाले मानकों और प्रक्रियाएं पर एक राय व्यक्त करने की थी।

सी. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त ऑडिट प्रमाण और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

डी. जहां कभी आवश्यकता होती है, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं और नीतियों, मूल्यांकन और प्रक्रियाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

अस्वीकरण

ई. सचिवीय ऑडिट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वस्त है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया।

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(अभ्यासरत कंपनी सचिव फर्म)

ह.

एन रामनाथन

(पार्टनर)

एफसीएस 6665 सीपी नंबर 11084

यूडिएएन: एफ006665बी000594274

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 19.08.2020

परिशिष्ट - III

कंपनीज (लेखा) के नियम 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के अंतर्गत जानकारी

ए) ऊर्जा का संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

(क) विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, ऊर्जा लेखा परीक्षक फरवरी 2020 के दौरान मैसर्स ग्रीन्सर्व एनर्जी द्वारा किया गया था और केपीएल प्रबंधन के लिए एकत्र रिपोर्ट और डेटा की विस्तृत प्रस्तुति प्रदान की। ऑडिटर द्वारा निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण उपायों की सिफारिश की गई थी।

1. ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में जवाहर बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल दोनों में फाल्स सीलिंग के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट के रिसाव की सूचना।
2. प्रकाश व्यवस्था की परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए चेयरमैन के चैंबर और अन्य पैदल मार्गों के बाहर गलियारे में शौचालय और बोर्ड रूम और मोशन सेंसर में ऑक्यूपेंसी सेंसर लगाना।
3. सिग्नल स्टेशन में अतिरिक्त 40KW नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और मौजूदा भंडारण प्रणाली का नवीनीकरण।
4. सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन स्थापित करना जो वितरण घाटे को कम करने में मदद करेगा।

उपरोक्त सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

(ख) प्रभाव:

- ऊर्जा दक्षता।
- पर्यावरण के अनुकूल।
- वितरण घाटे को कम करना और ऊर्जा का संरक्षण करना।
- पिछले साल यानी 2018-19 की तुलना में लगभग 10,980 यूनिट (KWh) बिजली की खपत बचाई गई थी।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

कंपनी परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए संभावनाएं तलाश रही है। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण और जहां भी संभव हो, बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए, आवश्यकतानुसार समेकन किया जाता है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: कोई नहीं।

बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

i) एसएपी ईआरपी सिस्टम

केपीएल ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे बजट, लेखा और वित्त, एचआर और पेरोल, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली, आदि को कवर करते हुए एसएपी एस / 4 एचएएनए 1610 ईआरपी प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है।

- केपीएल में एसएपी एस/4 एचएएनए 1610 ईआरपी सिस्टम मई 2018 में पूरी तरह से लगाया गया। एसएपी ईआरपी सिस्टम में वित्त और लेखा, एचआर और पेरोल, प्रोजेक्ट सिस्टम और मटीरियल मैनेजमेंट और फाइल लाइफसाइकल मैनेजमेंट (एफएलएम) के सभी व्यावसायिक कार्य शामिल हैं। और सभी लेन-देन एसएपी में किए जा रहे हैं।
- एसएपी—ईएसएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के अनुरोध / दावे और ऋण भी किए जा रहे हैं। कर्मचारी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन भी एसएपी — ईएसएस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
- पोस्ट डिप्लोयमेंट एन्हांसमेंट को एसएमएस अलर्ट, ई-मेल अलर्ट, पुरानी प्रणालियों से स्वचालित डेटा अंतरण जैसे पीओएम, एलएमएस के लिए भी लागू किया गया है।
- व्यापार खुफिया / व्यावसायिक वस्तुओं (बीआई / बीओ) को पोर्टे सांख्यिकी के लिए ग्राफिकल प्रस्तुति / डैशबोर्ड प्रदान करते हुए लागू किया गया है।
- एसएपी में ही संपूर्ण पोर्टे ऑपेरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं जो समग्र आईटी उपयोग को बढ़ाएगा और समग्र उत्पादकता बढ़ाने, ग्राहक सेवाओं, सेवा स्तर प्रतिबद्धताओं, इष्टतम स्तर में संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने आदि के मामले में केपीएल को आगे ले जाएगा।

ii) लाभ

एचआर / पेरोल, वित्त और लेखा, खरीद और अनुबंध और परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीएस), कर्मचारी अनुरोध / दावा और ऋण प्रक्रियाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाएं और कार्यबल कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं। इनसे लागत में कमी के कारण लेनदेन क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हुई।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात वित्तीय वर्ष की शुरुआत से शुरू हुआ

अ) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण: लागू नहीं है

आ) आयात का वर्ष: लागू नहीं

इ) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है: लागू नहीं है

ई) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण: लागू नहीं है

iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: शून्य

सी) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो:

विदेशी मुद्रा आय शून्य है और विदेशी मुद्रा ऋण की विदेशी सेवाओं के लिए रु. 103.84 करोड़ है।

निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
ह.

सुनील पालीवाल आई.ए.एस.
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 09.09.2020

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1.0 प्रशासन की संहिता पर कंपनी के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण

कॉर्पोरेट शासन कंपनी को निर्देशित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक विडंबनापूर्ण और प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का एक समूह है जो कंपनी के प्रबंधन, शेयरधारकों और बोर्ड को कानूनी, नियामक, प्रतिस्पर्धी, आर्थिक, नैतिक और अन्य सामाजिक बलों द्वारा परिभाषित एक बड़े सामाजिक संदर्भ के भीतर बांधता है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के मुख्य सिद्धांतों को उच्च प्राथमिकता देती है और मानती है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य निवेशकों की रक्षा करना है; संगठन में उचित, व्यवस्थित और कुशल संचालन वातावरण बनाए रखें। इसके लिए कंपनी निदेशक मंडल के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और मानकों का पालन करती है, वित्तीय और गैर-वित्तीय खुलासे जिससे सभी कार्यों में नैतिक मूल्य जुड़ते हैं जो सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हैं।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 31.03.2020 को निदेशक मंडल की रचना और श्रेणी कार्यकारी निदेशक

श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नामांकित निदेशक

श्री पी. रवीन्द्रन, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (सिएचपीटी) के नामित निदेशक

श्री सिरिल सी जॉर्ज, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (सिएचपीटी) के नामित निदेशक

गैर-आधिकारिक अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव

वर्ष के दौरान बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने तक बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

अ) श्री ए. के. सरन को 15.05.2019 को भारत सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में स्थगन कर दिया गया और 15.05.2019 से ही उनके स्थान पर श्री एच. एन. अश्वथ को भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, केपीएल में सिएपीटी को द्वारा आयोजित संपूर्ण शेयरों की बिक्री के लिए, उन्होंने सरकारी नामित निदेशक के रूप में 27.03.2020 के प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और श्री सिरिल सी जॉर्ज, उपाध्यक्ष चेन्नै पोर्ट को उनके स्थान पर नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जो कि केपीएल के बोर्ड में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त संचार के अनुसार इसके पत्र क्रमांक / केपीएल सेल / 2020 / एफ दिनांक 28.08.2020 को श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, केपीएल बोर्ड में सिएचपीटी के नामित निदेशक श्री सिरिल सी जॉर्ज के स्थान पर भेजा गया। अध्यक्ष, सिएचपीटी और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा के अनुरूप, श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, उपाध्यक्ष, सिएचपीटी को श्री सिरिल के जॉर्ज वीएफ 04.09.2020 के स्थान पर केपीएल के बोर्ड में चेन्नै पोर्ट के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

आ) पत्र संख्या पीडी-27/12/2017/पीडी-1/पीडी-1 और कार्यालय आदेश संख्या 26/2019 दिनांक 14.06.2019 के तहत, श्री पी। रवीन्द्रन का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार का कार्यकाल बढ़ाया गया था

एक वर्ष की अवधि के लिए 08.06.2019, या पद के लिए नियमित रूप से अवलंबी की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी इसके बाद का सबसे प्रारंभिक पत्र है कोई पीडी-27/12/2017-पीडी-1/पीडी-1 और कार्यालय आदेश संख्या 32 / 2019 दिनांक 19 अगस्त 2019, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी), कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी के लिए संप्रेषण किया। नं. 1 / 3/2019-ईओ (एसएम -1) दिनांक 14 अगस्त 2019 श्री सुनील पालीवाल, एएएस (टिएन: 1993) की नियुक्ति के लिए केबिएल के सिएमटी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो तक के लिए सीएमडी का कार्यभार सौंपा गया।

इ) पत्र संख्या पिडि -27/30/2017 / पिडि-1 दिनांक 06.11.2019 के तहत पोत परिवहन मंत्रालय ने श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव की नियुक्ति के लिए एसीसी की स्वीकृति से अवगत कराया। श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, कामराजर पोर्ट लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में, 3 वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यू.बी. उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो उन्हें बोर्ड में 11.11.2019 को नियुक्त किया गया था।

ई) श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी को 31.01.2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पदमुक्त कर दिया गया।

उ) श्री पी. रवीन्द्रन आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पात्र होने के कारण वे स्वयं पुनर्नियुक्ति किए गए।

ऊ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिन और इसके नियमानुसार, श्री सुनील पालीवाल, ए.ए.एस., श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव और श्री एस. बालाजी अरुणकुमार के नाम निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के लिए वार्षिक आम बैठक में रखा गया है। आगामी एजीएम में नियुक्त / फिर से नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों की एक संक्षिप्त सूचना एजीएम को सूचना के रूप में दी जाती है।

2.2 बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन

बोर्ड के अपने स्वयं के प्रदर्शन के द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके का संकेत देने वाला एक बयान और एक सरकारी कंपनी के लिए उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबंधित मंत्रालय द्वारा निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है। आपकी कंपनी 27 मार्च 2020 तक एक सरकारी कंपनी रही है और तदनुसार यह आवश्यकता वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लागू नहीं थी।

2.3 बैठक की तारीखों के साथ आयोजित बोर्ड बैठक की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 24.05.2019, 26.08.2019, 21.10.2019, 13.11.2019, 03.01.2020, 06.03.2020 और 27.03.2020 को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं।

2.4 प्रत्येक निदेशक द्वारा आयोजित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति, अंतिम एजीएम, निदेशकों की संख्या और उनमें से प्रत्येक की समिति की सदस्यता / अध्यक्षता

| निदेशक का नाम | निदेशक का पद | वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक की संख्या | बोर्ड की बैठक में भाग लेने की संख्या | अंतिम एजीएम में भाग लिया | 31 मार्च 2020 तक अन्य निर्देशन | समितियों की संख्या सभी कंपनियों में * | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | सदस्य के रूप में ** 31 मार्च 2020 तक | अध्यक्ष के रूप में ** 31 मार्च 2020 तक |
| श्री सुनील पालीवाल | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 16.09.2019 से | 5 | 5 | *** | 2 | एम-एसी-केपीएल एम-एसआरसी-केपीएल | एसी-एससीएल |
| श्री पी. रवीन्द्रन | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 13.06.2018 से 16.09.2019 तक | 2 | 2 | हाँ | 3 | एम-एसी-केपीएल/एसी-एससीएल | एसआरसी-केपीएल |
| | चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नामित निदेशक (16.09.2019 से) | 5 | 5 | | | | |
| श्री एच. एन. अश्वथ | भारत सरकार के नामित निदेशक (15.05.2019 से 27.03.2020 तक) | 7 | 7 | हाँ | **** | **** | **** |
| श्री सिरिल सी जॉर्ज | चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के नामित निदेशक (27.03.2020 से 04.09.2020 तक) | लागू नहीं | लागू नहीं | *** | 2 | शून्य | शून्य |
| श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी | स्वतंत्र निदेशक (31.01.2020 तक) | 5 | 5 | हाँ | **** | **** | **** |
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | स्वतंत्र निदेशक (11.11.2019 से) | 4 | 4 | *** | 1 | शून्य | एसी-केपीएल |

संकेतन : एम-मेम्बर, एसी - ऑडिट कमेटी, एसआरसी - स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एससीएल - सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

* ऑडिट कमेटी की अध्यक्षता और सदस्यता / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के हितधारकों की संबंध समिति (केपीएल सहित)

** कंपनी / समिति में उनके कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराए गए आंकड़ों / विवरणों के अनुसार

*** एजीएम की तारीख पर निदेशक नहीं थे

**** 31.03.2020 को निदेशक नहीं था

3.0 निदेशक मंडल की समिति

विभिन्न बोर्ड स्तर की समितियाँ विभिन्न नियमों, विनियमों, अधिनियमों के अनुसार लागू की जा सकती हैं। उचित विचार-विमर्श के बाद समितियाँ बोर्ड को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें देती हैं। विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त को सचिवीय मानकों के अनुसार जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बोर्ड की विभिन्न समितियाँ इस प्रकार हैं :

3.1 लेखापरीक्षा समिति

अ. संदर्भ की शर्तें :

ऑडिट कमेटी के संदर्भ की भूमिका और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार है। यह अंतर-अन्य में शामिल है :

- लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, लेखा परीक्षा की प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और

विश्वसनीय है, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी वित्तीय जानकारी का खुलासा;

- बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना,
- आंतरिक लेखापरीक्षा समारोह की पर्याप्तता की समीक्षा करना,
- आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना,
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच,
- बिल्सल ब्लोअर तंत्र आदि के कामकाज की समीक्षा

आ. लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31.03.2020 को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | - | अध्यक्ष |
| श्री सुनील पालीवाल | - | सदस्य |
| श्री पी. रवीन्द्रन | - | सदस्य |

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री ए.के. सरण 15.05.2019 को समिति के सदस्य के रूप में निरस्त हो चुके थे। श्री एच. एन. अश्वथ को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में 17.05.2019 को शामिल किया गया और 27.03.2020 को उन्हें पदभार से मुक्त कर दिया गया। श्री सुनील पालीवाल को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव को 24.12.2019 से ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। श्रीमती एल.विक्टोरिया गौरी को 31.01.2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ऑडिट कमेटी के सदस्य के पद से मुक्त कर दिया गया।

कंपनी सचिव, यहां लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। श्री एम. गुणनासेकरन, महाप्रबंधक (वित्त)-कम-सीएफओ, लेखा परीक्षा समिति के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

इ. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान, 24.05.2019, 26.08.2019, 13.11.2019 और 06.03.2020 को चार ऑडिट समिति की बैठकें हुईं।

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति :

| सदस्य | भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की संख्या | बैठक में उपस्थित |
|-----------------------------|--|------------------|
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | 1 | 1 |
| श्री सुनील पालीवाल | 2 | 2 |
| श्री पी. रवीन्द्रन | 4 | 4 |
| श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी | 3 | 3 |
| श्री एच. एन. अश्वथ | 3 | 3 |

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों और विभिन्न कार्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑडिट समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी 27 मार्च 2020 तक एक सरकारी कंपनी थी। एक सरकारी कंपनी में, पूरे समय के निदेशकों के पारिश्रमिक की नियुक्ति और नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों का पारिश्रमिक उनके संबंधित सरकारी नियमों द्वारा शासित होता है। स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस का भुगतान किया जाता है। अन्य कर्मचारियों का वेतनमान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय किया गया है।

अ. संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया गया है और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वितरण के लिए नीति है। डीपीई दिशानिर्देश 27 मार्च 2020 तक लागू थे। समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश भी देती है।

आ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचनावर्तमान में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | - | अध्यक्ष |
| श्री पी. रवीन्द्रन | - | सदस्य |
| श्री एस. बालाजी अरुणकुमार | - | सदस्य |
| श्री सुनील पालीवाल | - | सदस्य |

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री एच. एन. अश्वथ को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, उनका यह पदभार 17.05.2019 और 27.03.2020 को समाप्त हो गया। श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव को 24.12.2019 से इस समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। श्रीमती एल.विक्टोरिया गोवरी को 31.01.2020 को इस समिति के सदस्य होने पर पदभार से मुक्त कर दिया गया है। श्री साइरिल सी जॉर्ज को 11.05.2020 से इस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एस. बालाजी अरुणकुमार को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कंपनी सचिव, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

इ. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान, 26.08.2019 और 27.03.2020 को दो नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें हुईं।

वर्ष 2019-20 के दौरान उपस्थिति

| सदस्य | अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठक में उपस्थित |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | 1 | 1 |
| श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी | 1 | 1 |
| श्री पी. रवीन्द्रन | 2 | 2 |
| श्री एच. एन. अश्वथ | 2 | 2 |

पारिश्रमिक निदेशकों द्वारा प्राप्त कार्यात्मक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भुगतान किए गए कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण :

| निदेशकों का नाम | वेतन और अन्य भत्ते (₹.) | बोनस / कमीशन / पीआरपी (₹.) | कुल (₹.) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| श्री पी.रवीन्द्रन * 15.09.2019 तक | - | - | - |
| श्री सुनील पालीवाल 16.09.2019 से | 27,71,671 | - | 27,71,671 ** |

* लागू नहीं - सीएमडी के रूप में वह अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे

** ऊपर उल्लिखित कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) और भविष्य निधि (नियोक्ता के योगदान सहित) के तहत अनुलाभ का मूल्य शामिल नहीं है।

3.3 शेयर आवंटन और शेयर हस्तांतरण समिति

ए. संदर्भ की शर्तें

शेयर आवंटन और शेयर अंतरण समिति का गठन कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शेयरों और/या अन्य प्रतिभूतियों के आवंटन में शामिल करने के लिए किया

गया था, जिसमें शेयर प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने और जारी करने और शामिल होने और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर कंपनी के शेयरों और / या अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में प्रभाव प्रदान करना शामिल था।

बी. समिति की संरचना

दिनांक के अनुसार शेयर आवंटन और शेयर हस्तांतरण समिति इस प्रकार है

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| श्री एस. बालाजी अरुणकुमार | - | अध्यक्ष |
| श्री सुनील पालीवाल | - | सदस्य |

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री एच. एन. अश्वथ को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया, जो 24.05.2019 को और 27.03.2020 को समाप्त हो गया। श्री पी. रवीन्द्रन को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। श्री रवीन्द्रन 21.10.2019 को सदस्य बने और श्री सुनील पालीवाल को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। श्रीमती एल.विक्टोरिया गौरी को 31.01.2020 को इस समिति के सदस्य होने पर पदभार से मुक्त कर दिया गया है। श्री सिरिल सी जॉर्ज को 11.05.2020 को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। श्री एस. बालाजी अरुणकुमार को इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सी. बैठक और वर्ष के दौरान उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान 06.09.2019, 03.01.2020 और 27.03.2020 को तीन शेयर आवंटन और शेयर हस्तांतरण समिति की बैठक हुई।

वर्ष 2019-20 के दौरान उपस्थिति :

| सदस्य | अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठक में उपस्थित |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| श्री एच. एन. अश्वथ | 3 | 3 |
| श्री सुनील पालीवाल | 2 | 2 |
| श्री पी. रवीन्द्रन | 1 | 1 |
| श्रीमती एल विक्टोरिया गौरी | 2 | 2 |

3.4 हितधारक संबंध समिति

ए. संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति बॉन्डधारकों की शिकायतों / शिकायतों के निवारण और ब्याज / हस्तांतरण / पारेषण के प्रसारण और अन्य विविध शिकायतों के निवारण में लगती है।

बी. संरचना

31.03.2020 तक स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

| | | |
|--------------------|---|---------|
| श्री पी. रवीन्द्रन | - | अध्यक्ष |
| श्री सुनील पालीवाल | - | सदस्य |

वर्ष 2019-20 के दौरान,

- श्री पी. रवीन्द्रन को इस समिति के सदस्य के रूप में 25.09.2019 को पदमुक्त कर दिया गया था और 24.12.2019 को वह फिर से अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए।

- श्री सुनील पालीवाल को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- श्रीमती एल.विक्टोरिया गौरी को 24.12.2019 को इस समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पदभार से मुक्त कर दिया गया है।
- श्री एम. गुणसेकरन 24.12.2019 को समिति के सदस्य पद से मुक्त कर दिए गए थे।
- श्री एच. एन. अश्वथ को 24.12.2019 को समिति के सदस्य पद से मुक्त कर दिया गया था। कंपनी सचिव, स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप कमेटी के सचिव के रूप में कार्य करता है।

सी. बैठक और वर्ष के दौरान उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान 24.05.2019, 26.08.2019, 21.10.2019 और 06.03.2020 को चार स्टेकहोल्डर संबंध समिति की बैठकें हुईं।

डी. वर्ष 2019-20 के दौरान उपस्थिति:

| सदस्य | बैठक में भाग लेने के पात्र | बैठक में उपस्थित |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| श्री पी. रवीन्द्रन | 3 | 3 |
| श्री सुनील पालीवाल | 2 | 2 |
| श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी | 3 | 3 |
| श्री एच. एन. अश्वथ | 1 | 1 |
| श्री एम. गुणसेकरन | 3 | 2 |

3.5 सीएसआर और स्थिरता विकास पर बोर्ड स्तर की समिति

ए. संदर्भ की शर्तें:

संदर्भ की शर्तों में प्रस्तावों के साथ अंतरिया सिफारिशें, बोर्ड को किए जाने वाले व्यय की राशि शामिल है। सीएसआर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बी. संरचना

सीएसआर और कंपनी की स्थिरता विकास पर बोर्ड स्तर की समिति में 31.03.2020 पर निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| श्री सुनील पालीवाल | - | अध्यक्ष |
| श्री पी. रवीन्द्रन | - | सदस्य |
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | - | सदस्य |

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री एच. एन. अश्वथ को 17.05.2019 को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और 27.03.2020 को उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था। श्री सुनील पालीवाल को 25.09.2019 को समिति के अध्यक्ष रहे श्री पी. रवीन्द्रन के स्थान पर इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव को 24.12.2019 से इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। श्रीमती एल.विक्टोरिया गौरी को 31.01.2020 से समिति के सदस्य पद से मुक्त किया गया। श्री सिरिल सी जॉर्ज को 11.05.2020 को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, श्री एस. बालाजी अरुणकुमार को श्री सिरिल सी जॉर्ज के स्थान पर इस समिति के सदस्य

के रूप में 09.09.2020 को शामिल किया गया। सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पर 09.09.2020 की बोर्ड स्तरीय समिति नीचे दी गई है।

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| श्री सुनील पालीवाल | - | अध्यक्ष |
| श्री पी. रवीन्द्रन | - | सदस्य |
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | - | सदस्य |
| श्री एस. बालाजी अरुणकुमार | - | सदस्य |

श्री पी. राधाकृष्णन, टिजिएम (सी) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर और सतत विकास पर समिति की चार बैठकें 26.08.2019, 21.10.2019, 13.11.2019 और 06.03.2020 को आयोजित की गईं।

| सदस्य | बैठक में भाग लेने के पात्र | बैठक में उपस्थित |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| श्री सुनील पालीवाल | 3 | 3 |
| श्री पी. रवीन्द्रन | 4 | 4 |
| श्री एच. एन. अश्वथ | 4 | 4 |
| श्रीमती एल. विक्टोरिया गौरी | 3 | 3 |
| श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव | 1 | 1 |

4.0 जनरल बॉडी मीटिंग

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए एजीएम की तिथि, समय और स्थान और पास किए गए विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :

| वर्ष | दिनांक | समय | स्थान | पारित विशेष प्रस्ताव |
|---------|------------|-----------|---|----------------------|
| 2018-19 | 06.09.2019 | 12.15 p.m | कंपनी-600 001 के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड रूम संचालित | शून्य |
| 2017-18 | 24.09.2018 | 11.00 a.m | कंपनी-600 001 के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड रूम संचालित | शून्य |
| 2016-17 | 21.09.2017 | 11.30 a.m | कंपनी-600 001 के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड रूम संचालित | शून्य |

5.0 प्रकटीकरण

- संबंधित पार्टी लेनदेन नोट संख्या 30 (12) में वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा किए गए हैं।
- कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई भी राष्ट्रपति के निर्देश नहीं मिले हैं।
- नोटों का नोट नंबर 15, 25.03.2020 को दर्ज शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी द्वारा चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी में आयोजित संपूर्ण इक्विटी शेयरों के भारत सरकार के विनिवेश को संदर्भित करता है।

- कंपनी के अधिनियम, 2013 या किसी अन्य वैधानिक कानूनों के प्रावधानों का पालन न करने का कोई मामला नहीं था, सिवाय अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति। चूंकि कंपनी 27.3.2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम थी, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी थी कंपनी इस संबंध में मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अनुसरण कर रहे थे। इसके बाद, कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति के लिए नए प्रमोटर चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के साथ काम किया। सांविधिक अधिकारियों ने भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम / नियमों के तहत कंपनी पर कोई बाध्यता या जुर्माना नहीं लगाया है।
- आपकी कंपनी की सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और कंपनी के किसी भी कर्मचारी को ऑडिट कमेटी तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है।
- व्यय की कोई वस्तु उन खातों की पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई थी जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थी। इसके अलावा, कोई भी व्यय नहीं किया गया था जो प्रकृति में व्यक्तिगत था और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया था।
- कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाण पत्र में कहा गया है। उसी की प्रतिक्रिया निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 38.1 में प्रदान की गई है।
- कंपनी के अंशकालिक निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ अजीबोगरीब संबंध या लेन-देन नहीं करता है।
- समीक्षाधीन वर्ष के लिए और पिछले वर्ष के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय का विवरण वार्षिक खातों में उपलब्ध है।
- केंद्र सरकार ने कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
- पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र क्रमांक पीडी-2 2017 /12/201/-पीडी-I / पीई-I (कार्यालय आदेश संख्या 32/2019) दिनांक 19 अगस्त, 2019 को सूचित किया है कि "के अनुसरण में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), कार्मिक मंत्रालय ओएम नंबर 1/3/2019-ईओ (एसएम-आई) दिनांक 14 अगस्त 2019, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस (टीएन: 1993) (जेएस स्तर) को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के स्तर 14 (₹. 1,44,200-2,18,200) वेतनमान पर प्रभार की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी हो पहले हो, तक अध्यक्ष-कम—प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त करता है।

6.0 आचार संहिता

कामराजर पोर्ट के प्रयास के हिस्से के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए एक उच्च आचरण का मानक स्थापित करने के लिए "व्यापार आचार संहिता और आचार संहिता" के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक नैतिक आचरण निर्धारित किया गया है। सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कामराजर पोर्ट के "व्यापार आचरण और आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

जैसा कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा—निर्देशों के तहत प्रदान किया गया है, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स' के अनुपालन की पुष्टि की है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह.

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 30.04.2020

(श्री सुनील पालीवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डिन 1310101)

7.0 बोर्ड सदस्यों की ट्रेनिंग

आपकी कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति है। निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- अपने चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टि-कोण के साथ बोर्ड को सशक्त और सुसज्जित करें और सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के अनुसार पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और नैतिक तरीके से अपनी भूमिका निभाएं।
- व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में संवेदनशीलता के बेहतर समझ को बढ़ावा देना जिसमें काम किया जाता है।
- कंपनी के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सेवा करके सीखने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण का प्रचार करना प्रशिक्षण में शामिल है।

8.0 लागू होने वाले नियमों के अनुपालन की समीक्षा

बोर्ड ने समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की है और सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 09.09 2020

9.0 संचार की बैठक

अर्धवार्षिक परिणाम : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टैक्स फ्री बॉन्ड्स की लिस्टिंग के उद्देश्य से, कंपनी ने 2019-20 के दौरान अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम / लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों को तुरंत रिकॉर्ड में ले लिया और इसके द्वारा अनुमोदित होने के बाद ये वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड सभी संस्करणों में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम डिबेंचर ट्यूटीज और बॉन्ड होल्डर्स को भी भेजे गए और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं।

वेबसाइट : कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in है। निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड वित्तीय विवरण भी वेब-साइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट प्रमुख आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति प्रदर्शित करती है।

वार्षिक रिपोर्ट : अंतर-आलिया, लेखा परीक्षित लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी युक्त वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है।

अनुपालन अधिकारी : कंपनी ने कर मुक्त बॉन्ड धारकों की सेवा के लिए श्री एम.गुनसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी को अनुपालन अधिकारी नामित किया है। ईमेल आईडी mguna@kplmail.in बॉन्ड धारकों के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए बनाया गया है।

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट : टैक्स फ्री बॉन्ड के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का विवरण, वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की 10 (15) (iv) (एच) के तहत जारी किया गया है, जो निम्नानुसार है :

लिंग इंडैम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सी-101,247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग

विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083

सार्वजनिक निर्गम-शेयर और बांड (आवंटन): 022 - 4918 6200

दूरभाष : 022 - 4918 6270/6000/6200

फैक्स : 022 - 4918 6060,

ई-मेल : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

निदेशक मंडल की ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह.

सुनील पालीवाल आई.ए.एस.

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डिन 01310101)

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स

अभ्यासरत कंपनी सचिव

पार्टनर

एस. धनपाल, बी. कॉम, बी.ए.बी.एल., एफ.सी.एस.

एन. रामनाथन, बी.कॉम., एफसीएस

स्मिता चिरिमर, एम.कॉम., एफसीएस, डीसीजी (आईसीएसआई)

आर.प्रथोपा, बी.सी.एस., ए.सी.एस.

निगमित प्रशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र (लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत)

सेवा,

सदस्यगण,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

संदर्भ सं. 18 (8) / 2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड चेन्नै ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की गई है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों की राय है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि संदर्भ सं. 18 (8) / 2005-जीएम ने 14 मई

2010 के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सभी संबंधित अनुपालनों को छोड़कर बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कंपनी के अनुसार उनके पास डीपीई दिशानिर्देशों के तहत एक जोखिम प्रबंधन योजना है, लेकिन बोर्ड समय-समय पर समीक्षा करता है और जोखिम प्रबंधन योजना को एक अलग एजेंडा के रूप में लागू करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करता है और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के कारण कंपनी कवर किया जाना बंद हो जाता है। कंपनी।

हमारे अनुसार इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(अभ्यासरत कंपनी सचिव फर्म)

ह.

स्मिता चिरिमर

पार्टनर

सदस्यता संख्या एफ8137

सीपी # 9357

दिनांक: 31.08.2020

जगह: चेन्नै

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

पोर्ट सेक्टर राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मौलिक क्षेत्र है और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के विकास से निकटता से संबंधित है। पोर्ट राष्ट्रीय ऊर्जा, कच्चे माल और अन्य थोक सामग्रियों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और व्यापार विकास का समर्थन होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, और देश की समग्र शक्ति में वृद्धि होती है।

भारत प्राकृतिक रूप से समुद्री लाभों से संपन्न है, जिसमें 13 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर एक रणनीतिक स्थान और 14,500 किमी के नौगम्य और संभावित नौगम्य जलमार्गों के साथ एक रणनीतिक स्थान है। मैरीटा-इम लॉजिस्टिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है, जो कि एक्सिम व्यापार के 90 प्रतिशत की मात्रा और 72 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से है। कंपनी स्टीयरिंग, स्टैकिंग, निकासी सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अत्यधिक एकीकृत पोर्ट सेवाएं प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के कार्गो को मुख्य रूप से कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, एलएनजी, रसायन, ऑटोमोबाइल, कंटेनर, जनरल कार्गो और अन्य सामान संभालती है।

1.0 वैश्विक अर्थव्यवस्था

उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं से निकलने वाले कारकों के कारण 2018 में मजबूत आर्थिक विकास के बाद 2019 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि काफी धीमी हो गई। कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समाप्त कर दिया है। वैश्विक व्यापार 2019 में वायरस के आने से पहले ही धीमा था, ट्रेड टेंशन से नीचे आया और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। पिछले वर्ष में 2.9% की वृद्धि के बाद विश्व व्यापार व्यापार में 0.1% वर्ष के लिए मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, 2019 में विश्व व्यापार निर्यात का डॉलर मूल्य 3% गिरकर 18.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। (स्रोत: डब्ल्यूटीओ)

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार तनाव अगस्त 2019 में फिर से बढ़ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस घोषणा के बाद कि वह 300 अरब डॉलर के चीनी आयात पर शुल्क लगाएगा। प्रतिशोध में, चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के \$ 75 बिलियन पर अतिरिक्त टैरिफ पेश किए। जैसा कि व्यापार विवाद और भी अधिक व्यापक होने का खतरा है, वैश्विक विकास दृष्टिकोण गहरा गया है। (स्रोत: डब्ल्यूटीओ)

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य

कोविड-19 महामारी का आर्थिक झटके की तुलना 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से की जा सकती है। ये संकट कुछ मामलों में समान हैं लेकिन दूसरों में बहुत भिन्न हैं। 2008-09 की तरह, सरकारों ने मंदी का मुकाबला करने और व्यवसायों और घरों को अस्थायी आय सहायता प्रदान करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति की पहल के साथ हस्तक्षेप किया है। लेकिन बीमारी के प्रसार को धीमा करने के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध और सामाजिक दूरी ने

श्रम आपूर्ति, परिवहन और यात्रा को सीधे प्रभावित किया है जो वित्तीय संकट के दौरान नहीं थे। इन परिस्थितियों में, पूर्वानुमान के लिए रोग की प्रगति के बारे में मजबूत धारणाएं और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बजाय अनुमान पर अधिक निर्भरता की आवश्यकता होती है। (स्रोत: डब्ल्यूटीओ)

आईएमएफ जून 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने कहा कि 2020 में ग्लोबल ग्रोथ निगेटिव (-4.9%) होने की संभावना है, जो अप्रैल 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) के पूर्वानुमान के 1.9 प्रतिशत अंक कम है। कोविड - 19 महामारी ने प्रत्याशित की तुलना में 2020 की पहली छमाही में गतिविधि पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला है, और वसूली की अपेक्षा अधिक क्रमिक होने का अनुमान है।

2008-09 के वित्तीय संकट के बाद, कोविड-19 व्यवधानों से प्रभावित होकर, माल के विश्व व्यापार में 2020 (वर्ष-दर-वर्ष) की दूसरी तिमाही में ऐतिहासिक रूप से 18.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के माल व्यापार बैरोमीटर की नवीनतम रीडिंग के अनुसार, तीसरी तिमाही में थोड़ी सी वसूली के संकेत हैं।

जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ ने कहा कि 2021 के लिए यह कोरोनावायरस के प्रकोप की अवधि और नीतिगत प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता के आधार पर 21% से 24% के बीच वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में एक पलटाव की भविष्यवाणी थी।

तात्कालिक लक्ष्य महामारी को नियंत्रण में लाना और लोगों, कंपनियों और देशों को आर्थिक क्षति को कम करना है। इसलिए नीति नियंता महामारी के बाद की योजना बनाना शुरू कर देंगे। आशावादी परिदृश्य के तहत, व्यापार को पूर्व-महामारी की प्रवृत्ति के करीब लाने के लिए वसूली काफी मजबूत होगी, जबकि निराशावादी परिदृश्य केवल आंशिक वसूली की परिकल्पना करता है। अनिश्चितताओं के स्तर को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक प्रक्षेपण आवश्यक रूप से बाद की वसूली का निर्धारण नहीं करता है। उदाहरण के लिए, निराशावादी परिदृश्य की तर्ज पर 2020 के व्यापार खंडों में भारी गिरावट देख सकता है, लेकिन एक समान रूप से नाटकीय पलटाव, 2020-21 या 2021-22 तक आशावादी परिदृश्य की रेखा के करीब व्यापार को बहुत करीब लाएगा।

पिछले दो दशकों के दौरान चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का बढ़ता महत्व न केवल उपभोक्ता उत्पादों के निर्माता और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति से संबंधित है। चीन विदेश में विनिर्माण कंपनियों के लिए मध्यवर्ती आदानों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन गया है। मध्यवर्ती आदानों की चीनी आपूर्ति में कमी से उत्पादक क्षमता प्रभावित हो सकती है और इसलिए किसी भी देश का निर्यात इस बात पर निर्भर करता है कि उसके उद्योग चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर कितने निर्भर हैं जबकि चीन की उत्पादक क्षमता पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में अभी भी अनिश्चितता है, हाल के आँकड़े अत्यधिक मंदी की ओर इशारा करते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर कोविड—19 का पूर्ण प्रभाव आने वाले महीनों में स्पष्ट हो जाएगा।

2.0 भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में आगे बढ़ी है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के दबाव ने स्वाभाविक रूप से अपनी परिवहन प्रणाली को पूरी क्षमता से आगे बढ़ाया है। अगले दो दशकों में बुनियादी ढांचे की बाधाओं को निर्णायक रूप से हल करने की तात्कालिकता को महसूस करते हुए, सरकार ने विकास के लक्ष्य और योजनाएं निर्धारित की हैं, जिसमें समावेशी आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखना है।

बल्क वस्तुओं की आवाजाही भारत की परिवहन प्रणाली की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। भारतीय रेलवे में माल ढुलाई का लगभग 61 प्रतिशत और कोयले के माल ढुलाई के मिश्रण का 24 प्रतिशत थर्मल कोयले का एकमात्र हिस्सा है। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स निकासी के तरीके को बदलना और मालवाहक वाहनों के लिए देश भर में रसद लागत को बचाना है। बंदरगाहों की परिचालन क्षमता में वृद्धि, रसद निकासी के अनुकूलन और भारत के लिए बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। परियोजना देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत तटीय राज्यों और जिलों से बन सकती है और 10 मिलियन नौकरियों, तटीय सामुदायिक कौशल निर्माण आदि के रूप में सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकती है।

पांच वस्तुएं देश भर में गतिशील मूल और गंतव्य बिंदुओं के साथ कुल निर्यात-आयात माल ढुलाई प्रचालन का ~ 80 प्रतिशत योगदान करती हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), लौह अयस्क, उर्वरक और कंटेनर शामिल हैं।

सागरमाला कार्यक्रम के तहत, सरकार ने वर्ष 2035 तक 1.42 ट्रिलियन (यूएस \$ 22 बिलियन) के निवेश के साथ बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 189 परियोजनाओं की कल्पना की है। शिपिंग मंत्रालय ने 2020 तक 3,130 से अधिक एमएमटी की लक्ष्य क्षमता निर्धारित की है, जो निजी क्षेत्र से भागीदारी द्वारा संचालित किया जाएगा। गैर-प्रमुख बंदरगाहों से इस क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है।

नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बंदरगाहों से भारत का कार्गो ट्रैफिक 2021-22 तक 1,695 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाहों के क्षेत्र में, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की परियोजनाओं की पहचान की गई है और आने वाले पांच वर्षों में सम्मानित किया जाएगा।

इसके अलावा, भारत सरकार ने बंदरगाहों और बंदरगाहों के निर्माण और रख-खाव से संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। एक 10-वर्ष की काल अवधि का विकास बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय बंदरगाहों के विकास, रख-खाव और संचालन के व्यवसाय में लगे उद्यमों के लिए किया

जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) भी शुरू किया है, जो 11.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नियोजित परिव्यय के साथ समुद्री क्षेत्र को विकसित करने की पहल है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग 0.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 2.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बढ़ती वैश्विक उतार-चढ़ाव के कारण बाद की तिमाही में विकास दर 7.3 प्रतिशत तक कम हो गई, मोटे तौर पर वित्तीय अस्थिरता से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यीकृत मौद्रिक नीति, व्यापार विवादों से बाहरी और निवेश पुनर्मूल्यांकन के कारण। इसके अलावा, भारतीय रुपये को कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण नुकसान हुआ, और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी के रूप में स्थितियों में तेजी आई। पोर्ट भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का लगभग 95% संभालते हैं। तेजी से आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि अगले 5 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का हिस्सा काफी हद तक बढ़ जाएगा।

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था परितृश्य

एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4% तक अनुबंधित होने की उम्मीद है। भारतीय जीडीपी में वृद्धि 2020 की पहली तिमाही में घटकर 3.1% हो गई, जो 2003 की शुरुआत से सबसे धीमी थी। पूरे वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर धीमी होकर 4.2% हो गई क्योंकि निर्यात और निवेश दोनों ही अनुबंधित होने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीए) ने मई में पहले यह अनुमान लगाया था कि कोविड-19 का प्रभाव प्रत्याशित की तुलना में अधिक गंभीर है और 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नकारात्मक क्षेत्र में रहने की संभावना है। वाशिंगटन ने विश्व बैंक के मुख्यालय में भारत की अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 3.2 प्रतिशत तक कम करने का अनुमान लगाया है, जो कोरोनावायरस वायरस की महामारी के कारण है। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को एक भारी झटका लगा है।

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस, फिच रेटिंग और एसएडपी ग्लोबल रेटिंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर में 4-5 प्रतिशत के संकुचन की भविष्यवाणी की है। क्रिसिल ने कहा है कि यह आजादी के बाद देश की चौथी मंदी होगी, उदारीकरण के बाद पहली और शायद आज तक की सबसे खराब।

3.0 भारतीय बंदरगाह क्षेत्र का प्रदर्शन

इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार मुख्य बंदरगाहों का प्रदर्शन इस प्रकार है

मुख्य बंदरगाहों में हैंडल किया गया ट्रेफिक

| बंदरगाह | अप्रैल से मार्च | | पूर्व वर्ष के ट्रेफिक के लिए % वेरिगेशन |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | 2019-20 | 2018-19 | |
| कोलकाता | | | |
| कोलकाता डॉक सिस्टम | 17,303 | 18,551 | -6.73 |
| हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स | 46,680 | 45,212 | 3.25 |
| कुल: कोलकाता | 63,983 | 63,763 | 0.35 |
| पारादीप | 1,12,689 | 1,09,275 | 3.12 |
| विशाखापत्तनम | 72,722 | 65,301 | 11.36 |
| कामराजार (एन्नोर) | 31,747 | 34,497 | -7.97 |
| चेन्नै | 46,759 | 53,012 | -11.80 |
| वी.ओ. चिदंबरनार | 36,076 | 34,342 | 5.05 |
| कोचीन | 34,038 | 32,022 | 6.30 |
| न्यू मैंगलोर | 39,145 | 42,508 | -7.91 |
| मोरमुगाओ | 16,019 | 17,683 | -9.41 |
| मुंबई | 60,696 | 60,588 | 0.18 |
| जेएनपीटी | 68,449 | 70,706 | -3.19 |
| दीनदयाल | 1,22,499 | 1,15,402 | 6.15 |
| कुल: | 7,04,822 | 6,99,099 | 0.82 |

भारत के राज्य के स्वामित्व वाले बंदरगाहों ने मार्च 2020 में कार्गो के संयुक्त 704.82 मिलियन टन (एमटी) को संभाला, जो कि लगभग 0.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करता है, आठ वर्षों में सबसे धीमा रहा।

इन प्रमुख बंदरगाहों में एक वर्ष में 1,524.91 मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की क्षमता है और वित्त वर्ष 2014 के कार्गो श्रुपट का 46.2 प्रतिशत के क्षमता उपयोग में परिवर्तित होता है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार मौजूदा क्षमता कम से कम 2025 तक विकास को पूरा करने में सक्षम होगी। वित्तीय वर्ष में, 12 बंदरगाहों ने कंटेनरों सहित 699.10 मीट्रिक टन कार्गो को संभाला - वित्त वर्ष 18 में 679.37 मीट्रिक टन से अधिक 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पिछली बार जब मेजर पोर्ट्स की वॉल्यूम में गिरावट दर्ज की गई थी, तो वित्त वर्ष 12 में गिरावट आई थी, जब उन्होंने वित्त वर्ष 2015 में 570.03 मीट्रिक टन से नीचे 560.14 मीट्रिक टन को संभाला था।

3.1 भारतीय पोर्ट सेक्टर प्रदर्शन परिदृश्य

देश के प्रमुख बंदरगाहों द्वारा संभाला गया कार्गो इस वित्त वर्ष 20-21 की पहली तिमाही में 141.92 से घटकर 19.68% मीट्रिक टन रह गया। इन प्रमुख बंदरगाहों ने 2018-19 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान 176.69 मीट्रिक टन कार्गो को संभाला था।

चेन्नै और कामराजार जैसे बंदरगाहों ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान अपने कार्गो वॉल्यूम में लगभग 40% की गिरावट देखी, जबकि कोलकाता को 30% से अधिक की गिरावट का सामना करना पड़ा। चेन्नै पोर्ट ने मालवाहक हैंडलिंग में 39.91% की गिरावट के साथ 7.28 मीट्रिक टन देखा, जबकि कामराजार पोर्ट

को अप्रैल-जून 2020 में 39.41% की गिरावट के साथ अप्रैल-जून 2020 में 5.16 मीट्रिक टन की गिरावट का सामना करना पड़ा। कोचीन बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग 33.78% फिसलकर 5.63 एमटी हो गया, जबकि जेएनपीटी पर यही 31.38% घटकर 12.09 एमटी हो गया। कोलकाता पोर्ट 27.26% की गिरावट के साथ 11.72 मीट्रिक टन हो गया। (स्रोत: आईपीए)

आईसीआरए के अनुसार, जबकि सभी कार्गो सेगमेंट कमजोर हैं, कंटेनर सेगमेंट पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सामान्य कार्गो श्रुपट पूरे वर्ष 2020-21 के लिए 5-8 प्रतिशत संकुचन का गवाह बन सकता है, कंटेनर सेगमेंट में इसी अवधि के दौरान 12-15 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है।

4.0 केपीएल का प्रदर्शन का अवलोकन

बंदरगाहों पर कार्गो को पांच प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि ड्राई बल्क कार्गो, तरल बल्क कार्गो, सामान्य कार्गो, कंटेनर और रो-रो वाहना

पोर्ट के शुरू होने के बाद से, यातायात की मात्रा 2001-02 में 3.40 मिलियन टन से लगभग 10 गुना बढ़ गई और वर्ष 2018-19 में 34.50 मिलियन टन हो गई। पिछले पांच वर्षों के दौरान संभाले गए कार्गो का विवरण नीचे दिया गया है:

| पिछले पाँच वर्षों में केपीएल में संभाला गया ट्रेफिक (मिलियन टन) | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| कार्गो | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| कोयला टीएनईबी | 21.07 | 18.83 | 17.27 | 18.26 | 14.11 |
| कोयला अन्य | 4.54 | 4.27 | 5.90 | 6.78 | 6.15 |
| पीओएल / रसायन / एलपीजी | 3.99 | 4.17 | 4.44 | 4.83 | 4.72 |
| कच्चा लोहा | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| अन्य कार्गो | 2.61 | 2.75 | 2.63 | 2.18 | 2.45 |
| कंटेनर | - | - | 0.05 | 1.10 | 2.52 |
| ब्रेक बल्क | - | - | 0.16 | 1.32 | 1.29 |
| एलएनजी | - | - | - | 0.03 | 0.51 |
| कुल | 32.21 | 30.02 | 30.45 | 34.50 | 31.75 |

4.1 परिदृश्य

केपीएल में मुख्य कार्गो हैंडलिंग थर्मल कोल है जिसके बाद कोक, पीओएल, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, एलएनजी और ब्रेक बल्क हैं।

कोविड-19 की जांच के लिए लॉकडाउन लगाने से 24 मार्च, 2020 से बिजली की मांग और औसत थर्मल पीएलएफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इसलिए धीमी गतिविधियों और नीतिगत कार्रवाइयों के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली की मांग में कम से कम 4-5% की कमी आने की उम्मीद है।

यह अनुमान है कि कंटेनर, कोयला और अन्य थोक कार्गो सबसे अधिक प्रभावित श्रेणियां हो सकती हैं। एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की तरह तरल कार्गो कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित होंगे, जिससे विकास की मांग बढ़ेगी

5.0 उद्योग संरचना, बाजार-परिदृश्य, अवसर और जोखिम, आउटलुक, जोखिम और चिंताएं।

उद्योग संरचना और बाजार परिदृश्य:

भारत में 12 प्रमुख और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत, देश में छह नए मेगा पोर्ट विकसित किए जाएंगे। भारतीय बंदरगाह और शिपिंग उद्योग देश के व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत दुनिया का सोलहवां सबसे बड़ा समुद्री देश है। भारत सरकार बंदरगाहों के क्षेत्र का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष में, भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने कार्गो ट्रैफिक के 704.82 मिलियन टन (एमटी) को संभाला, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 2.74 प्रतिशत का सीए-जीआर लगाया गया। वित्त वर्ष 2020 (दिसंबर 2019 तक) में गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात 447.21 मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

वित्त वर्ष में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 1,514.09 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) थी। सरकार ने मशीनीकरण के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार करने, मसौदे को गहरा करने और तेजी से निकासी के लिए कई उपाय किए हैं। (स्रोत: <https://www.ibef.org/industry/ports-india-shipping.aspx#> :)

आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार, “कोयले के आयात में जारी मंदी हाल के महीनों में आर्थिक मंदी के कारण सबसे अधिक संभावना है, जिसने समग्र मांग को नीचे लाया है। बिजली की मांग और फलस्वरूप थर्मल पावर उत्पादन में पिछले तीन से चार महीनों में गिरावट देखी गई है, जिसके साथ अन्य खपत उद्योगों में मंदी के परिणामस्वरूप कोयले की मांग आपूर्ति में कमी आई है। नए जोड़े गए नवीकरणीय क्षमता से उच्चतर पीढ़ी के प्रभाव से कोयले की मांग में भी वृद्धि हुई है। उपयोगकर्ताओं के साथ प्रणालीगत इन्वेंट्री संभवतः मांग में और मंदी की प्रत्याशा के बाद कम ऑर्डर के कारण भी नीचे है”।

वित्त वर्ष 19 की इसी अवधि में 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रैल-फरवरी में कुल कंटेनर मात्रा घटकर 3.5 प्रतिशत रह गई। गैर प्रमुख बंदरगाहों ने उच्च वृद्धिशील कार्गो वॉल्यूम को बनाए रखने के मामले में प्रमुख बंदरगाहों को पीछे छोड़ दिया है। यह प्रमुख बंदरगाहों द्वारा 1.1 प्रतिशत की तुलना में उनके द्वारा पंजीकृत 4.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि से स्पष्ट है। जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों पर कोयले में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह प्रमुख बंदरगाहों पर 9.4 प्रतिशत तक गिर गया। कंटेनर वृद्धि में भी, गैर-प्रमुख बंदरगाहों ने गैर-प्रमुख बंदरगाहों के लिए 2.2 प्रतिशत की तुलना में 5.8 प्रतिशत के साथ उच्च स्कोर किया।

पोर्ट विशेष रूप से ड्राई बल्क शिपमेंट के लिए कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए श्रमिकों की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। बंदरगाहों पर जनशक्ति की कमी और रसद की समस्याओं के कारण, परिणामी देरी और कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन और क्वारंटीन उपायों के कारण जहाजों की आवाजाही को लगभग रोक दिया गया।

भले ही पोर्ट सेवाओं को पोर्ट आवश्यक सेवाओं की सूची के तहत लाया गया है, लेकिन कुछ बर्थ के साथ आने वाले कुछ जहाजों को कार्गो संचालन को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि कुल कार्यबल का केवल 20-25% ही मौजूद थे। टर्कों की भी कमी है, जो बर्थ के साथ और भंडारण यार्ड में कार्गो निकासी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है।

आईसीआरए के एक अध्ययन में कहा गया है कि घातक कोरोना वायरस के सरफेसिंग के बाद, कई उद्योग जैसे रसायन, ड्राई और पिगमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल चीन में उत्पादन बंद होने के कारण अल्पकालिक आपूर्ति बाधित होने की संभावना है।

अधिक देशों में फैलने वाली बीमारी के कारण, बंदरगाहों पर निर्यात और आयात व्यापार को प्रभावित करने से आपूर्ति में व्यवधान अधिक स्पष्ट हो सकता है। “प्रभावित कार्गो श्रेणियों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम वाले बंदरगाह निकट अवधि में अपने कार्गो संस्करणों पर प्रभाव देख सकते हैं। आईसीआरए की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभाव की सीमा कोविड-19 के कारण उपभोक्ता मांग और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी की अवधि और बाद की वसूली की गति पर निर्भर होगी।

5.1 ताकत और कमजोरी

ताकत :

- पीपीपी / बीओटी ऑपरेटर्स के साथ पर्याप्त जोखिम साझाकरण के साथ लैंडलॉर्ड मॉडल
- पर्याप्त कनेक्टिविटी, जल सीमा और विस्तार के लिए उपलब्ध भूमि
- कैप्टिव और आम उपयोगकर्ता बर्थ का इष्टतम मिश्रण। केपीएल में स्थित ईस्ट कोस्ट पर 1 एलएनजी टर्मिनल।
- बड़े जहाजों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया डीप ड्राफ्ट पोर्ट
- कॉर्पोरेट पोर्ट होने के नाते कंपनी अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता के साथ निहित है।
- वर्तमान ऋण इक्विटी अनुपात के साथ, कंपनी निवेश के लिए धन जुटा सकती है।

कमजोरी:

- थर्मल कोल पर अधिक निर्भर, कोयला हैंडलिंग से पर्याप्त राजस्व आय के रूप में।

शमन उपाय के रूप में ऑटोमोबाइल, कंटेनर, पीओएल आदि जैसे अन्य कार्गो के विकास और संचालन

अवसर:

- पोर्ट पर निर्भर औद्योगिक क्षेत्र (प्रमुख रूप से ऑटो, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, बिजली और तेल क्षेत्रों में)
- चेन्नै और उसके उपनगरों में एलपीजी की खपत और सिटी गैस की आपूर्ति के प्रति नीतिगत प्रोत्साहन।
- क्षेत्र में बिजली क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि।
- भीतरी इलाकों में उद्योगों का विस्तार।

खतरे:

- एक ही हाइलैंड के लिए आसपास के क्षेत्रों में कई बंदरगाह अतिरिक्त क्षमता वाले विज़-ए-कार्गो की उपलब्धता और गहन प्रतिस्पर्धा के लिए अग्रणी हैं।
- क्षेत्र में अत्यधिक पर्यावरणीय सक्रियता।
- कर्नाटक के संभावित कृष्णापट्टनम बंदरगाह में संभावित आंतरिक क्षेत्र के लिए लंबी रेल लिंक।

रिस्क & कन्सर्न

कंपनी ने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत उद्यम जोखिम और अनुपालन प्रबंधन ढांचे और प्रक्रिया की स्थापना की है। जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है और नीचे सूचीबद्ध विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है जो कुछ प्रमुख जोखिम हैं।

प्रमुख जोखिम और उनकी रूपरेखा

| जोखिम | जोखिम की रूपरेखा |
|---|---|
| वित्तीय जोखिम | हमारी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे में, हम वित्तीय जोखिमों से अवगत हैं कि हमारी वृद्धि के उद्देश्यों, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव को प्राप्त करने के लिए तरलता तक हमारी पहुंच को प्रभावित करते हैं। कंपनी के लगातार मजबूत बैलेंस शीट और जगह पर उपलब्ध वित्तपोषण व्यवस्था के कारण यह जोखिम स्थिर बना हुआ है। |
| उद्योग की क्षमता और प्रतिस्पर्धा | हमारे परिचालन का उपयोग कार्गो वॉल्यूम को संभालने के लिए किसी भी उपलब्ध क्षमता से प्रभावित होता है। क्षमता में वृद्धि से आस-पास के बंदरगाहों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कमजोर मूल्य निर्धारण शक्ति, राजस्व की हानि हो सकती है। हम अपने बंदरगाहों और टर्मिनलों को बाजार की मांग के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित और परिष्कृत करते हैं और अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों में यातायात को बढ़ाने के लिए जितना संभव हो सके प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। |
| प्रमुख परियोजना योजना और परियोजना प्रबंधन | प्रमुख परियोजनाएं हमारे पोर्टफोलियो को फिर से आकार देने और हमारी रणनीति देने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हम कई उच्च-मूल्य, दीर्घकालिक परियोजनाओं में शामिल हैं जिन्हें पूरा होने में कई महीने या साल लग सकते हैं। ये परियोजनाएं, उनके स्वभाव के कारण, भू-राजनीतिक घटनाओं, प्रकृति की शक्तियों, अप्रत्याशित साइट की स्थितियों, प्रौद्योगिकी विकास और अन्य बाहरी कारकों के संपर्क में हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी, गुणवत्ता के मुद्दे या लागत की अधिकता हो सकती है। इन प्रमुख परियोजनाओं को देने में विफलता कंपनी को कम लाभप्रदता और संभावित नुकसान के जोखिम को उजागर कर सकती है। परियोजना के नियोजन और निष्पादन चरण के दौरान परियोजना जोखिमों का लगातार मूल्यांकन, शमन, प्रबंधन और रिपोर्ट किया जाता है। |
| पर्यावरण | जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से कानून और सरकारी विनियमों का एक बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो है, जिसके परिणाम हमारी नई परियोजनाओं के विकास पर पड़ सकते हैं। नए कानून और अन्य विकसित प्रथाएं हमारी विकासात्मक गतिविधि को प्रभावित कर सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। हालांकि, प्रस्तावित ईआईए अधिसूचना 2020 में विस्तार और वृद्धिशील क्षमता बढ़ाने के लिए एमओईएफ निकासी की प्रक्रिया को कारगर बनाने की उम्मीद है। हम अग्रणी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए अपने मानकों की लगातार समीक्षा और अद्यतन कर रहे हैं। परिचालन टर्मिनलों के संचालक (बीओटी) परिचालन, बुनियादी ढांचे में बदलाव और रेट्रोफिटिंग आदि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए रणनीति और कार्यों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भारत के बंदरगाहों को चुनौतियों संबंधी कई विकासात्मक, प्रक्रियात्मक और नीति संबंधी कारणों से विवश किया गया है। |
| एकाधिक एंजेंसी मॉडल | दोहरी संस्थागत संरचना ने प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विकास को अलग, असंबद्ध संस्थाओं के रूप में विकसित किया है। जबकि भारत में बंदरगाहों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा है, इसकी प्रभावशीलता संदिग्ध है। मुख्य समस्या यह है कि प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाह अलग-अलग न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं और अंतिम परिदृश्य की तरह अनिश्चितता बनी रहती है। |
| दक्षता: | भारतीय बंदरगाहों, विशेष रूप से प्रमुख बंदरगाहों में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की तुलना में परिचालन क्षमता में सुधार की बहुत गुंजाइश है। |

6.0 खंड वार प्रदर्शन

6.1 बिक्री प्रदर्शन

प्रबंधन "पोर्ट सर्विसेज" को एकमात्र रिपोर्टेबल सेगमेंट मानता है। वर्ष 2019-20 के दौरान सेवाओं की आय रु. 703.17 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 707.98 करोड़ था।

6.2 मात्रा

वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में 31.75 मिलियन टन कार्गो की मात्रा 34.50 मिलियन टन थी।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास आंतरिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें प्राधिकृत नीति दिशानिर्देशों और नियमावली के माध्यम से प्राधिकरण, पर्यवेक्षण और जांच और संतुलन और प्रक्रियाओं के उचित आंतरिक प्रतिनिधिमंडल हैं। इस प्रणाली की समीक्षा की जाती है और समय-समय पर इसे सुधारने और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन किया जाता है।

8. परिचालनात्मक प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

- बोर्ड की रिपोर्ट देखें।

9. मानव संसाधन में सामग्री विकास, औद्योगिक संबंध मोर्चा, जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या

- बोर्ड की रिपोर्ट देखें।

10. पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

- बोर्ड की रिपोर्ट देखें।

11. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

- बोर्ड की रिपोर्ट देखें।

12. सावधानी विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, मान्यताओं या भविष्यवाणियों का वर्णन करते हुए लागू नियमों और विनियमों के अर्थ में आगे देखे जा सकते हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकार की नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर संबंधित जोखिमों या अनिश्चितताओं के कारण अग्रेषित दिखने वाले विवरण द्वारा व्यक्त या निहित होने से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को सावधान किया जाता है कि वे इस विवरण पर अनुचित निर्भरता न रखें।

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह.

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन नंबर 01310101)

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 09.09.2020



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नै

दिनांक 26.08.2020

न.टीजिसीए/चेन्नै/सीए-/केपिएल/2020-21/80

सेवा

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल,
जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

महोदय,

विषय:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

मैं 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नै के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को आगे बढ़ाता हूँ।

कंपनी की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की पांच प्रतियां इस कार्यालय में भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तारीख की सूचना भी दी जा सकती है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

इस पत्र की प्राप्ति कृपया स्वीकार की जाए।
आपका आभारी,
ह.

(आर.अम्बलवाणन)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षक महानिदेशक, चेन्नै

संलग्न: लेखा परीक्षण प्रमाणपत्र

इंडियन आईल भवन, स्तर - 2, 139 महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै - 600 034.
फोन: 044-28330147 फैक्स: 044-28330142/145 ईमेल: mabchennai@cag.gov.in

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चैन्नै के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी के अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजार पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा 29 जून 2020 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट वर्णित की गई।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजार पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म देगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

ह.

(आर.अम्बलवाणन)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षक महानिदेशक, चैन्नै

स्थान: चैन्नै

दिनांक: 26 अगस्त 2020

बी.तियागराजन एंड को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इंड एस वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

- हमने कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") के इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण शामिल है (बाद में "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)
- हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण आवश्यकता अनुसार तरीके में कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनीज (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित अनुसार ("इंड एस") व 31 मार्च तक कंपनी के मामलों की स्थिति के भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय मानक लेखा के अनुरूप सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

राय का आधार

- हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिट (एसएसएस) पर मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने

जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का प्रभाव

- कोरोना (कोविड -19) वायरस से आसपास के वातावरण और उभरती परिस्थितियों के प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रभाव के संबंध में नोट 30 (18) को संदर्भित किया जाता है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य और पूरे समाज के साथ ही संगठनों के संचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
- सरकार / सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं से कंपनी द्वारा प्राप्त अचल संपत्तियों में से कई के लिए लंबित कन्वेंस डीड / पंजीकरण डीड के संदर्भ में नोट 4ए का संदर्भ लें। इसके अलावा, किसी एजेंसी को देय / मुआवजे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और उसके लिए प्रदान नहीं किया गया है।
- अन्य परिसंपत्तियों गैर-मौजूदा में शामिल परियोजना के ठेकेदारों को किए गए रु. 4,509.49 लाख के अतिरिक्त भुगतानों के संबंध में नोट 11 के संदर्भ लें और मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित लंबित विवादों के लिए आज तक पूंजीकृत नहीं किया गया है।
- व्यापार प्राप्य, सावधि ऋण और अग्रिम, सेवा कर इनपुट क्रेडिट / जीएसटी, एडवांस टैक्स और खोत पर काटा गया कर और 31 मार्च 2020 तक प्रा-प्रयोग्य व्यापार की शेष राशि के संबंध में नोट 30(16) का संदर्भ लें, बाद में समायोजित/भुगतान पुष्टि और सुलह के अधीन हैं।

पैराग्राफ 4 से 8 में संदर्भित मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षक मामले:

- मुख्य लेखा परीक्षक मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उसपर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख

लेखापरीक्षक मामलों में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

| क्र.सं. | मुख्य लेखा परीक्षक मामले | लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया |
|---------|--|---|
| 1 | <p>इंड एस 115 "ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व" (नए राजस्व लेखांकन मानक) को अपनाने के मद्देनजर मान्यता, माप, प्रस्तुति और राजस्व के प्रकटीकरण और अन्य संबंधित शेष की सटीकता</p> <p>नए राजस्व लेखांकन मानक के आवेदन में विशिष्ट प्रदर्शन देयताओं की पहचान, पहचान किए गए प्रदर्शन देयताओं का लेनदेन मूल्य का निर्धारण करने से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। नए राजस्व लेखांकन मानक के आवेदन में विशिष्ट प्रदर्शन देयताओं की पहचान और पहचान किए गए प्रदर्शन देयताओं के लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।</p> | <p>हमने नए मानक अपनाने के प्रभाव की पहचान करने की प्रबंधन प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और निरंतरता और नए अनुबंधों के नमूनों का चयन करने मुख्य नियंत्रणों का टेस्ट किया और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों और लेन—देन मूल्य के निर्धारण की पहचान से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच और अवलोकन, पुनर्मूल्यांकन और साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया।</p> <p>हमने चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाएं कीं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • इन अनुबंधों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ें, विश्लेषण और पहचान की। • कंपनी द्वारा पहचाने गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना। • राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और चर विचार के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी चर विचार सहित लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया। |
| 2 | <p>31 मार्च, 2020 को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर स्थितियों और प्राप्तयोग्य कर की वसूली की अनिश्चितता, एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट, पूर्व-प्रदत्त करों और सिडिएनवीएटी वसूली सहित प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष करों के संबंध में परिसंपत्तियां जो भविष्य के सेट-ऑफ / स्थगित के लिए लंबित हैं।</p> | <p>हमारे इन-हाउस विशेषज्ञ ने वसूली योग्य मात्रा, स्थिरता और अंतिम प्रस्ताव पर पुनर्प्राप्ति की संभावना की प्रकृति की समीक्षा की है।</p> |

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

9. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट में अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट और सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
10. वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत है।
11. यदि, हमने उस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर काम किया है, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
12. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट के परिशिष्ट और सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और शेरधारकों की जानकारी उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। जब हम उन रिपोर्टों को पढ़ते हैं, जो इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित करने के लिए सूचित करना होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

13. कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में, अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत विशिष्ट भारतीय लेखा मानकों के सहित भारत में स्वीकृत आमतौर पर लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह सही व निष्पक्ष हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।
14. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है चिंता, प्रकटीकरण, लागू अनुसार, समस्या से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते समस्या के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

15. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

16. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के दुरुप्रयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतियाँ हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो उन्हें इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।
17. भौतिकता वित्तीय विवरणों वक्तव्यों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत बयानों की भयावहता है, जिससे यह संभव हो जाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
18. एसएएस के अनुपालन में, एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:
- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
 - ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
 - उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें

- लेखा के साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या स्थिति से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान देना होगा या हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण अप-र्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और चाहे वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

19. हम अन्य मामलों के बीच, लेखापरीक्षा की नियत प्रकृति और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में अधिकार के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं
20. हम उन लोगों को भी विवरण का अधिकार देते हैं जिनमें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय। अधिकार के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ उठाना होगा।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

21. अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों / उप-निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट अनुबंध ए में देते हैं।
22. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यकता अनुसार, हम परिशिष्ट बी देते हैं जिसमें आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, विशिष्ट मामलों का विवरण है।

23. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे;
- ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यकता अनुसार खाते की उचित पुस्तकें कंपनी द्वारा अभी तक रखी गई हैं, जो पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है;
- ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि के विवरण सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए कैश फ्लो के विवरण खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ हैं;
- घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एस के साथ संलग्न हैं।
- ड.) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून 2015 के संदर्भ में, निदेशकों के अयोग्य होने से निपटने के धारा 164(2) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "परिशिष्ट

सी" में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करती है।

- छ) अधिसूचना संख्या जिएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के संदर्भ में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता है
- ज) कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुपालन में, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार बेहतर है :
- कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
 - कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक रूप से नुकसानदेह नुकसान के लिए।
 - कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में राशि ट्रांसफर करने में कोई देरी नहीं की गई है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29 जून 2020

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन 004371एस

ह.

राम श्रीनिवासन

सझिदार

एम नं. 220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट - ए

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर अब तक की तिथि तक हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित परिशिष्ट

| | | |
|---|---|--|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि नहीं, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ | कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है |
| 2 | क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि को माफ करने / लिखने के मामले हों? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव वर्णित है | किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन के मामले नहीं हैं या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / लिखावट के मामले नहीं हैं। |
| 3 | क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन नहीं मिला है। |

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट - बी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण इस तिथि की रिपोर्ट हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में उल्लिखित परिशिष्ट

1. (ए) कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण सहित उचित रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारी राय में, अचल संपत्तियों की स्थिति को अपडेट करने के संबंध में रिकॉर्ड में और सुधार की आवश्यकता है।
- (बी) कंपनी के पास निश्चित परिसंपत्तियों की सभी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सत्यापन कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के लिए, वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (सी) कंपनी के पास टिडको (950.00 एकड़), टिएनइबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (712.42 एकड़) और तमिलनाडु सरकार (47.87 एकड़) से अधिग्रहित 2,802.49 एकड़ भूमि की भूमि है, जिसमें से 2,787.27 एकड़ जमीन कंपनी के कब्जे में है और शेष 15.22 एकड़ जमीन पर कब्जा करना बाकी है। इसके अलावा, कुल भूमि क्षेत्र के स्वामित्व में, 2,008.34 एकड़ सहित 297.98 एकड़ टिडको से खरीदी गई, टेन्जिटको से 995.05 एकड़, नमक विभाग से 682.66 एकड़ जमीन कंपनी के नाम पर पंजीकृत है और 32.65 एकड़ जमीन सरकार की ओर से खरीदी गई। तमिलनाडु और शेष के संबंध में, पंजीकरण प्रक्रिया में है।
2. कंपनी पोर्ट के विकास और संचालन में लगी हुई है और मुख्य रूप से पोर्ट सेवाओं का प्रतिपादन कर रही है। इसके पास माल की कोई सूची नहीं है। इस प्रकार, आदेश का पैरा 3 (ii) लागू नहीं है।
3. जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को कोई ऋण, प्रतिभूति या गैर प्रतिभूति नहीं दी है।
4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 और 186 के उल्लंघन में ऋण, गारंटी, निवेश या प्रतिभूतियां नहीं दी हैं।
5. कंपनी ने अधिनियम और कंपनियों (डिपॉजिट्स की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) की धारा 73 से 76 के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
7. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है, माल और सेवा कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि के साथ उपयुक्त अधिकारियों और कोई सामग्री वैधानिक बकाया देय तिथि से छह महीने से अधिक के लिए बकाया है।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के अनुसार, कर / शुल्क की निम्नलिखित विवादित राशि 31 मार्च 2020 तक उचित अधिकारियों के को जमा नहीं की गई है।

| अधिनियम | देयों की प्रकृति | राशि (लाख में) | अवधि जिससे राशि संबंधित है | फोरम जिसके लिए राशि बकाया है |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| वित्त अधिनियम, 1994 | सेवा कर | रु.305.71 ## | 2012-13 to 2015-16 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | रु. 98.15 | AY 2005-06 to AY 2012-13 | मूल्यांकन अधिकारी के पास लंबित संशोधन |
| आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर | रु. 523.63 | AY 2002-03 to AY 2004-05, AY 2012-13 | मद्रास उच्च न्यायालय |

इसमें से, रु.16.75 लाख का भुगतान किया गया है

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक / वित्तीय संस्थान / डिबेंचर धारकों को अपने बकाये की अदायगी में चूक नहीं की है।
9. कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर के जरिए पैसा नहीं बढ़ाया है। उठाए गए ऋण शब्द उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए हैं जिनके लिए उन्हें उठाया गया था।
10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी का मामला नहीं आया है।
11. अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के संदर्भ में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं है।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां इस तरह के लेनदेन के लागू और विवरण का लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक अनुसार वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है।
14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान शेरों का

कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xiv) लागू नहीं है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने गैर-नकद लेनदेन में निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xv) लागू नहीं है।
16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन 004371एस

ह.

राम श्रीनिवासन

पार्टनर

एम. नं. 220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 29 जून 2020

स्वतंत्र लेखाकारों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट - सी

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च 2020 तक मैसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके संस्थान द्वारा जारी किए गए। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("ऐसिए") इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इसमें कंपनी के नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकता अनुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा

जारी किए गए मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट ("मार्गदर्शन नोट") के अनुपालन में अपना ऑडिट किया और कंपनी अधिनियम के धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू होते हैं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डाल सकता है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 29 जून 2020

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताया गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन 004371एस

ह.

राम श्रीनिवासन

पार्टनर

एम. नं. 220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सि.एन.ः U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2020 तक संपत्तियों व देयताओं का विवरण

(रुपए लाखों में)

| विवरण | नोट नं. | मार्च 31, 2020 तक | मार्च 31, 2019 तक |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| परिसंपत्तियां | | | |
| गैर वर्तमान परिसंपत्ति | | | |
| (ए) संपत्ति, प्लांट और उपकरण | 4 | 2,73,178.30 | 2,66,119.21 |
| (बी) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार | 4A | 1,575.22 | 1,661.24 |
| (सी) पूंजी कार्य में प्रगति | 5 | 10,761.88 | 9,894.54 |
| (डी) अन्य अमूर्त संपत्ति | 6 | 608.86 | 759.84 |
| (ई) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| (i) निवेश | 7 | 4,148.04 | 4,123.00 |
| (ii) ऋण और अग्रिम | 8 | 408.74 | 335.94 |
| (iii) अन्य | 9 | 187.20 | 166.82 |
| (एफ) स्थगित कर संपत्ति | 10 | 23,845.14 | 35,901.62 |
| (जी) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां | 11 | 10,873.32 | 13,865.28 |
| वर्तमान संपत्तियां | | | |
| (ए) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 12 | 4,816.59 | 3,038.16 |
| (ii) नकद और नकद समकक्ष | 13 | 9,920.80 | 3,183.93 |
| (iii) ऋण और अग्रिम | 8 | 52.94 | 82.13 |
| (iv) अन्य | 9 | 9.94 | 20.19 |
| (बी) वर्तमान कर की संपत्ति | 14 | 388.77 | 874.36 |
| (सी) अन्य वर्तमान संपत्तियां | 11 | 2,018.77 | 2,647.70 |
| कुल परिसंपत्तियां | | 3,42,794.51 | 3,42,673.96 |
| इक्विटी और देयताएं | | | |
| इक्विटी | | | |
| (ए) इक्विटी शेयर पूंजी | 15 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| (बी) अन्य इक्विटी | | 2,07,906.66 | 1,92,101.73 |
| देयताएं | | | |
| गैर मौजूदा देयताएं | | | |
| (ए) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) उधार लेना | 16 | 77,522.09 | 87,196.04 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 17 | 566.15 | 299.32 |
| (बी) प्रावधान | 18 | - | - |
| (सी) स्थगित कर देयताएं (शुद्ध) | | | |
| (डी) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं | 19 | 8,334.98 | 10,780.22 |
| वर्तमान देयताएं | | | |
| (ए) वित्तीय देयताएं | | | |
| (i) व्यापार भुगतान | 20 | 1,229.15 | 5,523.20 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | 17 | 12,047.45 | 11,468.23 |
| (बी) अन्य वर्तमान देयताएं | 19 | 4,154.53 | 4,030.13 |
| (सी) प्रावधान | 18 | 1,033.50 | 1,275.11 |
| कुल इक्विटी और देयताएं | | 3,42,794.51 | 3,42,673.96 |
| खातों के लिए नोट्स | 30 | | |

महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियां

1 to 3

ऊपर उल्लिखित नोट्स वित्तीय विवरणों एक अभिन्न हिस्सा हैं।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 29 जून, 2020

पी. रवींद्रन

निदेशक

डिन : 07640613

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

राम श्रीनिवासन

पार्टनर,

एम.नं.220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाखों में)

| विवरण | Note No. | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| आय | | | |
| i) परिचालन से राजस्व | 21 | 70,317.50 | 70,798.21 |
| ii) अन्य आय | 22 | 3,050.49 | 918.73 |
| कुल आय | | 73,367.99 | 71,716.93 |
| व्यय | | | |
| i) परिचालन लागत | 23 | 8,158.88 | 8,308.15 |
| ii) कर्मचारी लाभ | 24 | 2,058.83 | 1,983.95 |
| iii) वित्त लागत | 25 | 8,464.84 | 9,114.93 |
| iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय | 26 | 5,213.04 | 4,756.75 |
| v) अन्य व्यय | 27 | 4,250.38 | 4,327.49 |
| कुल व्यय | | 28,145.97 | 28,491.28 |
| असाधारण मदों से और कर से पहले लाभ | | 45,222.02 | 43,225.65 |
| असाधारण मदें | 28 | 423.32 | 8,840.76 |
| कर से पूर्व लाभ | | 44,798.70 | 34,384.90 |
| कम: कर व्यय | | | |
| - वर्तमान कर | 10 | 7,827.23 | 7,338.00 |
| - आस्थगित कर | 10 | 12,068.66 | (6,988.49) |
| चालू प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ | | 24,902.81 | 34,035.38 |
| बंद प्रचालनों से लाभ / (हानि) | | - | - |
| बंद प्रचालनों का कर व्यय | | - | - |
| कर से पहले बंद प्रचालनों से लाभ | | 24,902.81 | 34,035.38 |
| I वर्ष के लिए लाभ | | 24,902.81 | 34,035.38 |
| II अन्य व्यापक आय | | | |
| i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| - परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्खरीद | | 34.88 | (14.59) |
| कम: ऊपर से आयकर | 10 | (12.19) | (4.88) |
| अन्य व्यापक आय | | 22.69 | (19.47) |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय | | 24,925.50 | 34,015.91 |
| “प्रति शेयर अर्जित आय : ” | | | |
| (1) बेसिक | 29 | 8.31 | 11.34 |
| (2) डायल्यूडिट | | 8.31 | 11.34 |
| खातों के लिए नोट्स | 30 | | |

महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियां

1 to 3

ऊपर उल्लिखित नोट्स वित्तीय विवरणों एक अभिन्न हिस्सा हैं।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

पी. रवींद्रन

निदेशक

दिन : 07640613

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

राम श्रीनिवासन

पार्टनर,

एम.नं.220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 29 जून, 2020

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सि.एन.ः U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेख

(रुपये लाखों में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि | 44,798.70 | 34,384.89 |
| समायोजन के लिए :- | | |
| स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यहास | 5,213.04 | 4,668.40 |
| ब्याज और वित्त शुल्क | 7,730.35 | 10,314.43 |
| म्यूचुअल फंड्स पर कम अवधि लाभ | (148.83) | (349.55) |
| ब्याज आय | (623.14) | (290.96) |
| लाभांश प्राप्त हुआ | (51.01) | |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ | 56,919.12 | 48,727.22 |
| समायोजन के लिए :- | | |
| ऋण और अग्रिम (गैर-वर्तमान) | (72.79) | (6.59) |
| अन्य संपत्ति (गैर-वर्तमान) | (20.37) | 87.55 |
| अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति | 2991.95 | (232.85) |
| व्यापार स्वीकार योग्य | (1,778.43) | (201.31) |
| ऋण और अग्रिम | 29.18 | 3.98 |
| अन्य संपत्तियां | 10.25 | 9.81 |
| अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां | 628.92 | (1,497.26) |
| अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-वर्तमान) | 266.83 | 82.96 |
| अन्य गैर-वर्तमान देयताएं | (2,445.24) | 1,105.94 |
| व्यापार देयताएं | (4,294.05) | (851.54) |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 579.22 | (2,649.86) |
| अन्य वर्तमान देयताएं | 124.40 | 567.67 |
| प्रावधान | (309.99) | 265.64 |
| वर्तमान कर भुगतान | (7,341.63) | (7,762.91) |
| प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद | 45,287.37 | 37,648.45 |
| बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां | (12,902.47) | (15,098.42) |
| वर्ष के दौरान किए गए निवेश | (25.04) | (2.00) |
| म्यूचुअल फंड्स पर कम अवधि लाभ | 148.83 | 349.55 |
| ब्याज आय | 623.14 | 290.96 |
| लाभांश प्राप्त हुआ | 51.01 | |
| निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद | (12,104.53) | (14,459.91) |
| सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान | (9,041.68) | (14,466.64) |
| वर्ष के दौरान लिए गए ऋण | 0.00 | 9,000.00 |
| वर्ष के दौरान चुकाया गया ऋण | (9,673.95) | (8,927.09) |
| ब्याज और वित्त शुल्क | (7,730.35) | (8,874.08) |
| वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद | (26,445.98) | (23,267.81) |
| डी. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन | 6,736.86 | (79.27) |
| ई. नकद और नकद समकक्षों को खोलना (नोट संख्या 13) | 3,183.94 | 3,263.20 |
| एफ. नकद और नकद समकक्षों को बंद करना (नोट संख्या 13) | 9,920.80 | 3,183.94 |

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

दिन : 01310101

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 29 जून, 2020

पी. रवींद्रन

निदेशक

दिन : 07640613

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फ.आर.एन. 004371एस

राम श्रीनिवासन

पार्टनर,

एम.नं.220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण — 31 मार्च, 2020 तक शेष राशि

इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपये लाखों में)

| 1 अप्रैल, 2020 तक की शेष राशि | वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 दिसंबर, 2020 तक शेष |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 30,000 | 0.00 | 30,000 |

| 1 अप्रैल, 2019 तक की शेष राशि | वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन | 31 दिसंबर, 2019 तक शेष |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 30,000 | 0.00 | 30,000 |

अन्य इक्विटी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाखों में)

| विवरण | डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित | आरक्षित व अधिशेष | | इक्विटी के अन्य घटक | | कुल |
|---|---------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | सामान्य आरक्षित | रिटेन की गई आय | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्माप | FVTOCI - निवेश | |
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष | 5,404.44 | 7,902.00 | 1,80,776.87 | (19.82) | (1,961.76) | 192,101.73 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि की त्रुटियां | 0.00 | 0.00 | (33.50) | 0.00 | 0.00 | (33.50) |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 0.00 | 0.00 | 24,902.81 | 0.00 | 0.00 | 24,902.81 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | 0.00 | 0.00 | | (22.69) | 0.00 | (22.69) |
| डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित में स्थानांतरण | 862.93 | 0.00 | (862.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अंतिम लाभांश (डीडीटी सहित) - वित्तीय वर्ष 2018-19 | 0.00 | 0.00 | (9,041.68) | 0.00 | 0.00 | (9,041.68) |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष | 6,267.37 | 7,902.00 | 1,95,741.57 | (42.51) | (1,961.76) | 2,07,906.66 |

सेबी ऋण विनियमन के विनियम 16 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 सी के अनुपालन में, कंपनी इस तरह के बॉन्ड्स/डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा जारी बॉन्ड्स / डिबेंचर के मूल्य का 25% तक डिबेंचर / बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व (डिआरआर) बनाती है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 8,62,92,983 / - (पिछले वर्ष रु. 8,62,92,983/-) की राशि का डीडीआर तैयार किया।

अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाखों में)

| विवरण | डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित | आरक्षित व अधिशेष | | इक्विटी के अन्य घटक | | कुल |
|--|---------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | सामान्य आरक्षित | रिटेन की गई आय | शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्माप | FVTOCI - निवेश | |
| रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष | 4,541.51 | 7,902.00 | 1,62,071.05 | (1.51) | (1,961.76) | 1,72,551.29 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि की त्रुटियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 0.00 | 0.00 | 34,035.38 | (18.31) | 0.00 | 34,017.07 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित में स्थानांतरण | 862.93 | 0.00 | (862.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अंतिम लाभांश (डीडीटी सहित) - वित्तीय वर्ष 2018-19 | 0.00 | 0.00 | (9,041.65) | 0.00 | 0.00 | (9,041.65) |
| अंतरिम लाभांश (डीडीटी सहित) - वित्तीय वर्ष 2018-19 | 0.00 | 0.00 | (5,424.99) | 0.00 | 0.00 | (5,424.99) |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष | 5,404.44 | 7,902.00 | 1,80,776.86 | (19.82) | (1,961.76) | 1,92,101.73 |

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सिएएन: U45203TN1999GOI043322

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल, जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सलाई, चेन्नै - 600 001

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड भारत में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिगृहीत किया गया है। कंपनी ज्यादातर लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर काम कर रही है, जो अपने कार्यों को समग्र नियोजन, विकास, पोर्ट के विकास हेतु निवेश के लिए मोबिलाइजेशन के साथ आम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाओं का संचालन करती है। टर्मिनलों का विकास और संचालन ज्यादातर निजी ऑपरेटरों / कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को सौंपा जाता है।

2. तैयारी का आधार :

कंपनी ने 01 अप्रैल 2015 की ट्रांजिशन तारीख के साथ 01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में इन्ड-एस को अपनाया है। वित्तीय वक्तव्यों में शामिल सभी राशियों को भारतीय रुपए (लाख रुपए में) इक्विटी शेयरों को छोड़कर रिपोर्ट किया जाता है, जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

3.1. अनुमान और निर्णय का उपयोग :

कंपनी के स्टैंड-अलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और साथ होने वाले खुलासे और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं।

3.2. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा :

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा ही कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व मान्यता :

1. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को विचार कर उचित मूल्य पर प्राप्त किया जाता है या फिर छूट और प्राप्य निवल छूट और कर्षों और ड्यूटीज को छोड़करा प्रदान की गई सेवा से राजस्व को सेवाओं के पूरा होने पर मान्यता दी जाएगी। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है :-

- राजस्व की मात्रा विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है;
- यह संभावना है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होंगे;
- लेनदेन के लिए किए गए खर्च और लेनदेन को पूरा करने के लिए लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

iv. इसके संग्रह के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

राजस्व धारा में शामिल हैं :

- पोत संबंधित आय।
- कार्गो से जुड़ी आय।
- बीओटी और अन्य बंदरगाह उपयोगकर्ताओं / बंदी उपयोगकर्ताओं पर भूमि और जलमार्ग के पट्टे से उत्पन्न होने वाला राजस्व हिस्सा और लाइसेंस शुल्क।
- समग्र टैरिफ।

राजस्व की प्रत्येक धारा के संबंध में राजस्व मान्यता नीचे वर्णित है :

i) पोत संबंधित आय

इस आय से अभिप्राय पोत के संचालन से होने वाली आय है। विशिष्ट सेवाओं के पूरा होने पर पोत से संबंधित कार्यों के लिए राजस्व को का आकलन किया जाता है।

ii) कार्गो से जुड़ी आय

कार्गो से संबंधित आय में कार्गो के संबंध में रेंडरिंग सेवाओं से आय होती है और संबंधित सेवाओं के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त होती है।

iii) बीओटी / कैप्टिव उपयोग के आधार पर भूमि और बंदरगाह की लीज।

अ) बीओटी ऑपरेटरों से राजस्व हिस्सेदारी की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक रियायती आधार पर रियायत / लाइसेंस समझौते के अनुसार सकल राजस्व पर प्राप्त % पर की जाती है।

आ) ऑपरेटिंग लीज से आय जिसमें अनुबंध की शर्तों के अनुसार सामान्य मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप वृद्धि खंड शामिल हैं।

इ) अन्य परिचालन पट्टे से आय को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ई) आकस्मिक किराए को उस अवधि में आय के रूप में आकलित किया जाता है जिसमें वे अर्जित होते हैं।

iv) समग्र टैरिफ

कम्पोजिट टैरिफ कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा नियंत्रित कार्गो के लिए एक समग्र टैरिफ पर अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है।

- 2 निवेशों से प्राप्त लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है और यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की राशि को विश्वसनीय तौर - तरीके से मापा जा सकेगा।
- 3 अ.) वित्तीय साधनों से ब्याज आय की पहचान तब होती है जब यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आय की मात्रा को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। ब्याज की आय मूल आधार पर, प्रमुख बकाया के संदर्भ में और प्रभावी ब्याज दर लागू होने पर अर्जित की जाती है, जो कि वह दर है जो वित्तीय साधनों के अनुमानित जीवन के माध्यम से उस साधन के शुद्ध वहन की प्रारंभिक राशि पर प्रारंभिक रूप से छूट देती है।
- आ.) बैलेंस / विवादित राजस्व पर ब्याज आय को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उस लागत पर बताए गए हैं, जिसमें से संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, की कटौती कर दी गई है। अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लागत को तब तक पंजीकृत किया जाता है जब तक कि प्रबंधन द्वारा इरादा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते। कंपनी सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके अपने अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को दर्शाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु की लागत को यदि एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और यह अगर केवल संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाह होंगे और आइटम की लागत को भरोसे के साथ आकलित किया जा सकता है। पीपीई के एक आइटम की लागत मान्यता तिथि पर नकद मूल्य के बराबर है।

पीपीई के एक आइटम की लागत में निम्न शामिल हैं :

- आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित खरीद मूल्य जिसमें से व्यापार छूट, रियायतों, करों / ड्यूटीज और उपकरण घटा कर दिया गया है। इसके बाद पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।
- प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए पीपीई को स्थान और स्थिति के लिए लागत को सीधे तौर पर आरोपित किया गया है।
- आइटम को डिस्मैंटल करने और हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान उसी स्थान के आधार पर लगाया जा रहा है।

कंपनी द्वारा परियोजना दावों पर निर्विरोधी मध्यस्थ पुरस्कारों और परिसंपत्ति के कमीशन की तारीख तक इस तरह के पुरस्कारों पर ब्याज के रूप में देय राशि को संबंधित संपत्ति श्रेणी में वर्ष के दौरान पुरस्कार के रूप में पंजीकृत किया जाता है। ठेकेदार को देय ऐसे पुरस्कारों पर परिसंपत्ति के कमीशन की तारीख के बाद के ब्याज को पुरस्कार के वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी हिस्से के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मर्दों (प्रमुख घटकों) के रूप में देखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मद के निपटान पर लाभ और नुकसान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और "अन्य आय / अन्य व्यय" के तहत शुद्ध मूल्यों में इन्हें लाभ या हानि कहा जाता है।

कंपनी ने मान्यता के लिए लागत मॉडल को चुना है और यह मॉडल सभी प्रकार की परिसंपत्तियों पर लागू होता है। परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के बाद, पीपीई का एक आइटम अपनी लागत से कम संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि नुकसान पर किया जाता है।

प्रमुख मरम्मत और ओवरहालिंग लागत :

कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यों को आकलन वहन राशि में पहचानती है, जब लागत मानदंड पूरा हो जाता है तो ऐसी वस्तु के बदले जाने की लागत, उस लागत की लागत, प्रमुख मरम्मत की लागत / ओवरहालिंग। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की पहचान की जाती है और मरम्मत / ओवरहाल के शेष उपयोगी जीवन पर मरम्मत की लागत को संशोधित किया जाता है।

3.5. अमूर्त संपत्ति

अमूर्त आस्तियों की लागत संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, को कम करके दर्शाया गया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति को नियंत्रित करती है तो उसकी पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति के रूप में करती है। यह संभव है कि संबंधित परिसंपत्तियों के साथ भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ एक से अधिक आर्थिक अवधि के लिए कंपनी को मिलेंगे; और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है। परिशोधन सरल रेखा विधि (एसएलएम) पर प्रदान किया जाता है, जो अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान को दर्शाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उपयोगी आर्थिक जीवन में परिशोधित किया जाता है और हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है जब भी कोई संकेत होता है कि अमूर्त संपत्ति क्षीण हो सकती है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि इस तरह का व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य को वहन करने का हिस्सा नहीं होता है।

3.6. मूल्यहास

पिपिड के किसी आइटम की मूल्यहास राशि को उसके उपयोगी जीवन पर एक सरल रेखा के आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट किया गया है।

पिपिड के किसी आइटम के प्रत्येक भाग की लागत के साथ जो उस परिसंपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस हिस्से के उपयोगी जीवन परिसंपत्ति के शेष भाग से अलग है, उसके लिए मूल्यहास अलग से किया जाता है। इस तरह की सभी वस्तुओं पर मूल्यहास उस तारीख से प्रदान किया जाता है जब वे बिक्री / निपटान की तारीख तक 'उपयोग के लिए उपलब्ध हैं' और अमूर्त संपत्ति के परिशोधन को शामिल करते हैं। फ्री होल्ड जमीन मूल्यहीन नहीं है। पीपीई की एक वस्तु को निपटान पर मान्यता दी जाती है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। पोर्ट विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में, मूल्यहास का शुल्क भारत के प्रमुख बंदरगाहों में प्रचलित प्रथा के अनुसार उन परिसंपत्तियों के जीवन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मध्यस्थ पुरस्कार के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर मूल्यहास वित्तीय वर्ष की शुरुआत से परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर दावा किया जाता है जिसमें इस तरह के पुरस्कार को पारित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है।

3.7. उधार लेने की लागत

कंपनी उधार लेने वाली लागतों का पूंजीकरण करती है जो परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। कंपनी अन्य उधार लेने की लागतों को उस अवधि में एक व्यय के रूप में पहचानती है जिसमें यह उन्हें खर्च करता है। एक अर्हक संपत्ति वह संपत्ति है जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है।

कंपनी आम तौर पर उधार लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार की राशि की गणना की गई पूंजी व्यय को लागू करके की जाती है। पूंजीकरण दर को उधार लेने की लागत के भारत औसत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, विशेष रूप से एक योग्य संपत्ति की खरीद के लिए किए गए उधारों के अलावा। उधार की लागतों में उधार की लागतों के समायोजन के रूप में सीमा तक विनिमय अंतर भी शामिल है।

3.8. विदेशी मुद्रा लेनदेन :

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन उनकी तारीखों में प्रचलित विनिमय की दरों पर पहचाना जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्य वाली मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि में प्रचलित दरों पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक आइटम (जहां अतिरिक्त प्राप्ति की वास्तविकता अनिश्चित

है) को इंडस्ट्रीज एएस-21 में परिभाषित समापन दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके सूचित किया जाता है। विनिमय अंतर लाभ / हानि लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को वहां मान्यता दी जाती है जहां यह उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है। इन अनुदानों को उनकी प्रकृति के आधार पर संपत्ति या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मूल्यहास योग्य संपत्ति से संबंधित अनुदानों को शुरू में आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और बाद में संपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित रूप से लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त होती है, आमतौर पर उसी अनुपात में मूल्यहास का आरोप लगाया जाता है, जो इस तरह से अर्जित मूल्यहास परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। योगदान। परिसंपत्तियों के शेष जीवन पर संभावित रूप से अनुमानित अनुमानों में परिवर्तन किया जाता है।

राजस्व अनुदान के रूप में अनुदान को संबंधित लागतों के लिए व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए यह क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, व्यय किया जाता है।

गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों जैसे कि भूमि और अन्य संसाधनों के रूप में अनुदान को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि लाभ के लाभ में मान्यता प्राप्त है और लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन से अधिक हानि के विवरण में अंतर्निहित संपत्ति है।

3.10. प्रावधान

प्रावधानों का आकलन तब किया जाता है जब कंपनी के पास पिछले घटना के परिणामस्वरूप एक दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के आब्लिगेशन की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय अनुमानित राशि के आधार पर तय किया गया दायित्व है।

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान समय के सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। कुछ प्रावधान उस समय वापस लौटा दिए जाते हैं जब दायित्व के निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के आब्लिगेशन की आवश्यकता रहती है।

यदि धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में समुचित छूट दी जाती है, जो कि जोखिमों की देयताओं के लिए विशिष्ट होती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में आंका जाता है।

3.11. आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियां :

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन खातों में नोटों का खुलासा तब किया जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के कारण संभव दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना पर निर्भर करता है।

आकस्मिक देनदारियों का निर्धारण लगातार यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि आर्थिक संसाधनों का आब्लिगेशन संभावित है या नहीं। यदि है तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

जहां एक इकाई संयुक्त रूप से और एक दायित्व के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी है, उस दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य दलों को मिलने की उम्मीद है, उसे भी एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। संस्था उस दायित्व के हिस्से के लिए एक प्रावधान को मानती है जिसके लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का आब्लिगेशन संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक संपत्ति

आकस्मिक आस्तियों की पहचान वित्तीय विवरणों में नहीं की जाती है और न ही टिप्पणियों में इन्हें दर्शाया जाता है।

3.12. कर्मचारी लाभ :

i) निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेज्युटी, छुट्टी नकदीकरण / लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ का प्रावधान अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्यूअरी वैल्यूएशन के आधार पर किया जाता है। पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियाँ शामिल हैं, परिसंपत्ति की सीमा में परिवर्तन का प्रभाव और ब्याज (यदि लागू हो) को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी, वित्तीय प्रभार के स्टेटमेंट में तुरंत परिलक्षित होता है, जिसमें अन्य प्रभार में मान्यता प्राप्त क्रेडिट या क्रेडिट शामिल है उस अवधि में आय जिसमें वे होते हैं। अन्य व्यापक आय में पहचाने गए पुनः माप को बनाए रखा आय में तुरंत परिलक्षित होता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ii) निर्धारित अंशदान योजना :

प्रोविडेंट फंड में अंशदान के आधार पर खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

iii) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को एक अनदेखे आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवाओं को प्रदान किए जाने के रूप में विस्तारित किया जाता है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के लिए एक

देयता को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए एक कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और इनका अनुमान लगाया जा सकता है।

3.13. कराधान

आयकर व्यय वर्तमान कर और स्थगित कर की राशियों को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से अलग होता है जैसा कि लाभ और हानि के बयान में रिपोर्ट किया गया है और आय या व्यय की वस्तुओं के कारण जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं। कंपनी की वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनके ले जाने की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आश्वस्त होती हैं और इस हद तक पहचानी जाती हैं कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्तियां बरामद की जा सकेंगी।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उस कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है, जिसमें कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता या एहसास की गई संपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि या अंत तक लागू किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों की भरपाई होती है यदि आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को बंद करने के लिए आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को हटाने के बाद आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रमुख घटकों को आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बंद करने के बाद बैलेंस शीट तिथि पर आ जाता है।

वर्ष के लिए, वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में आंका जाता है, सिवाय जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हैं जो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में, वर्तमान और स्थगित कर को अन्य व्यापक आय में

या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है। जहां एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक कर से कर या स्थगित कर उत्पन्न होता है, व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव शामिल होता है।

3.14. हानि (इम्पेयरमेंट) :

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी-उत्पादक इकाई / स्थायी परिसंपत्ति) की वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी-उत्पादक इकाई) की राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। किसी भी हानि को, लाभ और हानि के विवरण में तुरंत शामिल किया जाता है।

पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में मूल्य के समान रहती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मौजूदा बाजार मूल्यांकन और उस परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान है और उसे समायोजित नहीं किया गया है।

जब कोई इम्पेयरमेंट हानि वापसी हो जाती है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि बढ़ी हुई वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो कि निर्धारित की गई हो। पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए कोई इम्पेयरमेंट हानि के रूप में पहचानी नहीं गई थी। इम्पेयरमेंट और हानि के विवरण में किसी हानि का रिवर्सल उसी समय से मान्यता प्राप्त है, जब तक कि प्रासंगिक संपत्ति को एक पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं किया जाता है, उस स्थिति में हानि के रिवर्सल को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त, अमूर्त संपत्तियों की वहन मात्रा की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि का नुकसान हुआ है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है (यदि कोई हो)। जब किसी व्यक्तिगत संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिसके पास संपत्ति होती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्ति के साथ अमूर्त संपत्ति, कम से कम सालाना या जब भी कोई संकेत है कि संपत्ति का कोई इम्पेयरमेंट हुआ हो, अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

3.15. प्रति शेयर आय :

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति इक्विटी मूल आय की गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो

कि इक्विटी शेयर प्रति मूल कमाई के लिए माने जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के हिसाब से होती है।

3.16. वित्तीय प्रपत्र :

i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन :

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से मिलकर बनता है :

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य पात्र वर्तमान / गैर-वर्तमान संपत्ति शामिल हैं;
- वित्तीय देनदारियों में लंबी / अल्पकालिक ऋण, उधार, व्यापार देयताएं, सुरक्षा जमा, प्रतिधारण मुद्राएं और अन्य पात्र वर्तमान / गैर-वर्तमान देनदारियां शामिल हैं।

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर किसी भी सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागत सहित वित्तीय मूल्य को छोड़कर, लाभ और हानि के बयान के माध्यम से उचित मूल्य पर आंका जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब इनके स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रखे जाते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण न रखा हो। प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय

साधनों को नीचे दिए वर्णन के रूप में मापा जाता है :

- क) इक्विटी सिन्डिकेटीज (सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स के अलावा) में निवेश उनके उचित मूल्य पर रहते हैं। इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और इम्पेयरमेंट के नुकसान के अलावा, अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है। इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, लाभ और हानि के वक्तव्य के लिए अन्य इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, तो अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त संबंधित संचयी फायदे या नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ख) ऋण और प्राप्य

ऋण और प्राप्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो निश्चित या निर्धारित भुगतान के साथ समाहित होती हैं जो एक सक्रिय बाजार का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें वर्तमान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने बाद परिपक्व होने वाले लोगों को छोड़कर जो गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऋण और प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर

सीधे लेनदेन योग्य लागतों और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि के नुकसान का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ऋण और प्राप्य में व्यापार प्राप्य, असभ्य राजस्व, स्टाफ अग्रिम, सुरक्षा जमा राशि और अन्य संपत्ति शामिल हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक सांद्रता, ग्राहक क्रेडिट-योग्यता और वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की संयुक्त-संग्रहणीयता का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, तो मूल्यांकन आवश्यक अतिरिक्त भत्तों यदि कोई हो के लिए किया जाता है।

ग) व्यापार और अन्य भुगतान

व्यापार और अन्य भुगतानों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर इसका आकलन किया जाता है। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन उपकरणों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण ले जाने की मात्रा लगभग उचित मूल्य पर ही है।

घ) सुरक्षा जमा

सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ सीधे लेनदेन योग्य लागतों पर आंका जाता है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति, कम हानि के नुकसान का उपयोग करके परिशोधन लागत के अनुसार मापा जाता है।

ड.) कर मुक्त बांड

कर मुक्त बॉन्डों को शुरू में लेनदेन लागत के उचित मूल्य शुद्ध पर आकलित किया जाता है। बाद की अवधि में, प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके कर मुक्त बॉन्ड को परिशोधित लागत पर इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज व्यय को लाभ या हानि के बयान में पहचाना जाता है क्योंकि प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके कर मुक्त बॉन्ड के जीवन पर वित्तीय व्यय होता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियां, जो लाभ और हानि (फविटिपिएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर होती हैं, का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों के लिए किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब बिगड़ा हुआ माना जाता है जब उद्देश्य प्रमाण होता है कि वित्तीय संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप, वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) इक्विटी निवेश के लिए, इसकी लागत से कम सुरक्षा के उचित मूल्य में एक महत्वपूर्ण या लंबे समय तक गिरावट को हानि का उद्देश्य प्रमाण माना जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में शामिल हो सकते हैं :

- जारीकर्ता या प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि ब्याज या मूल भुगतान में एक डिफॉल्ट या अपराधीता;
- संभावना है कि उधारकर्ता दिवालियापन या वित्तीय पुनः

संगठन में प्रवेश करेगा; या वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार के गायब होने की। व्यक्तिगत आधार पर हानि के लिए व्यापार प्राप्ति जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की कुछ श्रेणियों का मूल्यांकन किया जाता है। प्राप्ति के एक पोर्टफोलियो के लिए हानि के उद्देश्यपूर्ण सबूत में कंपनियों को भुगतान एकत्र करने का अतीत का अनुभव शामिल हो सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में अवलोकन परिवर्तन भी हो सकते हैं जो प्राप्य पर डिफॉल्ट के साथ संबंधित होते हैं।

लागत पर कार्यान्वित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की राशि को परिसंपत्ति की वहन राशि और अंतर भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में आंका जाता है, जो एक समान वित्तीय संपत्ति के लिए वर्तमान बाजार दर पर छूट देता है। इस तरह की इम्पेयरमेंट हानि बाद की अवधि में रिवर्सल नहीं होगी।

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि व्यापार प्राप्ति के अपवाद के साथ सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि के नुकसान से कम हो जाती है; संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए भत्ता खाते के उपयोग के माध्यम से इस तरह की हानि को कम किया जाता है। जब एक व्यापार प्राप्य को अस्वीकार्य माना जाता है, तो इसे भत्ता खाते के खिलाफ लिखा जाता है। पहले लिखी गई राशियों की बाद की भत्ते को भत्ता खाते के खिलाफ जमा किया जाता है। भत्ता खाते की वहन राशि में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों के लिए, यदि बाद की अवधि में, इम्पेयरमेंट हानि की मात्रा घट जाती है और कमी निष्पक्ष रूप से मान्यता प्राप्त होने के बाद घटित होने वाली घटना से संबंधित हो सकती है, तो पहले से मान्यता प्राप्त हानि का विवरण लाभ के विवरण के माध्यम से उलट दिया जाता है। और इस हद तक हानि की तारीख में निवेश की वहन की गई राशि को उलट दिया जाता है, जो परिशोधन लागत को मान्यता नहीं दी गई है, से अधिक नहीं होगी।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की गैर-मान्यता

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को तब मान्यता देती है जब परिसंपत्ति से नकदी का अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर देती है और संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य पार्टी को देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्ति

में अपने बनाए हुए ब्याज को पहचानती है और इसके लिए देय राशियों के लिए एक संबद्ध देयता का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पहचानना जारी रखती है और प्राप्त आय के लिए एक संपार्श्विक उधार को भी पहचानती है।

अपनी संपूर्णता में एक वित्तीय परिसंपत्ति की गैर-मान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त होने के योग के बीच का अंतर और संचयी लाभ या हानि जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त थी और इक्विटी में संचित है।

3.17. खंड जानकारी

कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में की जाती है, जैसा कि इंडस्ट्रीज़ -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" द्वारा परिभाषित किया गया है। कंपनी का सीएमडी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर खंड का मूल्यांकन करता है। प्रबंधन भारत में प्रदान की गई "पोर्ट सर्विसेज" को एक एकल रिपोर्ट योग्य व्यवसाय / भौगोलिक खंड मानता है।

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित सामग्री राशि की त्रुटियों को पूर्व अवधि त्रुटियों की प्रकृति के साथ नोट द्वारा प्रकट किया जाता है, प्रत्येक पूर्व की ऐसी अवधि के सुधार की राशि पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की जाती है, जो प्रति शेयर मूल और पतले कमाई में परिवर्तन के साथ व्यवहारिक है। हालाँकि जहाँ एक विशेष अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं होता है, तो उस स्थिति के अस्तित्व और कैसे और कहाँ से त्रुटि को ठीक किया जाता है, इसके विवरण के लिए नोट्स पर खातों का खुलासा किया जाता है।

3.19. पट्टे

कंपनी अनुबंध की स्थापना के समय आकलन करती है कि क्या कोई अनुबंध है, या इसमें पट्टा है। या फिर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग की अवधि को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां बनाने के लिए लीज देनदारियों को मान्यता देती है।

i) उपयोग का अधिकार

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (यानी, उपयोग के लिए अंतर्निहित संपत्ति उपलब्ध होने की तारीख) में सही उपयोग की संपत्ति ("आरओयू एसेट्स") को पहचानती है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यहास और हानि के नुकसान को कम किया जाता है, और पट्टे की

देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग की सही संपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान शामिल हैं, जो किसी भी पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन से कम नहीं हैं। पट्टे की अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहास किया जाता है।

यदि लीज अवधि या लागत के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है, तो खरीद विकल्प के अभ्यास को दर्शाता है, मूल्यहास की गणना संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है। सही उपयोग की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं। खंड (I) में गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि के लिए लेखांकन नीतियों का संदर्भ लें।

ii) लीज देनदारी

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, कंपनी लीज भुगतान की वर्तमान मूल्य पर लीज देयताओं को मान्यता देती है जो लीज अवधि से अधिक हो। पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान (पदार्थ निश्चित भुगतान सहित) कम किसी भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्य, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान शामिल हैं जो सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों की संभावना की जाती है। पट्टे के भुगतान में कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खरीद विकल्प का व्यायाम मूल्य भी शामिल होता है और पट्टे को समाप्त करने के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टा शब्द कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाता है। वैरिबल लीज पेमेंट जो किसी इंडेक्स या रेट पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें उस खर्च के रूप में पहचाना जाता है (जब तक कि वे इन्वेंट्री तैयार करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) उस अवधि में जब भुगतान शुरू होता है। लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ की तारीख के बाद, लीज देयताओं की राशि ब्याज की अभिवृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ जाती है और किए गए लीज भुगतान के लिए कम हो जाती है। इसके अलावा, लीज की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, तो लीज अवधि में बदलाव, लीज पेमेंट में बदलाव (उदाहरण के लिए, एक इंडेक्स या रेट में बदलाव के परिणामस्वरूप होने वाले भविष्य के भुगतान में बदलाव)। इस तरह के पट्टे भुगतान) या अंतर्निहित परिसंपत्ति खरीदने के लिए एक विकल्प के मूल्यांकन में बदलाव। लीज देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियों" के तहत प्रस्तुत किया गया है। लीज देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियों" के तहत प्रस्तुत किया गया है।

iii) अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अल्पकालिक लीज मान्यता को अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी, उन पट्टों पर लागू होती है, जिनकी लीज अवधि 12 महीने या उससे कम होती है,

जिसमें खरीदारी का विकल्प नहीं होता है) और खरीदारी का विकल्प नहीं होता है। यह कम-मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों पर पट्टा भुगतान और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे को लीज अवधि के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक पट्टेदार के रूप में

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित नहीं करती है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में आरंभिक प्रत्यक्ष लागत लीज्ड एसेट की वहन राशि में जोड़ दी जाती है और लीज टर्म से अधिक किराये की आय के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार को स्वामित्व हस्तांतरण के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से मिलते हैं। पट्टों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्त पट्टों के रूप में वित्त पट्टों के कारण देय राशि को रिकॉर्ड किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।

3.20. वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

कंपनी वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। यदि संपत्ति को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- (क) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसका एहसास या बेचा या उपभोग किया जा सकता है;
- (ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है;
- (ग) यह समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर महसूस होने की संभावना है; या
- (घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि इसे एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- (क) यह सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है;
- (ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- (ग) समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीने के भीतर इसके तय होने की संभावना है;
- (घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रसंस्करण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। कंपनी का सामान्य परिचालन चक्र बारह महीने का है।

3.21. शेयरधारकों को लाभांश वितरण

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त होती है जब शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

3.22. प्रीपेड खर्चें

प्रत्येक सिर के नीचे राजस्व व्यय को चालू वर्ष में अलग कर दिया जाता है और प्रीपेड जहां भी राशि रु. 20,000 / - से अधिक हो

3.23. फ़ोरक्लोज़र के लिए अधिशुल्क

लोन के फ़ोरक्लोज़र या उसके किसी भी हिस्से के लिए अधिशुल्क की गणना उस वर्ष में वित्त लागत के रूप में की जाती है जिसमें फ़ोरक्लोज़र का प्रभाव होता है।

3.24. परिसमापन हर्जाना

परिसमाप्त क्षति का निश्चित आधार पर हिसाब किया जाता है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स के संबंध में, समान को परिसंपत्ति की लागत से कम किया जाएगा और अन्य सभी मामलों में, समान को अन्य आय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.25. नकद आमद विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है। नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्य में नकदी शामिल होती है, बैंकों में और बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध जो मांग पर चुकाने योग्य होता है और कंपनी के नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

4. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

(रु. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल 2019 तक सकल कैरिग मूल्य | जमा | नियटान/समायोजन | 31 मार्च, 2020 तक सकल कैरिग मूल्य | 01 अप्रैल, 2019 तक जमा किया गया मूल्यहास | वर्ष के लिए मूल्यहास | नियटान/समायोजन | 31 मार्च 2020 तक जमा किया गया मूल्यहास | 31 मार्च, 2020 तक कैरिग मूल्य |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|--|-------------------------------|
| भूमि | 58,994.47 | 4,961.61 | - | 63,956.08 | - | - | - | - | 63,956.08 |
| भवन, शेड और अन्य संरचनाएं | 11,225.41 | 1,159.99 | -60.80 | 12,324.60 | 889.29 | 300.64 | -2.53 | 1,187.40 | 11,137.20 |
| घाट और सीमाएं | 64,369.47 | 537.50 | -421.07 | 64,485.90 | 5,057.52 | 1,532.79 | -12.99 | 6,577.32 | 57,908.58 |
| सड़कें | 8,558.95 | 361.04 | - | 8,919.99 | 1,437.06 | 550.95 | - | 1,988.01 | 6,931.98 |
| रेलवे ट्रैक व सिमलिंग सिस्टम | 7,660.95 | - | - | 7,660.95 | 1,765.42 | 493.64 | - | 2,259.06 | 5,401.89 |
| डॉक्स, सीवाल्स, पियर्स व ब्रेक वॉटर | 57,581.56 | 56.30 | - | 57,637.86 | 11,143.33 | 753.87 | - | 11,897.20 | 45,740.66 |
| नेविगेशन के सहायक | 381.67 | - | - | 381.67 | 283.77 | 6.61 | - | 290.38 | 91.29 |
| वाहन | 111.63 | 72.84 | - | 184.47 | 28.19 | 13.91 | - | 42.10 | 142.37 |
| विद्युत स्थापन | 1,716.76 | 145.26 | - | 1,862.02 | 925.07 | 135.33 | - | 1,060.40 | 801.62 |
| जल, संचार और आग सिस्ट के लिए स्थापना | 306.19 | - | - | 306.19 | 141.08 | 8.69 | - | 149.77 | 156.42 |
| विद्युत उपकरण | 192.48 | 6.12 | - | 198.60 | 91.67 | 16.93 | - | 108.60 | 90.00 |
| कार्यालय उपकरण | 177.98 | 11.05 | - | 189.03 | 129.99 | 14.80 | - | 144.79 | 44.24 |
| फर्नीचर फिटिंग | 921.56 | 9.23 | - | 930.79 | 345.45 | 74.11 | - | 419.56 | 511.23 |
| कंप्यूटर | 849.36 | 7.30 | - | 856.66 | 305.09 | 121.79 | - | 426.88 | 429.78 |
| पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल | 79,743.49 | 5,177.27 | - | 84,920.76 | 4,669.10 | 800.89 | - | 5,469.99 | 79,450.77 |
| प्लांट व मशीनरी | 1,099.46 | - | - | 1,099.46 | 567.80 | 160.35 | - | 728.15 | 371.31 |
| प्रतिभूति संपत्ति | 53.71 | 11.38 | - | 65.09 | 46.07 | 6.14 | - | 52.21 | 12.88 |
| कुल | 2,93,945.10 | 12,516.89 | (481.87) | 3,05,980.12 | 27,825.91 | 4,991.44 | (15.52) | 32,801.82 | 2,73,178.30 |

- ए) कंपनी के पास जीओटीएन, टिएनईबी, टिडको और साल्ट विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से अधिग्रहित 2802.49 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2787.27 एकड़ कंपनी के कब्जे में है और शेष 15.22 एकड़ जमीन पर कब्जा करना बाकी है।
- बी) कंपनी ने टिडको से 950 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 297.98 एकड़ कंपनी के नाम पर पंजीकृत हो गई और शेष पंजीकरण प्रगति पर है। कंपनी ने टेनजेडको से 1092.20 एकड़ जमीन की खरीद की, जिसमें से 995.05 एकड़ कंपनी के नाम पर पंजीकृत हो गई और शेष पंजीकरण प्रगति पर है। कंपनी ने साल्ट डिपार्टमेंट से 712.42 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 682.66 एकड़ जमीन कंपनी के नाम से पंजीकृत थी और शेष का पंजीकरण जारी है। कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 47.87 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, जिसमें से 32.65 एकड़ जमीन जिसके लिए पट्टा कंपनी के नाम पर प्राप्त हुआ और शेष राशि जारी है।
- सी) वर्ग मी में भूमि की माप 134600, 542524, 472460, 384780 (चरण I और II), 171611, 520000 (कुल मिलाकर 550.05 एकड़) को बीओटी संचालकों अर्थात् मैसर्स एन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसएसीएल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, मैसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स चेट्टीनाड बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई।

भवन, शेड और अन्य संरचनाएं

नियटान / समायोजन में शामिल हैं कि कंपनी ने "मूल कार्यों" के हिस्से पर काम करने वाले अनुबंध पर भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी के लिए दावा दायर किया था, जिस पर सिडिएसएटिएटि अपील से पहले लंबित था। प्रचुर मात्रा में सावधानी के रूप में, इस संबंध में वसूली को खाने की पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई थी और इसे अचल संपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 16.03.2020 के आदेश के तहत सरकारी प्राधिकरण द्वारा 436.74 लाख रुपये की धनराशि वापस कर दी गई है और शेष 45.12 लाख रुपये ईपीसी ठेकेदार से वसूल किए गए जो कर चालान पेश करने में विफल रहे। तदनुसार, रुपये की राशि 31 मार्च, 2020 तक अचल संपत्तियों के सकल ब्लॉक के लिए 481.86 लाख समायोजित किए गए हैं। समान मात्रा का संचयी मूल्यहास प्रभाव रु. 15.52 लाख है, जिसे वर्ष के मूल्यहास के लिए समायोजित किया गया है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण

(रु. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल 2018 तक सकल कैरिग मूल्य | जमा | निपटान/समायोजन | 31 मार्च, 2019 तक सकल कैरिग मूल्य | 01 अप्रैल, 2018 तक जमा किया गया मूल्यहास | वर्ष के लिए मूल्यहास | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2019 तक जमा किया गया मूल्यहास | 31 मार्च, 2019 तक कैरिग मूल्य |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|--|-------------------------------|
| भूमि | 59,033.03 | 0.00 | (38.55) | 58,994.47 | | | | 0.00 | 58,994.47 |
| भवन, शेड और अन्य संरचनाएं | 7883.37 | 3,342.03 | 0.00 | 11,225.41 | 648.21 | 241.08 | 0.00 | 889.29 | 10,336.12 |
| घाट और सीमाएं | 35,113.72 | 29,255.75 | 0.00 | 64,369.47 | 3643.14 | 1,414.38 | 0.00 | 5,057.52 | 59,311.95 |
| सड़कें | 5,064.55 | 3,494.40 | 0.00 | 8,558.95 | 1098.03 | 339.03 | 0.00 | 1,437.06 | 7,121.89 |
| रेलवे ट्रैक व सिमलिंग सिस्टम | 7,247.71 | 413.24 | 0.00 | 7,660.95 | 1285.90 | 479.51 | 0.00 | 1,765.42 | 5,895.53 |
| डॉक्स, सीवाल्स, पियर्स व ब्रेक वॉटर | 53,155.23 | 4,426.33 | 0.00 | 57,581.56 | 10,389.54 | 753.79 | 0.00 | 11,143.33 | 46,438.23 |
| नेविगेशन के सहायक | 277.27 | 104.40 | 0.00 | 381.67 | 277.27 | 6.50 | 0.00 | 283.77 | 97.90 |
| वाहन | 111.63 | 0.00 | 0.00 | 111.63 | 15.84 | 12.35 | 0.00 | 28.19 | 83.44 |
| विद्युत स्थापन | 1,711.22 | 5.55 | 0.00 | 1,716.76 | 797.55 | 127.52 | 0.00 | 925.07 | 791.69 |
| जल, संचार और आग सिस्ट के लिए स्थापना | 306.19 | 0.00 | 0.00 | 306.19 | 132.39 | 8.69 | 0.00 | 141.08 | 165.11 |
| विद्युत उपकरण | 187.13 | 5.35 | 0.00 | 192.48 | 74.74 | 16.93 | 0.00 | 91.67 | 100.81 |
| कार्यालय उपकरण | 168.57 | 9.41 | 0.00 | 177.98 | 112.03 | 17.96 | 0.00 | 129.99 | 47.99 |
| फर्नीचर फिटिंग | 791.05 | 130.51 | 0.00 | 921.56 | 274.67 | 70.79 | 0.00 | 345.45 | 576.11 |
| कंप्यूटर | 718.78 | 130.58 | 0.00 | 849.36 | 196.32 | 108.77 | 0.00 | 305.09 | 544.26 |
| पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल | 79,743.49 | 0.00 | 0.00 | 79,743.49 | 3,912.28 | 756.82 | 0.00 | 4,669.10 | 75,074.39 |
| प्लांट व मशीनरी | 1,099.46 | 0.00 | 0.00 | 1,099.46 | 407.44 | 160.35 | 0.00 | 567.80 | 531.66 |
| प्रतिभूति संपत्ति | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 40.13 | 5.94 | 0.00 | 46.07 | 7.64 |
| कुल | 2,52,666.10 | 41,317.56 | (38.55) | 2,93,945.11 | 23,305.48 | 4,520.41 | 0.00 | 27,825.90 | 2,66,119.21 |

4 (ए) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल 2019 तक सकल कैरिग मूल्य | जमा | निपटान/समायोजन | 31 मार्च, 2020 तक सकल कैरिग मूल्य | 01 अप्रैल, 2019 तक जमा किया गया मूल्यहास | वर्ष के लिए मूल्यहास | निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2020 तक जमा किया गया मूल्यहास | 31 मार्च, 2020 तक कैरिग मूल्य |
|--|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|--|-------------------------------|
| पंजीकृत कार्यालय के लिए लीज परिसंपत्ति | 2,002.42 | - | - | 2,002.42 | 341.18 | 86.02 | - | 427.20 | 1,575.22 |
| कुल | 2,002.42 | 0.00 | 0.00 | 2,002.42 | 341.18 | 86.02 | 0.00 | 427.20 | 1,575.22 |

5. कार्यशील पूंजी

(रु. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2019 तक शेष | वर्ष के दौरान अतिरिक्त/समायोजन | वर्ष के लिए पूंजीगत | 31 मार्च 2020 तक शेष |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| सीडब्ल्यूआईपी - भवन, शेड और अन्य संरचनाएं | 1,810.17 | 790.39 | -1,386.37 | 1,214.19 |
| सीडब्ल्यूआईपी - घाट और सीमाएं | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| सीडब्ल्यूआईपी - सड़कें | 859.28 | 3,741.38 | -337.16 | 4,263.50 |
| सीडब्ल्यूआईपी - रेलवे ट्रैक व सिग्नलिंग सिस्टम | 2,709.93 | 1,196.12 | 0.00 | 3,906.05 |
| सीडब्ल्यूआईपी- डॉक्स, सीवाल्स, पियर्स व ब्रेक वॉटर | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
| सीडब्ल्यूआईपी- नैविगेशन के सहायक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - वाहन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - विद्युत स्थापन | 34.91 | 195.61 | -167.54 | 62.98 |
| सीडब्ल्यूआईपी - जल, संचार और फाई के लिए स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - विद्युत उपकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - कार्यालय उपकरण | 4.50 | 11.38 | -15.88 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - कंप्यूटर | 0.32 | 0.04 | -0.37 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - पोर्ट बेसिन व प्रवेश चैनल | 4,443.98 | 877.87 | -5,177.27 | 144.58 |
| सीडब्ल्यूआईपी - प्लांट और मशीनरी | 0.00 | 1,139.53 | 0.00 | 1,139.53 |
| सीडब्ल्यूआईपी- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 0.42 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| कुल | 9,894.56 | 7,952.32 | (7,085.03) | 10,761.88 |

कार्यशील पूंजी

(रु. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2018 तक शेष | वर्ष के दौरान अतिरिक्त/समायोजन | वर्ष के लिए पूंजीगत | 31 मार्च 2019 तक शेष |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| सीडब्ल्यूआईपी - भवन, शेड और अन्य संरचनाएं | 3,206.77 | 1,945.43 | -3,342.04 | 1,810.17 |
| सीडब्ल्यूआईपी - घाट और सीमाएं | 28,443.70 | 818.95 | -29,255.75 | 6.90 |
| सीडब्ल्यूआईपी - सड़कें | 2,252.52 | 2,101.16 | -3,494.40 | 859.28 |
| सीडब्ल्यूआईपी - रेलवे ट्रैक व सिग्नलिंग सिस्टम | 1,912.00 | 1,211.17 | -413.24 | 2,709.93 |
| सीडब्ल्यूआईपी- डॉक्स, सीवाल्स, पियर्स व ब्रेक वॉटर | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
| सीडब्ल्यूआईपी- नैविगेशन के सहायक | 62.64 | 41.76 | -104.40 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - वाहन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - विद्युत स्थापन | 41.52 | -1.26 | -5.35 | 34.91 |
| सीडब्ल्यूआईपी - जल, संचार और फाई के लिए स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - विद्युत उपकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - कार्यालय उपकरण | 0.00 | 5.25 | -0.75 | 4.50 |
| सीडब्ल्यूआईपी - कंप्यूटर | 82.37 | 14.12 | -96.16 | 0.32 |
| सीडब्ल्यूआईपी - पोर्ट बेसिन व प्रवेश चैनल | 144.58 | 4,299.40 | 0.00 | 4,443.98 |
| सीडब्ल्यूआईपी - प्लांट और मशीनरी | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| सीडब्ल्यूआईपी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 0.00 | 95.54 | -95.12 | 0.42 |
| सीडब्ल्यूआईपी - फर्नीचर और फिटिंग | 0.00 | 1.80 | -1.80 | 0.00 |
| कुल | 36,170.25 | 10,533.31 | (36,809.02) | 9,894.55 |

6. अमूर्त परिसंपत्तियां – सॉफ्टवेयर

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| 1 अप्रैल तक सकल कैरिंग मूल्य | 1,077.01 | 981.90 |
| जमा | 0.13 | 95.11 |
| निपटान/समायोजन | | 0.00 |
| 31 मार्च तक सकल कैरिंग मूल्य | 1,077.14 | 1,077.01 |
| 01 अप्रैल तक जमा किया गया मूल्यहास | 317.18 | 169.19 |
| वर्ष के लिए | 151.10 | 147.99 |
| निपटान/समायोजन | | |
| 31 मार्च तक जमा किया गया मूल्यहास | 468.28 | 317.18 |
| 31 मार्च, 2020 तक कैरिंग मूल्य | 608.86 | 759.84 |

7. निवेश

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| गैर वर्तमान | | |
| शेयरों में निवेश-क्वोटेडिड | | |
| भारत के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में 10000 शेयर (31 मार्च 2020 तक बाजार मूल्य - रु.14,54,500 / -) | 25.04 | 0.00 |
| शेयरों में निवेश - गैर क्वोटेडिड | | |
| सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर | 3,000.00 | 3,000.00 |
| कम: निवेश के मूल्य में संशोधन के लिए प्रावधान | -3,000.00 | -3,000.00 |
| चेन्नै एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर | 3,400.00 | 3,400.00 |
| भारतीय पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर | 720.00 | 720.00 |
| कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयर | 2.00 | 2.00 |
| अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र में निवेश | 1.00 | 1.00 |
| कुल | 4,148.04 | 4,123.00 |
| वर्तमान | | |
| लिविड फंड में निवेश | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 0.00 | 0.00 |

जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देश पर दिनांक 14.09.2007 से ड्रेजिंग कार्य स्थगित है और तब से इस परियोजना में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश की दिशा में मंदाता प्रदान की है।

8. ऋण व अग्रिम

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|--|------------------|------------------|
| दीर्घावधि | | |
| सुरक्षित (अच्छा माना जाता है) | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम (हाउस बिल्डिंग अग्रिम) | 394.59 | 334.77 |
| कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम) | 14.15 | 1.17 |
| कुल | 408.74 | 335.94 |
| लघु अवधि | | |
| सुरक्षित (अच्छा माना जाता है) | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम (हाउस बिल्डिंग अग्रिम) | 44.98 | 57.51 |
| कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम) | 5.56 | 6.78 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 2.40 | 17.83 |
| कुल | 52.94 | 82.13 |

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|------------------------------|------------------|------------------|
| दीर्घावधि | | |
| जमा | 187.20 | 166.82 |
| को अर्जित ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| -विभिन्न पार्टियों से अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 187.20 | 166.82 |
| लघु अवधि | | |
| इस पर अर्जित ब्याज: | | |
| -लघु अवधि जमा | 9.94 | 20.19 |
| -विभिन्न पार्टियों से अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| आय प्राप्य | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 9.94 | 20.19 |

10. कर व्यय

लाभ व हानि के विवरण में स्वीकृत कर

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| कर की दर में बदलाव | | |
| स्थगित कर व्यय | 7,827.23 | 7,338.00 |
| अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और वापसी | | 0.00 |
| उप कुल (ए) | 7,827.23 | 7,338.00 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन | | |
| उप कुल (बी) | 12,068.66 | -6,988.49 |
| कुल (ए + बी) | | |
| उप कुल (ए) | | |
| स्थगित कर व्यय | 12,068.66 | -6,988.49 |
| अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और वापसी | 19,895.89 | 349.51 |

अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कर

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|--|------------------|------------------|
| निर्धारित लाभ योजना बीमाकिक लाभ (हानि) | -12.19 | -4.88 |
| निवेश के मूल्य में कमी | 0.00 | 0.00 |
| कुल | -12.19 | -4.88 |

* कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के की धारा 80IA पर छूट का दावा कर रही है। कंपनी आयकर अधिनियम के एमएटी प्रावधानों के तहत कर का भुगतान कर रही है। 17.472% की प्रभावी कर दर को वर्तमान कर व्यय के सामंजस्य में माना जाता है।

स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं

आस्थगित कर संपत्ति और देयताएं निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| डेफरड विलम्बित कर देयता | | |
| संपत्ति प्लॉट व उपकरण | 28,831.69 | 22,520.84 |
| उप कुल | 28,831.69 | 22,520.84 |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | | |
| कोई धारा 40 ए (i) अस्वीकृति | - | - |
| कोई धारा 43बी की अस्वीकृति | - | - |
| खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान | 454.18 | 449.81 |
| एमएटी क्रेडिट पात्रता | 50,930.42 | 56,698.24 |
| परिभाषित लाभ योजना में प्रचालन | 6.79 | (0.95) |
| निवेश में कमी | 1,048.32 | 1,038.24 |
| अन्य | 237.12 | 237.12 |
| उप कुल | 52,676.83 | 58,422.46 |
| शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) | 23,845.14 | 35,901.62 |

वर्ष के दौरान आस्थगित कर अग्रिम में प्रचालन

(₹. लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल, 2019 तक शेष | लाभ और हानि में स्वीकृति | ओसीआई में स्वीकृति | 31 मार्च, 2020 तक शेष |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| संपत्ति, प्लॉट और उपकरण | (22,520.84) | (6,310.85) | | -28,831.69 |
| कर्मचारी लाभ | (0.95) | (4.45) | 12.19 | 6.79 |
| टीडीएस विघटन | - | - | | 0.00 |
| प्रावधान | 449.81 | 4.37 | | 454.18 |
| मेट क्रेडिट प्रविष्टि * | 56,698.24 | (5,767.82) | | 50,930.42 |
| अन्य | 237.12 | - | | 237.12 |
| निवेश में कमी | 1,038.24 | 10.08 | | 1,048.32 |
| कुल | 35,901.62 | (12,068.66) | 12.19 | 23,845.14 |

* एमएटी क्रेडिट एंटीटमेंट में प्रचालन में ₹. 7513.30 का रिवर्सल शामिल है जो पहले के वर्षों में खातों की पुस्तकों में स्वीकृत अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट का प्रतिनिधित्व करता है।

| विवरण | 1 अप्रैल, 2018 तक शेष | लाभ और हानि में स्वीकृति | ओसीआई में स्वीकृति | 31 मार्च, 2019 तक शेष |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| संपत्ति, प्लॉट और उपकरण | (22,175.05) | (345.79) | | -22,520.84 |
| कर्मचारी लाभ | 2.77 | (3.72) | | -0.95 |
| टीडीएस विघटन | - | - | | 0.00 |
| प्रावधान | 449.81 | - | | 449.81 |
| एमएटी क्रेडिट एंटीटमेंट | 49,360.24 | 7,338.00 | | 56,698.24 |
| अन्य | 237.12 | - | | 237.12 |
| निवेश में कमी | 1,038.24 | - | | 1,038.24 |
| कुल | 28,913.13 | 6,988.49 | - | 35,901.62 |

गैर स्वीकृति स्थगित कर संपत्ति

निम्नलिखित वस्तुओं के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकृत नहीं किया गया है

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|----------------------|------------------|------------------|
| अस्थायी अस्थायी अंतर | 0.00 | 0.00 |
| कर की हानि | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 0.00 | 0.00 |

11. अन्य परिसंपत्तियां

(₹. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|--|------------------|------------------|
| गैर वर्तमान | | |
| ठेकेदारों को अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम | 10,108.65 | 13,434.92 |
| प्रीपेड लीज रेंट | 0.00 | 0.00 |
| आस्थगित कर्मचारी लागत | 137.78 | 126.04 |
| आस्थगित निष्पक्ष मूल्यांकन लाभ - प्रतिभूति जमा | 173.40 | 0.00 |
| मध्यस्थता पुरस्कार के लिए अग्रिम | 0.00 | 170.14 |
| सरकारी अधिकारियों के साथ शेष | 453.49 | 134.17 |
| कुल | 10,873.32 | 13,865.28 |
| वर्तमान | | |
| ठेकेदारों को अग्रिम | 971.86 | 0.00 |
| प्रीपेड खर्चें | 96.30 | 251.57 |
| सेवा कर इनपुट क्रेडिट / जीएसटी | 761.92 | 1,566.92 |
| आस्थगित कर्मचारी लागत | 0.00 | 0.00 |
| दूसरों से वसूली योग्य राशि | 188.69 | 829.21 |
| कुल | 2,018.77 | 2,647.70 |

गैर-वर्तमान के तहत पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम में 22.06.2001 को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से परिसंपत्तियों और देयताओं को संभालने के समय मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित प्रोजेक्ट ठेकेदारों को ₹.4509.50 लाख का अतिरिक्त भुगतान शामिल है।

गैर-वर्तमान भाग के तहत सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष राशि में "सबका विकास योजना" के लिए रु .16.75 लाख का अग्रिम भुगतान शामिल है। इसके अलावा, इसमें सेवा कर विभाग से प्राप्य 436.74 लाख रुपये का रिफंड शामिल है। संबंधित अधिसूचना के अनुसार मूल कार्यों पर भुगतान किया जा चुका है जो बाद में 12 जून 2020 को प्राप्त हुई थी।

मध्यस्थता पुरस्कार के लिए अग्रिम में इसीपीपी ठेकेदार के साथ लंबित विवाद के संबंध में एसक्रो खाते में नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान की गई विवादित राशि का 75% शामिल है। वर्ष के अंत से पहले मद्रास के उच्च न्यायालय में इसीपीपी ठेकेदार के पक्ष में मामला तय किया गया था और फलस्वरूप, कंपनी ने 26.05.2020 को इसीपीपी ठेकेदार के साथ एक समझौता किया।

12. व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| व्यापार स्वीकार योग्य | | |
| देनदार भुगतान के लिए बनने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं | | |
| - असुरक्षित - अच्छा माना जाता है | 854.82 | 3.03 |
| - संदिग्ध | 1,299.74 | 1,299.74 |
| अन्य देनदार (छह महीने से कम) | | |
| - असुरक्षित - अच्छा माना जाता है | 3,961.76 | 3,035.12 |
| कम: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते | -1,299.74 | -1,299.74 |
| कुल | 4,816.59 | 3,038.16 |

13. नकद व नकद समतुल्य

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|--|------------------|------------------|
| हाथ में पैसा | 0.00 | 0.00 |
| हाथ में चेक, ड्राफ्ट | 0.00 | 0.00 |
| बैंकों के साथ शेष | 2,920.80 | 1,683.93 |
| उप- कुल (ए) | 2,920.80 | 1,683.93 |
| अन्य बैंक शेष | | |
| - जमा अवधि | | |
| - 3 महीने से कम | 0.00 | 1,500.00 |
| - 3 महीने से ज्यादा लेकिन 12 महीने से कम | 7,000.00 | 0.00 |
| उप- कुल (बी) | 7,000.00 | 1,500.00 |
| कुल | 9,920.80 | 3,183.93 |

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| अग्रिम कर और स्रोत में काटा गया कर | 66,006.00 | 58,664.36 |
| आयकर के लिए प्रावधान | -65,617.23 | -57,790.00 |
| कुल | 388.77 | 874.36 |

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| प्राधिकृत | | |
| रुपये 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर | | |
| 500,000,000 इक्विटी शेयर | 50,000.00 | 50,000.00 |
| जारी किए गए, सबक्राइंड और पूरी तरह से भुगतान किया गया | | |
| 10/- प्रत्येक रुपये के इक्विटी शेयर | | |
| 300,000,000 इक्विटी शेयर | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 30,000.00 | 30,000.00 |

शेयर पूंजी का सामंजस्य:

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | |
|--|------------------|-------------------|
| | शेयरों की संख्या | राशि |
| ओपनिंग इक्विटी शेयर | 300000000 | 3000000000 |
| जोड़ें: - शेयरों की संख्या, वर्ष के जारी / सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी | 0 | 0 |
| क्लोजिंग शेष | 300000000 | 3000000000 |

| विवरण | 31 मार्च 2019 तक | |
|--|------------------|-------------------|
| | शेयरों की संख्या | राशि |
| ओपनिंग इक्विटी शेयर | 300000000 | 3000000000 |
| जोड़ें: - शेयरों की संख्या, वर्ष के जारी / सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी | 0 | 0 |
| क्लोजिंग शेष | 300000000 | 3000000000 |

प्रतिशत से अधिक की होल्डिंग शेयरधारक द्वारा कंपनी में शेयर

| शेयरधारक का नाम | % | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| भारत सरकार | 0% | 0 | 20,000 |
| चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट | 100% | 30,000 | 10,000 |

भारत सरकार ने शेयर खरीद समझौते के माध्यम से चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट में कंपनी में आयोजित अपने पूरे इक्विटी शेयरों को 25.03.2020 को दर्ज किया।

16. ऋण

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| प्रतिभूति - दीर्घ अवधि | | |
| अवधि ऋण | | |
| चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट | 22,807.50 | 25,108.75 |
| एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण | 8,868.90 | 16,264.82 |
| कर मुक्त बांड | | |
| (i) सीरीज 2012-13 | 9,416.85 | 9,404.88 |
| (ii) सीरीज 2013-14 | 36,428.84 | 36,417.59 |
| कुल | 77,522.09 | 87,196.04 |

प्रतिभूति रिडीम योग्य गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड

- (i) समतुल्य पर रिडीम योग्य, अंकित मूल्य के 10 वर्ष के 829334 बॉन्ड्स - रु. 82,93,34,000/- की राशि की रु. 1000/- प्रत्येक 25.03.2023 तक देय हैं और अंकित मूल्य के 15 वर्ष के 117156 बॉन्ड्स - रु. 11,71,56,000/- की राशि के रु. 1000/- प्रत्येक 25.03.2023 तक देय हैं। जिस पर क्रमशः रिटेल इन्वेस्टर को ब्याज दर @ 7.51% और 7.67% और अन्यो के लिए 7.01% और 7.17% वार्षिक रूप से देययोग्य है। बांड कंपनी की संपत्ति के लिए प्रतिभूतित हैं अर्थात् 25.03.2013 को पंजीकृत बॉन्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार स्मॉल क्राफ्ट जेटी - 1, 2 और 3 तथा जनरल कार्गो बर्थ है।
- (ii) बराबर पर रिडीमेंबल] रु. 79,49,51,000/- की राशि के अंकित मूल्य-रु. 1000/- के 10 साल के 794951 बॉन्ड्स 25.03.2024 तक देय हैं और रु. 191,66,30,000/- की राशि के अंकित मूल्य-रु. 1000/- के 15 साल के 1916630 बॉन्ड्स 25-03-2029 तक देय हैं और रु. 94,31,42,000/- की राशि के अंकित मूल्य-रु. 1000/-के 20 साल के 943142 बॉन्ड्स 25.03.2034 तक देय हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए वार्षिक रूप से देय क्रमशः 8.61%, 9% और 9% ब्याज दर और अन्य के लिए क्रमशः 8.36%, 8.75% और 8.75% के साथ। 19.03.2014 को रजिस्टर्ड बॉन्ड्स ट्रस्ट डीड के अनुपालन में कंपनी की परिसंपत्ति अर्थात् उत्तरी बेरक वाटर के लिए प्रतिभूतित है

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से टर्म लोन

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के कारण टर्म लोन वर्ष 2001-02 में परिसंपत्तियों और देयताओं से अधिक के समय में परिवर्तित हो गया और 30.06.2012 से शुरू होने वाली 60 समान तिमाही किस्तों में चुकाने योग्य है। इस अवधि के दौरान किस्तों का भुगतान किया जाता है। उपरोक्त ऋण कंपनी के विशेष रूप से निर्धारित अचल संपत्तियों के अनुमान से सुरक्षित है। कंपनी ने 18.06.2018 और 29.09.2018 को मूल ऋण की समान नियम और शर्तों पर रु.70 करोड़ और 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली है।

एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण

एक्सिस बैंक ने 30.03.2017 को विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) 100 USD मिलियन को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक वर्ष की अधिस्थगन सहित पांच साल के भीतर 6M लिबोर प्लस 195 बीपीएस की ब्याज दर @ के साथ व्यापार प्राप्य है। कंपनी ने 2017-18 के दौरान 47 USD मिलियन का लाभ उठाया है। कंपनी ने ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए 250 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) से अधिक 6 एम लिबोर रेट में भी कटौती की है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा फुटम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक ने निधि के आधार पर रु। 50 करोड़ और नॉन-फंड आधारित सीमाओं की ओर रु। 10 करोड़ की स्वच्छ ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को मंजूरी दी। @ एमएसिएलआर प्लस 0.15%। कंपनी ने 31 जनवरी, 2020 को ऋण समझौता किया है। हालाँकि, 31 मार्च 2020 तक कोई सुविधा नहीं ली गई थी।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| दीर्घावधि | | |
| जमा प्रतिभूति | 275.97 | 265.87 |
| देय योग्य प्रतिधारण राशि | 290.18 | 33.45 |
| कुल | 566.15 | 299.32 |
| लघु अवधि | | |
| दीर्घ अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वता | | |
| - चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट | 2,301.25 | 2,301.25 |
| - एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण | 8,935.25 | 8,129.83 |
| प्रतिभूति जमा | 260.63 | 140.98 |
| रिटेंशन मनी देय | 350.98 | 675.38 |
| कर्मचारियों को देय राशि | 0.48 | 0.84 |
| अन्य देयताएं | 198.86 | 219.95 |
| कुल | 12,047.45 | 11,468.23 |

18. प्रावधान

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|----------------------------|------------------|------------------|
| गैर- वर्तमान | | |
| कर्मचारी लाभ के लिए | | |
| लीव इनकेशमेंट | 0.00 | 0.00 |
| प्रेच्युटी | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 0.00 | 0.00 |
| वर्तमान | | |
| कर्मचारी लाभ के लिए | | |
| लीव इनकेशमेंट | 7.65 | 5.21 |
| प्रेच्युटी | 11.79 | 20.09 |
| प्रदर्शन से संबंधित भुगतान | 200.00 | 299.10 |
| उप कुल (ए) | 219.44 | 324.40 |
| अन्य | | |
| व्यय | | |
| - राजस्व | 748.79 | 583.73 |
| - पूंजी | 65.27 | 366.97 |
| उप कुल (बी) | 814.06 | 950.70 |
| कुल (ए + बी) | 1,033.50 | 1,275.11 |

19. अन्य देयताएं

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| गैर वर्तमान | | |
| अग्रिम में प्राप्त आय | 6,956.78 | 7,494.71 |
| एडवांस लीज चार्ज | 781.21 | 826.21 |
| अन्य देयताएं | 0.00 | 1,827.43 |
| स्थागन निष्पक्ष मूल्यांकन लाभ प्रतिभूति जमा | 588.85 | 604.06 |
| सरकारी अनुदान | 8.14 | 27.81 |
| कुल | 8,334.98 | 10,780.21 |
| वर्तमान | | |
| अग्रिम में प्राप्त आय | 814.61 | 597.00 |
| अन्य वैधानिक भुगतान | 1,313.69 | 2,034.46 |
| ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम | 1,981.23 | 1,353.66 |
| एडवांस लीज चार्ज | 45.00 | 45.00 |
| कुल | 4,154.53 | 4,030.12 |

गैर—वर्तमान के तहत रु. 6956.78 लाख के अग्रिम में प्राप्त में 5,20,000 वर्गमीटर में 30 वर्षों के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस के लिए इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त राशि शामिल है। एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिए आवंटित भूमि लाइसेंस समझौते के अनुसार 31 जुलाई 2015 को दी गई।

20. प्राप्त योग्य व्यापार

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 तक | 31 मार्च 2019 तक |
|---|------------------|------------------|
| सूक्ष्म और लघु पैमाने पर औद्योगिक उपक्रमों का कुल देय बकाया (30 दिनों से अधिक 'शून्य/—) | 0.00 | 0.00 |
| मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक 'शून्य/-) | 0.00 | 0.00 |
| अन्य | 1,229.15 | 5,523.20 |
| कुल | 1,229.15 | 5,523.20 |

21. प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-----------------------------|---|---|
| लीज आय | | |
| कोयला पर समग्र टैरिफ | 21,361.49 | 25,568.34 |
| संपत्ति की आय | 4,473.35 | 3215.36 |
| आय का भाग | 19,182.64 | 20,454.02 |
| समुद्री सेवाएं | | |
| वेसल संबंधित आय | 17,616.88 | 16,318.16 |
| कार्गो संबंधित सेवा | | |
| वारफेज | 6,922.01 | 50,88.82 |
| रॉयल्टी | 622.36 | - |
| अन्य ऑपरेटिंग राजस्व | | |
| अन्य सेवाएं | 138.76 | 153.51 |
| कुल | 70,317.50 | 70,798.21 |

22. अन्य आय

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------|---|---|
| बैंकों से ब्याज | 415.85 | 45.40 |
| स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज | 42.61 | 34.98 |
| ब्याज - अन्य | 164.68 | 210.57 |
| म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म गेन | 148.83 | 349.55 |
| लाभांश प्राप्त हुआ | 51.01 | 0.00 |
| अन्य गैर परिचालन आय | | |
| निविदा दस्तावेजों की बिक्री | 0.08 | 0.15 |
| कार्मिक और वाहन प्रवेश पास | 65.76 | 75.18 |
| फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 0.00 |
| परिसमापन हर्जाना | 1,892.30 | 0.00 |
| अन्य आय | 269.37 | 202.89 |
| कुल | 3,050.49 | 918.73 |

प्रचालनों की शुरुआत में देरी के लिए बीओटी संचालकों से प्राप्त रु.1892.30 लाख तरल क्षति है।

अन्य आय में कंपनी की लेखा नीति के अनुसार सरकारी अनुदान से प्राप्त संयंत्र और मशीनरी के तहत दिखाए गए संपत्ति (तेल रिसाव प्रतिक्रिया समीकरण) पर प्रभारित किए जाने वाले रु 19.66 लाख की राशि शामिल है।

23. प्रचालन लागत

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|---|---|
| समय चार्टर शिल्प | 3,293.86 | 3139.16 |
| कंसल्टेंसी सर्विसेज - संचालन | 364.85 | 213.89 |
| बिजली और पानी का शुल्क | 215.90 | 224.96 |
| पर्यावरण | 473.75 | 264.26 |
| अनुसंधान और विकास व्यय | 0.00 | 6.42 |
| ईंधन खर्च | 769.46 | 833.03 |
| मैनिंग सर्विसेज | 646.55 | 603.56 |
| सर्वेक्षण और रखरखाव ड्रेजिंग | 8.58 | 13.22 |
| पाइलटैज एक्सपेंस | 0.00 | 0.00 |
| मरम्मत और रखरखाव | 815.62 | 906.23 |
| रखरखाव ड्रेजिंग | 94.12 | 0.00 |
| प्रोत्साहन | 1,231.23 | 1,986.95 |
| बीमा | 244.96 | 116.48 |
| कुल | 8,158.88 | 8,308.15 |

24. कर्मचारी लाभ

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------------------------|---|---|
| वेतन और मजदूरी | 1,400.68 | 1,369.93 |
| भविष्य निधि में योगदान | 117.17 | 105.07 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च | 21.98 | 7.24 |
| प्रदर्शन से संबंधित भुगतान | 152.99 | 100.00 |
| कर्मचारी चिकित्सा व्यय | 75.30 | 85.72 |
| टर्मिनल लाभ | 290.71 | 315.99 |
| कुल | 2,058.83 | 1,983.95 |

25. वित्त लागत

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|---|---|
| ब्याज व्यय : | | |
| - बैंकों से | 1,038.42 | 2,224.22 |
| - कर मुक्त बांड - 2012-13 | 686.11 | 685.43 |
| - कर मुक्त बांड - 2013-14 | 3,225.18 | 3,233.72 |
| - अन्य | 2,780.64 | 2,724.86 |
| अन्य ऋध लागत: | | |
| - टैक्स फ्री बॉन्ड खर्च | 9.32 | 5.85 |
| ऋध लेने की लागत के रूप में व्यवहार की गई सीमा तक विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर शुद्ध नुकसान। | 725.17 | 240.85 |
| कुल | 8,464.84 | 9,114.93 |

26. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------------------------------|---|---|
| वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन | | |
| मूर्त संपत्ति | 4,975.92 | 4,520.41 |
| राइट-ऑफ-यूज एसेट्स | 86.02 | 88.35 |
| अमूर्त संपत्ति | 151.10 | 147.99 |
| कुल | 5,213.04 | 4,756.75 |

27. अन्य व्यय

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------------|---|---|
| एएमसी - सॉफ्टवेयर खर्च | 65.52 | 36.61 |
| लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक | | |
| - सांविधिक लेखा - परीक्षा | 3.00 | 3.00 |
| - टैक्स ऑडिट फीस | 0.50 | 0.50 |
| - अन्य सेवाओं के लिए भुगतान | 0.50 | 0.59 |
| - व्यय की प्रतिपूर्ति | 0.30 | 0.30 |
| पुस्तकें और समय-समय पर | 2.75 | 1.93 |
| बिजली और पानी का शुल्क | 122.86 | 99.34 |
| कानूनी और व्यावसायिक शुल्क | 165.46 | 171.28 |
| विविध खर्च | 124.42 | 149.78 |
| छपाई और लेखन सामग्री | 17.19 | 32.34 |
| किराया, देरें और कर | 55.38 | 81.61 |
| सुरक्षा और सुरक्षा खर्च | 1,277.89 | 1,043.35 |
| सेमिनार और सम्मेलन का खर्च | 15.64 | 14.45 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय | 810.54 | 468.65 |
| सदस्यता और सदस्यता शुल्क | 119.58 | 155.92 |
| संचार व्यय | 62.22 | 73.83 |
| यात्रा और कनवेंस | 44.71 | 38.65 |
| वाहन चलाने का खर्च | 294.73 | 300.10 |
| विज्ञापन और प्रचार खर्च | 47.59 | 116.86 |
| विदेशी मुद्रा का उतार-चढ़ाव नुकसान | 688.16 | 1,199.50 |
| आर एंड एम कार्यालय | 331.44 | 338.90 |
| कुल | 4,250.38 | 4,327.49 |

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

(ए) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली सकल राशि

(बी) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(रु. लाख में)

| विवरण | नकद में | अभी नकद में भुगतान किया जाना है |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण | 0.00 | 0.00 |
| ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर | 810.54 | 0.00 |
| | 810.54 | 0.00 |

28. असाधारण मदें

(रु. लाख में)

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------------|---|---|
| मध्यस्थता / सेवा कर पर दिया गया ब्याज | 144.27 | 8383.04 |
| क्रीक रखरखाव | 161.63 | 457.72 |
| सेवा कर जमा - विवाद निपटान | 117.42 | 0.00 |
| कुल | 423.32 | 8840.76 |

नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इसिपीपी ठेकेदार, मैसर्स एफकॉन्स के साथ वर्ष के दौरान सेट किए गए मध्यस्थता दावों पर ब्याज को असाधारण वस्तुओं के तहत दिखाया गया है।

29. आय प्रति शेयर

| विवरण | मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|---|---|
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | 2492549819 | 3401590685 |
| शेयरों की भारत औसत संख्या - बेसिक | 300000000 | 300000000 |
| शेयरों की भारत औसत संख्या - डायल्यूडिड | 300000000 | 300000000 |
| प्रति शेयर आय - बेसिक | 8.31 | 11.34 |
| प्रति शेयर आय - डायल्यूडिड | 8.31 | 11.34 |

नोट 30: प्रकटीकरण नोट्स

1. प्रतिबद्धताएं :

पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:

पूँजी व्यय (एडवांस का शुद्ध) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और ₹ 23175.21 लाख (पिछले वर्ष के ₹ 30598.59 लाख) के लिए प्रदान नहीं की गई है।

2. वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान (₹. लाख में)

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|----------------------|---------|---------|
| लेखा - परीक्षण शुल्क | 3.00 | 3.00 |
| टैक्स ऑडिट फीस | 0.50 | 0.50 |
| प्रमाणन शुल्क | 0.50 | 0.50 |
| पैसे की वापसी: | | |
| - जेब खर्च से बाहर | 0.30 | 0.30 |
| - सेवा कर / जीएसटी | 0.09 | 0.09 |

4. 31 मार्च 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना: (₹. लाख में)

| क्र. | विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|------|---|---------|---------|
| 1 | किसी आपूर्तिकर्ता को शेष बकाया राशि: क) मूल राशि ख) उसपर देय ब्याज | शून्य | शून्य |
| 2 | नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में दिए गए ब्याज की राशि; | शून्य | शून्य |
| 3 | भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना; | शून्य | शून्य |
| 4 | ब्याज से अर्जित राशि और गैर चुकता शेष | शून्य | शून्य |
| 5 | लगातार वर्षों में शेष देय और देययोग्य भावी ब्याज की राशि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत काटे गए व्यय के अनसार गैर भत्ते के उद्देश्य के लिए छोटे उद्यम को वास्तव में चुकता की गई ब्याज की बकाया राशि है। | शून्य | शून्य |

सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों में वेंडर्स का वर्गीकरण कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार किया गया है

भारतीय लेखा मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

5. इंड एस 107 के संबंध में प्रकटीकरण— वित्तीय साधन

5.1 श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधन

श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों का मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार था:

(31 मार्च, 2020 तक लाख में राशि)

| विवरण | परिचालित लागत | लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति / देनदारियां | ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति / देनदारियां | कुल वहन मूल्य | कुल उचित मूल्य |
|---|---------------|---|---|---------------|----------------|
| परिसंपत्तियां: | | | | | |
| गैर वर्तमान निवेश (नोट 7 देखें) | - | - | 4,148.04 | 4,148.04 | 4,148.04 |
| नकद और नकद समकक्ष (नोट 13 देखें) | 9,920.80 | - | - | 9,920.80 | 9,920.80 |
| व्यापार प्राप्य (नोट 12 देखें) | 4,816.59 | - | - | 4,816.59 | 4,816.59 |
| ऋण और अग्रिम (नोट 8 देखें) | 461.68 | - | - | 461.68 | 461.68 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 9 देखें) | 370.54 | - | - | 370.54 | 370.54 |
| देयताएं: | | | | | |
| चेनै पोर्ट ट्रस्ट का अवधि ऋण (नोट 16 और 17 देखें) | 25,108.75 | - | - | 25,108.75 | 25,108.75 |
| कर मुक्त बॉन्ड (नोट 16 देखें) | 45,845.69 | - | - | 45,845.69 | 45,845.69 |
| एक्सिस बैंक से ऋण (नोट 16 व 17 देखें) | 17,804.15 | - | - | 17,804.15 | 17,804.15 |
| देययोग्य व्यापार (नोट 20 देखें) | 1,229.15 | - | - | 1,229.15 | 1,229.15 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट 17 देखें) | 1,377.10 | - | - | 1,377.10 | 1,377.10 |

(31 मार्च, 2019 तक लाख में राशि)

| विवरण | परिचालित लागत | लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति / देनदारियां | ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति / देनदारियां | कुल वहन मूल्य | कुल उचित मूल्य |
|---|---------------|---|---|---------------|----------------|
| परिसंपत्तियां: | | | | | |
| गैर वर्तमान निवेश (नोट 7 देखें) | - | - | 4,123.00 | 4,123.00 | 4,123.00 |
| नकद और नकद समकक्ष (नोट 13 देखें) | 3,183.93 | - | - | 3,183.93 | 3,183.93 |
| व्यापार प्राप्त्य (नोट 12 देखें) | 3,038.16 | - | - | 3,038.16 | 3,038.16 |
| ऋण और अग्रिम (नोट 8 देखें) | 418.07 | - | - | 418.07 | 418.07 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 9 देखें) | 187.01 | - | - | 187.01 | 187.01 |
| देयताएं: | | | | | |
| चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट का अवधि ऋण (नोट 16 और 17 देखें) | 27,410.00 | - | - | 27,410.00 | 27,410.00 |
| कर मुक्त बॉन्ड (नोट 16 देखें) | 45,822.47 | - | - | 45,822.47 | 45,822.47 |
| एक्सिस बैंक से ऋण | 24,394.64 | - | - | 24,394.64 | 24,394.64 |
| देययोग्य व्यापार (नोट 20 देखें) | 5,523.20 | - | - | 5,523.20 | 5,523.20 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट 17 देखें) | 220.79 | - | - | 220.79 | 220.79 |

5.2 उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)।
- स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य इनपुट जो संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष हैं, (प्रत्यक्ष रूप से (कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त)।
- स्तर 3 - संपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी उचित मूल्य पर मापा गया संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करती है:

(₹. लाख में)

| विवरण | वर्ष 31.03.2020 के लिए | | | | वर्ष 31.03.2019 के लिए | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|------------------------|--------|--------|-------|
| | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
| वित्तीय संपत्ति | | | | | | | | |
| निर्विवाद इक्विटी उपकरणों में निवेश | | | | | | | | |
| विवरण | - | - | 4,123 | 4,123 | - | - | 4,123 | 4,123 |

5.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ सीमित वित्तीय जोखिम शामिल हैं : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता को दूर करना है और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

ए) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जब बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा।

बाजार जोखिम के रूप में कंपनी की ब्याज दर का जोखिम होता है। कंपनी के वित्तीय साधनों पर मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति नहीं है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो एक वित्तीय साधन के उचित मूल्य या

भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के संपर्क में मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान चार क्रिस्तों @ एलएबीपीओआर प्लस 195 बीपीएस में एक्सिस बैंक से 100 मिलियन अमरीकी डालर के स्वीकृत ऋण में से 47 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा ऋण का लाभ उठाया है। हालांकि, ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए 250 आधार अंकों (बीपीएस) से अधिक की एलएबीपीओआर दर में कटौती की गई है।

इसके अलावा, कंपनी को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋण पर ब्याज दर का जोखिम है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर रीसेट को भारतीय स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर के लिए आंका जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी के ब्याज देने वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(₹. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| स्थायी दर साधन | | |
| वित्तीय परिसंपत्ति | | |
| - बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट | 7,000.00 | 1,500.00 |
| - कर्मचारी अग्रिम | 459.27 | 400.24 |
| वित्तीय देनदारियों | | |
| - टैक्स फ्री बॉन्ड | 45,845.69 | 45,822.87 |
| परिवर्तनीय दर साधन | | |
| - चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से ऋण | 25,108.75 | 27,410.00 |
| - विदेशी मुद्रा ऋण | 17,804.15 | 24,394.64 |

बी) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का मतलब प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर डिफॉल्ट के जोखिम से है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। चूंकि कंपनी आम तौर पर प्रमुख बंदरगाह सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान को निर्धारित करती है, इसलिए आमतौर पर किसी को भी कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोई क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम नहीं है। हालांकि, जहां कंपनी कुछ सहायक / सहायता सेवाओं का प्रतिपादन कर रही है, वहां चालान बढ़ाए जाते हैं, जैसे और जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और विवादों के निपटान पर उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि पर असहमति के मामलों में और इन मामलों में, क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम हो सकता है।

प्राप्तयोग्य व्यापार

कंपनी के पास 4676.15 लाख और 3038.16 लाख क्रमशः 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 तक बकाया व्यापार प्राप्त है। व्यापार प्राप्य आमतौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होते हैं।

चूंकि इस तरह के ऋणों के अग्रिम संचय में एकत्र करके अधिकांश पुनर्प्राप्ति आधार पर पोर्ट सेवाओं का प्रतिपादन किया जाता है। रियायतकर्ता समझौतों में कुछ खंडों की व्याख्या के कारण उत्पन्न विवादित ऋणों का प्रावधान, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि की समीक्षा की जाती है और मामले के आधार पर प्रदान की जाती है।

ऋण जोखिम अनावरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का एक आयु-वार विश्लेषण नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च 2020 | | 31 मार्च 2019 | |
|---|---------------|----------|---------------|----------|
| | सकल | हानि | सकल | हानि |
| पूर्व में कोई देय नहीं | | | - | |
| तीन महीने से भी कम पूर्व देय | 2,791.23 | - | 3,034.85 | - |
| तीन महीने से अधिक, लेकिन छह महीने से अधिक पूर्व देय नहीं | 1,166.47 | - | 0.20 | - |
| विगत छह महीने से अधिक समय से लेकिन एक वर्ष से अधिक पूर्व देय नहीं | 4.40 | - | 3.11 | - |
| एक वर्ष से ज्यादा | 2,154.57 | 1,299.74 | 1,299.74 | 1,299.74 |
| कुल | 6,116.67 | 1,299.74 | 4,337.90 | 1,299.74 |

मामले के आधार पर किसी मामले में व्यापार प्राप्तियों की हानि का प्रावधान उस वर्ष में किया जाता है जब वसूली का आकलन कंपनी द्वारा किए गए रिकवरी विश्लेषण के आधार पर संदेहास्पद के रूप में किया जाता है या रियायती समझौतों में कुछ खंडों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर विचार करती है जो समीक्षाधीन तारीखों के कारण बिगड़ा हुआ और पूर्व में देय हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता के हैं।

अन्य वित्तीय संपत्ति

नकद और नकद समकक्षों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे समकक्ष बैंक हैं। हम उन बैंकों के साथ सावधि जमा की क्रेडिट गुणवत्ता पर विचार करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निरीक्षण के अधीन हैं, और हम अच्छे आधार पर इन बैंकिंग संबंधों की समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋणों से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण को संपत्ति के शीर्षक विलेख के बंधक के रूप में सुरक्षित किया जाता है या जिस वाहन के लिए कर्मचारियों को ये ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के कारण टर्मिनल लाभ पर कंपनी का विनियोग अधिकार है। इसलिए, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीखों के रूप में मानते हैं जो अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं।

सी) तरलता जोखिम

हमारी तरलता जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत नकद और नकद समकक्ष, संचालन से उत्पन्न नकदी हैं, हम नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर हमारी तरलता की जरूरतों का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध नकदी की तुलना में शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना की जाती है।

शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की आवश्यकता में मुख्य रूप से व्यापार के भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक संसाधन, व्यय देय, कर्मचारी बकाया, ऋण की वर्तमान परिपक्वता की चुकौती आदि शामिल हैं, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यापार के सामान्य कोर्स के दौरान उत्पन्न होते हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम एक आवधिक आधार पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और आंतरिक अभिवृद्धि के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारे गैर-वर्तमान देनदारियों में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, टैक्स फ्री बॉन्ड और एक्सिस बैंकों से विदेशी मुद्रा ऋण, प्रतिधारण पैसा देय और सुरक्षा जमा से उधार शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के अनुबंध संबंधी परिपक्वताओं का विवरण है। तालिका को वित्तीय देनदारियों के अनदेखे नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूल और ब्याज नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(31 मार्च, 2020 तक लाख में राशि)

| विवरण | 6 महीने से कम | 6 महीने से 1 वर्ष | 1-3 वर्ष | 3-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| चेनै पोर्ट ट्रस्ट लोन | 1,150.62 | 1,150.62 | 4,602.48 | 4,602.48 | 13,602.56 | 25,108.76 |
| एक्सिस बैंक से लोन | 4,467.63 | 4,467.63 | 8,868.90 | - | - | 17,804.15 |
| कर मुक्त बांड | - | - | - | 8,293.34 | 37,552.35 | 45,845.69 |
| प्रतिधारण धन | - | 350.98 | 290.18 | - | - | 641.16 |
| सुरक्षा जमा | - | 260.63 | 275.97 | - | - | 536.60 |
| व्यापार देनदारियां | - | 1,229.15 | -- | - | - | 1,229.15 |
| अन्य देनदारियां | - | 199.34 | - | - | - | 199.34 |
| कुल | 5,618.25 | 7,658.35 | 14,037.53 | 1,2895.82 | 51,154.91 | 91,364.86 |

(31 मार्च, 2019 तक लाख में राशि)

| विवरण | 6 महीने से कम | 6 महीने से 1 वर्ष | 1-3 वर्ष | 3-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| चेनै पोर्ट ट्रस्ट लोन | 1,150.62 | 1,150.62 | 4,602.48 | 4,602.48 | 15,903.8 | 27,410.00 |
| एक्सिस बैंक से लोन | 4,064.92 | 4,064.91 | 16,264.82 | - | - | 24,394.65 |
| कर मुक्त बांड | - | - | - | 8,293.34 | 37,529.13 | 45,822.47 |
| प्रतिधारण धन | - | 675.38 | 33.45 | - | - | 708.83 |
| सुरक्षा जमा | - | 140.98 | 265.87 | - | - | 406.85 |
| व्यापार देनदारियां | - | 5,523.20 | - | - | - | 5,523.20 |
| अन्य देनदारियां | - | - | 220.79 | - | - | 220.79 |
| कुल | 5,215.54 | 11555.09 | 21,387.41 | 12,895.82 | 53,432.93 | 1,04,486.79 |

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-21 के संबंध में प्रकटीकरण "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव"

अन्य व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में डेबिट विनिमय अंतर की राशि रु. 688.16 लाख (प्रति वर्ष रु. 1199.50 लाख) है।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-36 "संपत्ति की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंड एस -36 के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि के लिए अपने फिक्स्ड एसेट्स की समीक्षा की है और चालू वित्त वर्ष (पिछले वर्ष - शून्य) में परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं देखी गई है।

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) - 20 के संबंध में प्रकटीकरण "सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण"

(रु. लाख में)

| अनुदान प्राप्त हुआ | 2019-20 | 2018-19 |
|------------------------|---------|---------|
| सरकारी अनुदान | शून्य | शून्य |
| कुल अनुदान प्राप्त हुआ | शून्य | शून्य |

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)—19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी लाभ"

ए. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क) भविष्य निधि:

कंपनी का भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है।

ख) ग्रेच्युटी:

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह ग्रेच्युटी @ 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन व महंगाई भत्ता) प्राप्त करने

का हकदार है जो प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, समाप्ति और अपंगता मृत्यु पर पूरा होता है। इस उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलएसी) द्वारा प्रबंधित की जा रही है जिसके लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और योगदानकर्ता बीमाकर्ता, यानि भारतीय जीवन बीमा निगम को उनके द्वारा की गई मांग के अनुसार भुगतान किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिए शुद्ध दायित्व की मान्यता और इंडस्ट्रीज एस -19 के तहत आवश्यक जानकारी के प्रकटीकरण को बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया है।

ग) सुपरनेशन स्कीम:

कंपनी ने एक गैर-अंशदायी कर्मचारी समूह सुपरनेशन पेंशन योजना लागू की है जिसे भारत के एलएसी द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है। निगम के नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन से 12% महंगाई भत्ता का योगदान किया जाता है।

अवधि के लिए इस योजना में योगदान को कर्मचारी लागत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन योगदान की गणना ऋण संगठन / सरकार के अनुसार की जाती है। भारत के नियमों के आधार पर और इसके लिए जिम्मेदार है।

घ) अवकाश:

कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और आधा वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में सालाना प्राप्त होता है। अर्जित अवकाश कैलेंडर वर्ष में एक बार केश योग्य होती है जो अधिकतम 30 दिनों की अवधि में और सुपरनेशन पर अधिकतम 300 दिनों तक सीमित के लिए है। अर्जित अवकाश पर देयता को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बी. लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

(₹. लाख में)

| विवरण | | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|--|------|--------------------|---------------|
| परिभाषित लाभ दायित्व | C.Y. | 354.38 | 315.72 |
| | P.Y. | 232.58 | 226.48 |
| योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | C.Y. | 346.74 | 303.93 |
| | P.Y. | 211.64 | 221.27 |
| वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)] | C.Y. | (7.64) | (11.79) |
| | P.Y. | (20.09) | (5.21) |
| संपत्ति सीलिंग का प्रभाव | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां / (देयताएं) | C.Y. | 7.64 | (11.79) |
| | P.Y. | (20.09) | (5.21) |

परिभाषित लाभ दायित्व में गति

(₹. लाख में)

| विवरण | | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|--|------|--------------------|---------------|
| निर्धारित लाभ दायित्व - वर्ष की शुरुआत | C.Y. | 272.70 | 226.48 |
| | P.Y. | 232.28 | 223.98 |
| वर्तमान सेवा लागत | C.Y. | 33.53 | 16.07 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| ब्याज लागत | C.Y. | 20.88 | 17.55 |
| | P.Y. | 16.26 | 14.78 |
| लाभ का भुगतान क्रिया | C.Y. | (6.61) | 0 |
| | P.Y. | 0 | (25.54) |
| पुनः माप - बीमांकिक हानि / (लाभ) | C.Y. | 23.72 | (30.67) |
| | P.Y. | (4.35) | (6.55) |
| निर्धारित लाभ दायित्व - वर्ष का अंत | C.Y. | 354.38 | 315.72 |
| | P.Y. | 272.69 | 226.47 |

योजना परिसंपत्ति में गति

(₹. लाख में)

| विवरण | | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|--|------|--------------------|---------------|
| वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | C.Y. | 346.73 | 221.27 |
| | P.Y. | 252.60 | 218.98 |
| ब्याज आय | C.Y. | 22.39 | 19.63 |
| | P.Y. | 14.81 | 15.47 |
| नियोक्ता का योगदान | C.Y. | 79.34 | 64.04 |
| | P.Y. | 23.62 | 11.37 |
| लाभ का भुगतान क्रिया | C.Y. | (6.61) | 0 |
| | P.Y. | 0 | (25.54) |
| पुनः माप - योजना की संपत्ति पर लौटें | C.Y. | (0.99) | (1.01) |
| | P.Y. | 2.52 | 1.00 |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | C.Y. | 346.74 | 303.93 |
| | P.Y. | 252.60 | 221.26 |

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹. लाख में)

| विवरण | | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|--|------|--------------------|---------------|
| वर्तमान सेवा लागत | C.Y. | 33.53 | 16.08 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| विगत सेवा लागत - योजना संशोधन | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| करटेल्मेंट लागत / (क्रेडिट) | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| निपटान लागत / (क्रेडिट) | C.Y. | 0 | 0 |
| | P.Y. | 0 | 0 |
| सेवा लागत (ए) | C.Y. | 33.53 | 16.08 |
| | P.Y. | 28.50 | 19.80 |
| शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / संपत्ति पर शुद्ध ब्याज (बी) | C.Y. | (1.52) | (2.08) |
| | P.Y. | 1.44 | (0.68) |
| पी एंड एल (ए + बी) में मान्यता प्राप्त लागत | C.Y. | 32.01 | 14.00 |
| | P.Y. | 29.94 | 19.12 |

संवेदनशीलता विश्लेषण

(31 मार्च, 2020 तक लाख में राशि)

| धारणा | धारणा में परिवर्तन | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| छूट की दर | +1.00% | 325.58 | 303.25 |
| | -1.00% | 387.92 | 329.40 |
| वेतन वृद्धि दर | +1.00% | 386.10 | 329.33 |
| | -1.00% | 325.68 | 303.06 |
| निकासी दर | +1.00% | 358.57 | 316.75 |
| | -1.00% | 349.70 | 314.59 |

(31 मार्च, 2019 तक लाख में राशि)

| धारणा | धारणा में परिवर्तन | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| छूट की दर | +1.00% | 251.10 | 210.50 |
| | -1.00% | 297.71 | 244.83 |
| वेतन वृद्धि दर | +1.00% | 297.57 | 246.31 |
| | -1.00% | 250.87 | 208.96 |
| निकासी दर | +1.00% | 277.96 | 234.16 |
| | -1.00% | 266.77 | 217.95 |

एक्चुअरीअल धारणा

| विवरण | | ग्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|----------------------|------|--------------------|---------------|
| विधि का उपयोग क्रिया | C.Y. | पियुसी | पियुसी |
| | P.Y. | पियुसी | पियुसी |
| छूट की दर | C.Y. | 6.75% | 6.75% |
| | P.Y. | 7.75% | 7.75% |
| वेतन वृद्धि की दर | C.Y. | 5% | 5% |
| | P.Y. | 5% | 5% |

| विवरण | | प्रेच्युटी (फंडिड) | अवकाश (फंडिड) |
|---------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| योजना एसेट की वापसी की दर | C.Y. | 6.75% | 6.75% |
| | P.Y. | 7.75% | 7.75% |
| निकासी दर | C.Y. | 1% to 3% | 1% to 3% |
| | P.Y. | 1% to 3% | 1% to 3% |
| सेवानिवृत्ति आयु | C.Y. | 60 वर्ष | 60 वर्ष |
| | P.Y. | 60 वर्ष | 60 वर्ष |
| औसत भविष्य सेवा | C.Y. | 16.05 | 16.05 |
| | P.Y. | 16.14 | 16.14 |
| मृत्यु दर | C.Y. | ऐएएलएम | ऐएएलएम |
| | P.Y. | (2012-14) टेबल ऐएएलएम (2006-08) टेबल | (2012-14) टेबल ऐएएलएम (2006-08) टेबल |
| विकलांगता दर | C.Y. | कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं | कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं |
| | P.Y. | | |

योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

| निवेश की श्रेणी | योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का% |
|-----------------|---------------------------------------|
| बीमा नीति | 100% |

10. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -108 के संबंध में प्रकटीकरण: "परिचालन खंड"

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड - पोर्ट सर्विसेज में काम करती है और कोई भौगोलिक क्षेत्र भी नहीं है।

कंपनी निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है, जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। अन्य ग्राहकों के संबंध में, उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी कंपनी के राजस्व के 10% से कम है।

(रु. लाख में)

| ग्राहक | 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| टेनजेडको | 14,990.94 | 15,986.47 |
| एनटीईसीएल (टेनजेडको और एनटीपीसीएल का जेवी) | 8,338.10 | 9,581.87 |
| चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड | 12,023.54 | 13,499.73 |

11. भारतीय लेखा मानक 23 के संबंध में प्रकटीकरण "उधार की लागत"
वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार की राशि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट / कैपिटल वर्क (प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूसी) में संबंधित ले जाने की राशि रु. शून्य (पिछला वर्ष रु. 205.70 लाख) है।

12. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "पार्टी संबंधित प्रकटीकरण"

ए. सरकार से संबंधित अन्य इकाईयों संबंधी प्रकटीकरण

ए. संबंधित पक्षों की सूची:

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति:

| नाम | पद |
|------------------------------|--|
| श्री सुनील पालीवाल, आईएएस | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (16.09.2019 से) |
| श्री पी. रवीन्द्रन, आईआरटीएस | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (15.09.2019 तक) |
| श्री एम. गुणसेकरन | महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ |
| श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन | कंपनी सचिव |

अन्य संस्थाएं:

- मैसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| पारिश्रमिक और अल्पकालिक लाभ | 94.61 | 48.84 |
| रोजगार के बाद के लाभ | 8.61 | 7.79 |
| अन्य दीर्घकालिक लाभ | - | - |
| शेयर आधारित भुगतान | - | - |
| निरस्तीकरण लाभ | - | - |
| बैठने की फीस | - | - |
| कुल | 103.22 | 56.63 |
| वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली | - | - |
| वर्ष के दौरान जारी किए गए अग्रिम | - | - |
| ऋण और अग्रिमों का समापन | - | - |

* श्री पी. रवीन्द्रन, आईआरटीएस, अध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को 13.06.2018 से 15.09.2019 तक केपीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसलिए उनका पारिश्रमिक शामिल नहीं है।

बी. चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| चुकता ब्याज | 2,758.93 | 2,656.07 |
| ऋण चुकाना | 2,301.25 | 2,301.25 |
| लीज रेंट का खर्च | 40.31 | 39.98 |
| परियोजना प्रबंधन सेवाएं | 47.75 | 93.96 |
| एडवांस लीज रेंट | 193.76 | 88.34 |
| वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए लाभांश का भुगतान | 2,500.00 | 2,500.00 |
| वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए चुकता अंतरिम लाभांश | - | 1,500.00 |
| सीएसआर खर्च | - | 100.00 |
| अन्य | 49.11 | 7.52 |
| सावधि ऋण का क्लोजिंग बकाया | 25,108.75 | 27,410.00 |

13. भारतीय लेखा मानक के संबंध में प्रकटीकरण (इंड एस) 17 "लीज़"

(रु. लाख में)

ए. परिचालन लीज़

i) लीज के रूप में

- अग्रिम शुल्क भुगतान को छोड़कर गैर-रद्द परिचालन लीज के तहत भावी न्यूनतम लीज का भुगतान

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 वर्ष से अधिक नहीं | 15.48 | 40.55 |
| 1 साल से अधिक और 5 साल से अधिक नहीं | 11.47 | 36.72 |
| 5 साल से अधिक | | - |

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| न्यूनतम लीज भुगतान * | 40.55 | 128.89 |

* अग्रिम लीज पेमेंट का कुछ हिस्सा शामिल है।

लीज की व्यवस्था:

कंपनी ने अधिकारियों के उपयोग के लिए मोटर वाहन लीज पर लिए हैं। लीज चार साल के लिए ली गई है। कंपनी ने अग्रिम प्रीमियम लीज भुगतान पर चैनै पोर्ट ट्रस्ट से 30 साल के लिए कार्यालय परिसर से लीज पर लिया है।

ii. एक लीजर के रूप में

- गैर-रद्द परिचालन लीज के तहत भविष्य के न्यूनतम लीज प्राप्ति

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 वर्ष से अधिक नहीं | 2,421.13 | 2,305.84 |
| 1 साल से अधिक और 5 साल से अधिक नहीं | 14,047.20 | 13,378.29 |
| 5 साल से अधिक | 56,508.51 | 59,598.56 |

• लीज की व्यवस्था:

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कार्गो टर्मिनलों के विकास, संचालन, विपणन और रखरखाव को कैपिटव / पीपीपी बीओटी ऑपरेटर्स के साथ 30 साल के लाइसेंस / रियायत समझौते पर छोड़ दिया जाता है। कंपनी ने लाइसेंस / रियायत समझौते के अनुसार बीओटी ऑपरेटर्स / कैपिटव उपयोगकर्ताओं के माध्यम से बर्थ के विकास के लिए जल क्षेत्र और भूमि क्षेत्र को लीज पर दिया।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-33 के संबंध में प्रकटीकरण "प्रति शेयर आय (ईपीएस)"

ए) बेसिक ईपीएस

बुनियादी ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारत औसत संख्या निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के कारण | 24,925.51 | 34,015.91 |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय (ए) | 24,925.51 | 34,015.91 |
| प्रति शेयर बेसिक आय के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारत औसत संख्या (B) | 30,00,00,000 | 30,00,00,000 |
| मूल ईपीएस (ए / बी) - रु. | 8.31 | 11.34 |

बी) डायल्यूटिड ईपीएस

डायल्यूटिड ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शेयरों की आय और भारत औसत संख्या इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| वर्ष के लिए लाभ (हानि), कंपनी के मालिकों के कारण | 24,925.51 | 34,015.91 |
| प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय (ए) | 24,925.51 | 34,015.91 |
| प्रति शेयर बेसिक आय के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारत औसत संख्या (B) | 30,00,00,000 | 30,00,00,000 |
| मूल ईपीएस (ए / बी) - रु. | 8.31 | 11.34 |

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -37 के संबंध में प्रकटीकरण "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति"

आकस्मिक देयताएं

(i) विवादित कर मांग:

रु. 910.74 लाख (पिछले वर्ष रु.2036.98 लाख) की राशि के विवादित कर मामलों में अपीलीय अधिकारियों के समक्ष विवाद चल रहा है।

(ii) ईसीपीपी देयताएं:

पोर्ट के निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा किए गए रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. 323.30 लाख) के दावे अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ दावे का निपटान किया है।

(iii) अनुबंध / आपूर्ति कार्य:

हमारी परियोजनाओं में निर्माण / आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों में से कुछ ने कंपनी पर रु. 11308.00 लाख (पिछला वर्ष: 16059.87 लाख) का दावा किया जिसमें अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजे, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग शामिल है। ये दावे संबंधित अनुबंधों के प्रावधान के संबंध कंपनी द्वारा स्वीकार्य नहीं होने के लिए किए जा रहे हैं।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान प्रणाली के तहत विभिन्न विकल्पों को अपना रही है।

(₹. लाख में)

| विवरण | 2019-20 | 2018-19 |
|---|------------------|------------------|
| विवादित कर मांग लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया | 910.74 | 2,036.98 |
| कंपनी के खिलाफ दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए | 834.60 | - |
| - एनजीटी | - | 323.30 |
| - ईसीपीपी देयताएं | 11,308.00 | 16,059.89 |
| - अनुबंध / आपूर्ति कार्य | | |
| कुल | 13,053.34 | 18,420.17 |

16. शेष की पुष्टि:

व्यापार प्राप्तियां / भुगतान, सावधि ऋण और अग्रिम, सेवा कर इनपुट क्रेडिट / जीएसटी और जमा राशि पुष्टि और सुलह के अधीन हैं।

17. पूंजी प्रबंधन:

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, बरकरार रखी गई आय और इक्विटी धारकों के कारण अन्य इक्विटी शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है और अर्थव्यवस्था व बाजार की स्थितियों में बदलाव के मद्देनजर इसमें समायोजन करती है।

कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो शुद्ध ऋण सहित कुल पूंजी द्वारा विभाजित शुद्ध ऋण है। शुद्ध ऋण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार कम नकदी और बैंक शेष शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षण शामिल हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्टिंग की अवधि के अंत में गियरिंग इस प्रकार थी:

(₹. लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 तक | 31 मार्च, 2019 तक |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| कुल ऋण | 88,758.58 | 97,627.11 |
| कम: नकद और नकद समकक्ष | 9,920.80 | 3,183.95 |
| शुद्ध ऋण | 78,837.78 | 94,443.18 |
| कुल इक्विटी | 2,37,906.66 | 2,22,104.30 |
| इक्विटी अनुपात में शुद्ध ऋण | 33.14% | 42.52% |

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29 जून, 2020

पी. रवींद्रन

निदेशक

डिन : 07640613

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

कंपनी सचिव

बी. न्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फआरएन. 004371एस

राम श्रीनिवासन

पार्टनर,

एम.नं.220112

यूडिएएन : 20220112एएएबीजी1939

18. कोविड 19 पर नोट

कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व मानवीय, आर्थिक और वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इस महामारी ने व्यापक आर्थिक अनिश्चितता और व्यवसायों को बाधित किया है।

भारत सरकार ने देश में कोविड 19 महामारी को रोकने के लिए 21 दिनों की अवधि के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश संख्या 40-3 / 2020 टीएम-1 (ए) दिनांक 24.3.2020 जारी किया था। भारत सरकार ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और इसके बाद 30 जून तक कंटेंटमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से सभी गतिविधियों को करने की अनुमति दी है।

चूंकि महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए 2019-20 की वित्तीय स्थिति में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था।

कोविड 19 का आर्थिक प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 से काफी कम होगा। हालांकि, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 30 मई को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें देश के जिलों की जोखिम रूपरेखा के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं और अप्रतिबंधित अंतर-राज्य और व्यक्तियों व वस्तुओं के अंतर-राज्य गतिविधि की अनुमति दी गई है। हालांकि, कम मांग और उत्पादन में कमी के कारण, घरेलू और एक्सिम व्यापार पर प्रभाव मध्यम अवधि के लिए कम होने की उम्मीद होगी।

पोर्टों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कम यातायात मात्रा का उपयोग करें और समग्र उपयोग के स्तर को कम करें और मध्यम अवधि के लिए राजस्व कम हो।

नौवहन मंत्रालय ने एक्सिम व्यापार को कुछ छूट / रियायत देने के लिए प्रमुख बंदरगाहों को दिशानिर्देश जारी किए और इन छूटों / रियायतों के प्रभाव को वित्त वर्ष 2020-21 में जाना जाएगा।

19. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, एकत्रित किया गया है।

20. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 29 जून, 2020 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।



Construction of 12 Class Rooms at Nutakki, Guntur District, Andhra Pradesh under CSR.



Construction of Public Library building at Panapakkam, Vellore District, Tamil Nadu under CSR.



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Trust)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Corporate Cum Registered Office :

"Jawahar Building", 2nd Floor,
(North Wing) & 3rd Floor,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :

Vallur Post, Chennai - 600 120
Tel : 044-2795 0030 - 40
Fax : 044-2795 0002

Email : info@kplmail.in

Website : www.kamarajarport.in

[facebook.com/kamarajarport](https://www.facebook.com/kamarajarport)

[twitter@kamarajarport](https://twitter.com/kamarajarport)